

## वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट



भारतीय रिजर्व बैंक  
दिसंबर 2010

# वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट



भारतीय रिजर्व बैंक  
दिसंबर 2010

## आमंत्रणाली

© भारतीय रिजर्व बैंक

सर्वोधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से <http://www.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा जयंत प्रिंटरी, 352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर कम्पाउन्ड,  
ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई-400 002 में मुद्रित।

# विषयवस्तु

## प्रावक्षण

चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची	i से iii
अध्याय I : मूल्यांकन और संभावना	1
अध्याय II : समष्टिगत अर्थव्यवस्था का बातावरण	9
अध्याय III : वित्तीय बाजार	23
अध्याय IV : वित्तीय संस्थाएं	39
अध्याय V : वित्तीय क्षेत्र नीतियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर	70
अध्याय VI : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिशीलता	98
 अनुलग्नक 1	
दबाव परीक्षण प्रणालियां	106

## बॉक्स की सूची

2.1 सरकारी कर्ज संकट	11
3.1 क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) में प्रस्तावित रक्षोपाय	36
4.1 अत्यधिक लिवरेज्ड (विशेष सुविधाप्राप्त) कंपनियों के लिए भारतीय बैंकों का एक्सपोज़र	47
4.2 प्रतिभूतीकरण बाजार में फिर से जान डालना	53
5.1 बैंक के तुलन पत्र के देयता ढांचे को नया रूप देना: आकस्मिक पूँजी और बचाव (बेल-इन)-दृष्टिकोण और मुद्दे	75
5.2 प्रणालीगत जोखिम मापना - मुद्दे और विकल्प	79
5.3 वित्तीय नेटवर्क और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन	81
6.1 समष्टिगत दबाव परीक्षण (मैक्रो स्ट्रेस टेस्टिंग)	102

## चार्ट की सूची

2.1 समग्र समष्टिगत जोखिम	9
2.2 वैश्विक संवृद्धि और मुद्रास्फीति	10
2.3 यूएस और यूरोजोन में पीएमआई	10
2.4 बेरोजगारी	10
2.5 सरकार का सामान्य सकल कर्ज	12
2.6 प्रमुख घाटेवाली दोहरी अर्थव्यवस्थाएं	13
2.7 बाल्टिक ड्राई इंडेक्स	14
2.8 सकल देशी उत्पाद की वृद्धि में योगदान	14
2.9 क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) में वृद्धि	15
2.10 कारोबारी प्रत्याशा सर्वेक्षण	15

2.11 सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) का संरचनागत रूपांतरण	15
2.12 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में परिवर्तन	16
2.13 उन्नत वैश्विक खाद्य मूल्य	16
2.14 उन्नत देशी खाद्य मूल्य	16
2.15 बचत तथा निवेश	17
2.16 केंद्र तथा राज्यों का संयुक्त ऋण तथा प्राथमिक शेष	17
2.17 कुछ चुनिंदा देशों में सरकारी ऋण की औसत परिपक्वता	18
2.18 अगले तीन वर्ष में परिपक्व होने वाले सरकारी ऋण	18
2.19 केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का परिपक्वता प्रोफाईल	18
2.20 पूंजीगत प्रवाहों के संघटन	19
2.21 अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	19
2.22 बाह्य देयताएं बढ़ रही हैं	19
2.23 आवास की कीमतें और ऋण	20
2.24 रियल एस्टेट क्षेत्र में बैंक आस्तियों की गुणवत्ता	20
2.25 ब्याज का भुगतान, लाभ और कर	20
2.26 औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण	21
2.27 घरेलू खपत और उधार	21
2.28 आवास क्षेत्र को दिए गए ऋण की गुणवत्ता	21
2.29 खुदरा आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार	21
3.1 सरकारी सीडीएस मूल्य	23
3.2 अमेरिका <sup>3</sup> में सूचीबद्ध विभिन्न आस्तियों में ईटीएफ <sup>2</sup> के मूल्य	24
3.3 अमेरिका में सूचीबद्ध विभिन्न आस्तियों में ईटीएफ के मूल्य (अमरीकी डालर) <sup>4</sup>	24
3.4 यूएस अमरीकी डालर मुद्रा बाजार दरें (3-माह तथा एक दिवसीय)	25
3.5 यूरो मुद्रा बाजार दरें (3-माह तथा एकदिवसीय)	25
3.6 विकसित (डीएक्सवाई) तथा एशियाई मुद्राओं (एडीएक्सवाई) की तुलना में यूएस डालर का मूल्य	25
3.7 15 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में 3 माह जमा दरों पर वार्षिक प्रतिफल	26
3.8 पिछले 4 वर्ष में यूएस तथा भारतीय सरकारी बांडों के बीच 10 वर्षीय प्रतिफल की तुलना में मासिक निवल एफआरआर ऋण प्रवाह	26
3.9 2010 में विकासशील बाजार (ईएम) प्रतिबद्ध क्षेत्रीय ईक्विटी निधि (साप्ताहिक, बिलियन अमेरिकी डालर)	27
3.10 संचयी ईएम नियत पूंजीगत प्रवाह	27
3.11 पिछले 4 वर्ष में VIX सूचकांक की तुलना में मासिक निवल एफआईआई प्रवाह (मिलियन अम. डॉलर)	27
3.12 तिमाही एफआईआई प्रवाह तथा सैसेक्स	28
3.13 यूएस डॉलर आईएनआर तथा ईयूआर/यूएस डॉलर में निहित 3 माह परिमाण	28
3.14 2010 में यूएसडी-आईएनआर फ्यूचर्स के लिए तीनों एक्सचेंजों में परिमाण (₹ करोड़) तथा ओपन इन्टरस्ट (000 में) की प्रवृत्ति	29
3.15 1 वर्षीय तथा 5 वर्षीय परिपक्वता में आफशोर तथा आनशोर ओआईएस दरों में अंतर	29

## पृष्ठ क्र.

3.16 3 माह तथा एकदिवसीय दरें	30
3.17 मांग दरें, एलएएफ कारीडोर सुविधा तथा उसका उपयोग	30
3.18 कोलेटरेल उधार का अंश	31
3.19 भारतीय मुद्रा बाजार का संघटन	31
3.20 2010 में सीपी का बदलता परिपक्वता पैटर्न (संघटन के कुल निर्गम का प्रतिशत)	33
3.21 10 वर्षीय बांड बाजार दरें	33
3.22 मार्च 2007 में सरकारी बांडों का धारिता पैटर्न (आंतरिक) तथा सितंबर 2010 में (बाह्य)	34
3.23 2010 में मासिक कंपनी बांड व्यापारिक टर्नओवर तथा निजी निर्गम (निर्गम के लिए 000 करोड़ ₹ में)	34
3.24 अक्टूबर 2010 के लिए आईआरएस में (एमआईबीओआर) बाजार अंश (साकेतिक राशि से)	35
3.25 सरकारी प्रतिभूति व्यापार में सहभागियों का बाजार अंश	37
3.26 वित्तीय दबाव सकेतक - भारत <sup>16</sup>	37
4.1 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंक की निजी ऋण वृद्धि	39
4.2 बैंकिंग क्षेत्र ऋण चूक अदलाबदली (सीडीएस) स्प्रेड	40
4.3 वैश्विक बैंकिंग सूचकांक	40
4.4 चुनिंदा भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीडीएस स्प्रेड	41
4.5 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की इक्विटियों का निष्पादन	41
4.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और निवेशों की वृद्धि	41
4.7 बैंक समूहों के तुलन-पत्रों के महत्वपूर्ण मदों में वृद्धि की प्रवृत्ति	42
4.8 सकल देशी उत्पाद की तुलना में बैंकिंग परिसंपत्तियों के अनुपात में वृद्धि अनु. वा. बैंक	42
4.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र में प्रमुख घटकों का हिस्सा	42
4.10 बैंक समूहों के अग्रिमों में वृद्धि	43
4.11 2004- 09 के दौरान कुछ अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी में ऋण अनुपात	43
4.12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां तथा 'कासा' जमाराशियों का अंश	44
4.13 थोक जमाओं पर निर्भरता	45
4.14 चुनिंदा यूएस बैंकों के तुलन पत्र लीवरेज गुणज	46
4.15 यूरोप और जापान के चुनिंदा बैंकों के तुलन पत्र लीवरेज गुणज	46
4.16 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लीवरेज गुणज	46
4.17 एससीबी के सेक्टोरियल क्रेडिट में वृद्धि	47
4.18 एससीबी के आवासीय एवं व्यक्तिगत ऋण तथा गैर जमानती ऋण का स्तर	48
4.19 एससीबी की खुदरा एवं आवासीय ऋणों की संवृद्धि	48
4.20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों में उनके खुदरा और आवास ऋण का हिस्सा	48
4.21 खुदरा क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में वृद्धि	49
4.22 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों में वृद्धि	50
4.23 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये भूसंपदा क्षेत्र ऋण के घटकों में हुई वृद्धि	52
4.24 भूसंपदा क्षेत्र के ऋणों में एनपीए का हिस्सा	52

4.25 एनबीएफसी के एक्सपोजर	52
4.26 तुलन-पत्र की आस्तियों के प्रतिशत के रूप में तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर	54
4.27 ओबीएस एक्सपोजर का संघटन	54
4.28 बैंक समूहों के बीच ओबीएस एक्सपोजर का संकेन्द्रण	54
4.29 तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर - नोशनल तथा क्रेडिट समतुल्य	55
4.30 नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत पूँजी पर्याप्तता	55
4.31 बासल I और बासल II फ्रेमवर्क के तहत पूँजी पर्याप्तता (सितंबर 2010)	56
4.32 एसीबी के सकल एनपीए में वृद्धि	56
4.33 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए अनुपात और फ्रेश स्लिपेज अनुपात	56
4.34 बैंक समूहों के सकल एनपीए में वृद्धि	57
4.35 अनुसूचित वाणिज्य बैंक के एनपीए का श्रेणीवार विभाजन	57
4.36 बैंक समूहों का प्रोविजन कवरेज अनुपात <sup>11</sup>	58
4.37 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय के चुनिंदा घटकों की वृद्धि	59
4.38 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय के महत्वपूर्ण घटकों का हिस्सा	59
4.39 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण लाभप्रदता अनुपात	59
4.40 चलनिधि मूल्यांकन (स्टॉक दृष्टिकोण)	60
4.41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति-देयता में अंतर	61
4.42 बैंकिंग स्थिरता नक्शा	62
4.43 बैंकिंग स्थिरता सूचकांक	63
4.44 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अनुत्पादक आस्तियों के अनुपात	63
4.45 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की महत्वपूर्ण तुलनपत्र मदें	64
4.46 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	65
4.47 शहरी सहकारी बैंकों के अनुत्पादक आस्तियों के अनुपात	66
4.48 जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और उनकी जमाराशियों की मात्रा	67
4.49 जमाराशियाँ लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय निष्पादन	68
5.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र बैलेंस शीट, ओबीएस एक्सपोजर और अंतरबैंक एक्सपोजर में सर्वोच्च 10 भुगतान एवं निपटान प्रणाली प्रतिभागियों की भागीदारी	82
5.2 मूल्य में प्रवृत्ति	86
5.3 मात्रा में प्रवृत्ति	86
5.4 भुगतान लेन-देन में इलेक्ट्रॉनिक और पेपर आधारित प्रणाली की भागीदारी: मूल्य	86
5.5 भुगतान अंतरणों में इलेक्ट्रॉनिक तथा कागज आधारित प्रणालियों की हिस्सेदारी	87
5.6 भुगतान प्रणालियों में संकेदण	89
5.7 आउटराइट सरकारी प्रतिभूति व्यापार में हिस्सेदारी	89
5.8 आउटराइट विदेशी मुद्रा व्यापार में हिस्सेदारी	89

**पृष्ठ क्र.**

5.9	आउटराइट एमआईएफओआर स्वैप्स में हिस्सेदारी	90
5.10	आउटराइट एमआईबीओआर स्वैप्स में हिस्सेदारी	90
6.1	वाणिज्यिक बैंक जिनके गैर निष्पादक अग्रिम <sup>2</sup> बढ़ने के कारण सीआरएआर 9% के नीचे आ गया है	99
6.2	इक्विटी का ड्यूरेशन-समय अंतराल पर आवृत्ति (परिदृश्य I - 1 महीने के भीतर बचत जमा आहरण)	99
6.3	इक्विटी का ड्यूरेशन -समय अंतराल पर आवृत्ति (परिदृश्य II - 3 से 6 महीने के भीतर बचत जमा आहरण)	100
6.4	दबावग्रस्त परिदृश्य में बैंकों की तरलता स्थिति	100
6.5	शहरी सहकारी बैंक - विविध परिदृश्य में बैंक - समूह वार प्रबंधनीय जमाओं का अनुपात - सितंबर 2010	101
6.6	शहरी सहकारी बैंक - प्रबंधनीय जमाओं के अनुपात के अनुसार विभाजन - सितंबर 2010	101
6.7	दबाव परिदृश्यों के तहत अनर्जक अग्रिम	104
6.8	पूंजी पर्याप्तता अनुपात: दबाव परिदृश्य के तहत अनर्जक अग्रिम अनुपातों से रूपांतरित	105

**सारणी की सूची**

2.1	सेवा क्षेत्र सूचक	15
3.1	सितंबर 2010 में सभी एससीबी के समग्र आकार/टर्नओवर में बैंकों का अंश	37
4.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सीडी तथा आईडी अनुपात	44
4.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अल्पकालिक चलनिधि मूल्यांकन (प्रवाह दृष्टिकोण)	60
4.3	चलनिधि अनुपात - दीर्घावधि वित्तीयन के लिए अल्पकालिक निधियों पर निर्भरता	60
4.4	जमाराशियों और अग्रिमों की परिपक्वता का प्रोफाइल	61
4.5	शहरी सहकारी बैंकों की ग्रेड के अनुसार उपस्थिति	65
4.6	शहरी सहकारी बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात	66
4.7	शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता अनुपात	66
4.8	जमाराशियां लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनुत्पादक आस्तियों के अनुपात	68
5.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र बैलेंस शीट, ओबीएस एक्सपोजर और अंतरबैंक एक्सपोजर में सबोच्च 10 भुगतान एवं निपटान प्रणाली प्रतिभागियों की रैंकिंग	82
5.2	नेटिंग क्षमता	88
5.3	अंतःदैनिक तरलता का उपयोग	88
6.1	इक्विटी का ड्यूरेशन (वाणिज्यिक बैंक)	99
6.2	द्विचर पश्चगमन के चर	103
6.3	बहुचरीय पश्चगमन मॉडल: चरों के अनुमानित गुणांक	103
6.4	आधार रेखा के अनुमान	104
6.5	दबाव परिदृश्य	104

## प्राक्कथन

**विं** नीय स्थिरता रिपोर्ट का यह दूसरा संस्करण वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता संबंधी प्रारंभिक जोखिमों के बारे में रिजर्व बैंक के आकलन को सूचित करने संबंधी उसके सतत प्रयास की दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह है कि वित्तीय क्षेत्र की आर्थिक-संरचना-व्यापक-आर्थिक ढांचा, नीति, बाजार, संस्था-के अलग-अलग तत्वों की व्याख्या और उनका आकलन पूर्णतः एक प्रणालीगत जोखिम के परिप्रेक्ष्य से किया जाए।

मार्च 2010 में पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के बीच रिक्वरी की गति में होने वाला अंतर और बढ़ गया है। भारत में वृद्धि में सुदृढ़ उछाल आया है परंतु मुद्रास्फीतिकारी दबाव बना हुआ है, जो देशी मांग और बढ़ती वैश्विक पण्य कीमतों दोनों के द्वारा चालित है।

हाल के महीनों में उभरते बाजार की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत कार्यसूची में पूंजी प्रवाह के प्रबंधन की प्रमुखता है। भारत की द्विविधा इसके कुछ विपरीत है। हमारी चिंता प्रवाहों की मात्रा को लेकर उतनी नहीं है, जिसे हम बढ़े हुए चालू खाता धाटा के कारण आत्मसात कर सके हैं, अपितु इन प्रवाहों के स्वरूप को लेकर अधिक चिंता है। पूंजी का अधिकांश भाग अल्पावधि सविभाग प्रवाह तथा कर्ज प्रवाह के रूप में आया है, जो काफी हद तक आकस्मिक रुकावट और बदलाव के साथ सम्बद्ध है। जहां आरक्षित निधियों के स्तर ने भुगतान संतुलन को सुदृढ़ता प्रदान की है, वहीं पिछले कुछ महीनों में आरक्षित निधियों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, जिससे पूंजी प्रवाह की वैश्विक प्रवृत्तियों में उल्लेखनीय बदलाव आने पर समीकरण बदल सकता है।

चलनिधि की सख्त स्थिति के कारण मुद्रा बाजार में आए कुछ दबाव को छोड़कर भारत का वित्तीय क्षेत्र कमोबेस आघात-सह बना रहा। बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत बने हुए हैं तथा सकल स्तर पर आस्ति की गुणवत्ता से गंभीर चिंताएं उत्पन्न नहीं होतीं। रिजर्व बैंक पहले की तरह क्षेत्रवार एक्सपोजर पर निगरानी रखना और उनका समाधान करना जारी रखेगा। बैंकों द्वारा आस्ति-देयता संबंधी बेमेल, विशेष रूप से बड़े दीर्घावधि बुनियादी ढांचा संबंधी एक्सपोजरों के संबंध में, का समाधान करना एक प्रमुख चुनौती होगी। रिजर्व बैंक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण ढांचे को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। बड़े एनबीएफसी की प्रणालीगत सहबद्धताओं के विनियमन को सुदृढ़ करना तथा गैर-बैंकिंग क्षेत्र में विनियामक अंतरालों का समाधान करना ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर मुख्य रूप से फोकस किया जाना है।

वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने और उसके परिरक्षण के लिए देशी एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काफी प्रयास किये गये हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधार संबंधी जिस कार्यसूची पर विचार किया जा रहा है उसके संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के बारे में भारत की स्थिति का आकलन किया गया है। इस बात पर बल दिया गया है कि इनमें से कई सुधारों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक समायोजन से हमारी बैंकिंग प्रणाली में अनुचित खिंचाव आने की संभावना नहीं है क्योंकि विवेकपूर्ण सुरक्षा संबंधी कई प्रमुख उपाय पहले से ही देशी विनियामक ढांचे का अंग हैं। विस्तारित कार्यान्वयन अनुसूचियों से समायोजन की प्रक्रिया भी आसान बनेगी। तथापि, भारतीय प्रणाली में सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए भविष्य की पूंजी संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियां रह जाती हैं जिनका सामूहिक रूप से समाधान विनियामकों, वित्तीय बाजार के सहभागियों तथा सभी पण्धारियों द्वारा किया जाना है।

फरवरी 2010 के बजट में वित्त मंत्री ने जिस वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) का उल्लेख किया था, उसका गठन किया जा रहा है। इसमें रिजर्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण होने की आशा है। इस बीच, वित्तीय प्रणाली की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा प्रणालीगत स्थिरता के संबंध में संभाव्य जोखिमों की पहचान एवं उनका विश्लेषण करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों एवं तकनीकों को उन्नत बनाने के लिए रिजर्व बैंक के भीतर काफी प्रयास किये गये हैं। इस वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इनमें से कुछ प्रयासों के परिणाम प्रस्तुत किये गये हैं।

वित्तीय स्थिरता का अनुसरण करना एक सतत प्रयास है - जो काफी सीमा तक सिसिफस नामक ग्रीक पौराणिक पात्र की तरह है जिसकी तुलना हाल की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक 'लॉइर्स ऑफ फाइनेंस' में केंद्रीय बैंकरों से की गयी है। ईश्वर द्वारा सिसिफस को यह अभिशाप दिया गया था कि वह एक बड़े शिलाखंड को एक खड़ी पहाड़ी के पास ले जाए तथा उसे पुनः नीचे आते हुए देखे और बार-बार यह कार्य किया करे। केंद्रीय बैंकरों के सामने इससे भी बड़ी चुनौती है - उन्हें एक ही समय में अनेक शिलाखंडों से जूझना पड़ता है। यदि केंद्रीय बैंक इस बहु-सिसिफीय प्रयास में सफल हो जाए, तभी वे गतिशील प्रणाली को स्थिर रखने में समर्थ हो सकेंगे।

हमें आशा है कि इस रिपोर्ट से सभी पण्धारियों को उपयोगी जानकारी एवं सुचना प्राप्त होगी। रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण की गणुवत्ता को सुधारने के लिए प्रयत्नरत है। इस संदर्भ में, अनुरोध है कि आप इस रिपोर्ट से संबंधित आपने विचार, अभिमत तथा प्रतिपुष्टि [fsu@rbi.org.in](mailto:fsu@rbi.org.in) पर ई-मेल से प्रेषित करें।

## चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची

एबीएस	आस्ट्रिं समर्थित प्रतिभूतियाँ	डीडी	संकट के समय निर्भरता
एसीआर	आस्ट्रिं व्याप्ति अनुपात	डीईआर	ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात
एडीआर	अमेरिकी निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसोद	डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
एएलएम	परिसंपत्ति देयता प्रबंध	डीआईएफ	निक्षेप बीमा निधि
बैंकेक्स	बंबई शेयर बाजार का बैंकिंग सूचकांक	डीओई	इक्विटी के ड्यूरेशन
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति	डीएससीआर	ऋण शोधन कवरेज अनुपात
बीआईएस	अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक	डीटीएल	मांग और मीयादी देयताएं
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड	डीबीपी	सुपुर्दगी बनाम भुगतान
बीआरआईसी	ब्राजील, रूस, भारत और चीन	ईएफएसएफ	यूरोपीय वित्तीय स्थिरता निधि
बीएसई	मुंबई शेयर बाजार	ईएलडी	ईक्विटी से सम्बद्ध डिबेंचर
सीएडी	चालू खाता घाटा	ईएम	उभरता बाजार
सीएमईएल	पूंजी, आस्ट्रिं गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि	ईएमपी	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
सीएसए	चालू खाता बचत खाता	ईएसएम	विनियम बाजार दबाव
सीबीएलओ	संपार्श्चकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता	ईटीएफ	यूरोपीय स्थिरीकरण प्रणाली
सीसीआइएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एक्ज़िप्म बैंक	ऐक्स्चेंज पर सौंदे वाले फंड
सीसीपी	केन्द्रीय प्रतिपक्ष पार्टी	ईयू	नियांत आयात बैंक
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	एफएओ	यूरोपीय संघ
सीडीएस	ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप)	एफएसबी	खाद्य एवं कृषि संगठन
सीएफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति	एफसी	वित्तीय समूह
सीजीएफएस	वैश्विक वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति	एफआइ	वित्तीय संस्था
सीआइबीआइएल	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड	एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेशक
सीपी	वाणिज्यिक पत्र	एफएमपी	नियत परिपक्वता अवधि योजना
सीपीएस	परिवर्तनीय अधिमान शेयर	एफपीओ	फॉलोऑन पब्लिक ऑफर
सीपोएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति	एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
सीआरए	साख निर्धरण एजेंसी	एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
सीआरई	वाणिज्यिक स्थावर संपदा जोखिम	एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद
सीआरएआर	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात	एफएसआइ	वित्तीय दबाव संकेतक
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात	एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	एफएसयू	वित्तीय स्थिरता इकाई
		जी 7	औद्योगिकृत सात देशों का समूह
		जीएसपी	सामाज्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत

जीएआरसीएच	सामान्यीकृत स्वतः अवरोही सशर्त असंबद्ध प्रकीर्णन (जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडिशनल हिटिरोसेडैस्ट्रिसीली)	एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद	एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
जीडीएस	सकल देशी बचत	एलबीओ	लोवरेज ग्राप्ट क्रय
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एलसीआर	चलनिधि व्याप्ति अनुपात
जीआईएमएफ	वैश्विक समन्वित मौद्रिक तथा राजकोषीय माडल	एलओएलआर	विशाल तथा जटिल वित्तीय संस्थाएं
एचएफसी	आवास वित्त कंपनी	एलएसओ	अतिम ऋणदाता
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित	एलटीबी	ऋण बिक्री
एचएलसीएफएम	वित्तीय बाजारों संबंधी उच्चस्तरीय समन्वयन समिति	एमसीए	भूल्य के प्रति ऋण
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित	एमएफ	कंपनी कार्य मंत्रालय
आईएडीआई	अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ	एमएफआई	पारस्परिक निधि (भूचुअल फंड)
आईएसबी	अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड	एमएमएमएफ	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	एमआईबीओआर	मुद्रा बाजार भूचुअल फंड
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	एमआईसीआर	मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
आईडी	निवेश जमा	एमआईएफओआर	चुंबकीय स्थानीय चिह्न पहचान/माइकर
आईडीएफसी	मूलभूत संरचना विकास वित्त कंपनी	एमओयू	मुंबई अंतर-बैंक वायदा दर
आईडीएत	आंतर-दिवसीय चलनिधि	एमएससीआई	सहमति ज्ञापन (समझौता ज्ञापन)
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान	एमएसएस	समष्टि विवेकपूर्ण सकेतक
आईएफआरएस	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सूचना मानक	एमटीएम	मोर्गन स्टैनली केष्टिल इंटरनेशनल बाजार स्थिरीकरण योजना
आईआइएफ	औद्योगिक वित्त संस्थान	नाबार्ड	बाजार मूल्य को बही में अंकित करना (मार्क-टू-मार्केट)
आईआईएफसीएल	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड	एनबीएफसी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचनांक	एनबीएफसी-एएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी परिसंपत्ति वित्त कंपनी
आईएनआर	भारतीय रूपया	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमा राशियां लेने वालों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
इन्फिनेट	भारतीय वित्तीय नेटवर्क	एनबीएफसी-एसआई	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जमा राशि स्वीकार न करनेवाली- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
आईओएससीओ	प्रतिभूति आयोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन	एनबीएफआई	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
आईआरएस	ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली)	एनसीडी	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
आईआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एनडीएफ	अपरिवर्तनीय डिबेचर
आईपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	एनएचबी	गैर-सुपुर्टरी योग्य वायदा
आईपीआरई	आय देनेवाली स्थावर संपदा	एनओसी	राष्ट्रीय आवास बैंक
आईएसडीए	अंतर्राष्ट्रीय स्वैप तथा डेरिवेटिव संघ	एनपीए	अनापत्ति प्रमाणपत्र
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी		अनर्जक परिसंपत्ति

एनएससीसीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड	एसएण्डपी	एसएण्डपी
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार	एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधिकरण अनुपात	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
ओबीएस	तुलन-पत्र बाह्य(आफ-बैलेस शीट)	एसईबीआइ	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	सेनसेक्स	बॉम्बे स्टाक एक्स्चेंज संवेदनशील सूचकांक
ओआईएस	एक दिवसीय सूचकांकबद्ध स्वैप	एसआइ	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
ओएमओ	खुले बाजार का परिचालन	एसआइडीबीआइ	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी)
ओटीसी	काउंटर पर	एसआइएफआइ	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था
पी / ई	अर्जन की तुलना में कीमत का अनुपात	एसएलबी	प्रतिभूति उधार देना और लेना
पीईएफ	निजी ईक्विटी फंड	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
पीएससीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति	एसएमएफएसटी	प्रणालीगत स्थूल- वित्तीय दबाव जांच
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	एसओएल	एकल आदेश सीमा
पीसीआर	प्रावधानन कवरेज अनुपात	एसपीवी	विशेष प्रयोजन साधन
पीएलआर	मूल उधार दर	एसआरएम	प्रणालीगत जोखिम निगरानी
पीएमआई	प्रबंधकों के सूचकांक	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
पीएमडी	पोर्टफोलिओ विविधता संधनता	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र का बैंक	टीए	कुल परिसंपत्तियाँ
पीएसएस	भुगतान तथा निपटान प्रणाली	टीएफसीयूबी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
क्यूई	मात्रात्मक सहजता	टीबी	खजाना बिल
क्यू आई पी	अर्हता प्राप्त संस्थागत	टीडी	कुल जमाराशियाँ
क्यूआईएस	मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन	टीआइ	कुल निवेश
आरईई	स्थावर संपत्ति जोखिम	टीआइपीएस	खजाना स्फीति सुरक्षा प्रतिभूतियां
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर	टीएनडब्ल्यू	मूर्त निवल संपत्ति
आरओए	परिसंपत्तियों पर आय	टीओएल	कुल बाहरी देयता
आरओई	शेयरों पर आय	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूटीआई	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
आरआरपीएस	वसूली तथा समाधान योजनाएं	वीएआर	जोखिम-मूल्य
आरएसए	दर के प्रति संवेदनशील आस्ति	वीसीएफ	वेक्टर स्वतः पश्चगमन
आरएसएल	दर के प्रति संवेदनशील देयता	वीआईएक्स	जोखिम पूंजी निधि
आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान	डब्ल्यूआईओ	उतार चढ़ाव सूचकांक
आरडब्ल्यूए	जोखिम- भारित परिसंपत्तियां	वाय-ओ-वाय	विश्व आर्थिक दृष्टिकोण
			वर्ष-दर-वर्ष

## अध्याय-१

# मूल्यांकन और संभावना

जहां मार्च 2010 में पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद वित्तीय स्थितियां स्थिर बनी रहीं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सुदृढ़ उछाल आया है। प्रमुख तौर पर बहिर्जात गतिविधियों द्वारा चालित बीच-बीच में, विशेष रूप से इक्विटी तथा विदेशी मुद्रा बाजारों में, आयी अस्थिरता के बावजूद वित्तीय क्षेत्र दबावमुक्त बना रहा। यह भारत के वित्तीय दबाव संकेतक से भी स्पष्ट होता है, जिसकी शुरुआत पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में की गयी थी। वित्तीय संस्थाएं सुदृढ़ बनी रहीं, विशेष रूप से 2010-11 की पहली छमाही में ऋण के उठाव में उछाल आया और लाभप्रदता में भी सुधार हुआ। विगत कुछ वर्षों में बैंकिंग स्थिरता सूचकांक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में हुए अच्छे सुधार की ओर इशारा करता है। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अनेक दबाव परीक्षणों के परिणामों से भी इसकी पुष्टि होती है। विवेकपूर्ण बुनियादी ढांचे को सख्त बनाने, विनियमन में मौजूद अंतराल को पाठने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदर्शित हैं, अनेक विनियामक उपायों की घोषणा की गयी।

तथापि, कुछ कमज़ोर बातें दिखायी देती हैं। चालू खाता बाटा बढ़ रहा है, जबकि पूंजी प्रवाहों में अस्थिर घटकों की प्रधानता बनी हुई है। बाह्य क्षेत्र के अनुपात बिगड़ गये हैं, राजकोषीय स्थितियों में अभी भी दबाव है तथा मुद्रास्फीतिकारी दबाव बना हुआ है। चलनिधि संबंधी स्थितियां इतनी सख्त हो गयी हैं कि वह रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से परे है, हालांकि दबाव को कम करने के लिए हाल में कुछ नीतिगत उपाय किये गये हैं। वित्तीय बाजार की सूक्ष्म-संरचना में कुछ मुद्दों का समाधान करने की जरूरत होगी। बैंकों की आस्ति गुणवत्ता तथा आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी उनकी स्थिति पर निगरानी जारी रखने की जरूरत है। गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में विनियामक अंतराल को पाठने की जरूरत होगी। प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करने के लिए व्यापक-विवेकपूर्ण सुदृढ़ ढांचे की स्थापना की जरूरत होगी। अंतरराष्ट्रीय सुधार की उभरती हुई कार्य-सूची के साथ अभिसरण करने की चुनौती है तथा इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना जरूरी है।

वित्तीय स्थिरता के प्रति पश्च जोखिम अधिकांश बहिर्जात हैं क्योंकि वैश्विक वृद्धि तथा भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि के बीच सह-संबंध बढ़ रहा है। वित्त सरणी का महत्व बढ़ गया है जिससे विदेश में होनेवाली अशांति के प्रभाव की गति एवं मात्रा बढ़ रही है। इसी तरह, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यवसाय चक्र का समकरण बढ़ गया है। चूंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्र दोनों में दबाव की स्थिति है, अतः वैश्विक वृद्धि तथा वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों से उत्पन्न असुरक्षितताओं से देश की रक्षा करनी होगी।

### वैश्विक वातावरण

#### वैश्विक आर्थिक रिकवरी में अनिश्चितता बनी हुई है

1.1 अधोमुखी जोखिम महत्वपूर्ण बने रहने के साथ वैश्विक आर्थिक रिकवरी में असमानता तथा अनिश्चितता बनी हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय राहत चरणबद्ध रूप में धीरे-धीरे समाप्त किये जाने के साथ, इन अर्थव्यवस्थाओं में निजी उपभोग तथा निवेश दोनों स्थितियों में कमज़ोरी बनी हुई है, जिन्हें बढ़ाने की ओर अनवरत ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

**उन्नत देशों में कम ब्याज दर की स्थिति अधिक समय तक बने रहने में प्रणालीगत लीवरेज बढ़ने की संभाव्यता है**

1.2 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दों कम हैं तथा लंबी अवधि तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। लंबी अवधि तक कम ब्याज दर की स्थिति बनी रहने से पूंजी की अवसर लागत में कमी आती है तथा ऋण बाजारों से प्रविरत रहने में वृद्धि होने की संभावना रहती है तथा

इससे उच्चतर प्रणालीगत लाभ कमाने को प्रोत्साहन मिलता है। इससे प्रतिलाभ पाने की इच्छा का माहौल भी बनता है, जिसमें निवेशक उभरती बाजार की आस्तियों में निवेश किये जाने सहित ‘आकीर्ण सौदों’ में फंस जाते हैं। दबाव के समय, इस प्रकार के सौदों को खोलने से आस्ति की कीमतों में अव्यवस्थित तौर पर गिरावट (करेक्शन) आ सकती है।

**अवशोषण क्षमता से अधिक पूंजी प्रवाह आने से असंतुलन पैदा हो सकता है**

1.3 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत सहित कई उभरते बाजारों में उपभोग तथा निवेश दोनों से मांग बढ़ रही है तथा सुदृढ़ वृद्धि में इनका योगदान हो रहा है। इन अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन संभाव्य स्तर के पास पहुंच जाने पर, मौद्रिक निभाव हाताया जा रहा है तथा नीतिगत दों को तटस्थ स्तरों के पास तक बढ़ाया जा रहा है। द्विमार्गीय वैश्विक रिकवरी तथा मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों की विविधता ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के बड़े अंतर्वर्ह के लिए खोंचातानी संबंधी कारकों को जन्म दिया है। इस प्रकार के पूंजी प्रवाहों में देशी

वित्तीय बाजारों के अंतर्गत असंतुलन पैदा करने की संभावना रहती है, विशेष रूप से तब जब वे देश की अवशोषण क्षमता से अधिक हों। इससे देश के सामने आकस्मिक बदलाव होने की स्थिति में असुरक्षितता का खतरा भी पैदा हो जाता है जिससे देशी वित्तीय बाजार एवं व्यापक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है।

### वैश्विक असंतुलनों के पीछे निहित संरचनागत कारकों का समाधान करने की ज़रूरत है

1.4 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स, में चालू खाता घाटा बना हुआ है, हालांकि 2011। में उनमें कुछ कमी आने की आशा है। इनमें से कुछ अर्थव्यवस्थाओं में संकट के पहले तथा बाद में उच्च राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। वैश्विक असंतुलन दुबारा उत्पन्न होने से रोकने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक से निजी मांग की ओर तथा प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बाह्य से देशी मांग की ओर पुनः संतुलन आवश्यक है।

### मुद्रा संबंधी मूल्यन में तनाव बढ़ सकता है

1.5 विशेष रूप से यूएस में सुलभ मौद्रिक नीति की वजह से यूएस डॉलर में कमज़ोरी आयी है। उन्नत तथा उभरते बाजारों में कई अर्थव्यवस्थाओं ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप बढ़ा दिया है ताकि उनकी अपनी मुद्राओं की मूल्यवृद्धि को रोका जा सके। इससे मुद्रा के मूल्यन संबंधी तनाव का जोखिम, विशेष रूप से यूएस के साथ बढ़ा चालू खाता अधिशेष रखने वाले देशों के बीच, बढ़ गया है।

### राजकोषीय अपव्यय से सरकारी कर्ज बाजारों में विघटन आ सकता है तथा वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है

1.6 मई 2010 में तथा उसके बाद हाल के महीनों में सरकारी कर्ज बाजारों में आयी अस्थिरता ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय मध्यावधि राजकोषीय समेकन योजनाओं के महत्व को सुदृढ़तापूर्वक रेखांकित किया है। बाजार की गतिविधियों को उद्घाटित करने से यह स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि एक देश की समस्या फैलकर उसी तरह के अनेक असुरक्षित देशों में तथा सामान्यतः वैश्विक अर्थव्यवस्था में जाने की सुदृढ़ संभावना रहती है। विशेष तौर पर, इस संकट ने अलग-अलग क्षेत्राधिकार की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार मौद्रिक नीति के संचारण में एकीकृत मुद्रा (यूरो) द्वारा लगाई गई सीमाओं पर प्रकाश डाला तथा समायोजन का भार राजकोषीय नीति पर छोड़ दिया। सरकारी कर्ज, विशेष रूप से यूरो के देशों में, की बड़ी मात्रा अगले कुछ वर्षों में परिषक्त हो रही है तथा किसी तरह से नये सिरे से अस्थिरता आने पर कमज़ोर वैश्विक रिकवरी बुरी तरह से बाधित होगी।

### वैश्विक बैंकिंग प्रणाली अधिक आधात-सह है परंतु निधीयन की जोखिम बनी हुई है

1.7 वित्तीय संकट शुरू होने के समय से, विश्व भर में वित्तीय संस्थाओं ने बड़ी हानियों, सुदृढ़ीकृत पूँजी तथा चलनिधि बफर के बीच से अपने लिए रास्ता निकाला है तथा उन्होंने लोवरेज को कम किया है। तथापि,

इन सुधारों से बैंक निधीयन संबंधी बाजारों में स्थिति पूरी तरह से अभी तक सामान्य नहीं हो पायी है। कमज़ोर बैंक केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों से प्राप्त समर्थन पर निर्भर बने हुए हैं। अगले कुछ वर्षों में मोर्चनों की बहुतायत को देखते हुए बैंकों के सामने पुनर्वित की बड़ी चुनौती है। दबाव उभरकर आ सकते हैं क्योंकि उन्हें बांड बाजारों में सरकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। विशिष्ट संस्थाओं के लिए भी निधीयन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो सरकारी कर्ज बाजारों में नये सिरे से आए दबाव अथवा आर्थिक कार्यकलाप के प्रति अधोमुखी आकस्मिकताओं द्वारा प्रेरित होंगे। देश के भीतर तथा सीमापार की संस्थाओं और बाजारों की जटिल सहबद्धताओं को देखते हुए ये समस्याएं तेज़ी से व्यापक बन सकती हैं।

1.8 अमेरिका के आवास बाजारों में बंधक प्रलेखों में मौजूद कथित अनियमितताओं से हाल में और अधिक खतरा पैदा हुआ है। यदि प्रलेखों करण की समस्याएं व्यापक साबित हुई तथा, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, न सिर्फ पुरोबंधित संपत्तियों अपिनु समूहित बंधकों के स्वामित्व के मामले में भी सदैह पैदा हुआ, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

### देशी संभावना और मूल्यांकन

#### वृद्धि में उछाल हुआ परंतु अधोमुखी जोखिमें बनी हुई है

1.9 सुदृढ़ देशी मांग के प्रभाव से जोड़ीपी की वृद्धि दरों में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आयी कुछ मंदी के पश्चात पुनः उछाल आयी है। आगे चलकर वृद्धि की गति कारपोरेट पूँजी व्यय, बुनियादी ढांचा में निवेश में वृद्धि तता उपभोग की तीव्र मांग द्वारा बर्नी रहने की आशा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ देशी अर्थव्यवस्था के गुरुतर समन्वयन को देखते हुए अधोमुखी जोखिम बनी हुई है। विशेष रूप से तब जब वैश्विक रिकवरी लड़खड़ानी शुरू हो जाए। उन्नत देशों में निधाकरां नीति बनी रहने से यूएस डॉलर में आनेवाली कमज़ोरी से निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। मुख्य देशी चुनौतियों में बचत और निवेश दरों के बीच बढ़ता हुआ अंतराल तथा बुनियादी ढांचा की उपलब्धता में मौजूद अवरोध शामिल है।

#### भारत में मुद्रास्फीति का कुछ संरचनागत आधार है

1.10 भारत में मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति, उन्हें स्तरों पर बनी हुई है जो अंशतः मांग-आपूर्ति के बीच संरचनागत बेमेल को दर्शाती है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, आय में वृद्धि तथा बदलते हुए उपभोग स्वरूप का परिणाम है। खाद्येतर विनिर्माण मुद्रास्फीति प्रवृत्ति से ऊपर बनी हुई है, हालांकि इसमें आयी कुछ कमी एक स्वागतयोग्य गतिविधि है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तथा पाण्य कीमतों में हाल में आयी उछाल भी आगे चलकर देशी मुद्रास्फीति के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगी। मौद्रिक नीति को सख्त बनाया गया है। चलनिधि को दबावग्रस्त स्थितियों के साथ इसकी वजह से अत्यावधि दरों में वृद्धि हुई है। नीतिगत समीक्षाओं की पुनरावृत्ति बढ़ने से प्रत्याशाओं के प्रबंधन में और अनिश्चितताओं को कम करने में मदद मिलनी चाहिए।

## चलनिधि को दबावग्रस्त स्थितियों को देखते हुए सतर्कता जरूरी है

1.11 चलनिधि की स्थितियां सख्त बनी हुई हैं। आरंभ में, दूरसंचार संबंधी नीलामियों के संबंध में सरकार को किये गये भुगतान के कारण चलनिधि संबंधी दबाव बढ़ गया। बड़े सरकारी नकदी शेष के बढ़ने की वजह से दबाव बना हुआ है, जिसमें संचरण में मौजूद मुद्रा में हो रही वृद्धि तथा जमाराशियों की तुलना में अग्रिमों में हो रही तीव्रतर वृद्धि के कारण तेजी आयी है। जहां चलनिधि की सख्त स्थितियों के कारण मौद्रिक नीति के संचारण में मदद मिली है, वहीं अत्यधिक घाटों की वजह से निधियों की उपलब्धता और लागत दोनों के बारे में भविष्यवाणी करना असंभव हो गया है जिसकी वजह से ऋण की सुपुर्दगी बनाए रखने में बैंकिंग तंत्र के सामने कठिनाई आती है। चलनिधि की सख्त स्थितियों को कम करने के लिए हाल में कई उपाय किये गये हैं (48,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की ओप्मओ खरीद तथा एसएलआर में स्थायी कटौती करके उसे 24 प्रतिशत करने की घोषणा)। आनेवाले महीनों में चलनिधि की स्थिति के लिए सतर्क प्रबंधन अपेक्षित होगा।

## सरकारी कर्ज तथा राजकोषीय घाटा, हालांकि नियंत्रण में है, अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है

1.12 राजकोषीय क्षेत्र में, हालांकि उच्च राजकोषीय घाटा दिखने में चिंताजनक है, तथापि वृद्धि की सुदृढ़ दरों को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि भारत अपने घाटे का निधीयन प्रमुख रूप से देशी स्रोतों के जरिए करता है, इसे असुरक्षितता का एक बड़ा स्रोत नहीं माना गया है। 2010-11 के केंद्रीय बजट में सरकार ने राजकोषीय समेकन की ओर वापस लौटने के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की है तथा इंदधन की कीमत के उदारीकरण और प्रस्तावित कर सुधारों के लिए किये जानेवाले उपायों से इस प्रक्रिया में मदद मिलने की आशा है। आगे चलकर राजकोषीय समेकन के लिए ‘समायोजन की गुणवत्ता’ पर फोकस करना आवश्यक हो जाएगा, जिसमें राजस्व की अगुवाई में किये गये सुधार द्वारा समर्थित उल्लेखनीय व्यय संकुचन शामिल होगा तथा साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वृद्धि की मध्यावधि संभावनाओं की सहायता के लिए जरूरी पूंजीगत परिव्यय प्रभावित न हो।

## पूंजी प्रवाहों के प्रबंधन में चुनौतियां शामिल हैं

1.13 अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ने से बढ़ रहे चालू खाता घाटे के वित्तपोषण में मदद मिली है। तथापि, भारत में पूंजी प्रवाह के संबंध में संभाव्य रूप से चिंताजनक बात यह है कि सकल आधार पर अधिक स्थिर निवेश प्रवाहों की तुलना में संविभाग प्रवाह तथा कर्ज प्रवाह की प्रमुखता है। ऐसे प्रवाहों के लिए निगरानीपूर्ण प्रबंधन

की जरूरत है क्योंकि इनमें आकस्मिक रुकावट या बदलाव आ सकता है।

## देश के बाह्य कर्ज अनुपातों के लिए सतर्कतापूर्ण प्रबंधन अपेक्षित है

1.14 बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय देयताओं के फलस्वरूप देश की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति खराब हुई है तथा 1990 के दशक के आरंभ में उत्पन्न विदेशी मुद्रा संकट के समय से विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि बाह्य कर्ज और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की तुलना में कुल बाह्य कर्ज का अनुपात सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

## आवास क्षेत्र की गतिविधियों से विवेकपूर्ण मानदंडों में सख्ती लाने की प्रेरणा मिली है

1.15 कुछ क्षेत्रों में आवास की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है तथा यह क्षेत्र आस्ति की कीमतों में उछाल के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। बैंकिंग प्रणाली के ग्राहकों को प्रस्तावित लुभावनी आवास ऋण योजनाएं भी इस क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने आवास ऋण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त बनाया है।

## घरेलू तथा कारपोरेट तुलन पत्रों की स्थिति अच्छी है

1.16 घरेलू तथा कारपोरेट लीवरेज, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मानदंडों की तुलना में, कम बना हुआ है। औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण भी कारोबारी रूख में सुधार की ओर इशारा करता है। कुछ उद्योग खंडों/फर्मों, जिनमें अत्यधिक लीवरेज है, के प्रति बैंकों के ऐसे एक्सपोजर के संबंध में कुछ चिंताएं हैं। समग्र रूप में, बैंकों के खुदरा संविभाग की गुणवत्ता में सुधार हुआ, जो घरेलू क्षेत्र की स्थिति में संभावित सुधार की ओर इशारा करता है। हालांकि, खुदरा अनर्जक आस्तियों का स्तर ऊंचा बना हुआ है।

## वित्तीय बाजार

1.17 देशी वित्तीय बाजार दबावमुक्त बने रहे, परंतु वे बड़े बाह्य आधातों के प्रति संवेदनशील रहे। आगे देखने पर, वित्तीय दबाव संकेतक में यह अनुमान लगाया गया है कि अगले तीन महीनों में स्थितियां व्यवस्थित बनी रहने की आशा है। तथापि, बाजार की सूक्ष्म-संरचना संबंधी कुछ मुद्रों पर ध्यान देने की जरूरत है।

## एलएएफ कॉरिडोर की प्रभावशालिता में सुधार की जरूरत है

1.18 एलएएफ के तहत चलनिधि का आश्रय लेना अधिदेशात्मक साविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी धारिताओं की तुलना में अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों की उपलब्धता पर निर्भर है। चूंकि अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं का वितरण बैंकों के बीच

एकसमान नहीं है, अतः जिनके पास निधियों की कमी है तथा एसएलआर प्रतिभूतियों की अधिकता है उन्हें रिजर्व बैंक से निधियां प्राप्त करने के लिए अन्य बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। समय-समय पर, इस प्रकार की अप्रत्यक्ष पहुंच सीमाओं - अंतर बैंक तथा विनियामक (पूंजीगत निधियों के अनुपात के रूप में उधार लेने तथा देने की) सीमाओं - की उपलब्धता एवं बैंकों के अपने आकस्मिकता चलनिधि अनुमानों द्वारा बाधित होती है। बाजार की सूक्ष्म-संरचना संबंधी ऐसे मुद्दों को देखते हुए, मांग मुद्रा दरों द्वारा प्रायः एलएफ कॉरिडोर को उस समय भाग किया जाता है जब चलनिधि की स्थितियां "संतोषजनक स्थिति" के परे हों। रिजर्व बैंक ने भौमिक नीति की परिचालनात्मक प्रक्रियाओं संबंधी सभी मुद्दों की जांच करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

### मुद्रा बाजारों में एक सुविकसित मीयादी संरचना की जरूरत

1.19 भारत के मुद्रा बाजार, अंतर-बैंक बाजार सहित, सुविनियमित थे। अंतर-बैंक बाजार मोटे तौर पर संपार्शिकीकृत होता है परंतु उसकी अवधि रातभर के लिए सीमित होती है। अनोखी परिस्थितियों तथा वित्तीय प्रणाली की संरचना की वजह से मीयादी मुद्रा बाजार का विकास नहीं हो सका है। फिर भी, बैंक जमा प्रमाणपत्र तथा थोक जमाराशियों के माध्यम से मीयादी निधियां जुटा रहे हैं। मीयादी मुद्रा बाजार की तुलना में, जमा प्रमाणपत्र बाजार की मात्रा अधिक है और बढ़ रही है। तथापि, ऋण सूजन के लिए ऐसे थोक निधियों पर बैंकों की निर्भरता अत्यधिक नहीं है। यदि जमा प्रमाणपत्र संबंधी बाजार को अधिक मानकीकृत बना दिया जाए तथा जमा प्रमाणपत्रों में द्वितीयक बाजार के सौदों में अधिक पारदर्शिता लायी जाए, तो इससे एक विश्वसनीय मीयादी संरचना/बैंचमार्क के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

### गहरा तथा अधिक तरल बांड बाजार वांछनीय है

1.20 भारत तथा अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बांड बाजारों की विशेषता यह है कि इसमें सक्रिय रूप से सौदा करने के लिए प्रोत्साहनों की कमी है। बड़े सरकारी उधार के कारण आपूर्ति-बोक्सिल बाजार सक्रिय सौदों में रुचि के अभाव का प्रमुख कारक है। तथापि, बैंकों और बीमा कंपनियों से सांविधिक रूप से यह अपेक्षित है कि वे अनुमोदित प्रतिभूतियों, मुख्यतः सरकारी बांडों, में उनकी देयताओं का अपेक्षाकृत अधिक भाग रखें। वित्तीय स्थिरता के कारणों से, विनियमों में भारत स्थित बैंकों को समस्त अधिदिष्ट अनुपात परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत रखने की अनुमति है, जिससे बैंकों द्वारा रखी गयी प्रतिभूतियों के संविभाग का सौदा-योग्य हिस्सा भी कम हो जाता है।

### विदेशी मुद्रा बाजारों के सम्बन्ध में वृद्धि

1.21 भारतीय रूपये की विनियम दर में दुतरफा घट-बढ़ दिखायी दिया, जो विनियम दर के किसी स्तर को लक्ष्य बनाने के बजाय बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाये रखने संबंधी रिजर्व बैंक की नीति के अनुरूप

था। रिजर्व बैंक की विनियम दर नीति इस प्रकार तैयार की गयी है, ताकि उस स्थिति में विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप न किया जाए जब पूंजीगत प्रवाह 'बदलते हुए आर्थिक मूलभूत तत्वों द्वारा चालित' हों। विभिन्न बाजारों के बीच बढ़े हुए सह-संबंध तथा वैश्विक अस्थिरताओं के आसानी से देशी बाजारों में 'अंतरण' के कारण विगत वर्षों की अपेक्षा देशी-विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ गयी है। साथ ही, उदारीकरण तथा बचाव संबंधी उत्पाद लागू करके समवर्ती जोखिमों के बचाव संबंधी वास्तविक क्षेत्र की समर्थता बढ़ गयी है, हालांकि बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ बचाव की लागत बढ़ सकती है।

### अपतटीय बाजार में वृद्धि

1.22 बीआइएस द्वारा किया गया हाल का सर्वेक्षण रूपया अपतटीय गैर-सुपुद्दार्गी योग्य बाजार के बढ़ते हुए हिस्से की ओर इशारा करता है। देशी बाजार के साथ अंतःक्रिया करने वाला बड़ा अपतटीय बाजार कुछ प्रणालीगत चिंताओं को जम्म देता है क्योंकि देश के भीतर जिन लेनदेनों की अनुमति नहीं है उनके कारण बाहर होने वाले प्रवाह का असर देशी विदेशी मुद्रा बाजार में दिखाई देता है। इसके अलावा, इन बाजारों के लेनदेनों में पारदर्शिता नहीं है तथा वे विनियमित परिधि के बाहर हैं। अतः बड़ा अपतटीय बाजार देशी बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाये रखने के लिए प्रणालीगत विनियमित की कार्रवाई को बाधित करता है।

### कुछ खंडों में संकेन्द्रण

1.23 ब्याज दर बाजार के कुछ खंडों में उल्लेखनीय संकेन्द्रण दिखाई देता है। ब्याज दर स्वैप में तथा कुछ सीमा तक सरकारी बांड बाजार में बाजार संबंधी कार्यकलाप पर कुछ बैंकों का दबदबा रहता है। जहां इस प्रकार का संकेन्द्रण उन्नत देशों में भी असामान्य नहीं है, भारत में ट्रेडिंग का संकेन्द्रण अधिकांशतः छोटे तुलन पत्र वाले बैंकों में है। फलस्वरूप, प्रणाली की जोखिम उठाने की क्षमता कम है तथा बाजार में अतरलता के दौर की ओर उम्मुखता बनी रहती है। बाजार की चलनिधि तथा स्फूर्ति के लिए बड़े बैंकों (तुलन पत्र के आकार के रूप में) की उच्चतर सहभागिता वांछनीय है।

### बाजार की गतिविधि - एक सतत प्रक्रिया

1.24 जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है, नये तथा अधिक जटिल उत्पादों को सुविचारित तरीके से लागू किये जाने की जरूरत होती है। हाल के समय में, ब्याज दर फ्यूचर्स, स्ट्रिप्स, करेसी फ्यूचर्स तथा कारपोरेट बांडों में रिपो शुरू किया गया है, जब कि ऋण घूक स्वैप तथा अल्पतर दिनांकित प्रतिभूतियों में फ्यूचर्स जैसी अन्य लिखते शुरू करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। भारत में कारपोरेट बांड बाजारों में गंभीरता तथा तरलता बढ़ाने के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एफआईआई निवेश पर 'रोक कर' (विद्होल्डिंग टैक्स) हटाना, बीमा क्षेत्र के लिए रेटिंग तथा निवल मालियत संबंधी मानदंडों को शिथिल करना और

स्टाम्प शुल्क को कम करना शामिल है। प्रत्येक नया उत्पाद लागू करना वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए तथा उसे विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश लागू करने, एक सुदृढ़ बाजार संबंधी बुनियादी ढांचा और इन नये बाजारों के लिए एक प्रणालीगत निगरानी रूपरेखा का सहगामी होना चाहिए।

### वित्तीय संस्थाएं

#### वित्तीय क्षेत्र आघात-सह बना रहा, परंतु आस्ति गुणवत्ता एवं चलनिधि पर सतर्कता की जरूरत है

1.25 भारत में वित्तीय क्षेत्र में आघात-सहनीयता बनी रही। बैंकिंग स्थिरता सूचकांक पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में अच्छे सुधार की ओर सकेत करता है, हालांकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चलनिधि से जुड़ी आयामीय जोखिम बढ़ गयी है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात विनियामक अपेक्षाओं से अधिक है - व्यष्टि तथा प्रणालीगत दोनों परिप्रेक्ष्य से। अर्थिक वृद्धि में उछाल के साथ ऋण के उठाव में सुधार हुआ। ऋण में वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में देखी गयी। तथापि, बुनियादी संरचना संबंधी अग्रिमों तथा खुदरा ऋण के मामले में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इन दोनों क्षेत्रों में अग्रिमों में हुई वृद्धि को सतर्कतापूर्वक देखा जाना है। बुनियादी संरचना संबंधी वित्त के बढ़ते हुए संविभाग से प्रशासकों की मौजूदगी के बावजूद आस्ति देयता में बेमेल की स्थिति बढ़ सकती है, जबकि खुदरा क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की मात्रा काफी अधिक बनी हुई है। जमाराशियों में वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि अधिक होने के साथ हाल की तिमाहियों में वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात बढ़ जाने से चलनिधि की स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं।

#### आस्ति गुणवत्ता पर निगरानी रखने की जरूरत है

1.26 आस्ति गुणवत्ता कुछ चिंता का विषय बनी रही क्योंकि अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि की गति अग्रिमों में हुई वृद्धि से अधिक थी, जिससे सकल अनर्जक आस्ति अनुपात की स्थिति खराब हो गई। बटूटा खाता डालने तथा एकबारगी निपटान में वृद्धि के बावजूद इन अनुपातों की स्थिति खराब हुई। संदिग्ध तथा हानि आस्तियों अनर्जक आस्तियों की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक थीं, जो अवरुद्ध अग्रिमों की प्रबलता को दर्शाता है।

1.27 हाल में, ऋण संधीकरण घुसखोरी मामले में कथित रूप से भूसंपदा संबंधी फर्मों की सहभागिता तथा दूरसंचार कंपनियों के प्रति बैंकों के एक्सपोज़र पर 2जी दूरसंचार लाइसेंस जारी करने के संबंध में किए अन्वेषण के परिणामों पर कुछ चिंताएं उत्पन्न हुई। ब्योरेवार जांच शुरू की गयी है, हालांकि, आरंभिक निष्कर्ष व्यापक अनियमितताओं अथवा प्रणालीगत चिंताओं की ओर इशारा नहीं करते। तथापि, इन क्षेत्रों को ऋण के प्रवाहों पर संभाव्य असर पड़ सकता है क्योंकि बैंकों

द्वारा अर्थव्यवस्था के इन खंडों को उधार देने के संबंध में अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

#### प्रावधान व्याप्ति अनुपात समग्रतः पूरा किया गया, कुछ कमी है

1.28 एक प्रतिचक्रीय अपेक्षा के रूप में रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की कि सभी वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे सितंबर 2010 तक 70 प्रतिशत के प्रावधान व्याप्ति अनुपात का रखरखाव करें। कुल मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र ने विनियामक अपेक्षा पूरी कर ली है, हालांकि समग्रतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा व्याप्ति अनुपात का लक्ष्य अभी पूरा किया जाना है।

#### बुनियादी संरचना संबंधी उद्यारों से एएलएम की जोखिमें बढ़ सकती हैं, हालांकि इस संबंध में कुछ प्रशासक हैं

1.29 दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य से, बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और निवेशों की परिपक्वता संबंधी रूपरेखा से यह सकेत मिलता है कि मध्यावधि से दीर्घावधि में ऋण के अभिनियोजन की तुलना में अत्यावधि जमाराशियों का संकेन्द्रण है, जो उनके तुलन पत्रों में अंतर्निहित संरचनात्मक बेमेल की मौजूदगी को दर्शाता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां प्राथमिक तौर पर बैंकों के कुल अग्रिमों में बुनियादी संरचना संबंधी उधार के बढ़ते हिस्से द्वारा चालित हैं। तथापि, चालू एवं बचत खाता संबंधी कम लागतवाली जमाराशियों के अधिक हिस्से और बैंकों द्वारा विनिबंधित ब्याज दर पुनर्निधारण खंड के रूप में कुछ प्रशासक हैं। साथ ही, हाल में की गई कई पहलों यथा, कारपोरेट बांडों में रिपो शुरू करने, अंतरण वित्तपोषण को सुकर बनाने, प्रस्तावित बुनियादी संरचनागत कर्ज निधियों, सरकारी प्रतिभूतियों एवं कारपोरेट बांडों में एफआइआई निवेश की सीमा में वृद्धि तथा एकल नाम वाले सीडीएस की प्रस्तावित शुरूआत करने से ऐसी आशा है कि बुनियादी संरचना संबंधी क्षेत्र में वित्त के प्रवाह में सुधार होगा जिससे इस क्षेत्र में दीर्घावधि ऋण संबंधी एक्सपोज़र लेने की मात्रा में वृद्धि के लिए बैंकों पर दबाव कम होगा।

#### विदेशी बैंकों के तुलनपत्र बाह्य एक्सपोज़रों के लिए निगरानी अपेक्षित है

1.30 विदेशी बैंकों का तुलनपत्र बाह्य एक्सपोज़र बढ़ गया, जिससे सतर्कतापूर्ण निगरानी जरूरी हो गई, विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अधिकांश तुलनपत्र बाह्य एक्सपोज़र के लिए विदेशी बैंक जिम्मेवार हैं। तथापि, इन एक्सपोज़रों की ऋण समतुल्य मात्रा कम बनी रही।

#### वित्तीय समावेशन के लिए एक सुदृढ़ सहकारी बैंकिंग संरचना अत्यावश्यक है

1.31 देश में गुरुतर वित्तीय समावेशन के लिए सहकारी क्षेत्र का महत्व बना हुआ है। क्षेत्र के पुनर्गठन (यथा विलय और समामेलन) के माध्यम

से), पुनः पूंजीकरण, गहन पर्यवेक्षण आदि के बारे में किये गये बहुपक्षीय प्रयासों से इस क्षेत्र के कार्यनिष्ठादन एवं वित्तीय सुदृढ़ता मानकों में कुछ सुधार हुआ है, हालांकि इस बारे में कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। जहां आकार की दृष्टि से यह क्षेत्र प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ विगत उदाहरणों से यह काफी समष्ट हो चुका है कि इस क्षेत्र में हुई किसी तरह की विफलता का उल्लेखनीय असर इसके कारण तरीके से कार्य करने पर अनुप्रवाह प्रभाव सहित वित्तीय क्षेत्र के बारे में बाजार के रूख पर पड़ सकता है।

### विनियामक वातावरण

**प्रस्तावित पूंजीगत नियम - कुछ चुनौतियां हैं परंतु बैंकिंग प्रणाली में अनुचित रूप से खिंचाव की संभावना नहीं है**

1.32 बासेल III संबंधी प्रस्तावों में संकट से ली गयी सबक दिखाई देती है तथा ऐसी आशा है कि इससे पूरा परिदृश्य काफी बदल जाएगा। विशेष रूप से, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए यह कार्यान्वयन ऐसे समय में हुआ जब ऋण की मांग, अन्य बातों के साथ-साथ, सुदृढ़ वृद्धि संबंधी विवशताओं, बुनियादी ढांचा में निवेश की जरूरतों तथा वित्तीय समावेशन में हो रही वृद्धि के कारण बढ़ी हुई मांग की बजह से, सुदृढ़ बनी रहेगी। तथापि, बासेल II मानदंडों की तुलना में भारत में बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की सुखद स्थिति से यह अधिग्रेत है कि पूरी तरह से विचार किये जाने पर बासेल III संबंधी अपेक्षाएं वर्तमान स्थिति की तुलना में बहुत अधिक नहीं होंगी। तथापि, अलग-अलग बैंकों के स्तर पर कमी हो सकती है, जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने की जरूरत होगी। इन अपेक्षाओं के लिए बढ़ायी गयी कार्यान्वयन संबंधी अनुसूची से ऐसी आशा है कि यह संक्रमण आसानी से हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी की अतिरिक्त अपेक्षाओं, यदि कोई हो, के कारण भी सरकार द्वारा पुनः पूंजीकरण जरूरी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुल आंतरिक कर्ज प्रभावित होगा।

**लीवरेज तथा चलनिधि संबंधी मानदंड बाध्यकारी अवरोधक नहीं हैं परंतु इनसे कुछ चुनौतियां सामने आती हैं**

1.33 लीवरेज तथा चलनिधि के संबंध में बासेल III की अपेक्षाओं से भी भारत में बैंकों के बीच अनुचित खिंचाव पैदा होने की आशा नहीं है। तथापि, सही तथा समय पर ऑफर्ड प्राप्त होने संबंधी अवरोधकों तथा भारतीय संदर्भ में उल्लेखनीय चलनिधि दबाव की विगत घटनाओं के अभाव से यह अधिग्रेत है कि उचित शुद्धता और सुसंगति के साथ चलनिधि दबाव संबंधी परिदृश्य तैयार करना तथा उनकी पूर्व-घोषणा करना, जैसा कि प्रस्तावित नियमों के तहत अपेक्षित है, कठिन हो सकता है।

**सीआरए के वस्तुनिष्ठ विकल्पों को पहचान करना कठिन है जबकि विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है**

1.34 भारत में रिजर्व बैंक इस बात पर बल दे रहा है कि बैंकों को अपना आकलन करना चाहिए, तथा उन्हें अनन्य रूप से रेटिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तथापि, ऐसे कई मुद्दे हैं जो ऐसी निर्भरता कम करते हैं। विशेष रूप से, बासेल II के तहत मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए पूंजी संबंधी अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाह्य रेटिंग पर बैंकों की निर्भरता भारत सहित कई क्षेत्राधिकारों में जारी रहने की संभावना है। भारत में सीआरए का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है। तथापि, सीआरए पर सेबी का क्षेत्राधिकार प्रतिभूति बाजार में उनके कार्यकलाप तक सीमित है। अतः यह आवश्यक है कि अन्य विनियामकों के तहत आने वाले कार्यकलापों के संबंध में रेटिंग एजेंसियों तथा ऐसे कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त रेटिंग प्रणाली के प्रत्यायन की प्रक्रिया की जांच संबंधित विनियामक द्वारा की जाए। बैंकों के मामले में, रिजर्व बैंक कड़े मूल्यांकन के आधार पर बाह्य ऋण आकलन संस्थाओं के रूप में सीआरए का प्रत्यायन करता है।

**महत्वपूर्ण लेखांकन मानदंड वर्तमान में चल रहे लक्ष्य बदल रहे हैं तथा अभिसरण से कठिनाइयां आ सकती हैं**

1.35 भारत में कंपनियों तथा बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रानक (आइएफआरएस) के साथ अभिसरण के लिए चरणबद्ध रूपरेखा की घोषणा की गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ आइटी प्रणालियों में कुशलता के उन्नयन तथा बदलाव के लिए कड़ी अपेक्षाओं को देखते हुए अभिसरण कार्यक्रम एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पिछले एफएसआर में ऐसा देखा गया था तथा इस पर पुनः बल देने की जरूरत है। साथ ही, वित्तीय लिखतों से संबंधित आइएफआरएस 9, जो बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी विकसित हो रहा है तथा अंतिम मानक 2011 के मध्य से पहले प्राप्त होने की संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए तथा अभिसरण के लिए परिचालनात्मक दिशा-निर्देश के निर्माण को सुकर बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

**वित्तीय संगुटों के लिए पर्यवेक्षी ढांचे का निर्माण अंतरराष्ट्रीय नीतिगत गतिविधियों के आधार पर करना होगा**

1.36 वित्तीय संगुटों के लिए व्यापार वर्षों की विवेकानुसारी दांचा, जिसमें घोषित निगरानी तथा संगुटों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श जैसा द्विस्तरीय दृष्टिकोण शामिल है, इन संस्थाओं के सामने मौजूद जीखिमों के आकलन में काफी उपयोगी साबित हुआ है। आगे चलकर, अंतरराष्ट्रीय विनियामक अपेक्षाओं को दैखते हुए तात्कालिक तौर पर बड़े भार लेय फर्मों के लिए अलग से विवेकानुसारी अपेक्षाओं को अधिकृष्ट करना ज़रूरी

नहीं होगा, क्योंकि उनमें से किसी को भी वैश्विक तौर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माने जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय नीतिगत गतिविधियों के आधार पर वित्तीय संगुटों के लिए नीतियों को सुदृढ़ किए जाने की ज़रूरत है। संस्थाओं, विशेष तौर पर जटिल वित्तीय संस्थाओं, के व्यवस्थित विघटन के लिए विधिक और परिचालनात्मक ढांचे को सुदृढ़ किए जाने की ज़रूरत है। बैंक और बैंकेतर संस्थाओं को शामिल करने वाले वित्तीय संगुटों के लिए एक धारक कंपनी मॉडल की व्यवहार्यता की जांच एक कार्यदल द्वारा की जा रही है।

### **विदेशी बैंकों के विनियमन के स्वरूप पर सतर्कतापूर्वक विचार किए जाने की ज़रूरत है**

1.37 भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के परिचालनात्मक ढांचे, अर्थात् शाखा बनाम पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था, से संबंधित मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की ज़रूरत होगी। वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से, सहायक संस्था मॉडल संबंधी अंतररपण दृष्टिकोण को तरजीह दी जानी है क्योंकि इसमें कारगर विनियामक नियंत्रण, पूंजी की धेराबंदी (रिंग फेसिंग) और दिवालिया होने की स्थिति में विघटन के स्पष्ट तौर-तरीके का प्रावधान है।

### **एनबीएफसी बनाम बैंक - विनियामक दृष्टिकोण अंतररपण के लिए कुछ गुंजाइश बची है**

1.38 अंतरराष्ट्रीय तौर पर, बैंकिंग क्षेत्र के लिए विनियामक व्यवस्था को सख्त बनाने से गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों की तुलना में विनियामक अंतररपण में वृद्धि की संभावना उत्पन्न हो गई है। भारत में भी यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों के बीच सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों को देखते हुए लगातार सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वर्तमान माहौल में ऐसी स्थिति में यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बन गया है, जब एनबीएफसी (विशेष तौर पर जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी) का व्यापक विस्तार हो रहा है और विभिन्न संस्थाओं के बीच अंतर-सहबद्धता एवं उत्पाद प्रतिस्पर्धा दोनों में तीव्र वृद्धि हो रही है। एनबीएफसी के विनियामक ढांचे को सख्त बनाने के लिए कई पहले की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों को बैंकेतर क्षेत्र पर लागू करना शामिल है।

### **संस्था के विनियमन में ऐसे विनियामक अंतराल छूट सकते हैं, जिनका समाधान किया जाना ज़रूरी है**

1.39 देश की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए अनेक विनियामक होने और विनियमन संबंधी संस्था आधारित दृष्टिकोण के कारण विनियामक अंतराल बढ़ने की संभावना रहती है - कार्यपरक कामकाज का विनियमन रह जाता है, विनियमन संबंधी अंतरालों के कारण अप्रत्यक्ष रूप में

सार्वजनिक निधियां जुटाने की अनुमति मिलती है, व्यापारी बैंकों, संविभाग प्रबंधकों तथा दलाली संस्थाओं द्वारा उधार लेकर किये जाने वाले कार्यकलाप विवेकपूर्ण विनियमन के अधीन नहीं रह जाते। इनका तत्काल समाधान करने की ज़रूरत होगी।

### **सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआइ) - हाल की चिंताओं को देखते हुए कड़ी जांच की ज़रूरत है**

1.40 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कानून बनाने तथा एमएफआइ, विशेष रूप से बड़ी लाभार्थी कंपनियों, के परिचालनों की पद्धति में मौजूद गंभीर चिंताओं को देखते हुए, इन संस्थाओं को दिये जाने वाले बैंक ऋण, जो निधीयन का महत्वपूर्ण स्रोत है, के प्रभावित होने की संभावना है। नये संवितरण रूप से गये हैं, जबकि एनबीएफसी-एमएफआइ की रिकवरी दर तेजी से कम हुई है। एमएफआइ ऋणों की वसूली न होने का असर अन्य राज्य तथा अन्य सरणियों, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक उधार सहित, तक फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बैंकों की कुल बकाया राशि को देखते हुए, जहां तक बैंक तुलनपत्रों का संबंध है, यह एक प्रणालीगत मुद्दा नहीं है। तथापि, हाल की गतिविधियों से एमएफआइ मॉडल पर काफी असर पड़ सकता है। मालेगाम समिति इन मुद्दों की जांच कर रही है तथा उसकी संस्तुति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

### **प्रणालीगत असुरक्षितताओं का निवारण करने के लिए नेटवर्क की सहबद्धता महत्वपूर्ण है**

1.41 वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों तथा वित्तीय बाजार के सहभागियों के बीच की अंतर- संबद्धता व्यापक-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के एक महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में उभरी है। जो संस्थाएं भुगतान एवं निपटान प्रणालियों अथवा अंतर-बैंक देयताओं के माध्यम से अत्यधिक अंतर-सम्बद्ध हैं, उनके कठोर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। एक प्रणालीगत विनियामक को परिष्कृत नेटवर्क साधनों की ज़रूरत होगी ताकि वह अंतर-सम्बद्ध वित्तीय प्रणालियों की कार्यप्रणाली के जटिल स्वरूप का गंभीर अध्ययन कर सके।

### **वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना**

1.42 संकटके बाद, केंद्रीय बजट 2010 में उच्चस्तरीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना की घोषणा की गयी, ताकि वित्तीय स्थिरता बनाये रखने के लिए प्रक्रिया को सुदृढ़ और संस्थाकृत किया जा सके। एफएसडीसी की स्थापना की प्रक्रिया जारी है तथा इसमें रिजर्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण होने की आशा है। केंद्रीय बजट में भी अलग से वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया गया, ताकि वित्तीय क्षेत्र संबंधी कानूनों को दुबारा लिखकर उन्हें सुधारते हुए उस क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके। तथापि, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कानूनों में किया गया किसी प्रकार का

सशोधन उस क्षेत्र के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशा द्वारा चालित किये जाने की ज़रूरत होगी।

**वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढांचा**

**वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ बना रहा**

1.43 देश में भुगतान और निपटान प्रणालियां बिना किसी विघटन के कार्य करती रहीं। कुछ प्रतिभागियों के मामले में भुगतान संबंधी कार्यकलाप के संकेद्रण की मात्रा के लिए सतर्कतापूर्ण निगरानी अपेक्षित है। कुछ महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणालियां भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की परिधि से बाहर बनी रहती हैं।

**केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) की प्रणालीगत जोखिम उठाने की क्षमता महत्वपूर्ण बन गई है**

1.44 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के माध्यम से किया जाने वाला निपटान, जहां-कहीं भी साध्य हो, भारत में बड़े मूल्यवाले अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए निपटान का पसंदीदा माध्यम बना हुआ है। भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) अनेक बाजारों, उत्पादों तथा सहभागियों के मामले में सीसीपी के रूप में कार्य करता है तथा किसी एक बाजार/उत्पाद में चूक/गड़बड़ी का अन्यत्र असर आनुपातिक रूप से अधिक होने की संभावना है। स्थिरता के परिप्रेक्ष्य के, सीसीआइएल जैसे एक अनेक उत्पादवाले सीसीपी को एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्था के रूप में देखे जाने की ज़रूरत होगी।

**भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार का विकास एक विनियमित क्षेत्र के भीतर हुआ है; कुछ मुद्दों का समाधान करने की ज़रूरत है**

1.45 एक आघात-सह ओटीसी डेरिवेटिव बाजार संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना करना अंतरराष्ट्रीय तौर पर नीति निर्माताओं के लिए व्यापक रूप से महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानी गयी है। भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों का विकास एक विनियमित ढांचे के भीतर होगा। तथापि, कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। कई डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता का ढांचा कुछ प्रतिभागियों में मात्रा के संकेद्रण के साथ विषम बना हुआ है। कुछ डेरिवेटिव बाजारों में मात्रा अपेक्षाकृत कम बनी हुई है जो ऐसे उत्पादों के लिए गारंटीकृत समाशोधन को अधिदिष्ट करना चुनौतीपूर्ण बना देती है। भारतीय बाजारों में विनियमक पहल का एक के साथ स्वरूप को देखते हुए, वर्तमान उत्पादों का मानकीकरण करना अधिक कठिन कार्य नहीं होगा।

**भारत में जमा बीमा प्रणाली सुदृढ़ है परंतु कुछ मुद्दे बने हुए हैं**

1.46 भारत में जमा बीमा प्रणाली के सामने कई मुद्दे तथा प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। जमा बीमा निधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करना इस प्रणाली की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बना हुआ है। मार्च 2010 के अंत में निशेष बीमा और प्रत्येक गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) के लिए आरक्षित निधि अनुपात 0.85 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम था, हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय बेचमार्क नहीं है। देश में जमा बीमा का रक्षा अनुपात प्रति ब्यक्ति आय के रूप में सबसे कम बन हुआ है। रक्षा बढ़ाने का ज़रूरत पर साक्षात्कारीपूर्वक जांच करना अपेक्षित है।

1.47 देश के भौगोलिक विस्तार तथा जमाकर्ताओं के ब्लौरे संबंध आंकड़ों की असंतोषजनक गुणवत्ता को देखते हुए ठीक विनिर्दिष्ट सफर के भीतर दावों की अदायगी करने के लिए डीआइसीजीसी द्वारा लिंगये समय को कम करने हेतु एक सुदृढ़ सुपुर्दग्गी प्रणाली तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इस प्रक्रिया के लिए रिकार्ड रखने की प्रणाली। सुधार आवश्यक है - निगम ने इस दिशा में आरभिक कदम पहले ही शुरू कर दिया है; तथा यह परिसमाप्तकों की जवाबदेही है कि वे निगम को समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

### दबाव परीक्षण

**दबाव परीक्षण अल्पावधि में पूक व्यापक-वित्तीय जोखिमों व दर्शाता है**

1.48 भारत में बैंकों के सामने मौजूद ऋण, बाजार और चलनी जोखिम संबंधी दबाव परीक्षण बैंकिंग क्षेत्र में आघात-सहनीयता: उचित मात्रा को दर्शाता है। अनजंक आस्ति के वर्तमान स्तरों बहुत तीव्र वृद्धि के मामले में ही बैंकों की पूँजी स्थिति में कुछ गिराव देखी जाती है। व्याज दर जोखिमों में एक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई। जबकि कुछ बैंकों ने दबाव के सछत परिदृश्यों के भीतर चलनीधि: तंगी का सामना करना जारी रखा। दोनों पहलुओं पर निगरानी: ज़रूरत है।

1.49 बैंकिंग क्षेत्र दबावग्रस्त व्यापक-आर्थिक देशी परिवर्तियों अनुक्रिया में भी आघात-सहनीयता दर्शाता है, हालांकि वैश्विक आर्थिक स्थिति में किसी तीव्र गिरावट से उत्पन्न सुदृढ़ प्रतिवारों के प्रभाव निगरानी रखने की ज़रूरत है।

## अध्याय II

### समष्टिगत अर्थव्यवस्था का वातावरण

वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति से उबर रही है किंतु कुछ चिंताएं अभी विद्यमान हैं और नई चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। अनेक उन्नत तथा अन्य अर्थव्यवस्थाएं धीमी संवृद्धि और अधिक आधारी कर्जों से ग्रस्त हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उठाए गए कुछ कदमों जैसे कि ब्याज दरों में अत्यधिक कटौती, शून्य के आस-पास दरों को बनाए रखने तथा चलनिधि को बाजार में डालने से उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (EME) में पूँजी का अंतर्वर्ह बहुत अधिक बढ़ रहा है और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। व्यापार में पूर्ण सुधार तथा वैश्विक स्तर पर दृढ़ विश्वास सभी अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, के सुधार पर निर्भर करता है।

कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था के समसामयिक कारोबारी चक्र का तालमेल अधिकतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ बढ़ गया है। अतः वैश्विक स्तर के जोखिमों में हास, संवृद्धि और रोजगार में असमान सुधार (बढ़ोत्तरी), वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्यान्न वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों तथा वैश्विक असंतुलन का प्रभाव अब भारत पर पहले से कहीं अधिक दिखाई देने लगा है। जहां तक देशी स्तर का सवाल है, चालू खाता घाटे के वित्तपोषण में अस्थिर घटकों के बहुत बड़ा हिस्सा है, सीमित राजकोषीय परिवर्तनशीलता तथा परिसंपत्ति मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का भी प्रभाव वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है। खुदरा ऋण के निष्पादन में सुधार आया है, लेकिन परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि विशेष रूप से आवास के मूल्य में वृद्धि चिंता का कारण बन रहा है।

#### समष्टिगत जोखिमों की भूमिका


2.1 समष्टिगत जोखिमों का प्रभाव विविध माध्यमों से वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है। वैश्विक और देशी स्तर पर संवृद्धि और रोजगार की संभावना का प्रभाव देनदार द्वारा उधार लो गई राशि को चुकाने की क्षमता और क्रेडिट संबंधी जोखिम की अभिज्ञता पर पड़ता है। मुद्रास्फीति / मुद्रा अवस्फीति जोखिम वास्तविक कर्ज के बोझ को निर्धारित करते हैं और स्थिर आय बाजारों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। परिसंपत्तियों के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव संपार्शिकों के मूल्य तथा देनदारों द्वारा अपनी देनदारी को पूरा करने की क्षमता पर पड़ता है। समष्टि- आर्थिक असंतुलन अथवा झटके तथा न बनाए रखें जा सकने योग्य राजकोषीय और बाह्य ऋणों का बोझ, वित्तीय प्रणाली को तहस नहस करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आर्थिक पुनःसंतुलन को प्रक्रिया के भी वित्तीय प्रणाली में कुछ मायने हैं। आंतरिक पुनःसंतुलन, राजकोषीय समेकन के समय अधिक और सस्ते ऋण की आमद के माध्यम से निजी मांग में बढ़ोत्तरी की भी ज़रूरत होती है। दूसरी ओर बाह्य पुनःसंतुलन के समय अनेक उन्नत देशों को शुद्ध निर्यातों पर निर्भरता बढ़ानी पड़ती है जबकि ईर्पर्मई को अपनी घरेलू मांग की निर्भरता को बढ़ाना पड़ता है। इससे अन्य बातों के साथ-साथ विनियम दरों में भी फिर से कुछ समायोजन तथा वित्तीय प्रणाली में पुनर्विन्यास करना पड़ता है।

#### भारत में समग्र समष्टिगत जोखिम का परिदृश्य - तुलनात्मक स्थिति

2.2 मार्च 2010 में प्रकाशित हमारी पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) की तुलना में वैश्विक तथा पूँजीगत प्रवाह जोखिमों की स्थिति बिगड़ी है। घरेलू तथा कपनी दोनों क्षेत्र लाभकारी बने हुए

हैं और उनका जोखिम स्तर अपरिवर्तित है। मुद्रास्फीति जोखिम कम हुआ है हालांकि वह अभी भी उच्च स्तर पर ही है। राजकोषीय स्थिति में भी हालांकि खिंचाव है फिर भी समेकन उपायों को प्रारंभ करने से उसमें कुछ सुधार हुआ है। (चार्ट 2.1)

चार्ट 2.1: समग्र समष्टिगत जोखिम



नोट: केवल दूसरी जोखिम के स्तर का माप देती है।

स्रोत: स्टार एस्ट्रोमेट

## वैश्विक गतिविधियां

### वैश्विक जोखिम स्थिति का बिगड़ना

2.3 कुछ समय से और विशेष रूप से हाल ही में<sup>1</sup>, (सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार) अधिकतर उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के कारोबार चक्र की तुलना बढ़ गई है जिसकी वजह से वैश्विक गतिविधियों का प्रभाव बढ़ गया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (आईएमएफ, अक्टूबर, 2010) अप्रैल 2010 में किए गए मूल्यांकन की तुलना में वित्तीय स्थिरता के जोखिमों में वृद्धि को दर्शाती है। सरकारी कर्ज की वृद्धि तथा मुद्रा अवस्थाति की चिंता ने समस्ति-आर्थिक जोखिम को बढ़ाने में योगदान दिया है। इस अवधि में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जोखिम बढ़ गए हैं। तथापि, मजबूत कंपनी क्षेत्र के कारण समग्र क्रेडिट जोखिम अपरिवर्तित रहा। मजबूत बुनियादी और अच्छी संवृद्धि की संभावना के मद्देनज्ञर उभरते बाजार से जुड़े जोखिम में कुछ सुधार दर्ज किया गया।

### वैश्विक संवृद्धि असंतुलित और अनिश्चित


2.4 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संभावना जताई है कि चालू कैलेंडर वर्ष में वैश्विक रिकवरी स्तर पर संवृद्धि में सुधार हो सकता है और उसके बाद अगले वर्ष (चार्ट 2.2) मामूली गिरावट आ सकती है। यूएस तथा यूरोपीय क्षेत्र में विनिर्माण के लिए परचेज़ मैनेजर्स इंडिसेज़ (पौरष्ट्रआईज़) का डेटा हालांकि 50 से अधिक है फिर भी अप्रैल 2010 में शीर्ष पर पहुंचे 60 से कम है जिससे कम संवृद्धि बने रहने की संभावना और अधिक बढ़ गई है।

2.5 कुछ देशों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के पक्ष में किए गए पुनःसंतुलन से विश्व व्यापार में होने वाली पूर्ण रिकवरी में बाधा पड़ सकती है। भारत के मुख्य व्यापार भागोदार यूएस में जबकि इन्वेंटरी (स्टॉक) समाप्ति से सकारात्मक वृद्धि दिखाई देती है फिर भी, अत्यधिक बेरोजगारी, उपभोक्ता खर्च की संवृद्धि में कमी तथा निष्क्रिय (सुस्त) आवासीय क्षेत्र इस ओर इशारा करते हैं कि रिकवरी में समय लगेगा। साथ ही, वर्तमान डॉलिवरेजिंग एक दीर्घकालिक प्रक्रिया हो सकती है। और जैसा कि जापान को अनुभव करना पड़ा है, पौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के साथ तालमेल बिटाने के लिए ये कठिन स्थितियां हैं।

--- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगार उच्च स्तर पर बना हुआ है

2.6 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च बेरोजगार निता का विषय है और इससे वैश्विक पांग (चार्ट 2.4) पर और अधिक स्थायी प्रभाव


चार्ट 2.2: वैश्विक संवृद्धि और मुद्रास्फीति



नोट: वर्ष 2010 और 2011 के आकड़े पूर्वानुमानित हैं।


स्रोत: डब्ल्यूइडओ, अक्टूबर 2010, आईएमएफ।

चार्ट 2.3: यूएस और यूरोज़ोन में पौरष्ट्रआई



स्रोत: अनुमानी

चार्ट 2.4: बेरोजगारी



नोट: वर्ष 2010 और 2011 के आकड़े पूर्वानुमानित हैं।

स्रोत: डब्ल्यूइडओ, अक्टूबर 2010

<sup>1</sup> (आर्थिक 2010) ग्लोबल फिनान्शियल क्रैक्स एंड दि इंडियन इकोनोमी। मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट

दिखाई देने की संभावना है। संरचनात्मक रोजगार के संकट की स्थिति से उबर कर पहले की स्थिति में पहुंचने में काफी समय लगेगा और हो सकता है कि मध्यावधि में यह उत्पादकता को नीचे ले जाए।

## सरकारी कर्ज उच्च और उसका हल भी दीर्घ होगा

2.7 सरकारी कर्ज संकट ने कर्ज के प्रबंधन एवं वित्तीय स्थिरता के बीच स्थापित सूत्र को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है जो यह दर्शाता है कि राजकोषीय, मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता संबंधी प्राधिकरणों के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता है। यह बात सर्वविदित है कि सरकारी कर्ज समग्र आर्थिक प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना

साकेतिक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर से काफी ऊपर सतत आधार पर नहीं बढ़ सकता। राजकोषीय संसाधनों का एक बड़ा भाग उच्च सरकारी कर्ज चुकाने के लिए आवश्यक होने पर उत्पादन व्ययों के लिए निधि नहीं बचेगी और इससे अत्यंत विकृत कराधान की स्थिति भी पैदा हो सकती है। दीर्घावधि में, सतत उच्च कर्ज अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिकूल आघातों के प्रति जादा सुभेद्य बनाता है, उनकी दीर्घावधि वृद्धि की संभावनाओं को कम कर देता है तथा मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है। सरकारी कर्ज के उच्च स्तर से मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता भी दांव पर लग जाती है। सरकारी कर्ज संकट और इसके प्रबंधन से उपयोगी अनुभव और सबक मिलते हैं (बाक्स 2.1)।

### बाक्स 2.1: सरकारी कर्ज संकट

यूनानी अर्थव्यवस्था के समष्टि-आर्थिक असंतुलन और ढांचागत कमजोरियां आर्थिक एवं वित्तीय संकट के दबाव से उजागर हुईं। इनकी विशेषता यह रही कि ये भारी राजकोषीय थाएं, अपार सरकारी कर्ज और सतत खराब हो रही स्थार्थात्मक स्थिति के रूप में व्यक्त हुईं जोकि चालू खाता शेष की धीरे-धीरे खराब होती जा रही स्थिति के रूप में दिखाई दी। यूरोपीय बैंकों के पास सरकारी कर्ज संबंधी पत्र की भारी धारिताएं, प्रणालीगत चिंताओं का कारण बनीं। मुर्तगाल, आयरलैंड, इटली और स्पेन जैसी अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में इसी प्रकार की चिंताओं ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। यूरो क्षेत्र की सुभेद्य अर्थव्यवस्थाओं के सरकारी कर्ज की भारी बिक्री ने उनकी बैंकिंग प्रणाली की चूलें हिला दीं। इसकी वजह से यूरो के मूल्य में भारी गिरावट आई और यूरो क्षेत्र में शेयरों की कीमतों में व्यापक गिरावट आयी, लेकिन इसने पूरे विश्व के अन्य वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता फैलाई। कारपोरेट बांडों पर जोखिम श्रियम बढ़ गए और मई में कारपोरेट बांडों के निर्गम अल्प मात्रा में हुए। उभरते बाजारों में भी निर्गमों में तेज गिरावट आई।

यूनान की सहायता के लिए 2 मई 2010 को यूरो क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने द्विपक्षीय तथा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 145 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया। तत्पश्चात, यूरोपीय संघ की आर्थिक एवं वित्तीय परिषद (इको-फिन) ने 10 मई 2010 को स्थिरताप्रक उपायों की घोषणा की। इन उपायों में शामिल हैं—यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ईएसएम) का गठन, जिसमें कड़ी शर्तें हैं और जिसके दो घटक हैं: (i) पहला, यूरो क्षेत्र के उन सदस्यों को 60 बिलियन यूरो (79 बिलियन अमरीकी डालर) तक कि भुगतान संतुलन सुविधा प्रदान करने कि अनुमति यूरोपियन कमीशन को देता है जो उनके बूते के बाहर कारकों की वजह से उधार लेने की स्थितियों में गंभीर गिरावट का सामना कर रहे हैं। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कि शर्त रहेगी और यह यूरोपीय संघ (ईयू) बांडों के निर्गम से वित्तपोषित की जाएगी; और (ii) दूसरा, विशेष प्रयोजन के एक साधन (एसपीवी) जिसे यूरोपीय वित्तीय स्थिरता निधि (ईएफएसएफ) कहा जाएगा, के मायम से कमीशन संसाधनों को संपूर्ण करने के लिए सदस्य देशों के बीच एक स्वैच्छिक अंतर-सरकारी कारण है जिसका मूल्य तीन वर्ष की अवधि में 440 बिलियन यूरो (580 बिलियन अमरीकी डालर) होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन वित्तीय व्यवस्थाओं में भाग लेने का निर्णय लिया है और यह इन निधियां अपेक्षाओं का कम-से-कम आधा भाग प्रदान करेगा। यह यूरो क्षेत्र के सहभागी सदस्यों द्वारा अनुपातिक रूप से गारंटीशुदा होगा तथा इस पर कड़ी शर्तें भी लागू होंगी।

यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ईएसएम) की घोषणा के समानांतर, यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने कतिपय देशों के सरकारी कर्जों को खरीद करके उसे निष्प्रभावी बनाकर यूरो क्षेत्र के सरकारी कर्ज बाजारों में स्थिरता लाने की कार्रवाई की। यूरोपीय केंद्रीय बैंक

ने सरकारी और निजी दोनों ही कर्ज प्रतिभूति बाजारों में हस्तक्षेप करके प्रतिभूति बाजार कार्यक्रमों की घोषणा की। जी 7 ने भी फेडरल रिजर्व और ईसीबी तथा बैंक आफ इंग्लैंड और एसएनबी के बीच द्विपक्षीय डालर अदला-बदली (स्वैप) व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की घोषणा की। ईसीबी-पात्र संपादिकों का उपयोग करके यूएस फेडरल रिजर्व के साथ अस्थायी अदला-बदली (स्वैप) सुविधाएं पुनः चालू की गईं। यूरोपियन नीतिगत पहलों और राजकोषीय समायोजनों की फ्रंटलोडिंग से टेल रिस्क में कमी आई और वित्तीय स्थितियों में सुधार हुआ। तथापि, वैश्विक रिकवरी की जोखिमों के बारे में बनी हुई चिंताओं के बीच अंतर्निहित सरकारी और बैंकिंग सुभेद्यताएं एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई हैं।

जहां यूनानी संकट ठड़े बस्ते में जा रहा था वहीं आयरिश कर्ज स्थिति उभर आई। हाल ही में आयरिश सरकार ने घोषणा की कि अपनी बैंकिंग प्रणाली के पुनः पूँजीकरण का जोखन उसने दिया था वह पहले लगाए गए अनुमान से ज्यादा जा रहा है (33 बिलियन यूरो से 46 बिलियन यूरो अर्थात् सकल देशी उत्पाद के 20 प्रतिशत से 28 प्रतिशत)। इसने आयरलैंड के सरकारी कर्ज की वहनीयता के लिए तत्काल चिंताएं पैदा कर दीं। आयरिश सरकार ने कहा कि 2011 के मध्य तक की इसकी निधीयन आवश्यकताएं पूरी हैं और सकंट से बाहर आने के लिए इसने निधियां स्वीकार करने में शुरूवाती दौर में प्रतिरोध किया। इसके सरकारी कर्ज पर ऋण चूक स्वैप (क्रेडिट फिफाल्ट स्वैप) कई गुना बढ़ गए, जबकि इसके कर्ज के लिए बाजार वस्तुतः बंद है।

इस संकट से पहले, आयरिश राजकोषीय स्थिति बहुत अच्छी थी। कम कारपोरेट कर और ब्याज दरों ने (यूरो के आगमन के कारण) बैंक वित्तपोषित आवासन और वाणिज्यिक भू-संपदा संबंधी उछाल को हड्डा दी। भूसंपदा जैसे आस्ति उछाल से जुड़े कर और पूँजी लाभ कर बड़े घटक बन गए और इस संकट के दौरान जब यह चक्र पलटा तो अंततः ये समाप्त हो गए।

यूरो प्रणाली जैसे मौद्रिक संघों में सदस्य देश स्वतंत्र राजकोषीय नीतियों का अनुसरण करते हैं परंतु आवश्यक समायोजन करने के लिए वे विनिमय दर अथवा मौद्रिक नीति संबंधी साधनों का आश्रय नहीं ले सकते। यह सदस्य देशों द्वारा सुदृढ़ और विश्वसनीय राजकोषीय नीतियों का अनुसरण किए जाने के महत्व को रेखांकित करता है ताकि उनकी सामूहिक मौद्रिक नीति कि स्वतंत्रता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके, जिसके अभाव में मौद्रिक नीति अलग-अलग देशों की राजकोषीय ज्यादातियों की बंधक हो सकती है। यूनान में सरकारी कर्ज संकट के बाद यूरो क्षेत्र की गतिविधियां भी समय पर राजकोषीय निकास की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करती हैं। जिसके साथ-साथ मध्यावधि में टिकाऊ और सुदृढ़ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की गुणवत्ता पर जोर होना चाहिए।

2.8 संकट के समय और बाद में राजकोषीय घाटे में हुई वृद्धि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लोक ऋण में वृद्धि के रूप में प्रदर्शित होती है (2.5क और 2.5ख चार्ट)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समेकित सरकारी कर्ज 2007 में सकल देशी उत्पाद के 76 प्रतिशत से बढ़कर 2011<sup>2</sup> में सौ प्रतिशत से अधिक हो जाने का अनुमान है। पिछले संकट के दौरान देखा गया था कि संकट के बाद वास्तविक कर्ज तीन वर्ष में लगभग दो गुना हो जाता है अर्थात् हम सरकारी कर्ज अनुपात में और गिरावट देखेंगे। इसके अलावा “किसी देश के सरकारी चूक (सावरेन डिफाल्ट) में लगा औसत समय वित्तीय संकट में लगे औसत समय से अधिक होता है।”<sup>3</sup>


2.9 कर्ज के समेकन से भी कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। 1980 से 2008<sup>4</sup> के बीच हुई बैंकिंग संकट संबंधी 100 घटनाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि (क) लंबे समय तक बैंकिंग संकट से प्रभावित देशों में कर्ज का समेकन कम सफल होता है, (ख) वर्तमान व्ययों में कटौती के फलस्वरूप होने वाले कर्ज के समेकन के अधिक सफल होने की संभावना होती है, (ग) समेकन की अधिक आवश्यकता वाले देशों में कर्ज में कमी के लिए कर राजस्व बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है, (घ) बैंकिंग संकट के बाद में राजकोषीय समायोजन जटिल हो सकता है, जिसके लिए संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के जरिए सर्वद्विको पुनर्जीवित करने के लिए समर्थक कार्रवाई अपेक्षित होती है ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके एवं अर्थव्यवस्था में मौजूद आर्थिक विकृतियों को कम करने के उपाय किए जा सकें।

### एक साथ दोनों घाटे स्थिति को जटिल कर देते हैं

2.10 विशेषतया उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय घाटे के अलावा चालू खाता असंतुलन बना रहता है, हालांकि 2011 में इनके कम होने की संभावना है। जबकि अत्यधिक राजकोषीय एवं बाह्य असंतुलन दोनों ही अवांछनीय हैं परंतु दोनों घाटे एक साथ होने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है।<sup>5</sup>

2.11 कुछ बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संकट के पहले और बाद में दुहरा घाटा होता रहा है। प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आवक या देशी उन्मुखता के माध्यम से दोहरे घाटों के समाधान से विश्व के व्यापार

चार्ट 2.5: सरकार का सामान्य सकल कर्ज



नोट: वर्ष 2010 और 2011 के आंकड़े पूर्वानुमानित हैं।

स्रोत: डब्ल्यूडब्ल्यूओ, आईएमएफ अक्टूबर 2010

<sup>2</sup> बीआईएस(2010) 80वीं वार्षिक रिपोर्ट

<sup>3</sup> रेनहार्ट, कारमन एम. एंड केनथ एस. रोगोफ (2010) “दिस टाइम इज डिफरन्ट - एट सेन्चुरीज ऑफ फाइनान्शियल फॉलोवी”, प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्स्टन एंड ऑक्सफर्ड।

<sup>4</sup> बाल्डाकी, इमानुअल, संजीव गुप्ता एंड कारलोस मुलास-ग्रान्डोस(2010), “रिस्टोरिंग डेट स्टेनबिलिटी आफ्टर क्रॉसिंस: इप्लिकेशन्स फॉर दि फिस्कल मिक्स”। आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/10/232. अक्टूबर

<sup>5</sup> आइडेन्टिटी के अनुसार “देशी निजी क्षेत्र के वित्तीय संतुलन + सरकारी राजकोषीय शेष - चालू खाता शेष (या व्यापार कमी/अधिशेष) = 0” देशी निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र को एक साथ डिलिवरेज नहीं कर सकते जब तक व्यापार अधिशेष निरंतर रूप से प्राप्त न किया जाए।

में सुधार होने में बाधा आयेगी। चूंकि भारत से निर्यात में अमेरिका तथा यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिये ऐसी परिस्थिति में भारतीय निर्यात में सुधार मंद होगा।


### आर्थिक पुनर्संतुलन बहुत मंद है

2.12 समुत्थान के साथ वैश्विक असंतुलनों के फिर से होने को रोकने के लिए, कई देशों द्वारा आंतरिक तथा बाह्य असंतुलनों पर कार्रवाई करना जरूरी है। ये दो पुनर्संतुलन कार्य बहुत मंद गति से हो रहे हैं। आइएमएफ (डब्ल्यूईओ, अक्टूबर 2010) के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक से निजी पुनर्संतुलन तथा प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बाह्य से देशी मांग की और पुनर्संतुलन पर स्पर्ज जुड़े हुए हैं और एक मजबूत समुत्थान के लिए जरूरी है कि ये दोनों साथ-साथ चलें।

2.13 राजकोषीय तथा चालू खाता असंतुलनों पर कार्रवाई करने में अलग-अलग समाधानों के लिए लागत होती है। डब्ल्यूईओ ने अनुमान लगाया है कि जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर राजकोषीय समेकन से 2 वर्ष के भीतर जीडीपी में 0.5 प्रतिशत की कमी हो जाती है और बेरोजगारी दर में लगभग 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो जाती है। देशी मांग - उपभोग तथा निवेश में - लगभग एक प्रतिशत की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त, जब तक विकासशील अर्थव्यवस्थाएं आंतरिक मांग में वृद्धि नहीं कर देतीं तब तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समेकन में देरी करने से प्रतिकूल बाजार के रूप में मंदी के जोखिम हो जाते हैं जिससे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सरकारी तथा कंपनी स्प्रेड में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण, इन अर्थव्यवस्थाओं में बड़े, फ्रंटलोडिड तथा दुर्लक्षित वित्तीय समेकन हो जाता है जिसके चलते स्प्रेड को कम करने में कई वर्ष लग जाते हैं।

2.14 बहुत कम अवधि में चालू खाता असंतुलनों को कम करने के लिए बहुत बड़े विनियम दर परिवर्तनों से वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव यड़ सकता है तथा इसके सामाजिक - आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सहज वास्तविक विनियम दर संतुलन सामान्यतः चालू खाता असंतुलनों को सीमित रखने में लाभकारी होते हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों में संतुलित वैश्विक समुत्थान प्राप्त करने के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

2.15 त्वरित तथा मजबूत समुत्थान के लिए, नीति निर्माताओं को मुद्राओं के प्रबंध तथा मांग संबंधी असंतुलनों के बीच एक सांझा मार्ग अपनाना होगा।



स्रोत: डब्ल्यूईओ, आइएमई

वैश्विक व्यापार के पुनरुद्धार को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

2.16 राष्ट्रीय खातों में प्रदर्शित प्रत्यक्ष योगदान के अतिरिक्त, ज्ञान के प्रसार, बाह्य कारक तथा सीख के रूप में भी हाता है। वैश्विक संकट से वैश्विक ज्ञान के भंडार में कमी नहीं आई है।

2.17 वर्ष 2009 के दौरान विश्व व्यापार की मात्रा में 11.0 प्रतिशत की कमी आई है (डब्ल्यूआईओ, अक्टूबर 2010)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात में आई कमी (-12.7 प्रतिशत) उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (-8.2 प्रतिशत) को तुलना में अधिक थी। चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की हानि की पूरी तरह से भरपाई हो जाने की आशा है। तथापि, बालिक ड्राइ इंडेक्स का निचले स्तर पर बने रहना यह दर्शाता है कि विश्व व्यापार की रिकवरी में मंदी बनी रहेगी। (चार्ट 2.7)

### देशी गतिविधियां


सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि - मांग और आपूर्ति का योगदान

2.18 वैश्विक वित्तीय संकट ने वर्ष 2008-09 में मांग की स्थितियों को कम कर दिया था। निजी अंतिम खपत और स्थिर निवेश में कमी देखी गई। इसके परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए बड़े राजकोषीय उत्प्रेरक उपाय शुरू किए गए। राजकोषीय प्रोत्साहनों के बावजूद, 2009-10 की पहली छमाही तक मांग की कमजोर स्थितियां बनी रहीं। स्थिर निवेश में हुई तेज वृद्धि और निजी मांग में हुए सुधार के साथ 2009-10 की दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि की दर में दुबारा तेजी आई। 2010-11 की पहली छमाही के दौरान, स्थिर निवेश और निजी उपभोग समग्र वृद्धि में योगदान देने वाले मुख्य कारक बने रहे। (चार्ट 2.8)



2.19 आपूर्ति की ओर से उद्योग और सेवाएं वृद्धि के प्रमुख कारकों के रूप में उभरे हैं। व्यापार चैनल के माध्यम से संकट के दौरान सबसे अधिक प्रभावित औद्योगिक क्षेत्र में काफी सुधार दर्ज किया गया।

2.20 सकल देशी उत्पाद में वृद्धि की संभावना में काफी सुधार हुआ है (चार्ट 2.9 - 2.10)। विनिर्माण और सेवा दोनों के पीएमआई, जो कि मार्च 2009 तक संकुचनकारी मोड़ में थे, तब से विस्तार के मोड़ में आकर समय के साथ-साथ सुदृढ़ हो रहे हैं।

चार्ट 2.7 वाल्ट्रिक ड्राइ इंडेक्स



चार्ट 2.8 सकल देशी उत्पाद की वृद्धि में योगदान



एव।: पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर)

स्रोत: सीएसओ

कारोबारी विश्वास भी तेजी से बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र के चुनिन्दा अग्रणी संकेतक भी इस क्षेत्र में पुनरुत्थान का संकेत दे रहे हैं। (सारणी 2.1)

सारणी 2.1: सेवा क्षेत्र सूचक		(प्रतिशत)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन		4.8	-24.0	35.9	53.6
विद्युत उत्पादन [अधिक/ कमां (-)]		-9.9	-11.1	-10.1	-11.1

2.21 यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान समय में विकसित अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि के जिस मार्ग पर चली हैं, उनकी अपेक्षा भारत वृद्धि के लिए सेवा क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान मामूली रहा है (चार्ट 2.11)। वृद्धि के उच्च स्तर को स्थिरता और उसके बने रहने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का अधिक योगदान अत्यंत आवश्यक है। स्थिर वृद्धि के लिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र में विशेष रूप से वृद्धि को और बढ़ाने की आवश्यकता है।


2.22 2009-10 की दूसरी तिमाही से औद्योगिक उत्पादन में लेहमान के पतन के बाद 2008-09 की निम्न वृद्धि की तुलना में स्थिर सुधार देखा गया है। तथापि, पिछले कुछ महीनों के दौरान वृद्धि दर में हुए उत्तर-चढ़ाव ने अंतर्निहित समष्टि-आर्थिक स्थितियों के सही आकलन को जटिल बना दिया है। (चार्ट 2.12)

### मुद्रास्फीति का बने रहना

2.23 हालांकि वृद्धि के लिए होने वाले जोखिमों में कमाई आई, लेकिन मुद्रास्फीति के जोखिम सामने आ गए। पण्यों की उच्चतर वैश्विक कीमतों और घरेलू मांग दोनों से मुद्रास्फीति संबंधी दबाव जारी रहे। कच्चा तेल, सोना, लौह अयस्क, चांदी और कपास जैसे खेती उत्पाद सहित प्रमुख वस्तुओं की कीमतें वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा अतिरिक्त चलनिधि बनाकर रखा जाना है। एफएओ का खाद्य मूल्य सूचकांक भी बढ़कर अपने संकट पूर्व शिखर के करीब पहुंच गया है। खाद्य कीमतों, विशेष रूप से चीनी, अनाज और खाद्य तेल में वैश्विक स्तर पर होने वाली वृद्धि (चार्ट 2.13) भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इससे घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति, जो कि काफी समय से ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, को रोकने के साधन के रूप में खाद्य आयातों के उपयोग की एक सीमा तय हो जाती है।


2.24 विभिन्न पण्यों में होने वाले संरचनात्मक मांग-आपूर्ति बेमेल ने उच्च घरेलू खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (चार्ट 2.14) में योगदान दिया है। विशेष रूप से प्रोटीन युक्त खाद्य, जैसे अंडे, दूध, दाल, मांस और

चार्ट 2.9 क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) में वृद्धि




स्रोत: एचएसबीसी बाजार

चार्ट 2.10 कारोबारी प्रत्याशा सर्वेक्षण




स्रोत: सर्वाधित एजेंसियां

चार्ट 2.11: सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) का संरचनागत रूपांतरण




स्रोत: सोएसओ

चार्ट 2.12: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में परिवर्तन




स्रोत: सोएसओ

चार्ट 2.13: उन्नत वैश्विक खाद्य मूल्य



स्रोत: एफआरओ

चार्ट 2.14: उन्नत देशी खाद्य मूल्य



स्रोत: भारत सरकार

मछली तथा फल और गेहूं के मूल्य भारत में ऊँचे स्तर पर हैं। इसके मूलभूत कारणों में निरंतर बढ़ती आय उपभोक्ता का बदलता स्वरूप, स्थिर कृषि उत्पादकता और बढ़ते वैश्विक मूल्य शामिल हैं।

2.25 मौद्रिक नीति के रेस्पोन्स (प्रतिसाद) को आंतरिक (देशीय) संवृद्धि - मुद्रास्फीति परिदृश्य और वैश्विक गतिविधियों के आधार पर सोच-विचार कर तैयार किया गया है। अक्टूबर 2009 से रिजर्व बैंक द्वारा एक ही साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 100 आधार अंकों तथा रिपो और रिवर्स रिपो में क्रमशः 150 और 200 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। हाल ही में एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश की सांविधिक अपेक्षा को एक प्रतिशत अंक कम कर दिया है और 48,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के खुले बाजार की खरीद की घोषणा की गई ताकि चलनिधि की कमी में सुधार लाया जा सके। नीतिगत


समीक्षाओं की बारंबरता बढ़ जाने से प्रत्याशाओं के प्रबंधन अनिश्चिताओं को कम करने में मदद मिली है।

### बचत और निवेश में गिरावट का बढ़ना

2.26 वर्ष 2008-09 में सकल देशी बचत की दर कम थी सरकारी क्षेत्र में बचत की दरों में कमी और निजी कंपनी के बचत दरों में सीमांत गिरावट को दर्शाती है। देशी क्षेत्र की दर पिछले वर्ष की बचत दर के स्तर पर अपरिवर्तित बन (चार्ट 2.15)

2.27 निजी कंपनी निवेश में गिरावट के फलस्वरूप सकल निवेश दर में गिरावट आई। तथापि, निवेश में गिरावट की बचत की तुलना में कम रही और यह कमी चालू खाते के बढ़ घाटे के रूप में प्रतिबिंबित हुई।

चार्ट: 2.15 बचत तथा निवेश



स्रोत: सीएसओ

### राजकोषीय स्थिति पर अभी भी दबाव

2.28 वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपायों का प्रयोग और वर्तमान सरकारी कर्ज संकट राजकोषीय स्थितियों के महत्व को रेखांकित करते हैं। भारत में राजकोषीय उपायों का प्रयोग उत्पादन की उच्च संवृद्धि दर को बनाए रखने के अलावा हेडलाइन मुद्रास्फीति (थोक मूल्य सूचकांक) पर अस्थायी लेकिन बड़े आपूर्तिगत आघातों के प्रभाव को सीमित करने के लिए किया जाता रहा है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान भारत में अपनाए गए असाधारण राजकोषीय नीतिगत उपायों ने आर्थिक मंदी को नियन्त्रित करने और उसके पश्चात अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के अल्पकालीन लक्ष्य को काफी सीमा तक प्राप्त किया। परिमाणतः वर्ष 2009-10 में सरकारी ऋण बढ़ा और चालू वर्ष के दौरान सकल देशी उत्पाद के 73 प्रतिशत को पार करने की संभावना है। (चार्ट 2.16)


2.29 यद्यपि भारत का उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच घाटे और कर्ज का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन राष्ट्र ने विदेशी मुद्रा में अत्यधिक उधार लेने का 'मूल गुनाह'<sup>6</sup> नहीं किया है। देश का अधिकांश सरकारी कर्ज देशी मुद्रा में है और देश में ही रखा हुआ है। सरकार बाह्य वाणिज्यिक बाजारों से उधार नहीं लेती है। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऐसे निवेश पर व्यापक विवेकपूर्ण सीमाओं के तहत अनुमति प्रदान की गई है।"

2.30 अन्य देशों तुलना में कर्ज की परिपक्वता की स्थिति<sup>7</sup> अनूकूल है। भारत के लिए बकाया कर्ज और अगले कुछ वर्षों में परिपक्व होने

<sup>6</sup> न्यू चैलेंजस फॉर मॉनिटरी पॉलिसी, कन्सास सिटी : फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कन्सास सिटी, पृ.329-368 में आइशनग्रीन, बैरी और रिकार्ड हास्मैन (1999), "एक्सचेंज रेट्स एंड फाइनैशियल फ्रेजिलिटी" के अनुसार देशी मुद्रा में विदेश से ऊपर लेने में असमर्थता और देश के अंदर दीर्घ अवधि के लिए उधार लेना "ओरिजिनल सिन" कहलाता है।

<sup>7</sup> कर्ज के निर्गम की परिपक्वता का विकल्प बैंकों और अन्यों की मौद्रिक परिस्थितियों और निधियन बाजारों को प्रभावित करता है, क्योंकि आम तौर पर बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिभूतियों का मूल्य सरकारी आय वक्त से कम रहता है। अल्प अवधि के सरकारी कर्ज के निर्गम से सरकार के अल्पावधिक कर्ज की चुकौती का बोझ कुछ कम हो सकता है, किंतु इससे आय वक्त पर मौद्रिक नीतिगत निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। कर्ज परिपक्वता की अवधि को कम करने से सरकार को पुनर्वित्तणेषण संबंधी जोखिम भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ, दीर्घ अवधि के लिए सरकारी कर्ज बढ़ने से आय वक्त त्रिवृता से आगे बढ़ता है, जिससे बैंकों को अस्तियों की समय-अवधि बढ़ाने और अपनी देयताओं की अवधि को कम करने का अवसर मिलता है। इसकी वजह से सरकारी कर्ज प्रबंधन में जोखिम बढ़ जाता है/लागत की प्रतिकूल स्थिति पैदा हो जाती है।

चार्ट 2.16 केंद्र तथा राज्यों का संयुक्त ऋण तथा प्राथमिक शेष



स्रोत: रिजर्व बैंक

वाले कर्ज का हिस्सा कुछ चुनिंदा देशों की तुलना में संतोषजनक है (चार्ट 2.17 और 2.18)। निधीयन संरचना में भी कोई अत्यधिक जोखिम दिखाई नहीं दे रही (चार्ट 2.19)।

2.31 तथापि, वर्तमान में कर्ज का जो स्तर है वह पिछले तीन वर्षों से 70 प्रतिशत के ऊपर ही बना हुआ है। यह 1980 और 1990 के दशक के ऐतिहासिक औसत क्रमाः 55 प्रतिशत और 63 प्रतिशत से काफी अधिक है। अत्यधिक कर्ज के कारण व्याज के भुगतान में वृद्धि हो रही है और यह भुगतान कुल कर प्राप्तियों का लगभग एक तिहाई है। कर्ज की मात्रा में कमी होने से कोषीय युक्तिचालन की गुताईश होगी और इससे राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की तिबद्धता के बारे में मजबूत सदेश जाएगा।


2.32 इस वर्ष टेलीकॉम प्राप्तियों और विनिवेश से प्राप्त एकबारगी राशियों से सरकार के राजस्व को सहारा मिला है। इसके आगे, राजकोषीय समेकन के संदर्भ में परिणामों पर फोकस करते हुए राजस्व निर्देशित सुधारों और व्ययों के पुनःप्राधिमिकीकरण के समर्थन से 'समायोजन की गुणवत्ता' पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

### चालू खाता घाटा में वृद्धि और पूंजी प्रवाह में पुनःवृद्धि

2.33 कुछ मात्रा में राजकोषीय समेकन के होते हुए भी, पूंजी प्रवाह में वृद्धि के साथ-साथ चालू खाता घाटे में वृद्धि हो रही है। चक्रीय समक्रमण (साइक्लिकल सिनक्रोनाइजेशन) और अंतर के वियोजन (वेरिएस डिकम्पोजिशन) संबंधी अध्ययनों में हाल की अवधियों में वैश्विक विकास के संचारण में वित्तीय चैनलों की बढ़ती महत्ता पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त पूंजी प्रवाह की अप्रत्याशित वृद्धि की शर्त पर आधारित बैंकिंग संकट की संभावना बिना शर्त की संभावना<sup>8</sup> से अधिक पाई गई। इसलिए पूंजी प्रवाहों में वृद्धि पर और अधिक निगरानी रखते की आवश्यकता है।


2.34 पूंजी प्रवाहों की अवशोषक क्षमता जैसा कि सीएडी की मात्रा में दिखाई देती है, हाल ही के वर्षों में वर्ष 2008-09 में जीडीपी के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में जीडीपी का 2.9 प्रतिशत हो गई है जो वृद्धि में हो रहे सुधार को दर्शाती है (चार्ट 2.20)। विशेषकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले अनिश्चित और असमान वैश्विक

चार्ट 2.17: कुछ चुनिंदा देशों में सरकारी ऋण की औसत परिपक्वता




स्रोत: विभिन्न कोषागार

चार्ट 2.18 अगले तीन वर्ष में परिपक्व होने वाले सरकारी ऋण



स्रोत: बूमर्बंग

चार्ट 2.19 : केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिशूलियों का परिपक्वता प्रोफाइल



स्रोत: रिजर्व बैंक

<sup>8</sup> भारतीय रिजर्व बैंक (2010) ओपी.सीआइटी.

\* रेहर्ट एंड रोगोफ (2010) ओपी.सीआइटी.

सुधारों के कारण भारत से होने वाले नियांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए 2010-11 के दौरान सोएडी/जीडीपी अनुपात में और वृद्धि हो सकती है। देश में आने वाले पूंजी प्रवाह के जोरदार रहने की संभावना है। लगातार बढ़ते जा रहे घाटे के निधीयम में इस अनियमित और अस्थिर पूंजी प्रवाह की मात्रा में होने वाली वृद्धि इस पूंजी के प्रवाह अचानक रुक जाने या उसके विपर्यय के अस्थिरताकारी प्रभाव का जोखिम बढ़ा देती है। बहुत अधिक मात्रा में पूंजी प्रवाह से विनियम दर, ब्याज दर और मुद्रास्फीति बातावरण के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। इनके बारे में चर्चा रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में की गई है।


### अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

2.35 बढ़ते सोएडी के साथ मार्च 2009 के बाद अंतरराष्ट्रीय देयताओं में तीव्र वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भारत पर अनिवासियों के निवल दावों (अंतरराष्ट्रीय आस्थियां - अंतरराष्ट्रीय देयताएं) अथवा निवल अंतरराष्ट्रीयनिवेश स्थिति में वृद्धि हुई है। ये दावे जून 2010 में यूएस डॉलर 185.1 बिलियन थे, जो जून 2008 (यूएस डॉलर 58.6 बिलियन) से तीन गुना और जून 2009 (यूएस डॉलर 86.3 बिलियन) से दो गुना अधिक है। एफडीआई, पोर्टफोलियो निवेश और ऋणों में हुई वृद्धि ने अंतरराष्ट्रीय देयताओं की वृद्धि में योगदान दिया है(चार्ट 2.21)। बाहरी देयताओं का बढ़ा हुआ एक्सपोजर बाह्य कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात में हुई तीव्र वृद्धि में परिलक्षित होता है, जो 2008-09 में जीडीपी के 89.1 प्रतिशत से बढ़कर जून 2010 के अंत में 99.1 प्रतिशत हो गया। हालांकि अल्पावधि कर्ज और आरक्षित निधियों का अनुपात इसी अवधि के दौरान 17.2 प्रतिशत से बढ़कर 21.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.22)। ऊपर बताई गई प्रवृत्तियां भारत की बाह्य देयताओं की स्थिति के संबंध में उभरती चिंताओं की ओर इंगित करती हैं जिनकी कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

### स्थावर संपदा- कुछ चिंताएं उभरी


2.36 आवास के मूल्य बैंकिंग संकट<sup>10</sup> के एक सर्वाधिक विश्वसनीय संकेतक के रूप में उभरे हैं। स्थावर संपदा की संभावनाओं के बारे में टिप्पणी करते हुए नवीनतम डब्ल्यूआईओ (अक्टूबर 2010) में कहा गया है कि जिन अर्थव्यवस्थाओं में स्थावर संपदा बाजार में मंदी जारी है उनमें वास्तविक क्षेत्र के कामकाज का पीछे रहना जारी रहेगा। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आवास की कीमतों और आवासीय निवेश में वृद्धि हो रही है उनमें बुलबुले के संबंध में नीतिगत कार्रवाइयों की आवश्यकता है जिनके कारण आवासीय क्षेत्र से शुरू होने वाली आर्थिक गतिविधियों की अल्पावधि वृद्धि में कमी आएगी।

चार्ट 2.20 पूंजीगत प्रवाहों के संघटन




एफडीआई: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफपीआई-एफआईआई: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी सम्पादित निवेशों को द्वारा ईसीबी (एमटी व एलटी): दोषावधि तथा मध्यावधि बाह्य वाणिज्यिक आर एसटी: अल्पावधि कर्ज एक्सपोजर बाह्य कर्ज और आरक्षित निवेशों को प्रायम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश वैंकिंग पूंजी: दोषावधि तथा मध्यावधि बाह्य वाणिज्यिक आर चोत: रिजर्व बैंक

चार्ट 2.21: अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति



स : सशोधित आस : आशिक रूप से सशोधित अ : अनंतिम निवल आईआईआई : निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति चोत: रिजर्व बैंक

चार्ट 2.22: बाह्य देयताएं बढ़ रही हैं



चोत: रिजर्व बैंक

<sup>10</sup> रेहर्ट एंड रोगफ (2010) ऑसी.सीआइटी

2.37 भारत में आवास की कीमतों के आंकड़ों से पता चला है कि कुछ केंद्रों में कीमतें संकट-पूर्व स्तर से भी काफी बढ़ गई हैं। आवास क्षेत्र से संबंधित ऋण में हुई बढ़ोत्तरी की स्थिति मजबूत रही, क्योंकि बैंक प्रत्याशित रूप से आवास ऋण लेने वाले उद्याकर्ताओं को लुभावनी योजनाएं पेश कर रहे थे (चार्ट 2.23)।

### रियल एस्टेट में एनपीए की मात्रा बढ़ती रही

2.38 रियल एस्टेट को दिए गए ऋण के हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ, किंतु रियल एस्टेट क्षेत्र में एनपीए की मात्रा में काफी बढ़ोत्तरी हुई, जिस पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी महसूस किया गया (चार्ट 2.24)। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र के विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त बनाने के कई उपाय घोषित किए, जिन पर इस रिपोर्ट के अध्याय-IV में चर्चा की गई है।

### कार्पोरेट क्षेत्र

#### कार्पोरेट ब्याज देयता मामूली रहा

2.39 निम्न ब्याज वाले परिवेश और संवृद्धि दर में आई कमी के परिणामस्वरूप उधार की मात्रा में कमी आई, जो कि ब्याज के भुगतान संबंधी कार्पोरेट क्षेत्र के बोझ में आई तेज गिरावट से मालूम पड़ता है (चार्ट 2.25)। चालू वर्ष की पहली छमाही में ब्याज के भुगतान की मात्रा में धीमी गति से बढ़ोत्तरी हुई है। ब्याज कवरेज अनुपात लगातार 5 के आसपास रहा।

2.40 लेहमन संकट के बाद हुई छोटी गिरावट को छोड़ दिया जाए तो कार्पोरेट क्षेत्र ने अपनी लाभप्रदता को बनाए रखा है, अर्थात् उधार ली गई निधि की चुकौती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

#### रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण में संभावना में सुधार दर्शाया गया


2.41 रिजर्व बैंक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में जुलाई-सितंबर 2010 तिमाही के आकलन में और अक्टूबर-दिसंबर 2010 की प्रत्याशा में कठोरी सुधार दर्शाया गया है (चार्ट 2.26)। मांग और नियोजन दोनों स्थितियों में प्रगति का रुख दर्ज किया गया है।

### घरेलू क्षेत्र

#### उधार का स्तर कम बना रहा


2.42 पहली एफएसआर में बताए अनुसार, घरेलू क्षेत्र की बैंक क्रेडिट पर निर्भरता का स्तर काफी कम रहा। यही प्रवृत्ति 2010-11 की पहली छमाही में बनी रही (चार्ट 2.27)।

चार्ट 2.23: आवास की कीमतें और ऋण



स्रोत: एनएचबी, रिजर्व बैंक


चार्ट 2.24: रियल एस्टेट क्षेत्र में बैंक आस्तियों की गुणवत्ता



नोट: आरई- रियल एस्टेट एक्सपोजर


स्रोत: एनएचबी, रिजर्व बैंक

चार्ट 2.25: ब्याज का भुगतान, लाभ और कर




स्रोत: रिजर्व बैंक

चार्ट 2.26 : औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण



स्रोत: रिजर्व बैंक

चार्ट 2.27: घरेलू खपत और उधार




स्रोत: सीएसओ, रिजर्व बैंक

2.43 जैसा कि पहले बताया गया है, कुछ केंद्रों और आवास क्षेत्र के किंतु पर्याप्त खंडों में कीमतों में हुई तेज बढ़ोत्तरी की वजह से आवास क्षेत्र की गतिविधियां चिंता का विषय बन गई है। आवास ऋणों में चूक की मात्रा में काफी बढ़ोत्तरी हुई, हालांकि सकल एनपीए अनुपात 2.5 प्रतिशत के आसपास कम बना रहा। इस रिपोर्ट के अध्याय-IV में की गई चर्चा के अनुसार, यह अधिकतर संकट से पहले आक्रामक ढंग से ऋण दिए जाने की अवधि में प्रतिकूल ऋण चयन का परिणाम है (चार्ट 2.28)। किंतु समग्र रूप में बैंकों के खुदरा ऋण पोर्टफॉलियो की गुणवत्ता में कुछ सुधार आया है, जो कि निम्नतर खुदरा एनपीए से स्पष्ट होता है (चार्ट 2.29)। इससे जाहिर है कि घरेलू क्षेत्र की स्थिति में सुधार होने की संभावना है, हालांकि खुदरा एनपीए का स्तर काफी ऊंचा बना हुआ है। आशा की जाती है कि सुदृढ़ अर्थिक संवृद्धि से इस स्थिति में सुधार आ जाएगी।

### निष्कर्षात्मक टिप्पणी


2.44 हालांकि अर्थव्यवस्था संवृद्धि के उच्चतर पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है, किंतु वैश्विक और देशी स्तर पर कुछ अधोमुखी जोखिम बने हुए हैं। पहला, अनिश्चित और असंतुलित वैश्विक सुधार, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, से भारत के नियांतों पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, वैश्विक असंतुलन बरकरार है। इसे पुनः संतुलित करने हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं, परंतु इस दिशा में मंथर गति से प्रगति हो रही है। तीसरा, धीमी गति से होने वाली रिकवरी, पुनः संतुलन और प्रतिस्पर्धी मुद्रागत समायोजनों से विश्व व्यापार में रिकवरी लंबे समय तक बने रहने की संभावना है। चौथा, पूँजी प्रवाहों में संभाव्य उछाल होने से कुछ उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आस्ति की कीमतों में अत्यधिक तेजी की आशंका

चार्ट 2.28: आवास क्षेत्र को दिए गए ऋण की गुणवत्ता



स्रोत: रिजर्व बैंक

चार्ट 2.29: खुदरा आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार



स्रोत: रिजर्व बैंक

बढ़ जाती है। पांचवां, अत्यधिक चलनिधि की वजह से कच्चे तेल और पण्यवस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं, जिनसे मुद्रास्फीतिजन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। छठां, चालू खाता धाटे के बढ़ने और इस धाटे के वित्तपोषण में अस्थिर पूँजी प्रवाहों के हिस्सों में बढ़ोत्तरी के संबंध में सुधारात्मक उपाय करना जरूरी है। सातवां,

नीतिनिर्माताओं को उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश में वृद्धि करने और राष्ट्रीय (सॉवरिन) रेटिंग एवं आत्मविश्वास के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से सरकारी कर्ज की मात्रा को कम करना आवश्यक है। आठवां, कुछ केंद्रों में आवास की कीमतों में होने वाली बढ़ोत्तरी और कतिपय प्रथाओं पर कड़ी नज़र रखना जरूरी है।

## अध्याय III

### वित्तीय बाजार

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय प्रणाली की लगातार दुर्बलता, कमजोर आर्थिक वृद्धि संभावना तथा वित्तीय दबावों के निरंतर बढ़ने के कारण एक ऐसा वातावरण बन गया है जो वित्तीय स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं है। वर्तमान नीतिगत समर्थन, जो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी, से भी ऐसे जोखिमों का सामना करने में मदद नहीं मिली है। निधिकरण के जोखिम बढ़ कर भारत पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, विशेषकर वित्तीय माध्यम के और अधिक महत्वपूर्ण हो जाने के कारण। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्तमान द्विमार्गीय समुत्थान और साथ-साथ मौद्रिक नीति की भिन्न-भिन्न कार्रवाइयों के चलते उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। यदि प्रवाहों की वर्तमान दर बनी रहती है तो भारतीय वित्तीय बाजारों में ऐसेट बबल होने की संभावना बन जाती है। यही नहीं, मजबूत आर्थिक समुत्थान, विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाह तथा कारोबार और उपभोक्ता के विश्वास के वर्तमान स्तर के कारण आत्मसंतोष हो सकता है। इसलिए, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी होगी क्योंकि उनके कारण जोखिम बढ़ सकते हैं।


**3.1** मार्च 2010 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बाद सर्वाधिक उल्लेखनीय गतिविधि है - कई यूरोपीय देशों में राजकोषीय स्थिति की निरंतरता बने रहने को लेकर चिंता के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में बाधाएं। सरकारी बांड बाजारों में महसूस किया गया दबाव मई 2010 में तेजी से बांड निधिकरण बाजारों में फैल गया जिसके कारण निवेशक जोखिम उठाने के प्रति उदासीन हो गए। कुछ संरचनात्मक तथा मौसमी कारणों से चलनिधि की कमी को छोड़ दें, तो देशी वित्तीय बाजार सुव्यवस्थित थे।

#### वैश्विक वित्तीय बाजार

**3.2** आयरलैंड की विशाल बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि तथा अर्थक्षमता को लेकर चिंता फिर से बढ़ गई है, जिसके कारण उसके सरकारी ऋण के बारे में भी चिंता है। आयरलैंड के संकट के कारण मौद्रिक संघ के भविष्य के बारे में सवाल उठने लगे हैं। पहले के वर्षों में यूरो लागू करने से पहले, विनियम दर में मूल्यहास से (जो देश का जोखिम दिखलाती थी) समायोजन प्रक्रिया को सहज किया जा सकता था।

**3.3** इसके विपरीत आइसलैंड ने जिसकी कठिनाइयां बहुत बड़े बैंकिंग क्षेत्र के कारण आयरलैंड जैसी ही थीं, लेकिन मुद्रा स्वतंत्र थी, अपना ऋण चुकाने में चूक की और कुछ हानि को उधारदाताओं को सहन करना पड़ा। लिखने के समय, आइसलैंड के सरकारी सीडीएस आयरलैंड से कम दर पर ट्रेड किए जा रहे थे (चार्ट 3.1)। आइसलैंड ज्यादा मंदी से बच निकला हो, लेकिन इस चूक के कारण उसकी दीर्घावधि संभावना को क्षति पहुंची होगी।

चार्ट 3.1: सरकारी सीडीएस मूल्य



स्रोत: ब्लूमबर्ग

## निभावात्मक मौद्रिक नीति जारी है

3.4 . नीतिगत दरों को लगभग शून्य स्तर तक कम कर देने के बाद, फेड रिजर्व ने अपने अगले नीतिगत साधन के रूप में अपने तुलनपत्र का आकार बढ़ा दिया। जापानी खजाना प्रतिभूतियों सहित विभिन्न आस्तियों का क्रय करने के लिए जेपीवाय 5 ट्रिलियन (लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर) की निधि स्थापित करके जापान ने भी मात्रात्मक सहजता (QE) प्रारंभ कर दी। यूरोप में, इसीबी ने एक प्रतिभूति बाजार कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें वह प्रभावी रूप से यूरोपीय सरकारी बांडों का अंतिम क्रेता बन गया जिनका बाजार निष्क्रिय हो गया था और अपनी कोलेटरल नीति में साख-निर्धारण को शिफ्ट कर दिया। यूरोप (विशेषकर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित देशों में) बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति तथा कुछ दक्षिणी यूरोपीय सरकारों तथा आयरलैंड के संबंध में चिंता बनी हुई है।


## प्रणालीगत लीवरेज बढ़ रही है

3.5 कपनी बांड जारी करने वाले रिकार्ड निम्न स्तर पर अत्यावधि तथा दोषावधि धन जुटाने में सफल रहे जो उनके स्टाक पर मिलनेवाले डिविडेंड प्रतिफल जैसे ही हैं और इस प्रकार उच्चतर लीवरेज को प्रोत्साहन मिला। लीवरेजयुक्त ऋणों<sup>1</sup> की बिक्री अपने तीन वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं जिससे कंपनियां अपनी उधार लागत कम कर सकी हैं क्योंकि जंक बांड की तुलना में योल्ड कई महीनों के बाद सबसे कम हो गए।

## एसेट बबल फिर हो सकता है


3.6 संकट के बाद से निम्नतर बाजार उथल-पुथल के साथ-साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निम्न तथा अनुकूल ब्याज दरों ने विभिन्न बाजारों में ऐसेट बबल हो जाने की आशंका उत्पन्न कर दी है (चार्ट 3.2 तथा 3.3)। निम्न प्रतिफल का परिवेश निवेशकों को 'काउडेड ट्रैड्स' जैसी उभरती बाजार आस्तियों में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैंक आफ जापान के मत में “ऐसी सहज मौद्रिक परिस्थितियों के कारण एक और ऐसेट बबल हो सकता है” (गवर्नर मसाको शिराकावा 2010)।

चार्ट 3.2: अमेरिका<sup>2</sup> में सूचीबद्ध विभिन्न आस्तियों में ईटीएफ<sup>3</sup> के मूल्य



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 3.3: अमेरिका में सूचीबद्ध विभिन्न आस्तियों में ईटीएफ के मूल्य (अमरीकी डालर)<sup>4</sup>



स्रोत: ब्लूमबर्ग

<sup>1</sup> ऐसी कंपनी को उपलब्ध कराया गया ऋण जिसके तुलन पत्र में पहले ही से बड़ा ऋण है और इसलिए चूक होने का ज्यादा जोखिम है। ऐसे ऋण किसी मिडीकेट के माध्यम से उन को दिए जाते हैं जिनकी श्रिति में सुधार होने की आशा है। ऐसे ऋणों का उपयोग फर्मों के LBO में किया जाता है।

<sup>2</sup> ईटीएफ, जो अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, का उपयोग विभिन्न आस्ति श्रेणियों में घट-बढ़ मापने के लिए किया जाता है।

<sup>3</sup> विभिन्न श्रेणियों के लिए यूएस स्टाक ऐस्ट्रेंजों में सूचीबद्ध बार्कलेज ईटीएफ (शेयर) उनकी घट-बढ़ मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। टीएलटी है - 1 शेयर बार्कलेज 20+ बांड फंड तथा ऐप्पोमेस इंडेक्स को मापता है। इसके 20 वर्ष से अधिक के खजाना बांड होते हैं। HYG है - 1 शेयर 1 BOXX\$ उच्च योल्ड कारपोरेट बांड फंड। इसी प्रकार LQD तथा IALU फंड्स हैं। शेयर 1 BOXX\$ निवेश कारपोरेट बांड फंड तथा 1 शेयर गोल्ड ट्रस्ट।

<sup>4</sup> EEM बार्कलेज; 1 शेयर MSCI ऐमरिन्ग मार्केट इंडेक्स फंड तथा ईक्विटी का MSCI ट्रिएमर्जिंग मार्केट इंडेक्स मापता है। BFK है - ईक्विटी के लिए MSCI BFK फंड। GSG है 1 share एस एण्ड की GSCI कमोडिटी इंडेक्स ट्रस्ट।

## निभाव के नैतिक जोखियां

3.7 उपर्युक्त गतिविधियां, जब मौद्रिक नीति सामान्य हो जाएगी, तो अव्यवस्था लानेवाले प्रभावों सहित बढ़ी प्रणालीगत लीवरेज की आशंका उत्पन्न करती है। मात्रात्मक सहजता सहित अवस्फीति का सामना करने के संबंध में जापानी अनुभव दिखलाता है कि कम ब्याज दर के परिवेश में निभाव की लागत कम होने के कारण, बैंक उधारग्राहियों की निहित ऋण कमजोरियों की निगरानी पर अधिक ध्यान नहीं देते और ऋण अधिक उदारता से दिए/पुनर्निधारित किए जाते हैं। वर्तमान निम्न ब्याज दरों के आधार पर ऋण चुकाने की अतिआशावान धारणा पर नए ऋण भी दिए जा सकते हैं। ऐसी कारवाइयां बैंकों के ऋण की गुणवत्ता तथा उनके तुलनपत्रों पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। इन सभी के कारण बढ़ी प्रणालीगत लीवरेज की आशंका उत्पन्न हो जाती है।

3.8 निम्न उधार दरों की बहुत लंबी अवधि (चार्ट 3.4 तथा 3.5) वित्तीय प्रणाली के लिए काफी जोखिमपूर्ण है, विशेषकर यदि बैंकों सहित निजी सहभागियों द्वारा आर्थिक निर्णय इस आधार पर लिए जाएं कि निभावात्मक नीति रूज्जान अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। वे नैमी आधार पर केंद्रीय बैंक की सुविधाओं पर आश्रित हो सकते हैं जिससे नीतिगत समर्थन पर निर्भरता बढ़ जाएगी।


## मुद्रा मूल्यन को लेकर चिंता

3.9 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर अमेरिका में, सहज मौद्रिक नीति अपनाए जाने के कारण, अमेरिकी डालर कमजोर हो गया है (चार्ट 3.6)। अमेरिकी डालर की तुलना में अपनी मुद्रा के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाने के कारण सितंबर 2010 के मध्य में जापान ने हस्तक्षेप किया। कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने भी विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। निभावात्मक नीतियों के जारी रहने से मुद्रा मूल्यनों के संबंध में चिंता हो सकती है, विशेषकर अमेरिका के साथ विशाल चालू खाता शेष रखने वाले देशों के बीच।

## देशी वित्तीय बाजार


3.10 मार्च 2010 से देशी वित्तीय बाजारों ने सुव्यवस्थित ढंग से कार्य किया हालांकि अंतर-बैंक चलनिधि में कुछ दबाव जारी रहे। उच्चतर प्रतिफल सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना से भारतीय वित्तीय बाजारों में पूंजी प्रवाह बढ़े हैं। हालांकि ऐसे प्रवाह चालू खाता घाटे के निधिकरण में मदद करते हैं, लेकिन विशाल तथा अनियमित प्रवाह वित्तीय बाजारों के मूल्यन में विसंगति उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसेट बबल बढ़ा सकते हैं।

चार्ट 3.4: यूएस अमेरिकी डालर मुद्रा बाजार दरों (3-माह तथा एक दिवसीय)




स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 3.5: यूरो मुद्रा बाजार दरों (3-माह तथा एकदिवसीय)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 3.6: विकसित (डीएक्सवाई) तथा एशियाई मुद्राओं (एडीएक्सवाई) की तुलना में यूएस डालर का मूल्य



स्रोत: ब्लूमबर्ग

3.11 अत्यधिक पूंजी प्रवाह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख जोखिम बना हुआ है। कई उभरती चलनिधि की तरह, विशेषकर एशिया में, अन्य उनत देशों की तुलना में भारत वित्तीय संकट के कारण हुई मंदी से बहुत तेजी से उभर गया है। भारत में उल्लेखनीय नीतिगत कठोरता के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ब्याज दर अंतर अधिक हो गए हैं (चार्ट 3.7)। जोखिम के प्रति निम्न अरुचि के परिवेश में स्वाभाविक ही है कि हाल ही के महीनों में ब्याज दर अंतरों में वृद्धि के साथ-साथ देश में पूंजीगत प्रवाहों में वृद्धि हुई है (चार्ट 3.8)।

3.12 विशाल पूंजीगत प्रवाह असंतुलन बनाते हैं विशेषकर अत्यावधि में जब, विशाल और गहन पूंजी बाजारों में, ऐजार्षन क्षमता<sup>5</sup> में वृद्धिशीलता प्रवाहों की गति के साथ नहीं चल सकती।


### प्रत्यक्ष गैर-विदेशी निवेश प्रवाहों पर अधिक निर्भरता

3.13 भारत में पूंजीगत प्रवाहों के संबंध में एक चिंताजनक बात है -कुछ अधिक स्थायी निवेश प्रवाहों की तुलना में संविभाग प्रवाहों का बाहुल्य। पिछले वर्ष सभी पूंजीगत प्रवाहों में विदेशी संविभाग पूंजीगत प्रवाह (कुल) आधे से अधिक थे। ऐसी पूंजी सामान्यतया अनिश्चित होती है और इस का सावधानी से प्रबंधन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अपनी प्रकृति के कारण ही, ऐसे प्रवाह REER को बढ़ा देते हैं (इसका प्रभाव व्यापार संतुलन पर भी पड़ सकता है) जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों ने कुछ क्षेत्रों में वस्तुतः REER को कम कर दिया है<sup>6</sup>।


### वित्तीय चैनल की प्रमुखता से संक्रमण के जोखिम बढ़े

3.14 आघातों के चार चैनल हैं अर्थात् व्यापार, वित्त, पण्य मूल्य तथा प्रत्याशाएं। भारत में, प्रवृत्तियों का विश्लेषण दिखलाता है कि हाल ही की अवधि में वित्तीय चैनल कुछ अधिक प्रखर था, जो बढ़ते वित्तीय प्रवाहों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक समन्वयन की मजबूती को दिखलाता है। वैक्टर आटोरिग्रेसिव माडल का प्रयोग करते हुए 1996 से 2009 तक वित्तीय परिवर्तनशील तत्वों अर्थात् बैंक ऋण, पूंजीगत प्रवाहों, मांग दर तथा सैंसेक्स का अंशदान जीडीपी परिवर्तन में 50 प्रतिशत से अधिक था। वित्तीय चैनल का प्रभाव पूंजीगत प्रवाहों के कारण प्रखर था। (रिजर्व बैंक, जुलाई 2010)

चार्ट 3.7: 15 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में 3 माह जमा दरों पर वार्षिक प्रतिफल



चार्ट 3.8: पिछले 4 वर्ष में यूएस तथा भारतीय सरकारी बांडों के बीच 10 वर्षीय प्रतिफल को तुलना में पासिक निवल एफआरआर ऋण प्रवाह



<sup>5</sup> सामान्यतया किसी देश के चालू खाता धारों में उसकी एक्सार्पेशन क्षमता होती है।

<sup>6</sup> दाम्पाना बकरबीवा, सामी बेन नसूर, तथा बरसीम कुमार। दि इपैक्ट आफ कैफिल एण्ड फारेन एक्स्ट्रेज फ्लोज आन दि कम्पीटिटिवैस आफ डैवलपिंग कंट्रीज आईएफएफ जुलाई 2010.

3.15 यह बढ़ती सामंजस्यता देशी बाजारों पर आकस्मिक परिवर्तनों के बाधाकारी प्रभाव का जोखिम बढ़ा देती है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीगत प्रवाहों के संबंध में आईएमएफ के इकोनोमीट्रिक परीक्षण दिखलाते हैं कि ऐसे प्रवाह (चार्ट 3.9 तथा 3.10) “निरंतर” रहते हैं और उनमें कई महीनों में “आटो कोरिलेशन की उच्च डिग्री” होती है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी निधियों का प्रवाह बहुधा सकारात्मक होता है जिसमें किसी फंड द्वारा निवेश प्रारंभ करने के बाद वही फंड और अधिक निवेश करता है और दूसरे फंड भी ऐसा ही करते हैं।


3.16 ऐसे प्रवाह वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुव्यवस्थित परिस्थितियों में अधिक होते हैं, जबकि VIX सूचकांक के (इसे “फीअर गेज” भी कहते हैं) अनुसार जोखिम के प्रति अरुचि में कोई भी वृद्धि प्रवाहों में कमी कर सकती है या उसे उलट भी सकती है (चार्ट 3.11)। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वैश्विक बाजारों में दबाव फिर से दिखलाई पड़ रहे हैं और कुछ ज्यादा उथल-पुथल तथा जोखिम के प्रति अरुचि से इनकार नहीं किया जा सकता।

3.17 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आघातों के संचरण में सहायक संस्थाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की उपस्थिति से वृद्धि होती है। हालांकि इन बैंकों की उपस्थिति से अधिक कुशलता, चलनिधि प्रावधान, जोखिम बांटने तथा समग्र बेहतर वृद्धि के अवसरों के रूप में लाभ होते हैं लेकिन इससे वैश्विक आघातों को देशी अर्थव्यवस्था में पहुंचने में भी आसानी होती है, उदाहरण के लिए क्रास-बार्डर उधार में उथल-पुथल के द्वारा। “उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देशी बैंक इस संचरण तथा उससे जुड़े उधार में वृद्धि के कम होने से अछूते नहीं रह सकते। स्रोत देशों के ex ante तुलन पत्र ex post परिणामों के लिए महत्वपूर्ण हैं”<sup>7</sup>।


### पूंजीगत प्रवाहों के प्रति दृष्टिकोण

3.18 अत्यधिक पूंजीगत प्रवाहों का प्रबंधन करना कोई आसान काम नहीं है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए असंभव त्रिमूर्ति का सामान्य धर्मसंकट बना हुआ है। इस बात पर सहमति बन रही है कि अत्यधिक पूंजी प्रवाहों का प्रबंधन करने के लिए मौद्रिक नीति की तुलना में स्थूल आर्थिक साधन बेहतर हैं। भारतीय संदर्भ में, ऐसे प्रवाहों का प्रबंधन करने के लिए मूल्य, अंतिम-प्रयोग संबंधी प्रतिबंधों तथा मात्रा पर आधारित उपायों का मिश्रण निर्धारित किया गया है।


चार्ट 3.9: 2010 में विकासशील बाजार (ईएम) प्रतिबद्ध क्षेत्रीय इन्विटी निधि (साप्ताहिक, बिलियन अमेरिकी डालर)



चार्ट 3.10: संचयी ईएम नियत पूंजीगत प्रवाह



चार्ट 3.11 पिछले 4 वर्ष में VIX सूचकांक की तुलना में मासिक निवल एफआईआई प्रवाह (मिलियन अम. डॉलर)



<sup>7</sup> ग्लोबल बैंक तथा इन्टरनेशनल शॉक ट्रांस्फरेशन: ऐविडैन्स फ्राम द क्रासिस, निकोला केटोरेलि, लिंडा एस. गोट्डबर्ग, केडरल रिजर्स बैंक आफ न्य यार्क, मई 2010.

सिद्धांत रूप में, पूंजी खाता प्रबंधन के लिए हम पूंजी नियंत्रण प्रवाहों पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन ऐसे नियंत्रणों से बचा जा सकता है। पूंजी खाता प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक की नीति ऐसी संभावनाओं से वाकिफ़ है।

## विदेशी मुद्रा बाजारः बढ़ता समन्वयन

3.19 बाजार में विनियम दर का कोई स्तर निर्धारित करने के बजाय बाजार में सुव्यवस्थित परिस्थितियां बनाए रखने की नीति के अनुरूप ही विनियम दर में दुतरफा हलचल दिखाई दी। रिजर्व बैंक की विनियम दर की नीति का उद्देश्य है कि यदि पूँजीगत प्रवाह ‘बदलते आर्थिक बुनियादी तत्त्वों’ के कारण हो रहे हैं तो विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसका विनियम दर हस्तक्षेप अनिश्चित तथा उथल-पुथल वाले प्रवाहों पर नियंत्रण रखने तक सीमित है (गवर्नर डी. सुब्रामाण, समीक्षाधीन अवधि में रुपया अमेरिकी डालर की तुलना में रु.44 से रु.47 के बीच रहा अक्तूबर 2010)।


## उथल-पुथल अंतरराष्ट्रीय स्तरों के समान

3.20 बाजारों के बीच बढ़े हुए पारस्परिक संबंध तथा वैश्विक असंतुलनों के देशी बाजारों में तीव्रतर और सहज ‘‘पास थू’’ से उथल-पुथल बढ़ी है।, विशेषकर देशी ईकिवटी तथा मुद्रा बाजारों में। भारतीय विदेशी मुद्रा बाजारों में भावना बहुधा अमेरिकी डालर की मजबूती या कमजोरी, सामान्य जोखिम-रुचि या अरुचि तथा ईकिवटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा क्रय या विक्रय से जुड़ी रहती है। (चार्ट 3.12)। परिणामस्वरूप, देशी विदेशी मुद्रा बाजारों में उथल-पुथल उन्नत देशों से जुड़ने लगी है (चार्ट 3.13)। इससे वास्तविक क्षेत्र के लिए उच्चतर हैजिंग लागत का जोखिम हो जाता है।


मुद्रा वायदा बाजार में प्रवृत्तियाँ

3.21 सितंबर 2010 में यूनाइटेड एक्सचेज आफ इंडिया (USEI) के प्रारंभ होने से, भारत में मुद्रा फ्यूचर्स का तीन ऐक्सचेजों में व्यापार होता है। वैश्विक प्रवृत्तियों के विपरीत, मुद्रा फ्यूचर्स में टर्नओवर ओटीसी विदेशी मुद्रा फार्कर्ड तथा स्वैप बाजारों से तुलनीय है। मुद्रा फ्यूचर्स में व्यापारिक मात्रा, विशेषकर USEI के प्रारंभ होने से काफी बढ़ गई है लेकिन इसके साथ ओपन इन्ट्रस्ट में वृद्धि नहीं हुई है जो स्टोरियेपन की डे ट्रेडिंग की बहुलता दिखलाता है (चार्ट 3.14)। यदि ऐसी स्टोरेपन की प्रवृत्ति प्रचलित है, तो संभव है कि ऐसा निम्न लेनदेन

चार्ट 3.12: तिमाही एफआईआई प्रवाह तथा सैंसेक्स



चार्ट 3.13: यएस डॉलर आर्डेनआर तथा द्वयआर/यएस डॉलर में निहित 3 माह परिवर्तन



लागत (क्योंकि ऐक्सचेंज लेनदेन शुल्क नहीं लगा रहे) और प्रतिभूति लेनदेन करने के कारण हो रहा है। साथ ही, मुद्रा पर्यावर्त्त में कठोर अंतर दिखलाते हैं कि चलनिधि उच्चतर स्तर पर है। हालांकि यह प्रेरणात्मक है, लेकिन बाजार में दबाव के समय बाजार चलनिधि के लिए 'सटोरियों' पर अत्यधिक निर्भरता विषट्नकारी हो सकती है।

## विशाल आफशोर रुपया बाजार

3.22 हाल ही के अनुमानों के अनुसार<sup>8</sup> आफशोर मुद्रा बाजारों का हिस्सा बढ़ा है और बढ़ रहा है - विदेशी मुद्रा फार्वर्ड नान-डिलीवरेबल फार्वर्ड<sup>9</sup> (एनएफडी) तथा स्वैप के कुल दैनिक टर्नओवर का 52 प्रतिशत तथा ब्याज दर स्वैप, फार्वर्ड दर करारों तथा ब्याज दर आप्शनों (हालांकि आफ शोर बाजार के आकार को कम बताया गया है) के लिए 34 प्रतिशत। एक विशाल आफशोर बाजार के होने से मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता दोनों के लिए ही प्रणालीगत चिंता होती है क्योंकि आफशोर तथा आनशोर बाजार साइलोस में काम नहीं करते।


3.23 आनशोर तथा आफशोर बाजार के बीच अंतरसंबंधों का पता लगाने के लिए एक आंतरिक अध्ययन के अनुसार एनडीएफ प्रीमिया ग्रेगर में परिवर्तन आनशोर फार्वर्ड प्रीमिया में परिवर्तन ला देते हैं। बदले में, आनशोर स्पाट रेट गेंगर में परिवर्तन एनडीएफ प्रीमिया में परिवर्तन ला देते हैं। इस प्रकार की सम्बद्धता आनशोर तथा आफशोर बाजारों में व्यापक सांमजस्य लाती है जो बाह्य आघातों के पास-थू को आसान बना देती है (चार्ट 3.15)।

3.24 भारतीय संदर्भ में, ऐसा माना जाता है कि एनडीएफ बाजारों में प्रमुख सहभागी हैज फंड और बहुराष्ट्रीय फर्में हैं (देशी तथा विदेशी दोनों ही)। ऐसे सहभागी देशी तत्वों के बजाय अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से ज्यादा नियंत्रित होते हैं। एनडीएफ बाजारों से उत्पन्न जोखिमों के अलावा ऐसे बाजारों में मृच्ना तथा प्रवाह एक विश्वसनीय तथा पारदर्शी तरीके में उपलब्ध नहीं होते। इस अपारदर्शिता के कारण केन्द्रीय बैंक तुलन-पत्र समायोजन तथा बाजार के सहभागियों का विशाल एकतरफा बोलियों के अव्यवस्थित प्रभाव का सामना करने के लिए समय पर चेतावनी प्रक्रिया नहीं बना पाता।

<sup>8</sup> बीआईएस ट्रेनिंग बैंक सर्वे आफ 2010


<sup>9</sup> नान-डिलीवरेबल फार्वर्ड ऐसी फार्वर्ड सविदा है जिसमें प्रतिपक्ष संविदागत NDF मूल्य तथा नकदी में स्पाट मूल्य के बीच के अंतर का निपटान करने के लिए सहमत होते हैं। ऐसे लेनदेन आफशोर स्थान पर किए जाते हैं ताकि किसी चालू या पूंजी खाता लेनदेन को मना करने वाले विनियमों से बचा जा सके या वे आफशोर स्थान पर सुविधाजनक होते हैं। भारत में, चालू खाता लेनदेन उदार हैं और आफशोर मुक्त रूप से किए जा सकते हैं जबकि कुछ पूंजी खाता लेनदेनों पर प्रतिबंध हैं।

चार्ट 3.14: 2010 में यूप्रेसडी-आईएनआर फ्लूचर्स के लिए तीनों ऐक्सचेंजों में परिवर्तन (₹ करोड़) तथा आपन इन्टरस्ट (000 में) की प्रवृत्ति



स्रोत: एनएसई, एएसएक्स - एसएक्स, यूप्रेसडीआई

चार्ट 3.15: 1 वर्षीय तथा 5 वर्षीय परिपक्वता में आफशोर तथा आनशोर ओआईएस दरों में अंतर



स्रोत: ब्रूमर्ग

## भारतीय मुद्रा बाजार: कुछ कमजोरियों के बावजूद गतिशील है

3.25 नीतिगत दरों में वृद्धि होने तथा चलनिधि में कमी से मुद्रा बाजार दरें बढ़ गई। दिसंबर 2010 के मध्य में मांग मुद्रा दरें लगभग 3.5 प्रतिशत के स्तर से बढ़ कर 7 प्रतिशत हो गई। रिजर्व बैंक द्वारा दरों में वृद्धि से वांछित स्तर की तुलना में सीपी तथा सीडी दरें बहुत अधिक बढ़ गई। 2010 मार्च के मध्य में लगभग 4 से 5 प्रतिशत से बढ़ कर 3 माह की सीडी/सीपी दरें<sup>9</sup> प्रतिशत हो गई। (चार्ट 3.16)


### चलनिधि की कमी पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी

3.26 प्रारंभ में 3 जी स्पैक्ट्रम तथा ब्राडबैंड वायरलैस ऐक्सेस के विशाल भुगतान के कारण चलनिधि पर कुछ दबाव दिखलाई पड़ा। मुद्रा बाजार की कठोर परिस्थितियों में प्रवृत्ति से काफी अधिक मुद्रा विस्तार तथा बैंक जमाराशियों में मंद वृद्धि 2010-11 में ऋण वृद्धि हुई। हाल ही के सप्ताहों में, सरकारी शेषों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, चलनिधि में कमी रिजर्व बैंक के ‘‘कम्फर्ट लैवल’’ से अधिक सख्त हो गई (चार्ट 3.17)।


3.27 इन दबावों को नीतिगत उपायों तथा सक्रिय चलनिधि प्रबंधन से रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य प्राथमिक चलनिधि तथा चलनिधि की कमी को सहज करना है तथा एक दिवसीय अंतरबैंक दरों को स्थिर करना है। इस संबंध में अद्यतन उपायों में SLR में एक प्रतिशत की कमी करके उसे 24 प्रतिशत करना और नीलामियों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद करके OMO परिचालन करना शामिल है। 16 दिसंबर, 2010 को तिमाही मध्य पौद्रिक नीति की समीक्षा में घोषित उपाय निरंतर आधार पर ₹.48,000/- करोड़ की चलनिधि बढ़ा सकते हैं।

3.28 लगातार तथा अत्यधिक घाटे निधियों की उपलब्धता तथा लागत दोनों के संबंध में एक अनिश्चितता ला देते हैं जिससे बैंकिंग प्रणाली के लिए अपनी देयताओं/आस्तियों का मूल्यन करना या ऋण डिलीवरी को बनाए रखना कठिन हो जाता है। अद्यतन नीतिगत उपायों की सफलताओं एम ओ क्रय नीलामियों के प्रति बाजार के प्रतिसाद पर निर्भर करती है। आगामी शहीनों में चलनिधि की स्थिति पर कड़ाई से निगरानी रखनी होगी।

चार्ट 3.16: 3 माह तथा एकदिवसीय दरें



चार्ट 3.17: मांग दरें, एलएएफ कारोडोर सुविधा तथा उसका उपयोग



स्रोत: रिजर्व बैंक

## अंतर-बैंक बाजार काफी हद तक कोलेटराइज लेकिन अधिकांशतया ओवरनाइट ही बना रहा


3.29 रिजर्व बैंक का ध्यान कोलेटराइजेशन को प्रोत्साहित करने, यथोचित प्रतिफल कर्व के विकास तथा बाजार के सहभागियों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन करने पर रहा है। इस संबंध में नीतिगत उपायों में मांग मुद्रा बाजार को बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों तक ही सीमित रखना, उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाना, सरकारी प्रतिभूति लेनदेनों के गारंटीशुदा समाशोधन को सुनिश्चित करना, व्यापार संबंधी सूचना, निगरानी तथा यथोचित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के माध्यम से सूचना संबंधी विसंगति को दर करना। रेपो लेनदेनों के लेखाकरण में संशोधन किया गया है ताकि कोलेटरल लिखत के रूप में रेपो की अर्थिक तत्व को परिलक्षित किया जा सके और उधारदाताओं तथा उधारग्राहियों के जोखिम की सही तस्वीर परिलक्षित की जा सके।

3.30 कोलेटरल बाजार दो प्रकार का है: बाजार रेपो तथा सीबीएलओ<sup>10</sup>। केवल पात्र सहभागियों, अधिकांशतः विनायमित इकाइयों, के लिए अनुमत सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो का निपटान सीसीपी (सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। बाजार सीबीएलओ को खास तरजीह देता है क्योंकि यह और अधिक स्वतंत्रता देता है, त्रिपक्षीय रेपो की ही भाँति (चार्ट 3.18)।

3.31 अंतर-संस्थागत मुद्रा बाजार में बीमा कंपनियां तथा म्युच्युअल फंड प्रमुख निधिदाता हैं। मांग मुद्रा बाजार से उनके शिफ्ट से एकदिवसीय मुद्रा बाजार का कोलेटरीकरण हो गया है (चार्ट 3.19)।


3.32 मार्जिन की प्रक्रिया से रेपो बाजार संस्थाओं के लिए आस्ति मूल्यों (कोलेटरल मूल्य) तथा निधिकरण मूल्य के बीच एक मजबूत लिंक बनाता है। ऋण पर दबाव (नकदी उधार देनेवालों द्वारा मंदी के बाजार में चलनिधि जमा करना) नकदी उधारदाताओं की स्थिति में मैं सहायता करता है, यह रेपो बाजार में उधारग्राहियों को अतरल आस्तियों का डीलीवरेज करने के लिए विवश कर देता है (पहले कोलेटरल के रूप में प्रस्तुत)। इससे निवेशकों को प्रतिपक्षों के बारे में चिंता हो जाती है जिससे वित्तीय संस्थाओं के लिए निधिकरण की चिंता हो जाती है। भारत के लिए, यह कोई मुद्दा नहीं है (अब तक) क्योंकि रेपो बाजार लगभग पूरी तरह से सरकारी प्रतिभूतियों में है और उधारग्राहियों के रूप में बैंकों के पास एलएएफ के अधीन दैनिक आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निधियां प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।

चार्ट 3.18: कोलेटरल उधार का अंश



स्रोत: सीसीआईएल

चार्ट 3.19: भारतीय मुद्रा बाजार का संघटन



को स्रोत: सीसीआईएल

<sup>10</sup> सीबीएलओ एक मुद्रा बाजार उत्पाद है जिसकी संकल्पना तथा विकास सीसीआईएल द्वारा किया गया है। इसका व्यापार गारंटीकृत निपटान सहित सहभागियों के बीच सीसीआईएल पर किया जा सकता है और इसकी अधिकतम अवधि एक वर्ष है।

## मांग दरों में अन्तर्दिवस उतार-चढ़ाव

3.33 मांग मुद्रा दरें सामान्यतया एलएएफ कारीडोर के भीतर ही रहीं जबकि वैश्विक तथा देशी वित्तीय बाजारों में और अधिक सामान्य स्थिति लाने के उद्देश्य के अनुरूप कारीडोर में 50 आधार अंकों की कमी की गई। तथापि, देश में, मांग मुद्रा दरें अक्सर अन्तर्दिवस उतार-चढ़ाव दिखलाती हैं। दिन के अंत में थिन बाजार परिस्थितियों के समय उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है जब अप्रत्याशित आरटीजीएस प्रवाहों को कवर करने के लिए बैंकों को निधियों की आवश्यकता पड़ती है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक सुबह एक बार परिचालित एलएएफ सुविधा दबाववाली चलनिधि परिस्थितियों में अपर्याप्त साबित हुई। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने दिन में दो बार एलएएफ आयोजित करने का निर्णय लिया है - एक बार सुबह और दूसरी बार दिन के उत्तरार्ध में।

## एसएलआर प्रतिभूतियों के असमान वितरण से मांग दरों में उतार-चढ़ाव

3.34 एलएएफ के अधीन चलनिधि का सहारा लेना अनिवार्य एसएलआर धारिताओं के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। चूंकि अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं का वितरण सभी बैंकों के बीच एक समान नहीं है, इसलिए कम निधियों और अतिरिक्त एसएलआर धारिताओंवालों को रिजर्व बैंक से निधियों के लिए अन्य बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार, ऐसी अप्रत्यक्षपहुंच पहुंच पर सीमाओं की उपलब्धता के कारण बाधा आती है - अंतर बैंक तथा विनियामक दोनों ही (पूंजीगत निधियों के एक अनुपात के रूप में उधार देना और लेना)। इन मुद्दों को देखते हुए, सख्त चलनिधि परिस्थितियों में मांग मुद्रा दरें एलएएफ कारोडोर से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं (चार्ट 3.17)।

## मुद्रा बाजार दरों पर सरकारी शेषों का प्रभाव

3.35 केन्द्र सरकार के शेषों के धारक के रूप में रिजर्व बैंक नियमित अंतरालों पर कर भुगतान प्राप्त करता है, जिनका उलट प्रवाह सरकारी व्यय पर निर्भर होता है। दूरसंचार कंपनियों द्वारा केन्द्र सरकार को पे-इन से (मोबाइल तथा ब्राड बैंड तथा वायरलैस सेवाओं के लिए 3

जी के लिए नीलामियों के बाद) मई तथा जून 2010 में चलनिधि पर दबाव पड़ा। तथापि, जैसा कि इस अध्याय के पैरा 3.26 में उल्लिखित है, संरचनात्मक घटकों के कारण सख्त चलनिधि की परिस्थितियां बनी रहीं। और अधिक विनियम दर नम्यता तथा कर जीडीपी अनुपात में वृद्धि की पृष्ठभूमि में, सरकारी शेष चलनिधि परिस्थितियों को प्रभावित करने में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

## मीयादी मुद्रा परिमाण की वृद्धि में विसंगतियां

3.36 भारत में, बैंक, प्राथमिक व्यापारी, बीमा कंपनियां तथा म्युच्युअल फंड अक्सर अस्थाई अधिशेष राशियां केवल एक दिवसीय बाजारों को ही उधार देते हैं जिससे मीयादी मुद्रा बाजार सतही बने रहते हैं। कुछ हद तक, मीयादी मुद्रा बाजार का अभाव भारत में बैंकों की तुलनपत्र संरचना के कारण है। अंतर बैंक दावे या क्रय की गई निधियों<sup>11</sup> का अनुपात भारत में बैंकों की आस्तियों में बहुत कम है। देयता पक्ष जमाराशियों के कारण होता है, जिसमें निम्न लागत वाले चालू खातों तथा बचत खातों (सीएएसए) पर जोर रहता है, जो ओरिजिनेट-एण्ड डिस्ट्रीब्यूट के विपरीत (जो थोक बाजार फंडिंग पर अधिक निर्भर रहता है) के विपरीत भारतीय बैंकिंग को “लैंड-एण्ड होल्ड” माडल दर्शाता है। तथापि, इस लक्षण से बैंकिंग प्रणाली को स्थिरता प्राप्त हुई है।

3.37 इसके अतिरिक्त, एक सामान्य मुद्रा यह भी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक वित्तीय बाजारों में सक्रिय नहीं हैं। मांग मुद्रा बाजार के खंड में विदेशी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है लेकिन उनके पास बैंकिंग प्रणाली की आस्तियों की 30 प्रतिशत से कम अस्तियां हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी क्षेत्र के बैंक आसानी से जमा प्रमाणपत्रों से या बृहद जमाराशियों से थोक में संसाधन जुटा लेते हैं या विद्यमान मांग मुद्रा या रिवर्स रेपो दर से अधिक दर पर बड़े टिकट कंपनी ऋणों के माध्यम से अल्पावधि के सप्लाई नियोजित करते हैं भले ही जोखिम को देखते हुए किसी और बैंक को मीयादी ऋण उतना ही आकर्षक या विवेकपूर्ण होता हो। वित्तीय बाजारों में दिखलाई पड़ रही सरकारी क्षेत्र बैंकों की निष्क्रियता संभवतया उनके द्वारा पारंपारिक बैंकिंग उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण है जिसके साथ-साथ एक ऐसा संरचनात्मक ढांचा है जो सक्रिय खजाना प्रबंधन को प्रोत्साहन नहीं देता।

<sup>11</sup> बैंक अपनी चलनिधि आवश्यकताएं दो तरीकों से पूरी करते हैं: सचित चलनिधि तथा/या क्रय की गई चलनिधि। पहला तरीका सभी निधि आवश्यकताओं के लिए आन-बैलैंसशीट तरल अस्तियों तथा सुव्यवस्थित जमा ढांचे का उपयोग करता है, दूसरा नान-कोर देयताओं तथा उधारों का उपयोग करता है। सीएएसएरिपोर्ट (2009) के अनुसार ‘किसी बैंक द्वारा एक निर्धारित स्तर से अधिक सीमा तक क्रयगई चलनिधि के लिए विशिष्ट विनियामक पूंजी प्रभार लगाने पर विचार करना समीचीन होगा’।

3.38 जमा प्रमाणपत्र एक ऐसा मीयादी लिखत है जिसका मुद्रा बाजार में प्रमुख सहभागियों द्वारा उपयोग किया जाता है अर्थात् बैंक, प्राथमिक व्यापारी, प्युच्युअल फंड तथा बीमा कंपनियां। जमा प्रमाणपत्र बाजार में परिमाण उच्च हैं और बढ़ रहे हैं - जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि लगभग 3,53,000 करोड़ रुपये है (24 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार) जिसमें एक पखवाड़े में औसतन 25,000 करोड़ रुपये का निर्माण होता है। हालांकि जमा प्रमाणपत्र दरें पूरी तरह से अंतर-बैंक दरें नहीं होती (अर्थात् रिजर्व आवश्यकताओं, स्टैंप शुल्क, आदि से मुक्त) लेकिन ये मीयादी ढाचे को दिखलाती हैं। (i) 3,6,9 तथा 12 माह जमा प्रमाण दरों की पोलिंग (ii) प्राथमिक बाजार विवरणों के बारे में अधिक सूचना (iii) मूल्य और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एनडीएस प्लेटफार्म पर व्यापार (iv) आन लाइन फाइनेनशियल रिपोर्टिंग सिस्टम (ओएफआरएस) पर बैंकों द्वारा विवरणों के माध्यम से (रिजर्व बैंक को) जमा प्रमाणपत्रों के निर्माण के बारे में सूचना तथा (v) जमा प्रमाणपत्रों पर स्टैंप शुल्क के युक्तीकरण से भारत में एक मजबूत जमा प्रमाणपत्र बाजार की वृद्धि में सहायता मिल सकती है।


#### वाणिज्य पत्रों (सीपी/जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) की परिपक्वता पैटर्न को कम करना

3.39 प्युच्युअल फंड वाणिज्य पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों में प्रमुख निवेशक हैं। निधिकरण की सर्कुलेरिटी के मुद्दों को, जिसमें बैंक प्युच्युअल फंडों के लिखतों में निवेश करते हैं जो बदले में सीपी तथा सीडी में निवेश करते हैं, मार्च 2010 की एफएसआर रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है। हाल ही के महीनों में, 3 महीने तक की अवधि के सीपी तथा सीडी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई है। इस प्रवृत्ति का कारण 9। दिन से अधिक (चार्ट 3.20) की परिपक्वता अवधि वाले सभी मुद्रा बाजार लिखतों को प्युच्युअल फंडों तथा अस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा मार्क टु मार्केट करने संबंधी अनुदेशों का अनिवार्यतः पालन करना है। इस प्रवृत्ति से आगामी समय में निर्मानकर्ता बृहद इकाइयों के लिए चलनिधि तथा रोलओवर जोखिम बढ़ सकते हैं।

#### देशी बांड बाजार: और अधिक गहनता तथा चलनिधि की आवश्यकता


3.40 पिछली एफएसआर के बाद से, मुइकाइयोद्रा बाजार में बढ़ी दरों तथा सख्त चलनिधि परिस्थितियों के कारण लघुतर बांड प्रतिफल बढ़ गए हैं। प्रतिफल कर्व अब और अधिक सपाट है। संभवतया बृहद प्राथमिक बाजार आपूर्ति के कारण (चार्ट 3.21) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल बढ़ने के चलते 5 तथा 10 वर्षीय क्षेत्रों में कारपोरेट स्पैंड कम हुए हैं।

चार्ट 3.20: 2010 में सीपी का बदलता परिपक्वता पैटर्न (संघटन के कुल निर्माण का प्रतिशत)



स्रोत: रिजर्व बैंक

चार्ट 3.21: 10 वर्षीय बांड बाजार दरों



स्रोत: बैंकपराम

3.41 भारत तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बांड बाजारों में सहजता से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहनों का अभाव दिखलाई पड़ता है। बहुत सरकारी उधारों के कारण अत्यधिक आपूर्तिवाले बाजार का होना सक्रिय व्यापार के अभाव का प्रमुख कारण है। बैंकों तथा बीमा कंपनियों के लिए सांविधिक अपेक्षा है कि मुख्य रूप से सरकारी बांडों (चार्ट 3.22) लेकिन अनुमोदित प्रतिभूतियों में देयताओं का उच्च अनुपात बनाए रखें। वित्तीय स्थिरता के लिए, भारत में बैंकों को विनियमन उनके समूचे अनिवार्य अनुपात को हेल्ड-टिल-मैन्युरिटी (HTM) श्रेणी में रखने की अनुमति देते हैं जो बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूति पोर्टफोलियो के व्यापार योग्य भाग को भी कम कर देता है।

### हैजिंग संभव है लेकिन वांछनीय नहीं


3.42 निवेश पोर्टफोलियो के ब्याज दर जोखिम की हैजिंग के लिए भारत में ब्याज दर स्वैप (IRS) प्रारंभ किए गए थे। 5 वर्ष तक के लिए ब्याज दर स्वैप बाजार काफी तरल (लिक्विड) है हालांकि आईआरएस का प्रयोग करते हुए सरकारी बांड पोर्टफोलियो की हैजिंग में काफी जोखिम निहित है।

3.43 कुछ हद तक, सक्रियता से जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनों का अभाव ब्याज दर फ्यूचर्स (IRF) जैसे उत्पादों की हैजिंग की सफलता के विरुद्ध कार्य करता है। फ्यूचर्स संविदा का निपटान प्रत्यक्ष डिलीवरी से होता है और चूंकि डिलीवरीयोग्य बास्केट में सबसे सस्ती संविदाओं सहित, अधिकांश संविदाएं अतरल होती हैं, इसलिए संविदा का मूल्य निर्धारित करना आसान नहीं होता। इसके अतिरिक्त, 10 वर्षीय बांड फ्यूचर्स संविदा की तुलना में बैंक पोर्टफोलियो की अवधि कम होती है और इसलिए, हैजिंग के प्रयोजन के लिए यह बहुत अनुकूल नहीं है। इन मुद्दों पर विचार करने के लिए, सेबी से परामर्श करके, रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा 91 दिवसीय खजाना बिलों में 2 वर्षीय तथा 5 वर्षवाली सांकेतिक कूपनों में नकदी में निपटान वाली IRF संविदाएं प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है।


### कंपनी बांड बाजार बढ़ रहा है लेकिन धीमी गति से

3.44 बैंकों से परे हट कर भारतीय वित्तीय बाजार में अमध्यस्थता लाने के लिए एक जीवंत कंपनी बांड बाजार का होना बहुत जरूरी है। तथापि, लगातार नीतिगत ध्यान के बावजूद, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। हालांकि 2007 तथा 2010 के बीच (चार्ट 3.23) द्वितीयक बाजार में परिमाण चार

चार्ट 3.22: मार्च 2007 में सरकारी बांडों का व्यासिता पैटर्न (आंतरिक) तथा सितंबर 2010 में (बाह्य)



चार्ट 3.23: 2010 में पारिक कंपनी बांड व्यापारिक टर्नओवर तथा निजी निर्गम (निर्गम के लिए 100 करोड़ ₹ में)



गुना बढ़े हैं, लेकिन कुल राशियां अभी भी कम हैं। हाल ही में, निर्गम क्रियाविधियों में सुधार, बाजार परंपराओं के मानकीकरण, कुशल व्यापार तथा निपटान क्रियाविधि स्थापित करने तथा कंपनी बांडों के विषयन को सहज बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। कंपनी बांडों में सौदों की सूचना अनिवार्यतः देनी होती है और उनका निपटान केन्द्रीकृत रूप से होता है<sup>12</sup> हालांकि गारंटीकृत निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए द्वितीयक बाजार पर्याप्त रूप से तरल नहीं हैं।

3.45 तथापि, गैर-बैंक संस्थागत निवेशकों के बीच, विशेषकर, बीमा निधियों तथा पेशन निधियों के बीच, ऋण जोखिम के प्रति अरुचि एक प्रमुख मुद्दा है। आंशिक रूप से इसका कारण प्रतिभूति तथा दिवालियेपन के लिए व्यवस्था लागू करने में वर्तमान विधिक फ्रेमवर्क की अपर्याप्तता है, लेकिन जोखिम-रहित अर्ध-सार्वभौमिक प्रतिभूतियों तथा सार्वभौमिक इकाइयों की बृहद आपूर्ति क्रेडिट कर्व के उपयोग को निरुत्साहित करने का काम करती है। कर संबंधी कुछ मुद्दों पर भी अभी कार्रवाई की जानी है।


3.46 बैंकों को बांडों की गारंटी देने की अनुमति दे देने की वकालत भी जा रही है। इसकी तुरंत आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इससे बैंकों के तात्पर्यपत्रों को जोखिम-रहित बनाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी बांडों के जरिए बाजार करनेमें ऋण जोखिम के लिए सही मूल्य को पहचान करने में यह बाधा डालेगी।

3.47 भविष्य में, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) प्रारंभ करने से देशी कंपनी बांड बाजारों को विकसित करने में सहायता मिलेगी। भारत में CDS प्रारंभ करने के लिए इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की भाँति (बाक्स 3.1) केन्द्रीकृत रिपोर्टिंग तथा मानकीकृत संविदाओं के साथ मानकीकृत संविदाएं प्रारंभ करना जिसमें पहले बकाया संविदाओं का दिवसांत मूल्यन तथा बाद सीसीपी द्वारा समाशोधित तथा गारंटीकृत निपटान शामिल होगा।

## भारतीय वित्तीय बाजारों में संकेंद्रण

3.48 भारत में OTC डैरिवेटिव बाजार में, तथा कुछ हदतक तकतक सरकारी प्रतिभूति बाजार में, उल्लेखनीय सकेन्द्रीकरण है। वित्तीय बाजारों में ऐसा होना असामान्य बात नहीं है, लेकिन OTC व्याज दर डैरिवेटिव बाजार में (चार्ट 3.24) कुछ बैंकों के वर्चस्व से बाजार में दबाव के समय अतरलता का जोखिम बढ़ जाता है। दबाव के समय, बाजार निर्माता अपनी सेवाएं नहीं देते जिससे कि वे अपने ही पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए अपनी मालसूची, प्रतिपक्ष सीमाओं तथा चलनिधि का उपयोग कर सकें। प्रत्येक सहभागी के पास हट जाने के लिए प्रोत्साहन है और यदि सभी ऐसा करने लगें तो खराब से खराब स्थिति में, बाजार बंद हो जाएगे<sup>13</sup>। अपूर्ण सहभागिता से वैश्विक वित्तीय बाजारों से बाधाओं का त्वरित संचरण भी बढ़ जाता है।

चार्ट 3.24: अक्टूबर 2010 के लिए आईआरएस में  
(एमआईबीओआर) बाजार अंश (सांकेतिक राशि से)



<sup>12</sup> रिजर्व बैंक के साथ ऐक्सचेंज समाशोधन गृहों के ट्रांजिटरी पूलिंग खातों के माध्यम से डीवीपी आधार पर निपटान सुनिश्चित करने के बाद मार्च 2010 में कंपनी बांडों में रेपो की अनुमति दी गई थी।

<sup>13</sup> गैरी जे. शिनासी, रैस्टरिंग फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी, 2006

### बाक्स 3.1 : क्रेडिट डिफाल्ट रैप (सीडीएस) में प्रस्तावित रक्षोपाय

सीडीएस जैसे क्रेडिट जोखिम अंतरण उत्पाद किसी भी संस्था के जोखिम प्रोफाइल में परिवर्तन ला सकते हैं, नकदी बाजार को अस्थिर कर सकते हैं और प्रणालीगत जोखिम बढ़ा सकते हैं। ओवर दि काउटर (OTC) बाजारों, विशेषकर क्रेडिट डिफाल्ट रैप में, अतिरिक्त लोवरेज का हो जाना, अपारदर्शिता तथा प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन प्रमुख मुद्दों के रूप में उभर कर आए। भारत में पर्याप्त रक्षोपायों सहित सीडीएस प्रारंभ किया जाएगा। रिजर्व बैंक के एक आंतरिक दल ने सुझाव दिया है कि भारत में कंपनी ऋण के लिए सीडीएस प्रारंभ करने से पहले कई उपाय किए जाने चाहिए। उसने सुझाव दिया है कि अंततः केन्द्रीयकृत समाशोधन प्रणाली अपनाने से पहले सौदों की अनिवार्यतः रिपोर्टिंग की जाए और सीडीएस सौदों को रिकार्ड करने के लिए एक ट्रैडिंगोजिटरी स्थापित की जाए। रिपोर्ट में सुझाए गए कुछ अन्य रक्षोपाय हैं:

- अन्तर्निहित बांड या पोर्टफोलियो के माध्यम से हैंजिंग के लिए आधिक कारण के बिना प्रयोक्ता सीडीएस सुरक्षा नहीं खोरीद सकते।
- पर्याप्त जोखिम प्रबंधन वाली केवल वित्तीय रूप से सशक्त इकाइयां ही बाजार निर्माता होंगी।
- सीडीएस बाजार में सुरक्षा विक्रेता उसके द्वारा किसी एक इकाई को क्रय की गई सुरक्षा की कुल राशि तथा ऐसी अलग-अलग कुल स्थितियों के संबंध में आंतरिक सीमा लगाएंगे।
- सहभागी केवल नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों में ही मार्जिन रखेंगे।
- सुरक्षा क्रेताओं को इकाई प्रतिशतता से संबंद्ध जोखिम पूर्ण PVOI के अनुसार, सीडीएस संविदाओं में नेट लांग रिस्क पोजीशन पर एक सीमा निर्धारित करनी होगी। सभी गैर आप्शन रूपये डैरिवेटिव की कुल PVOI तुलनपत्र की अंतिम तारीख को बैंक को बैंक की नेट वर्थ के 0.25 प्रतिशत के भीतर होना चाहिए।

#### एक्सचेंज पर सौदे बनाम OTC

डिजाइन सीडीएस सूचकांकों तथा एक नाम के सीडीएस का OTC पर व्यापार होता है। सूचकांकों के संबंध में अंतर बैंक सौदे समान्यतया विनियम समाशोधन गृहों के माध्यम से समाशोधित किए जाते हैं, जबकि एक नाम को सीडीएस

संविदाओं के संबंध में केन्द्रीयकृत समाशोधन तथा निपटान की प्रगति पूरे विश्व में घंट रही है। एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाने वाला उत्पाद मूल्य का पता लगाने के लिए एक सशक्त प्लैटफार्म उपलब्ध कराता है, जो निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होता है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम समाशोधन गृहों को अंतरित हो जाता है जो सीसीपी का कार्य करते हैं। बाजार में गतिविधि उल्लेखनीय रूप से और अधिक परदर्शी होती है और साथ ही और अधिक नाम रहत ही। मुद्रा उत्पादों का अनुभव दिखलाता है कि एक्सचेंज पर ट्रेड की गई संविदाएं विभिन्न प्रकार के सहभागियों का 'क्राउड इन' कर सकती हैं जिससे बाजार में गहनता आती है, क्रय-विक्रय मूल्य में स्ट्रैड कम होता है तथा बाजार प्रभाव लागत कम होती है। इसके अतिरिक्त, अपने दिवसांत (तथा कभी-कभी अन्तरदिवस मार्जिनों) से एक्सचेंज ऋण मूल्यन समायोजन पहले ही तथा पारदर्शी रूप से करते हैं।

सीसीपी निपटान के गुण बहुत हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की संविदाओं के जोखिम के प्रबंधन के लाभ मुख्यतया अन्तर्निहित संविदाओं की चलनिधि पर निर्भर करते हैं। कंपनी बांड बाजार के विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एक नाम के सभी सीडीएस में चलनिधि का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। समाशोधन गृहों के पास अंतरल निविदाओं का बड़ा भंडार होने से जोखिमों का संकेन्द्रण होता है, प्रतिपक्षों को केन्द्रीय समाशोधन के माध्यम से कुछ नैटिंग लाभ नहीं देते और क्रेडिट चूक होने की स्थिति में (जिनका परस्पर संबंध हो सकता है) प्रणाली को अस्थिर कर सकते हैं। अंतरल संविदाओं में निहित क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन बैंकों द्वारा बेहतर किया जाता है क्योंकि इसे प्रतिपक्ष ग्राहक सीमाओं के भीतर ही जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट संविदाओं की मार्जिनिंग के लिए कोई स्थापित बेचमार्क नहीं है (जबकि विदेशी मुद्रा पूँजीर के लिए ऐसा है जहां परिपक्वता विशिष्ट विनियम दर उथल-पुथल मुद्रा पूँजीर से पहले आ गई थी)। ऐसे ऐतिहासिक आंकड़ों के अभाव में, एक्सचेंजों में मार्जिनिंग व्यवस्था में या तो बहुत ज्यादा पारंपारिक होने या बहुत कम होने का जोखिम होता है जिससे क्रमशः या तो चलनिधि प्रभावित होती है या समाशोधन गृह की अर्धक्षमता को खतरा होता है। इन बातों के कारण एक्सचेंज एक नाम वाली कम तरल संविदाओं का समाशोधन नहीं करना चाहते और एक्सचेंजों को स्पष्ट अधिदेश देने के बावजूद यूरोप तथा अमरीका में एक नामवाली सीडीएस के एक्सचेंज पर निपटान की गति कम रही है।


3.49 सहभागियों की संख्या तथा सक्रिय रूप से विपणन की गई प्रतिभूतियों की वृद्धि से सरकारी प्रतिभूति बाजार में सकेंद्रण उच्च स्तर पर है। 2010-11 में (अप्रैल से नवंबर) (चार्ट 3.25) 15 शीर्ष सहभागियों का अंश सरकारी प्रतिभूतियों में सौदों के आउटराइट का 60 प्रतिशत से अधिक था। इसी प्रकार, सितंबर 2010 में सरकारी प्रतिभूति बाजार में विनान की गई मात्रा में एक ही प्रतिभूति का अंश 46 प्रतिशत से अधिक था जबकि इसी माह में शीर्ष तीन प्रतिभूतियों का अंश कुल मात्रा में 75 प्रतिशत से अधिक था। कुल मिलाकर, सरकारी ऋण के बकाया स्टाक में प्रति दिन बहुत ही कम (सितंबर 2010 में 0.43 प्रतिशत) का व्यापार होता है<sup>14</sup>। सरकारी प्रतिभूति बाजार में सतही चलनिधि प्रतिभूतियों की बाजार पर आधारित अर्थिक उपयोगिता को कम कर देती है और दबाव के समय सहभागियों को बाजार से बाहर निकलने के विकल्प सीमित कर देती है।

3.50 'बड़े' बैंकों द्वारा उच्चतर सहभागिता (तुलनपत्र के आकार के अनुसार) बेहतर बाजार चलनिधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय, छोटे आकार के तुलनपत्रों वाले बैंकों का द्वितीयक बाजारों में वर्चस्व है (सारणी 3.1)। यह अपूर्ण सहभागिता मात्रा में वृद्धि में बाधा डालती है और बाजार में अतरलता होने का कारण बनती है।

### वित्तीय दबाव संकेतक - अब स्थिति बेहतर होगी

3.51 लेहमन ब्रदर्स की असफलता के चलते 2008-09 की तीसरी तिमाही में वित्तीय दबाव संकेतक<sup>15</sup> ने वैश्विक दबाव को परिलक्षित किया। भारत में प्रारंभ किए गए त्वरित तथा सुव्यवस्थित मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों के कारण, नवंबर 2008 के बाद से FSI में कमी हुई है। हाल ही की अवधि, जैसाकि FSI (चार्ट 3.26) से दिखलाई पड़ता है, दो मौकों को छोड़कर जब छोटे तथा अस्थाई दबाव स्तर दिखलाई पड़े, दबाव-रहित रही है। मई 2010 में, यूरोपीय सरकारी बांड बाजार में दबाव ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल ला दी जबकि नवंबर

चार्ट 3.25: सरकारी प्रतिभूति व्यापार में सहभागियों का बाजार अंश




स्रोत: सीसीआईएल

\* अप्रैल से नवंबर 2010

सारणी 3.1: सितंबर 2010 में सभी एससीबी के समग्र आकार/टर्नओवर में बैंकों का अंश (प्रतिशत)

	तुलन पत्र	आउटराइट जी सेक	आउटराइट विदेशी मुद्रा	एमआईबीओआर
सार्वजनिक शेयरीय बैंक	72.5	14.8	24.4	0.9
निजी क्षेत्र के बैंक	19.7	12.2	16.9	12.5
विदेशी बैंक	7.8	42.0	58.5	78.7

स्रोत: रिजर्व बैंक, सीसीआईएल

चार्ट 3.26: वित्तीय दबाव संकेतक - भारत<sup>16</sup>

अनुमान दिसंबर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के लिए है।

स्रोत: रिजर्व बैंक की गणना

<sup>14</sup> 30 सितंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों तथा राज्य विकास ऋणों में औसत दैनिक व्यापारिक परिमाण।

<sup>15</sup> एफएसआइ का 'ड्रेश्य' है देशी वित्तीय बाजारों तथा बैंकिंग क्षेत्र में गतिविधियों का जायजा लेना। बैंकिंग खंड में बैंकिंग क्षेत्र का स्टाक इडेवर्स (बैंकेवर्स), खजाना बिलों में सौडी में अंतर, में GARCH गतिविधि तथा बैंकों के खातेतर ऋण में सास्त्रिक दर को वृद्धि शामिल है। फारेक्स खंड में US\$/INR विनियम दर की EMP तथा GARCH गतिविधि शामिल है। ऋण खंड में 3 माह परिपक्वता में खजाना बिलों में सरकारी खोल्ड कर्व तथा सौषे में अंतर में परिपर्वतन शामिल है। शीक्षिटो खंड में निष्ठा तथा GARCH गतिविधि शामिल है। कार्यविधि के विवरण IRR मार्च 2010 में दिए गए थे।

<sup>16</sup> चार क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग, विनियम दर, ऋण तथा इक्विटी बाजारों से ARIMA, ARCH तथा GARCH माडल लिए गए हैं। शेड वाला भाग दिसंबर 2010 से मार्च 2011 तक पूर्वनुमान मूल्य दिखलाता है। औसत मूल्य लगभग शून्य है क्योंकि FSI की गणना मानक मूल्य पर दी गई है।

2010 में, उथल-पुथल, एक्स्चेंज मार्केट प्रैशर (EMP)<sup>17</sup> में दिखलाई पड़ी विदेशी मुद्रा बाजार के कारण हुई। भविष्य में, 2010-11 को आखिरी तिमाही में कुल मिलाकर वित्तीय बाजार दबाव-रहित रहेगे।

### समापन टिप्पणी

3.52 ऐडोजिनस खतरों की तुलना में भारत में वित्तीय बाजारों की स्थिरता के लिए ऐक्सोजिनस खतरे अधिक महत्वपूर्ण होंगे। बैश्विक बृद्धि में द्विमार्गी समुत्थान तथा उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच विभिन्न मौद्रिक नीति उपायों से बढ़े तथा स्वतः संबद्ध पूँजी प्रवाहों का जोखिम बढ़ गया है, जिससे भारतीय वित्तीय बाजारों में असंतुलन हो सकता है, विशेषकर यदि वे देश की ऐब्जार्पशन क्षमता से अधिक हो जाते हैं। उच्च उत्तार-चढ़ाववाले पोर्टफोलियो प्रवाहों के आधिक्य से उथल-पुथल होती है (बाह्य आघातों के चलते) तथा वे देशी वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकते हैं। लगातार निम्न ब्याज दर व्यवस्था के कारण उच्चतर प्रणालीगत लीवरेज से बाह्य आघात हो सकते हैं। मुद्रा मूल्यनों से बाजारों में दबावों के परिणामस्वरूप भी वे उत्पन्न हो सकते हैं।

3.53 भारत में, हाल ही के वर्षों में व्यापार चैनल को तुलना में संकट के प्रसार के लिए वित्तीय चैनल अधिक मजबूत हो गया है और इससे संकट त्वरित तथा व्यापक हो सकता है। देशी वित्तीय बाजार गतिशील बने रहे। केन्द्रीय बैंक की आशा की तुलना में, बैंकिंग प्रणाली चलनिधि सख्त रही है। चलनिधि को सहज बनाने के लिए किए गए अद्यतन उपायों की सफलता ओएमओ क्रय निलामियों तथा सरकार द्वारा उच्चतर व्यय पर निर्भर करेगी। विदेशी मुद्रा बाजार में उथल-पुथल बढ़े समन्वयन तथा बढ़ते आफशोर बाजार के कारण उच्च स्तर पर रह सकती है। ब्याज दर स्वैप बाजार में संकीर्ण सहभागिता से बाजार में दबाव के समय अतरलता (illiquidity) हो सकती है। हालांकि कोई गंभीर विनियामक बाधा नहीं है लेकिन फिर भी मीयादी मुद्रा तथा कंपनी बांड बाजारों का विकास करना चुनौतीपूर्ण होगा। वित्तीय क्षेत्र में बैंकों के आधिकार्यों को देखते हुए, वित्तीय बाजारों के अधिकांश खंडों में जीवंतता के लिए बैंकों की सक्रिय सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। ईएमपी को विनियम दर, रिजर्व स्तर तथा MIBOR दर में परिवर्तन के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

<sup>17</sup> EMP को विनियम दर, रिजर्व स्तर तथा MIBOR दर में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है।

## अध्याय IV

### वित्तीय संस्थाएं


उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले बैंक पहले की ही तरह धीमी ऋण वृद्धि, निधियन संबंधी जोखिम, सरकार तथा केंद्रीय बैंक के समर्थन पर निर्भरता, सरकार के ऋण की धारणीयता के बारे में चिंताओं के कारण फैले दुष्प्रभाव आदि के बोझ तले ही रहे। इसके विपरीत, बैंकिंग क्षेत्र से अधिक मात्रा में प्रभावित भारतीय वित्तीय प्रणाली सुस्थिति में रही। फिर भी, कुछ चिंताएं बनी रहीं। वर्ष 2010-11 की प्रथम छमाही में ऋण घटाने में सुधार हुआ है लेकिन वह उसके संकट-पूर्व स्तर से दूर ही है। जमाराशि वृद्धि में नरमी रही जिसके परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि को निधि देने के लिए बैंकों को उधारों (विशेषकर जमा प्रमाणपत्र) पर निर्भर रहना पड़ा। अतः वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात, विशेषकर 2010-11 की प्रथम तिमाही में उच्च था। परिसंपत्ति गुणवत्ता मजबूत रही, हालाँकि इस तथ्य से कि मामूली गलतियों से अग्रिमों की वृद्धि दर बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों की आवश्यकता में वृद्धि हुई, कुछ चिंताएं उभरी। आवास ऋण के क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध चिंता के कारण बन सकते हैं। कुछ केंद्रों में आवास की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई हैं जिसकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक को आवास ऋणों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त करना पड़ा। अपेक्षाकृत लंबी अवधि की परिसंपत्तियों को निधि प्रदान करते समय अल्पावधि देयताओं का बढ़ता हुआ सकेंद्रण भी चिंता का विषय हो सकता है, यदि इस असंतुलन को कम करने वाले कारकों, जैसे निम्न लागत वाली जमाराशियों का उच्च स्तर और दीर्घावधि ऋणों अर्थात् बुनियादी सुविधा ऋणों के लिए बैंकों द्वारा ब्याज दर पुनर्रचना संबंधी खंड विनिर्दिष्ट होते हुए भी अल्पावधि देयताओं का सकेंद्रण बना रहता है। बुनियादी सुविधाओं हेतु पर्यायी वित्तीय विकल्पों को व्यवहार में लाने के लिए उठाए गए कठिपय कदम इन असंतुलनों को कम करने में सहायता हो सकते हैं। हालाँकि सहकारी क्षेत्र के समेकन से उनके वित्तीय सुस्थिति सकेतकों में सुधार हुआ, उनकी विनियामक व्यवस्था में क्रमिक कसाव के कारण उक्त क्षेत्र के लिए विनियामक संरचना लगभग वाणिज्य बैंकों के लिए लागू संरचना की भाँति हुई। बैंकिंग प्रणाली के साथ उक्त क्षेत्र की अंतर्संबद्धता की गंभीरता के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिए विवेकपूर्ण आवश्यकताएं और सख्त कर दी गईं और वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से उसकी अहमियत अधिकाधिक महसूस की जा रही है। उनके कार्यकलापों पर अब उनके प्रमुख परिचालनगत क्षेत्र और तुलन-पत्र की विशेषताओं के आधार पर निगरानी रखी जा रही है। बैंकिंग क्षेत्र जिन जोखिमों/खतरों का सामना कर रहा है, उनमें मात्रात्मक परिवर्तन के आकलन के लिए प्रस्तुत वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बैंकिंग स्थिरता सूचकांक आरंभ किया गया है। यह सूचकांक पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में सुधार दर्शाता है। हालाँकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चलनिधि से संबद्ध मात्रात्मक जोखिम सितंबर 2009 की जोखिम की तुलना में बढ़ गई है।

#### संकट के बाद का वैश्विक दृश्य

#### परिसंपत्ति की गुणवत्ता तथा पूँजी की मजबूती में सुधारों के बावजूद सुधार अनिश्चित रहा

4.1 वैश्विक रूप से बैंक अभी भी अस्थायी वैश्विक सुधार तथा मई 2010 में पहली बार उभरे सरकारी ऋण संबंधी संकट की वजह से वैश्विक वित्तीय बाजारों में हुई गड़बड़ी के प्रति कमजोर बने रहे। ईयू-आइएमएफ बेलआउट पैकेज और यूरोपीय यूनियन द्वारा आयोजित कई बड़े यूरोपीय बैंकों के तनाव परीक्षण परिणामों के प्रकाशन ने कुछ हद तक सामान्य स्थिति बहाल की। परंतु चूंकि आयरलैंड के सरकारी ऋण संबंधी तथा आयरिश बैंकों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं ने फिर से सिर उठाया है, अतः फिर से कुछ तनाव उभरे हैं। ऋण के उठाव में वृद्धि हुई (चार्ट 4.1), संकट से संबद्ध बैंक के अनुमान में गिरावट आई (अप्रैल 2010 के अमरीकी डॉलर 2.8 ट्रिलियन से अक्टूबर 2010 में अमरीकी डॉलर 2.3 ट्रिलियन) तथा पर्याप्त वसूलियां की गईं। फिर भी, उच्च अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणालियां पहले ही

चार्ट 4.1: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंक की निजी ऋण वृद्धि



स्रोत: जोएफएसआर अक्टूबर 2010, आइएमएफ

की तरह आत्मविश्वास में कमजोर तथा सरकार अथवा केंद्रीय बैंक के आश्रय पर अत्यधिक निर्भर रहीं। सुधार की स्थिति की स्थिरता के बारे में तथा तत्काल अधिक डीलिवरेजिंग की चिंता बनी रहती है (चूंकि बैंक आगामी दो वर्ष में 'प्रतिदान' का सामना करेंगे, निधीयन जोखिमों के कारण) (जीएफएसआर अक्टूबर 2010)। बैंक अपने पूँजी पर्याप्तता अनुपातों में सुधार लाए, जब कि वैश्विक सुधारों के लिए प्रसारित अजेंडा से उनके लिए आवश्यक था कि वे पहले की तुलना में अधिक उच्च स्तरों की और बेहतर गुणवत्ता वाली पूँजी अलग रखें। फिर भी, बैंकों के पास उच्चतर गुणवत्ता और मात्रा वाली पूँजी की अपेक्षाओं को समायोजित करने के लिए 2019 तक बढ़ाई जानेवाली लंबी कार्यान्वयन अवधि है।


4.2 बैंकिंग क्षेत्र के ऋण चूक अदलाबदली (सीडीएस) अंतर के उत्तार-चढ़ावों में (चार्ट 4.2) तथा बैंकिंग स्टॉक के निष्पादन में (चार्ट 4.3) उपर्युक्त प्रवृत्तियां परिलक्षित हुईं। एशिया में बैंकिंग स्टॉक का निष्पादन बेहतर रहा जिसमें एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और उनकी तेज सुधार पर पर उक्त संकट का दुष्परिणाम उतना गंभीर नहीं रहा।

4.3 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को लेहमैन घटना के बाद की अवधि में उच्च देशों के सरकारों की ओर से सीमित अवधि के लिए ऋण निर्गमों पर क्रेडिट गारंटीयां प्रदान की गई और उनकी मौजूदा परिसंपत्तियों के पुनर्वित्त के लिए और नयी परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए संबंधित बैंकों द्वारा अत्यावधि और मध्यावधि पूँजी जुटाई गई। यदि निधि प्रदान करने वाले बाजारों में तथा सरकारों से निधियों के लिए प्रतियोगी मांग में कमजोरियां रहती हैं तो आगामी दो वर्ष में इन बांडों की राशि तौटाना एक प्रमुख पुनर्वित चुनौती साबित हो सकती है।

4.4 अमरीकी आवास बाजारों में बंधक दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं से हाल ही में एक खतरा उभरा है। अगर प्रलेखन समस्याएं व्यापक साबित होती हैं और अधिक महत्वपूर्ण रूप से पूर्ववंधित ऋणों और जमा बंधक से संबंधित संपत्तियों के स्वामित्व को संदेहास्पद बना देती है तो इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता को काफी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

4.5 वित्तीय संकट से यह पता चलने के बावजूद कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की प्रमुख संरचनात्मक कमजोरियों में से एक निधियन का बेमेल होना है, फिर भी मौजूदा कम व्याज दर के माहौल में बैंकों के निधियन की परिपक्वताओं को बढ़ाने के लिए बैंकों को थोड़ा-सा ही प्रोत्साहन था। इसके विपरीत, बैंकों को 'उपज वक्र पर सवार' होने और अपनी परिसंपत्तियों की परिपक्वता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया

चार्ट 4.2: बैंकिंग क्षेत्र ऋण चूक अदलाबदली (सीडीएस) खेड



स्रोत: जीएफएसआर अक्टूबर 2010, आइएमएफ

चार्ट 4.3: वैश्विक बैंकिंग सूचकांक



जाता है। बैंकों की ऐसी नीतियां और 'विस्तारित अवधि' के लिए दरों को निम्न स्तर पर रखे जाने का केंद्रीय बैंक का मौजूदा वचन कमजोरियां पैदा कर सकता है। निधियन बाजार नकारात्मक सार्वजनिक घोषणाओं की चपेट में थे, क्योंकि ऐसी घटनाएं उधारकर्ताओं द्वारा संकट में बिक्री पर रोक लगाते हुए अल्पावधि के वित्तपोषकों को निकाल बाहर करने के लिए कारण बन सकती हैं। वैश्विक बैंक निधियन बाजारों कमजोरियां उभरते बाजारों के लिए एक प्रमुख चिंता बनकर रही हैं, क्योंकि इनसे व्यापार क्रेडिट प्रभावित होने और घरेलू कंपनियों की विदेश में पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित होने के कारण पूंजी प्रवाहों में बाधा आ सकती है। इस संदर्भ में, वैश्विक बैंकों (काफी संख्या में विदेशी शाखाओं और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से परिचालन तथा मेजबान देश में उनकी मुद्रा में उन सहयोगी संस्थाओं को निधि उपलब्ध कराना) की बहुराष्ट्रीय संरचना से सीमा पार निधियन की आवश्यकताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।

4.6 भारत स्थित बैंक संकट के दौरान भी लचीले रहे और वैश्विक बैंकों को जिस तरह की निधियन और परिपक्वता संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ा, वैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी, यदि भारतीय वित्तीय क्षेत्र का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण बढ़ता तो भारत स्थित बैंकों का सीडीएस स्प्रेड्स तथा उनकी इक्विटियों का निष्पादन अधिक मात्रा में वैश्विक प्रवृत्तियों, विशेषकर एशिया की प्रवृत्तियों, के समांतर होता (चार्ट 4.4 और चार्ट 4.5)।

## देशी गतिविधियां

### अनुसूचित वाणिज्य बैंक

#### तुलन-पत्र


#### ऋण वृद्धि की स्थिति में सुधार से तुलनपत्र में सुधार परिलक्षित

4.7 वर्ष 2009-10 में परिलक्षित 14.86 प्रतिशत की वृद्धि दर में सुधार दर्शाते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र का विस्तार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सितंबर 2010 की समाप्ति पर 16.49 प्रतिशत तक बढ़ा। यह उच्चतर वृद्धि मुख्यतः ऋण उठाव में सुधार के कारण हुई। तथापि, तुलन-पत्र वृद्धि दरें उनकी संकटपूर्व ऊँचाइयों को छू न सकीं (चार्ट 4.6 और 4.7)।


#### बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच बढ़ती रही

4.8 अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच (जैसा कि सकल देशी उत्पाद के साथ बैंकिंग परिसंपत्तियों के अनुपात से दिखाई देता है)


चार्ट 4.4: चुनिंदा भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीडीएस स्प्रेड




चार्ट 4.5: भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की इक्विटियों का निष्पादन



चार्ट 4.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और निवेशों की वृद्धि



चार्ट 4.7: बैंक संपूर्णों के तुलन-पत्रों के महत्वपूर्ण पदों में वृद्धि की प्रवृत्ति



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावरणीय विवरणियाँ

धीमी दर पर ही क्यों न सही, परंतु वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता रहा (चार्ट 4.8)।

4.9 देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्रों की संरचना में तुलन-पत्र की पारंपरिक पदों का वर्चस्व जारी रहा। देयताओं में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा जमाराशियों का था और परिसंपत्तियों में लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा अग्रिमों का रहा। अन्य लगभग 30 प्रतिशत का हिस्सा निवेशों का रहा जो अधिकतर जोखिममुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में किए निवेश थे (कुल निवेश एक्सपोजर के लगभग 80 प्रतिशत) (चार्ट 4.9)।


## अग्रिम

### सम्पानजनक लेकिन सतर्क विकास देखा गया

4.10 सितंबर 2010 के अंत को वर्ष-दर-वर्ष 20.7 प्रतिशत से बढ़े हुए अग्रिमों के साथ ऋण उठाव बढ़ा। हालांकि, वृद्धि 2006-07 और 2007-08 के दौरान दर्ज वृद्धि के औसत 25 प्रतिशत से काफी नीचे रही (चार्ट 4.10)।


4.11 ऋण का सकल देशी उत्पाद के साथ अनुपात बढ़ता रहा, जो सकल देशी उत्पाद में सापेक्षतः मजबूत वृद्धि और देश में व्यापक वित्तीय समावेशन का परिचायक रहा। फिर भी, उक्त अनुपात कई प्रगत अर्थव्यवस्थों की तुलना में काफी निम्नतर रहा (चार्ट 4.11)। हाल ही के बीआईएस अध्ययन से यह पाया गया है कि 1981 और 2003 के बीच 27 नमूना वित्तीय संकटों में से 20 संकट उस अवधि के पहले के थे जिसमें सकल देशी उत्पाद से ऋण का अनुपात लगातार कई तिमाहियों में काफी बढ़ा था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नमूने में

चार्ट 4.8: सकल देशी उत्पाद की तुलना में परिसंपत्तियों के अनुपात में वृद्धि अनु. वा. बैंक



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावरणीय विवरणियाँ; एसएओ

चार्ट 4.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र में घण्टु घटकों का हिस्सा



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावरणीय विवरणियाँ


13 संकट थे, जिससे पहले ऋण तेजी<sup>1</sup> की अवधि दिखलाई पड़ी। यह भी देखने में आया कि 20 में से 17 संकटों में जीडीपी अनुपात में ऋण में वृद्धि हुई तथा बाद में उस अनुपात में कमी हुई। जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय V में चर्चा की गई है, भारत जैसी अर्थव्यवस्था में प्रणालीगत जोखिमों में वढ़ के सकेतक के रूप में जीडीपी अनुपात में ऋण के प्रयोग में उल्लेखनीय कठिनाइया है।

### जमाराशियां

**वृद्धि मंद है, तथापि निम्न लागतवाली जमाराशियों का अंश बढ़ गया है**


4.12 जैसा कि उपर्युक्त पैरा 4.9 में चर्चा की गई है, भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए जमाराशियां निधियों का एक प्रमुख स्रोत है। 2009-10 के दौरान जमाराशियों में वृद्धि जारी रही और सितंबर 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्षों में देखी गयी वृद्धि दरों की तुलना में उल्लेखनीय कमी दिखलाती है। तथापि, पार्च 2009 में कुल जमाराशियों में सीएसए का अंशदान 34.06 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 में 34.48 प्रतिशत हो गया और सितंबर 2010 में (चार्ट 4.12) और भी बढ़कर 35.08 प्रतिशत हो गया। तथापि, इसके साथ ही, बैंकों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (सीडी)<sup>2</sup> पर बैंकों की निर्धरता भी बढ़ गयी (2009-10 के

चार्ट 4.10: बैंक समूहों के अग्रिमों में वृद्धि



स्रोत: भा.रि.बैंक के पर्यवेक्षों विवरणिया

चार्ट 4.11: 2004-09 के दौरान कुछ अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी में ऋण अनुपात



स्रोत: बैंक इंडिकेटर सं 2010

<sup>1</sup> मेन्डेजा तथा टेरेनोज (2008)। ऋण में तेजी को उस अवधि के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें जमा अनुपात अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति से कुछ अधिक हो जाता है। बोरियों तथा ड्रेमेन (2009) द्वारा दी गई ऋण तेजी की परिभाषा के अनुसार, 27 नमूनों में से 17 वित्तीय संकट ऐसे थे, जिनसे पहले ऋण तेजी की अवधि देखी गई।

<sup>2</sup> सीडी एक परकार्य मुद्रा बजार लिखत है जो अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों तथा कुछ अधिक भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। सीडी के लिए निम्नतम राशि एक लाख स्पये है और उसके बाद एक लाख स्पये के गुणजों में। बैंकों द्वारा जारी सीडी की परिपक्वता अवधि 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए और एक वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। वित्तीय संस्थाओं के मामले में यह एक वर्ष से कम नहीं और 3 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। बैंक/वित्तीय संस्थाएं सीडी पर ऋण प्रदान नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त वे परिपक्वता समाप्त होने से पहले अपने ही सीडी का बाईबाक नहीं कर सकते।

दौरान सीडी 1.7 गुना बढ़ गये)। हालांकि वर्ष दर वर्ष आधार पर जून 2010 तथा सितंबर 2010 में वृद्धि मंद होकर लगभग 50 प्रतिशत रह गई, फिर भी 2009 के पहले ही से उच्च आधार में वृद्धि यह दिखलाती है कि जमाराशियों में वृद्धि ऋण की वृद्धि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। सीडी पर बढ़ती निर्भरता बैंकों की निधियों की लागत पर प्रभाव डाल सकती है, विशेष कर सीडी दरों में हाल ही की वृद्धि को देखते हुए जिस पर इस रिपोर्ट के अध्याय III में चर्चा की गई है।

#### अधिक प्रीयाद वाली जमाराशियों में वृद्धि हुई है तोकिन अधिकांश जमाराशियां कम अवधि की थीं

4.13 प्रीयाद वाली जमाराशियों में भी लगातार वृद्धि हुई है जिससे अधिक अवधि वाले ऋण सुविधाजनक हो गये हैं। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ, जमाराशियों के परिपक्वता प्रोफाईल के अध्ययन से पता चलता है कि कम अवधि वाली जमाराशियों का आधिक्य है, जिससे अधिक अवधि वाली आस्तियों में (उदाहरण के लिए मूलभूत सुविधा उधार) आस्ति देयता विसंगतियां बढ़ सकती हैं जैसाकि इस अध्याय के पैरा 4.6। में चर्चा की गई है।


#### सीडी तथा आईडी अनुपात

#### जमाराशियों में मंद वृद्धि के कारण वृद्धिशील सीडी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि

4.14 सीडी तथा आईडी अनुपातों से उस सीमा की गणना की जाती है जिस तक ऋण तथा निवेशों का वित्तपोषण जमाराशियों द्वारा किया जाता है। हालांकि 2009-10 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीडी तथा आईडी अनुपात कुल मिलाकर स्थिर बने रहे, फिर भी उसी अवधि में वृद्धिशील अनुपातों में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। (सारणी 4.1)

4.15 जून 2010 को समाप्त तिमाही के लिए, जब वृद्धिशील सीडी अनुपात 253 प्रतिशत था, ऐसे 24 बैंक थे जिनका वृद्धिशील सीडी अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था। उत्तरवर्ती तिमाही में वृद्धिशील

चार्ट 4.12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां तथा 'कासा' जमाराशियों का अंश



स्रोत: भारत बैंक की प्रतिवेदी विवरणियां

सारणी 4.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सीडी तथा आईडी अनुपात

	मार्च-08	जून-08	सितंबर-08	दिसंबर-08	मार्च-09	जून-09	सितंबर-09	दिसंबर-09	मार्च-10	जून-10	सितंबर-10
ऋण में प्रतिशत वृद्धि	9.7	2.3	7.7	2.6	5.9	-0.6	3.8	3.9	9.2	3.2	3.1
जमाराशियों में प्रतिशत वृद्धि	7.8	21	54	48	83	23	33	21	82	09	42
सीडी अनुपात	72.5	72.7	74.3	72.8	71.2	69.2	69.5	70.7	71.4	73.0	72.3
वृद्धिशील सीडी अनुपात	89.0	81.6	103.3	41.2	52.4	-17.8	80.2	127.1	79.8	253.6	54.5
जमाराशियों में निवेश का अनुपात	36.2	36.4	33.3	37.1	36.5	39.0	39.1	39.0	37.1	36.9	36.7
वृद्धिशील आईडी अनुपात	21.6	48.6	24.2	115.4	90.1	143.1	42.0	35.3	14.0	19.2	30.3

स्रोत: भारत बैंक की प्रतिवेदी विवरणियां

ऋण-जमा अनुपात घटकर 54.4 प्रतिशत हो गया। जून 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान वृद्धिशील ऋण में बढ़ोत्तरी मुख्यतः उधार राशियों में वृद्धि (13.44 प्रतिशत), निवेश के स्टाक में कमी, बैंकों से प्राप्य राशि में कमी और नकद शेष को प्रयुक्त करने की वजह से हुई है। कुछ बड़े बैंकों द्वारा अपनी उधारराशियों और निवेश की परिपक्वता के जरिए अपने वृद्धिशील अग्रिमों का निधीयन किया गया जिसने जून 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में हुई तेज बढ़ोत्तरी को प्रभावित किया। इस प्रकार के साधनों के जरिए की गई ऋण वृद्धि को सतत रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है और यदि जमा ब्याज दरों से अधिक ब्याज दर पर उधार लिया गया हो तो यह मार्जिन पर भी प्रभाव डाल सकता है।


### पुराने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों की थोक जमाओं पर निर्भरता अधिक थी

4.16 निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा अत्यधिक बड़ी जमाराशियों (अर्थात् 15 लाख और उससे अधिक की जमाराशियों) पर अत्यधिक निर्भर रहना जारी है यद्यपि निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामले में इस प्रकार की निर्भरता में बेहद कमी देखी गई है (चार्ट 4.13)। थोक जमाओं पर बहुत अधिक निर्भर होने से बैंकों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर उस समय जब कार्ड दरों से अधिक की दर उनकी की न रही हो। ये अचानक धन आहरण और/ या इस प्रकार की जमाओं को फिर से निवेश नहीं करने से होनेवाली चलनिधि जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

### लीवरेज

### उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक बैंकों का लीवरेज<sup>3</sup> अधिक बना हुआ है


4.17 व्यापक रूप से ऐसा माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर बैंकों द्वारा किये गए अत्यधिक लीवरेज ने वैश्विक वित्तीय संकट गहराने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। यद्यपि लीवरेज में कमी आई है लेकिन भारतीय बैंकों के लीवरेज अनुपात की तुलना में यह आज भी अधिक बना हुआ है।



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां


<sup>3</sup> चार्ट 4.14 और 4.15 में दर्शाएं गए लीवरेज गुण, तुलन पत्र लीवरेज (अमर्त आस्तियों को घटाते हुए समायोजित बैंकों की कुल इक्विटी की तुलना में बैंकों की कुल आस्तियों का अनुपात) हैं। ये गणनाएं सीजीएफएस पर्वे 'द रोल ऑफ वैल्यूएशन एंड लीवरेज इन प्रोसाइलिएलिटी' (अप्रैल 2009) और 'द लीवरेज रैशियो' पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नीतिगत पर्वे (दिसंबर 2009) में दी गई लीवरेज अनुपात की परिभाषाओं पर आधारित हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नीतिगत पर्वा लीवरेज अनुपात शब्द को 'कुल आस्तियों की तुलना में टीयर 1 पूँजी का अनुपात' के रूप में परिभासित करता है जबकि उन्नत अनुपात के विपरीत क्रम को लीवरेज गुण के रूप में संदर्भित किया जाता है। हाल ही के बीसीबीएस पर्वे 'बासल III : ए ग्लोबल रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फार मोर रिपिलिएन्ट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम' (दिसंबर 2010) में लीवरेज को कुल आस्तियों की तुलना में टीयर 1 पूँजी के अनुपात के रूप में सूचित किया गया है, साथ ही अंश और हर को पर्वे में दिए गए सापेक्ष निर्धारणों के अनुसार समामेमित किया जाता है। लीवरेज अनुपात अपेक्षा का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में लीवरेज को कम करने के लक्ष्य को हासिल करना है; इससे अत्यधिक लीवरेज बनने और उसके नियुक्त होने की प्रक्रिया जो वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा सकती है, के खतरे में कमी लाने में, और मॉडल जोखिम और उसे मापने की प्रक्रिया में हुई शक के प्रति अंतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाओं की शुरूआत करने में मदद मिलती है। यह साधारण, ---- आधारित 'बैंकस्टॉप' उपाय के साथ जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं को सुदृढ़ बना जाए। समिति 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 की समानांतर परिचालन अवधि के दौरान 3 प्रतिशत के न्यूनतम टीयर 1 लीवरेज अनुपात को परखेगी। समानांतर परिचालन अवधि के परिणामों के आधार पर यदि लीवरेज के अनुपात की परिभाषा और मानकीकरण में कोई अंतिम समायोजन होता है तो इसे 2017 के प्रथम अर्धवर्ष में निष्पादित कर लिया जाएगा ताकि 1 जनवरी 2018 को स्तंभ 1 प्रक्रिया में अंतरण किया जा सके।

चार्ट 4.14: चुनिंदा यूएस बैंकों के तुलन पत्र<sup>\*</sup>  
लोवरेज गुणज



स्रोत: सीजीएफएस 2009

चार्ट 4.15: यूरोप और जापान के चुनिंदा बैंकों के तुलन पत्र<sup>\*</sup>  
लोवरेज गुणज



क. बैंक ऑफ अमेरिका, मिट्टीग्रुप बैंकोंग्राम नेम, बालबोलिया कंपनीलोन, बोर्डोटान न्यूयूअल तेल कम्पनी एंड कंपनी ला, बिक्रान्टन्स, गोल्डन फैस्ट, लेडीबन्कर्स, मेरललिंग, पवे बोर्गन स्ट्रेस्टी  
ग. बारक्सेज, एसएसबीली, लोइल ट्राइएसडब्ल्यू ग्रुप, एव रोमांड बैंक ऑफ ब्लैंडलैंड  
घ. एवोरेज एंड लोइलॉन्ड बैंक मेट्रोडा, बोर्गल एरबास, कॉमर्स बैंक, डेविट एंड्रेसेन, डेविट मूल्य, डग बैंक, योसाट जनरल, यूबीएस एवं यूनिवेंड एस्टेट


### भारतीय बैंकों का सामान्य रूप से लोवरेज<sup>\*</sup> होना जारी

4.18 वर्ष 2007 में विश्व के 50 बड़े बैंकों के लिए यूएस, यूरोपीय और जापानी बैंकों का लोवरेज गुणज 30 के आसपास (चार्ट 4.14 और 4.15) था। इसके विपरीत भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लोवरेज गुणज कम रहा (चार्ट 4.16)। वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में बैंकों के गुणज में थोड़ी गिरावट हुई (17.75 से घटकर 16.83)। भारतीय बैंकों के लोवरेज का स्तर टीयर-1 पूँजी की अच्छी स्थिति, समग्र बैंकिंग आस्तियों में सामान्य बढ़ोत्तरी और सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों (पीएसबी) के वर्ष 2009-10 के दौरान किये गए पुनःपूँजीकरण को भी दर्शाता है। इस प्रकार बैंकों के लिए लोवरेज अनुपात की शुरुआत करने में वैश्विक उपायों के बाध्यकारी अवरोध के रूप में रहने की संभावना नहीं है, यद्यपि जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय V में चर्चा की गई है, इस संबंध में कुछ परिभाषागत चिताएं हैं।

### अत्यधिक लोवरेज वाली कंपनियों के प्रति एक्सपोजर कम बना रहा

4.19 एक ओर जहां बैंकों का लोवरेज अपने आप में महत्वपूर्ण जोखिम सकेतक है, वहां अत्यधिक लोवरेजवाली की गई कंपनियों के प्रति उनका भी समान चिंता का विषय है। इस संबंध में किये गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि अत्यधिक लोवरेजवाली कंपनियों में भारतीय बैंकों का एक्सपोजर की कम है। हालांकि इस प्रकार की कंपनियों के प्रति एक्सपोजर की जोखिम में बढ़ोत्तरी में कमी आ रही है (बाक्स 4.1)।

चार्ट 4.16: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लोवरेज गुणज



स्रोत: भा.र.बैंक की प्रयोगी विवरणियां

\* भारतीय बैंकों के लोवरेज गुणज वस्तुतः तुलन पत्र लोवरेज (अमूर्त आस्तियों को घटाते हुए समायोजित बैंकों की कुल इक्विटी की तुलना में बैंकों की कुल आस्तियों का अनुप है)। जैसा कि पहले ट्रिप्पणी 3 में दर्शाया गया है, इनकी गणना सीजीएफएस और आईएमएफ द्वारा प्रयोग में लाई गई समान प्रणाली का प्रयोग करते हुए की गई है।

#### बाक्स 4.1: अत्यधिक लिवरेज (विशेष सुविधाप्राप्त) कंपनियों के लिए भारतीय बैंकों का एक्सपोज़र

कंपनियों के तुलनपत्र में दिखाई पड़नेवाली उन्हें प्रदान की गई विशेष सुविधाओं के उच्च स्तर में उनके ढूबने और उनके लिए आपात्कालीन स्थिति की सम्भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसी कंपनियों के लिए बैंकों के एक्सपोज़र के फलस्वरूप प्रणाली को हो सकनेवाली क्षति का अंदाज़ा लगाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में भारत की ऐसी 25 कंपनियों (बैंकों को छोड़कर) को शामिल किया गया जिन्हें सबसे अधिक विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थीं। इन 25 कंपनियों में से 20 कंपनियों अपने ऋण ईक्विटी अनुपात (डीईआर) के अनुसार शीर्ष बीएसई 100 कंपनियों में शामिल थीं और शेष 5 कंपनियों (यद्यपि वे शीर्ष बीएसई 100 में शामिल नहीं थीं) को उच्च ऋण ईक्विटी अनुपात और 1500 करोड़ रुपये से अधिक की निवल मालियत के संयुक्त आधार पर चुना गया था।

इस अध्ययन में पाया गया कि

- बीएसई 100 कंपनियों की सूची के अनुसार उच्चतम ऋण ईक्विटी अनुपात 245.1 प्रतिशत था और केवल आठ कंपनियों का ऋण ईक्विटी अनुपात 100 प्रतिशत के ऊपर था।
- इस अध्ययन में शामिल बीएसई 100 कंपनियों से इतर कंपनियों का ऋण ईक्विटी अनुपात 117.7 प्रतिशत से लेकर 507.4 प्रतिशत के बीच पाया गया।
- परंपरागत तौर पर, भारत में अधिकतम विशेष सुविधा प्राप्त उद्योगों में हस्त-करघा उद्योग, सूती वस्त्र, चीनी, कागज और कागज उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, लौह और स्टील, कृत्रिम धातु उत्पाद, रसायन, होटल एवं रेस्तरां और रियल इस्टेट का समावेश है। ऊपर उल्लिखित नमूना में हस्तकरघा उद्योग को सबसे अधिक विशेष सुविधा प्राप्त उद्योग का दर्जा प्राप्त था और उसका डीईआर लगभग 200 प्रतिशत था। इसके बाद सूती वस्त्रोद्योग का

#### सेक्टरगत ऋण विश्लेषण

##### रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जोंने ऋण वृद्धि को बढ़ाया

4.20 वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान ऋण वृद्धि मंद रही। ऋण उठाव में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20.7 प्रतिशत का सुधार होने से सितंबर 2010 के अंत में अग्रिमों में तेजी देखने में आई (चार्ट 4.17)। मूलतः यह सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, खुदरा और प्राथमिकताप्राप्त सेक्टर को दिए जानेवाले वृद्धिशील अग्रिमों की वजह से हुआ।

##### खुदरा ऋण


##### संवृद्धि में नरमी कायम रही लेकिन अनर्जक आवास ऋणों में वृद्धिशील उत्थान दृष्टिगोचर था

4.21 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अग्रिमों में खुदरा ऋण का हिस्सा 19 प्रतिशत था। इसमें संकट-पूर्व स्थिति के 26 प्रतिशत के स्तर से उल्लेखनीय गिरावट-दर्ज हुई। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के औसत 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष

नंबर आता था। चुनी गई कंपनियों में से पांच कंपनियों का डीईआर 200 प्रतिशत से अधिक था। इनमें से दो कंपनियां लौह और स्टील सेक्टर की कंपनियां थीं।

- सितंबर 2010 में इन 25 कंपनियों के लिए निधि आधारित एक्सपोज़र कुल एक्सपोज़र का 64 प्रतिशत था। सितंबर 2010 में इन कंपनियों के लिए कुल एक्सपोज़र मार्च 2010 की तुलना में एक प्रतिशत बढ़ गया, जबकि मार्च 2009 से 2010 के बीच वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 18 प्रतिशत रही। मार्च 2009 में बैंकों के कुल एक्सपोज़र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 68 प्रतिशत था जो मार्च 2010 में बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया तथा सितंबर 2010 में गिरकर 69 प्रतिशत तक पहुंच गया। सितंबर 2010 में निजी क्षेत्र के नए बैंक 20 प्रतिशत एक्सपोज़र के हिस्सेदार थे।
- इसके अलावा अकेले पांच बैंक ही इन 25 कंपनियों के लिए कुल एक्सपोज़र के 53 प्रतिशत के भागीदार थे जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंक और निजी क्षेत्र दो नए बैंकों समावेश था। कुल 24 ऐसे बैंक थे जिनका एक्सपोज़र 2000 करोड़ रुपये से अधिक था।
- प्रणाली के स्तर पर, इन 25 कंपनियों के लिए एक्सपोज़र अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र अग्रिम का लगभग 6 प्रतिशत था। एक ऐसा विदेशी बैंक भी था जिसका इन 25 कंपनियों में से 10 कंपनियों के लिए एक्सपोज़र उसके समग्र अग्रिम का 17 प्रतिशत था।
- इस एक्सपोज़र में से लगभग 36 प्रतिशत एक्सपोज़र लौह और स्टील सेक्टर के लिए था।
- एक एयरलाइन कंपनी का ऋण ईक्विटी अनुपात 500 प्रतिशत से अधिक था, जो इस उद्योग के औसत से कहीं अधिक था।

चार्ट 4.17: एससीबी के सेक्टोरियल क्रेडिट में वृद्धि



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

आधार पर सितंबर 2010 के अंत में इसमें 12.07 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई और इस सेक्टर की संवृद्धि दर में सुधार दिखाई दिया।


### खुदरा कर्जों की संवृद्धि में आवास ऋणों और व्यक्तिगत ऋणों का प्रमुख योगदान था

4.22 भारत में आवास ऋण, खुदरा ऋण का एक प्रमुख घटक है और विशेष रूप से पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग को वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक कारक रहा है। (चार्ट 4.18 और 4.19)। सितंबर 2010 के अंत में ये ऋण कुल खुदरा ऋणों के 56 प्रतिशत से अधिक थे जो मार्च 2010 में 54.3 प्रतिशत के उनके हिस्से से थोड़ा अधिक था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र अग्रिमों में आवास ऋणों का हिस्सा औसतन 10 प्रतिशत से ऊपर रहा है (चार्ट 4.20)।

### आवास ऋणों की संवृद्धि में दोबारा उछाल ने विवेकपूर्ण मानदंडों को कठोर बनाया


4.23 वित्तीय संकट के असर के बाद वाले दो वर्षों के दौरान देखी गई मंदी के पश्चात वर्ष 2009-10 के दौरान बैंकों के आवास ऋण संविभाग में तेजी से सुधार देखने में आया। इस संविभाग में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वर्ष 2007-08 के दौरान देखी गई 13 प्रतिशत और वर्ष 2008-09 के दौरान देखी गई 4 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान लगभग 20 प्रतिशत और सितंबर 2010 के अंत तक लगभग 30 प्रतिशत की संवृद्धि देखी गई। वर्ष 2009-10 के दौरान मकान की कीमतों में सहवर्ती वृद्धि देखी गई और उसके बाद कई केंद्रों में इनकी कीमतों ने संकट पूर्व के अपने स्तर को भी पार कर लिया। आवास ऋणों के लिए बैंकों की लुभावनी योजनाओं ने भी मकान की मांग और कीमतों में बढ़ोत्तरी के लिए दबाव बनाया। इन गतिविधियों के मद्देनजर और इस क्षेत्र में अत्यधिक जोखिम पर लगाम लगाने के लिए एहतियाती कदम के रूप में रिजर्व बैंक ने नवंबर 2010 में मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में कई उपायों की घोषणा की। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें मूल्य की तुलना में कर्ज अनुपात को 80 प्रतिशत पर प्रतिबंधित करना (20.00 लाख रुपए तक के कर्जों के लिए 90 प्रतिशत) और अधिक राशिवाले आवास कर्जों (75 लाख रुपए और उससे से अधिक) पर जोखिम भारिता को 125 प्रतिशत करना शामिल है ताकि इस क्षेत्र में अत्यधिक लीवरेज को रोका जा सके। पूर्ववर्ती वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में 'लुभावनी दरों' वाले आवास कर्जों - ऐसे आवास कर्ज जिन पर आरंभ में निम्न स्थिर ब्याज दर होती है जो आगे चलकर बढ़ते-बढ़ते ऊचे स्तर पर पहुंच जाती है, परंतु व्यक्त की गई थी। यह पद्धति

चार्ट 4.18: एससीबी के आवासीय एवं व्यक्तिगत ऋण तथा गैर जपानते ऋण का स्तर




स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावेशी विवरणियां

चार्ट 4.19: एससीबी की खुदरा एवं आवासीय ऋणों की संवृद्धि



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावेशी विवरणियां

चार्ट 4.20: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों में उनके खुदरा और आवास ऋण का हिस्सा



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावेशी विवरणियां

चिंता पैदा करती है क्योंकि कुछ उधारकर्ता सामान्य ब्याज दर, जो आरंभिक वर्षों में लागू दर से अधिक होती है, के लागू हो जाने के बाद कर्ज की चुकौती में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। यह भी देखा गया है कि कई बैंक आरंभ में कर्ज मंजूर करते समय सामान्य ब्याज दर पर उधारकर्ता की चुकौती क्षमता पर विचार नहीं करते हैं। अतः ऐसे कर्जों से जुड़े अधिक जोखिम को देखते हुए बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधानन को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापि, यदि ऋण खाता 'मानक' बना रहता है तो ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर पुनर्निर्धारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के बाद इन आस्तियों पर प्रावधानन फिर से 0.40 प्रतिशत हो जाएगा।

### खुदरा कर्जों का उल्लेखनीय हिस्सा गैर जमानती था


4.24 बाणिज्य बैंकों के खुदरा उधार संविभाग के एक अन्य प्रमुख घटक खुदरा ऋण में गैर जमानती ऋण (मूलतः निजी ऋण) का हिस्सा बहुत अधिक अर्थात् 35 प्रतिशत बना हुआ है। वर्ष 2009-10 के दौरान 3.48 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि वाले निजी कर्जों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सितंबर 2010 में 14.49 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई। खुदरा कर्जों के कुल एनपीए में निजी कर्जों के एनपीए का हिस्सा 40 प्रतिशत था। तथापि निजी कर्जों के एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सितंबर 2010 के अंत में गिरावट दर्ज हुई।

### खुदरा की चूक में बढ़ोत्तरी की दर धीमी पड़ गई, लेकिन आवास ऋणों के मामले में कुछ चिंता बनी हुई है

4.25 आर्थिक मंदी और तेजीवाले वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर दी गई उधारियों की वजह से खुदरा की चूक में जो तीव्र वृद्धि हुई थी उसमें वर्ष 2009-10 के दौरान एवं अनुवर्ती तिमाहियों में सुधारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी (चार्ट: 4.21)। अपराध की दरों में गिरावट के बावजूद कुल खुदरा अग्रिमों की तुलना में खुदरा संविभाग में एनपीए का अनुपात सितंबर 2010 में 3.74 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहा। आवास क्षेत्र के एनपीए में वर्ष 2009-10 के दौरान तीव्र वृद्धि (27.22 प्रतिशत) हुई और सितंबर 2010 के अंत में इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सतत उल्लेखनीय वृद्धि (26.31 प्रतिशत) दर्ज की गई। खुदरा क्षेत्र के एनपीए के साथ-साथ समग्र एनपीए की मात्रा में आवास कर्जों और निजी कर्जों के एनपीए प्रमुख कारक रहे। साथ ही मार्च 2005-सितंबर 2010 के दौरान खुदरा एनपीए में इन ऋणों के एनपीए की मात्रा 73 प्रतिशत थी तथा इसी अवधि के दौरान ये अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के समग्र एनपीए के 21.5 प्रतिशत थे।

4.26 वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान खुदरा एनपीए में हुई तीव्र वृद्धि कम से कम, आंशिक रूप से अर्थव्यवस्था के विस्तारकारी

चार्ट 4.21: खुदरा क्षेत्र में अनुसूचित बाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में वृद्धि



स्रोत: भा.रि.बैंक की प्रयोगशील विवरणियां

दौर के समय के प्रतिकूल साख चयन का परिणाम थो। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होता जाएगा और वह संकट के पूर्ववाली स्थिति के समान उच्चतर संवृद्धि के स्तर तक पुनः पहुंच जाएगी, बैंकों को अपने ऋण मूल्यांकन मानकों में किसी भी तरह की ढोल के प्रति सजग रहना होगा।

### मूलभूत संरचना क्षेत्र (इंफ्रास्ट्रक्चर)


**प्रथानता प्राप्त इस क्षेत्र के लिए बैंकों के वित्त में पर्याप्त वृद्धि हुई** लेकिन उसने दीघरवार्षिक में आस्ति देयता असंतुलन को भी बढ़ावा दिया

4.27 मूलभूत संरचना क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2009-10 के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक एवं सितंबर 2010 के अत में 40 प्रतिशत से अधिक की मजबूत संवृद्धि जारी रही (चार्ट 4.22)। समग्र अग्रिमों की वृद्धि दर की तुलना में मूलभूत संरचना क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की वृद्धि दर काफी अधिक बनी रही, और इसलिए कुल अग्रिमों में से इस क्षेत्र को दिए गए अग्रिम मार्च 2005 के 6.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 में 10.4 प्रतिशत तथा सितंबर 2010 में 12.4 प्रतिशत तक पहुंच गए। मूलभूत संरचना क्षेत्र के एक्सपोज़र का अधिकांश हिस्सा पीएसबी के जिम्मे था जो एससीबी द्वारा इस क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि का लगाभग 88 प्रतिशत था। इस क्षेत्र के एनपीए के समग्र स्तर में तीव्र वृद्धि हुई (सितंबर 2009 के 1442 करोड़ रुपए से सितंबर 2010 के 2725 करोड़ रुपए तक) जबकि एनपीए अनुपात मूलभूत संरचना क्षेत्र के अग्रिमों से एक प्रतिशत नीचे रहा।

**मूलभूत संरचना क्षेत्र का वित्तपोषण समय की मांग है लेकिन यह बैंकों के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) संबंधी चिन्ता बढ़ा सकता है**

4.28 मूलभूत संरचना क्षेत्र को दिए गए उधार के लिए बैंकिंग क्षेत्र का बढ़ता एक्सपोज़र कम से कम इसका परिचायक है कि देश के मूलभूत संरचना क्षेत्र को बेहतर बनाने की जरूरत है। फिर भी मूलभूत संरचना क्षेत्र के लिए बढ़ता एक्सपोज़र बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुछ चिन्ता यैदा कर सकता है क्योंकि 'कासा' जमाराशियों के उच्च स्तर और बैंकों द्वारा ब्याज दर के संबंध में अपनाई गई पुनर्निर्धारण नीति जैसे रोकथामपरक उपायों के बावजूद यह संविभाग बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा खतरा है, मूलभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की लंबी अवधि को देखते हुए उसके अनुरूप दिए गए कर्जों के लिए ब्याज दर तय करने में बैंकों की असमर्थता जिससे ऋण जोखिम बढ़ जाता है। इन परियोजनाओं के सम्पुर्ख आनेवाले पर्यावरण से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न सामाजिक-राजनैतिक और विधिक-प्रशासनिक अवरोधों की बजह से इनके लंबित होने की संभावना बढ़ जाती है और परिणामतः मूलभूत संरचना क्षेत्र की उधारी से जुड़े आस्ति देयता प्रबंधन मामलों में भी तेजी की संभावना बढ़ जाती है।

चार्ट 4.22: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गये इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों में वृद्धि



स्रोत: भा.पि. बैंक की एवेंजर विवरणिया

## अतिरिक्त विनियामक रियायतें देना आसान नहीं होगा

4.29 इस क्षेत्र को लिए जानेवाले कर्जों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सपोजर मानदंडों में दी गई रियायत (एकल उधारकर्ता के मामले में 5 प्रतिशत और समूह एक्सपोजर के मामले में 10 प्रतिशत की सीमा) को कायम रखा गया है। मूलभूत संरचना क्षेत्र के कर्जों के बारे में और अधिक छूट प्रदान करने के लिए अलग अलग वर्गों से रिजर्व बैंक को अनुरोध मिले हैं। तथापि, अत्यधिक संकेद्रण के जोखिम को न बढ़ने देने के विनियामक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा इसके लगावा मूलभूत संरचना क्षेत्र के वित्तपोषण से आस्ति देयता असंतुलन में इजाफा होने की स्थिति को धान में रखते हुए एक्सपोजर मानदंडों में और दिलाई बरतने की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती।

## मूलभूत संरचना क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए एक नियमित समाधान ढूँढ़ने की आवश्यकता है

4.30 इस तरह से मूलभूत संरचना क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए नियमित समाधान ढूँढ़ना होगा जैसे कि दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए बाजारों को विकसित करना। इसकी पूर्ववर्ती वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा मूलभूत संरचना क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया था। इस दिशा में किए गए कुछ और उपाय हैं, आईडीएफसी सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से अंतरण वित्तपोषण की व्यवस्था करना तथा कुछ श्रेणी की मूलभूत परियोजनाओं के लिए कुछ सीमाओं के अधीन रुपया ऋण के पुनर्वित हेतु अनुमोदन मार्ग से बाह्य वाणिज्यिक उधारों की व्यवस्था करना। इसके अलावा वर्ष 2010-11 के केन्द्रीय बजट में घोषित किए गए अनुसार अगले तीन वर्षों तक आईआईएफसीएल द्वारा 25,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित अंतरण वित्तपोषण से बैंकों को कुछ हद तक अपने एप्लएम संबंधी मामलों का समाधान ढूँढ़ने में मदद मिलेगी। आईआईएफसीएल को यह भी अधिकार दिए गए हैं कि वह मूलभूत संरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कर्जा देनेवाले बैंकों को पुनर्वित प्रदान करे। इसके अतिरिक्त मूलभूत संरचना क्षेत्र से जुड़ी जिन परियोजनाओं (सरकारी-निजी सहभागिता) का निर्माण कार्य आगे बढ़ चुका है और जिनके लिए सरकारी प्राधिकारी ने अनिवार्य रूप से ‘बाय-आउट’ गारंटी प्रदान

की है, उनके लिए जोखिम पूँजी निधि की तरह ही मूलभूत संरचना उधार निधि बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है जिससे कम लागत पर दीर्घावधि निधि जुटाई जा सके। इस रिपोर्ट के अध्याय III में की गई चर्चा के अनुसार कारपोरेट बांड बाजार को विकसित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वित्तपोषण हेतु किए गए उपायों के अलावा इस क्षेत्र के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में आंशिक संशोधन किए गए हैं ताकि कोई मामलों की वजह से होनेवाले विलंब सहित पुनर्गठित परियोजना कर्जों के लिए उनकी मूल तारीख से अधिकतम चार वर्षों एक उनका व्यापारिक कारोबार आरंभ करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए और इसके लिए उस परियोजना के आस्ति वर्गीकरण को डाउनग्रेड करने की कोई आवश्यकता न हो। अवमानक के रूप में वर्गीकृत मूलभूत संरचना अग्रिमों के गैरजमानी एक्सपोजर के मामले में अपेक्षित प्रावधान को कम कर 15 प्रतिशत(अन्य एक्सपोजरों के लिए 20 प्रतिशत की तुलना में) कर दिया गया है, बशर्ते उस परियोजना से मिलनेवाले नकदी प्रवाह के निलंब के लिए एक प्रणाली हो और ऐसे नकदी प्रवाहों पर बैंक का स्पष्ट और कानून पहला हक बनता हो।

## स्थावर संपदा (रियल इस्टेट)

### सम्पत्ति की बढ़ती कीमतों के बीच बैंकों द्वारा रियल इस्टेट के वित्तपोषण में सुधार देखा गया

4.31 आवासीय बंधकों और वाणिज्यिक रियल इस्टेट दोनों के लिए एससीबी के रियल इस्टेट एक्सपोजर में हाल को कुछ तिमाहियों में बढ़ोत्तरी दिखाई दी जो कुल अग्रिमों का 18 प्रतिशत है। वित्तीय संकट से उपजी मंदी के बाद रियल इस्टेट एक्सपोजर के वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर में सुधार होकर वह सितंबर 2010 के अंत में 18 प्रतिशत हो गयी (चार्ट 4.23)।

4.32 सितंबर 2010 में वाणिज्यिक रियल इस्टेट एक्सपोजर, कुल रियल इस्टेट एक्सपोजर का लगभग 25 प्रतिशत था। हाल की तिमाहियों में रियल इस्टेट एक्सपोजर में इस क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि (मार्च 2009 के 16.40 प्रतिशत से) हुई है, जो मूलतः वाणिज्यिक रियल इस्टेट की परिभाषा में हुए बदलाव के कारण हुआ है। आवास ऋण (जो एससीबी

<sup>5</sup> दिनांक 9 सितंबर 2009 का परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.42/ 08.12.015/2009-10 जो एक्सपोजरों को वाणिज्यिक रियल इस्टेट एक्सपोजरों (सीआरई) के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देशों के बारे में है, ने इस संबंध में बासल-11 मानदंडों को अनिवार्यतः अनिवार्य विशेषता होनी की उत्तर निर्धारण से रियल इस्टेट का निर्माण/अधिग्रहण हो (जैसे कि किराए पर दिए जाने के लिए कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुविध आवासीय भवन, औद्योगिक अथवा भंडारण स्थान, और होटल) जिससे होनेवाली आय से ऋण का भुगतान किया जा सके। इसके अलावा चुक की स्थिति में वसुली की संभावना भी इस तरह की नियकता आस्तियों से होनेवाली आय पर निर्भर करती हैं जिन्हें जमानत के रूप में लिया गया है। उद्यमी द्वारा अपने कारोबारी गतिविधियों को चलाने के उद्देश्य से अधिग्रहीत किए गए रियल इस्टेट के लिए एक्सपोजर, जिसे उद्दीप्त कारोबारी गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह से राशि मुहूर्या कराई जाएगी, को वाणिज्यिक रियल इस्टेट के रूप में वर्गीकृत रहने किया जाएगा। तथापि, ऐसी सम्पत्तियों से मिलनेवाले किराए से जिन एक्सपोजरों की जुकौती की जाएगी, उन्हें सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा क्योंकि ऐसा ही सकता है कि ऐसे एक्सपोजरों से वाणिज्यिक रियल इस्टेट का निर्माण/अधिग्रहण नहीं हो लेकिन हन चुकौतीयों के परिणामस्वरूप रियल इस्टेट किए गए रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

के कुल रियल इस्टेट एक्सपोजर का 61 प्रतिशत है) की प्रवृत्तियों पर इस अध्याय के पैराग्राफ 4.22 और 4.23 में चर्चा की गई है।

### अनर्जक आवास ऋणों में वृद्धि के कारण अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में वृद्धिप्रक रूख देखा गया

4.33 सितंबर 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान रियल इस्टेट एनपीए में 8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी। तथापि एससीबी के कुल एनपीए में रियल इस्टेट एनपीए का अंश मार्च 2010 के 13.5 प्रतिशत से मामूली गिरावट के साथ सितंबर 2010 में 13.13 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2010 के अंत में 2.58 प्रतिशत के समग्र एनपीए अनुपात की तुलना में रियल इस्टेट सेक्टर का समग्र एनपीए अनुपात 1.90 प्रतिशत रहा (चार्ट 4.24)।


4.34 सितंबर 2010 के अंत में कुल रियल इस्टेट कर्जों में आवासीय रियल इस्टेट कर्जों की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में कुल रियल इस्टेट एनपीए में आवासीय बंधक एनपीए का हिस्सा 80 प्रतिशत था। सितंबर 2010 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आवासीय बंधकों के एनपीए में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई (इस अध्याय के पैराग्राफ 4.25 में की गई चर्चा के अनुसार)। तथापि, समग्र एनपीए अनुपात 2.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा। आवासीय बंधक कर्जों के एनपीए के समग्र स्तर में बढ़ोत्तरी का प्रमुख कारण था, संकटपूर्व स्थिति में उधार देने में आई तेजी के दौरान प्रतिकूल ऋणों का चयन। अब, बैंकों ने इस क्षेत्र के लिए ऋण मंजूरी प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ ही कर्ज आवेदनों पर केन्द्रीकृत रूप में विचार करने जैसे उपायों को अपनाकर निगरानी प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया है। समुन्नत आईटी आधारित वित्तीय उपकरणों की मदद से बैंक ऋण खातों की प्रभावी निगरानी करने में भी सफल हो सके हैं।

4.35 सितंबर 2010 को समाप्त छमाही के दौरान सीआरई अग्रिमों से जुड़े एनपीए के मामले में मामूली गिरावट देखने में आई। सीआरई का समग्र एनपीए अनुपात मार्च 2010 के 1.66 प्रतिशत से गिरकर सितंबर 2010 में 1.46 प्रतिशत हो गया। तथापि, पुनर्गठित खातों सहित बड़े वाणिज्यिक रियल इस्टेट खातों में चूक के कुछ मामले सामने आए।

### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के एक्सपोजर एक्सपोजर में बढ़ोत्तरी हुई लेकिन उनका आकार छोटा बना रहा


4.36 वर्ष 2009-10 एवं अनुवर्ती तिमाहियों के दौरान एनबीएफसी के एक्सपोजर में बढ़ोत्तरी होती रही (चार्ट 4.25)। हालांकि इस क्षेत्र के लिए समग्र एक्सपोजर, एससीबी के समग्र अग्रिमों के 4 प्रतिशत

चार्ट 4.23: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये भूसंपदा क्षेत्र ऋण के घटकों में हुई वृद्धि




स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां

चार्ट 4.24: भूसंपदा क्षेत्र के ऋणों में एनपीए का हिस्सा



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां

चार्ट 4.25: एनबीएफसी के एक्सपोजर



स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां

० पुनर्गठित रियल इस्टेट खातों में चूक की संभावना को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इस बारे में छह वाणिज्यिक बैंकों के नमूने पर आधारित एक अध्ययन करवाया। अध्ययन से पता चला कि वर्ष 2008-09 में उपर्युक्त नमूने के पुनर्गठित रियल इस्टेट खातों में से 19 प्रतिशत खाते और वर्ष 2009-10 में पुनर्गठित रियल इस्टेट खातों में से 9 प्रतिशत खाते चूक कर एनपीए बन गए।

से भी कम था। संबंधित एक्सपोजर के 1 प्रतिशत के स्तर पर इस क्षेत्र में क्षति आस्तियां भी कम थीं।

### प्रतिभूतीकरण

#### 2009-10 में मात्रा में कमी आयी

4.37 2009-10 में लगातार दूसरे वर्ष भारत में प्रतिभूतीकरण की मात्रा कम रही और निर्गम की मात्रा में लगभग 22 प्रतिशत की कमी हुई। समग्र प्रतिभूतीकरण की मात्रा में कमी मुख्य रूप से एकल कंपनी ऋण प्रतिभूतीकरण या एलएसओ में 60 प्रतिशत कमी के कारण हुई, जो अधिकांशतः अत्यावधि की थी। इनका कारण बाजार में उथल-पुथल, चलनिधि में कमी, म्यूच्युअल फंडों के द्वारा भुगतान

(म्यूच्युअल फंड प्रमुख निवेशक होते हैं, विशेषकर एलएसओ खंड में)। ऐसा प्रतिभूतीकरण सौदों, आदि के संबंध में न्यूनतम धारिता अवधि तथा न्यूनतम धारिता आवश्यकता पर प्रस्तावित विनियामक प्रभारों के कारण भी हुआ।

4.38 पूरे विश्व में, वित्तीय संकट के कारण प्रतिभूतीकरण बाजार बंद होने के कागर पर पहुंच गये। तथापि, प्रतिभूतीकरण के अनिवार्य जोखिम फैलाव के लक्षणों तथा वास्तविक ऋण विस्तार के लिए चलनिधि संबंधी मुद्दों के सहजता के तथ्य को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभूतीकरण बाजारों में फिर से जान डालने के प्रयास किये जा रहे हैं।

#### बॉक्स 4.2 प्रतिभूतीकरण बाजार में फिर से जान डालना

प्रतिभूतीकरण को वैश्विक वित्तीय संकट का एक प्रमुख कारण माना जाता था। संकट के बाद, प्रतिभूतीकरण के लिखतों को शक की निगाह से देखा जाता है तथा प्रतिभूतीकरण के लिए बाजार लगभग समाप्त ही हो गया है। तथापि, यह भी माना गया कि एक लिखत के रूप में प्रतिभूतीकरण निर्विवाद रूप से एक बेहतर जोखिम प्रबंधन साधन है और इसका दुरुपयोग यथोचित विनियम न बनाने तथा बाजार को बिना किसी नियंत्रण के काम करने देने के कारण हुआ। परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभूतीकरण बाजारों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

इस संबंध में, बीसीबीएस ने प्रतिभूती उत्पादों के लिए विनियामक आवशकताओं में सामाजिक लाने के लिए कुछ सुधारों का प्रस्ताव किया है। पिलर 1 सुधारों के कई उद्देश्य हैं और इन एक्सपोजरों के साथ जुड़े जोखिम भारीकों को बढ़ाकर तथा विनियामक आरबिट्रेज के लिए अवसरों में कमी करना है। बीसीबीएस ने पिलर 3 आवश्यकताओं में भी संशोधन किये हैं जिनका उद्देश्य प्रतिभूतीकरण के सभी पहलुओं में बाजार के अनुशासन में वृद्धि करना है।

साख निर्धारण एजेनसियों पर निर्भरता में कमी करने के लिए, एजेनसियों द्वारा अपनी आंतरिक प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा अपने पारदर्शिता और सूचना प्रकट करने के मानकों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूरोपीय विनियम अब यह अपेक्षा करते हैं कि साख निर्धारण एजेनसियां अपनी प्रतिभूतीकरण उत्पाद सेणों को नियमित कंपनी तथा सरकारी ऋण से अलग करें। अगस्त 2009 में जारी फैनाशियल रेगुलेटरी रिफर्म नामक श्वेत पत्र में अमेरिकी ट्रेजरी ने अलग-अलग साख मानदंडों की भी वकालत की है। साख निर्धारण मानदंडों की प्रकाशन के लिए कुछ और आवश्यकताएं भी प्रारंभ की गयी हैं जिससे प्रति-उत्पाद तथा प्रति-साख निर्धारण तुलनाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। सूचना को प्रकट करने के मानकों में सुधार लाकर तथा आस्तियों और वित्तीय उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से देकर भी साख निर्धारण के व्यापार में कमी की जा सकती है। ऐसा करने से साख निर्धारण एजेनसियों से इतर एकाईयों के द्वारा प्रतिभूतीयों को विकसित करने तथा उनके बारे में अपना मत देने में सहायता मिलेगी। ऑफिशियलों ने विनियामक व्यवस्थाओं के संबंध में एबीएस के लिए सूचना प्रकट करने के सिद्धांतों का प्रकाशन किया है जिसमें यह बताया गया है कि मार्टिंगेर पर आधारित आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रतिभूतीयों सहित एबीएस के ऑफिर दस्तावेजों में क्या सूचना शामिल की जानी चाहिए।

संकट स्थिति में आ जाने की परिस्थितियां निर्मित करने में तत्काल नापे जा सकनेवाले लेखांकन परिणामों पर आधार क्षतिपूर्ति प्रणालियों की भी भूमिका रही है। ऐसे लेखांकन

मानकों, जिनसे प्रतिभूतिकरण से होनवाली आय की वैध पहचान समाप्त हो जाती है और इसी कारण क्षतिपूर्ति पर पड़नेवाला तत्काल प्रभाव खत्म हो जाता है, द्वारा क्षतिपूर्ति योजनाओं में उल्लेखनीय बदलाव लाये जा सकते थे। प्रतिभूतीयों की संरचना संबंधी दीर्घावधि क सभावना लागू करने से मूल प्रवर्तकों पर लिखत (साधन) के ट्रेड ऑफ जोखिम प्रतिलाभ का बेहतर हिसाब करने तथा बेहतर हामीदारी मानकों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान करने का दबाव आएगा। इस संबंध में एक स्वागत योग्य घटना यह है कि एकएसबी ने बिक्री लेखांकन उपचार पर लाभ को समाप्त कर दिया है, इसी के कारण कितप्य प्रतिभूतिकरणों की लाभप्रदता में वृद्धि हो गई थी।

पहलों का एक और सेट उत्पादों के मानकीकरण और सरलीकरण के प्रति लक्षित है जिससे पारदर्शिता बढ़ जाएगी और जोखिमों को बेहतर ढांग से समझने में सुविधा होगी; इस प्रकार इसका एक तरल गैंग बाजार विकसित करने में योगदान रहेगा।

पुनः हाल में नीतिगत कार्रवाइयों के एक सेट में और अधिक प्रतिभूतिकर्ता प्राप्त 'खेल का एक मुहरा' प्राप्त करने की पहल की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अच्छे ऋण की हामीदारी तथा निगरानी का कोई दायित्व उठा रहा है। यह सुन्दर है कि अधिकांश मामलों में प्रतिभूतिकरण उत्पाद के जारीकर्ताओं को ऋण के मूल प्रवर्तकों की यथोचित (निरंतर आधार की) जानकारी प्राप्त करने का कार्य करने के अत्यल्प प्रोत्साहन मिलता है। यह सुन्दर है कि अधिकांश मामलों में प्रतिभूतिकरण उत्पाद जारीकर्ताओं के ऋण के प्रवर्तकों के संबंध में यथोचित (निरंतर) समुचित सावधानी बरतने के लिए बहुत ही कम प्रोत्साहन समर्थन प्राप्त है। जारीकर्ताओं के संबंध में कड़ाई समुचित सावधानी बरतने के प्रयासों के प्रोत्साहन प्रदान करने की वृद्धि से यूरोपीय तथा अमेरिकी प्राधिकारी प्रतिभूतिकरण से संबंधित विनियमाली में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि जारीकर्ताओं को उनके द्वारा जारी कि जानेवाले प्रतिभूतिकरण उत्पादों में एक आर्थिक रूप से इतर एकाईयों के द्वारा प्रतिभूतीयों को विकसित करने तथा उनके बारे में अपना मत देने में सहायता मिलेगी। यूरोपीय संघ (ईयू) की संसद, ने पूँजी आवश्यकता संबंधी नियंत्रण जिसमें यूरोप में बासल II के कार्यान्वयन के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, में प्रतिभूतिकरण का कार्य करनेवालों को मूल प्रवर्तनों के सक्रियता मूल्य के कम से कम 5 प्रतिशत रखने का प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है। अमेरिकी सरकार ने 17 जून 2009 के ब्लेट पत्र में अमेरिकी प्रतिभूतिकर्ताओं के लिए इसी प्रकार की जोखिम अधिकारण आवश्यकताओं को आवाहन किया है। दोनों ही में, कई सारे जोखिम अधिकारण आवश्यकताओं को आवाहन किया है। और इसमें इक्विटी ट्रांच तथा समस्त ट्रांचों की समक्ष राशियां अधिकारित करना शामिल है।

## तुलन-पत्र से इतर (ओबीएस)एक्सपोजर

**ओबीएस एक्सपोजर मुख्यतः परंपरागत लिखतों में होते हैं। विदेशी बैंकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई।**

4.39 2009-10 के दौरान तुलन-पत्र के आकार के एक प्रतिशत के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल ओबीएस एक्सपोजर 218 प्रतिशत कम होकर 178 प्रतिशत रह गया। लेकिन सितंबर 2010 को समाप्त छमाही (चार्ट 4.26) में इसमें कुछ वृद्धि हुई और सितंबर 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार 210.8 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल एक्सपोजर बहुत अधिक नहीं था। तथापि, विदेशी बैंकों के तुलन पत्र के आकार में ओबीएस का एक्सपोजर मार्च 2010 के अंत में 1555 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2010 के अंत में 1828 प्रतिशत हो गया।

4.40 इसके अतिरिक्त, भारत में बैंकों के पास, विशेषकर देशी बैंकों के पास, क्रह आकस्मिकताएं (वित्तीय तथा निष्पादन गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन आदि) तथा फारवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाओं (चार्ट 4.27) जैसी परंपरागत तुलन-पत्र से इतर धारिताएं रही हैं।


4.41 जैसा कि पिछली एफएसआर में उल्लेख किया गया था, भारतीय वित्तीय बाजारों में डेरिवेटिव उत्पादों को प्रारंभ करने के प्रति दृष्टिकोण बहुत सावधानी बरतने का रहा है। फिर भी, उपलब्ध डेरिवेटिव उत्पादों की सूची में सुसङ्घरुप से विस्तार किया गया है और भारत में बैंक, एक्सपोजर का प्रबंधन करने तथा अपने कंपनी ग्राहकों को इसे उपलब्ध कराने के लिए इन उत्पादों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं।

4.42 ओबीएस एक्सपोजरों में विदेशी बैंकों का अंशदान बहुत बड़ा बना रहा, विशेषकर डेरिवेटिव्स से जुड़े एक्सपोजरों के लिए (चार्ट 4.28)

## तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि का कोई महत्व नहीं रहा


4.43 तुलन-पत्र के एक अनुपात के तौर पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर, जो कि संभाव्य तुलन-पत्र एक्सपोजर होता है और जिसके आधार पर पूँजी अपेक्षाओं का आकलन किया जाता है, की क्रेडिट समतुल्य राशि कम रही, वस्तुतः उसमें गिरावट की प्रवृत्ति (मार्च 2009 में 8.8 प्रतिशत था, जो मार्च 2010 में 5.3 हो गया और सितंबर 2010 की छमाही में और घटकर 4.8 रह गया) दिखाई पड़ी (चार्ट 4.29)। विदेशी बैंकों के मामले में, यह मार्च 2010 में स्वाभाविक रूप से 51 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा, किंतु सितंबर 2010 में

चार्ट 4.26: तुलन-पत्र को आस्तियों के प्रतिशत के रूप में तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर




स्रोत: रिजर्व बैंक की प्रयोक्षीय विवरणियां

चार्ट 4.27: ओबीएस एक्सपोजर का संघटन



स्रोत: रिजर्व बैंक की प्रयोक्षीय विवरणियां

चार्ट 4.28: बैंक समूहों के बीच ओबीएस एक्सपोजर का संकेतन



स्रोत: रिजर्व बैंक की प्रयोक्षीय विवरणियां

यह घटकर 45.46 तक गिर गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र एमटीएम स्थिति सकारात्मक बनी रही।

### वित्तीय सुदृढ़ता सूचक

**जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)**

**भारतीय बैंक अच्छी तरह पूंजी संपन्न रहे। कोई बैंक ऐसा नहीं था, जिसका सीआरएआर निधारित न्यूनतम स्तर से कम हो**


4.44 जिन अनुसूचित वाणिज्य बैंक विदेशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, वे 31 मार्च 2008 से बासल-II ढांचे में शामिल हुए हैं, जबकि अन्य वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 31 मार्च 2009 से नए ढांचे में शामिल हो गए। बासल-II के अंतर्गत उन्नत मानदंडों को लागू करने की समय-सीमा भी अधिसूचित की गई है, तथापि, इन मानदंडों को अपनाने में कई कड़ी चुनौतियां (जैसे अपेक्षित आईटी और जोखिम प्रबंधन ढांचे को तैयार करना, कौशल उन्नयन और अपेक्षित रूप से कालक्रमानुसार आंकड़े तैयार करना) खड़ी हुई हैं।

4.45 भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे अपने जोखिम भारित आस्तियों के 9 प्रतिशत (जबकि बासल-II के अनुसार 8 प्रतिशत अपेक्षित है) तक पूंजी रखें। दिनांक 1 अप्रैल 2010 से उन्हें 6 प्रतिशत (जबकि बासल-II के अनुसार 4 प्रतिशत बनाए रखना अपेक्षित है) का कोर सीआरएआर (कुल जोखिम भारित आस्तियों से संबंधित टायर-1 पूंजी) भी बनाए रखना जरूरी हो गया। मार्च 2010 और सितंबर 2010 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूंजी पर्याप्तता स्तर विनियमक अपेक्षाओं से काफी अधिक रहा। उनका सीआरएआर और कोर सीआरएआर क्रमशः 14 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से भी अधिक रहा। सितंबर 2010 में बड़ी मात्रा में ऋण दिए जाने की वजह से उनमें पामूली गिरावट आई (चार्ट 4.30)।

4.46 दिनांक 30 सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार ऐसा कोई वाणिज्य बैंक नहीं था, जिसका सीआरएआर और कोर सीआरएआर क्रमशः 11 प्रतिशत और 6 प्रतिशत से गिर गया। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म और समष्टि स्तर पर बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुदृढ़ रहा।


4.47 एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर, देशी विनियमन के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बासल-II दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उनके अपने पूंजी पर्याप्तता अनुपात का परिकलन करने के साथ-साथ उन्हें बासल-I दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात का परिकलन करने की अपेक्षा की गई, ताकि अनुसूचित वाणिज्य

चार्ट 4.29: तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर - नोशनल तथा क्रेडिट समतुल्य



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां

चार्ट 4.30: नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत पूंजी पर्याप्तता



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां

बैंकों द्वारा क्रेडिट और बाजार जोखिमों के संबंध में रखी जाने वाली पूँजी बासल-1 के अंतर्गत पूँजी संबंधी अपेक्षाओं के 80 प्रतिशत से कम न हो जाए। हालांकि बासल-11 दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपातों की तुलना में बासल-1 दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कम रहे, फिर भी वे निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक रहे (चार्ट 4.31)।

4.48 भारत में बैंकों की अच्छी पूँजी पर्याप्तता स्थिति से आशय है कि बासल 11<sup>8</sup> के अधीन अपेक्षाओं का पालन करने की दूरी प्रणालीगत स्तर पर बहुत अधिक उल्लेखनीय नहीं होगी, हालांकि इसमें कुछ चिंताए़/चुनौतिया हैं जिनकी चर्चा इस रिपोर्ट के अध्याय V में चर्चा की गई है।

### समग्र आस्ति गुणवत्ता

#### वैष्णविकास के बाद आस्ति गुणवत्ता का हास जारी बना रहा।


4.49 वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीए के स्टाक में वृद्धि 20.61 प्रतिशत थी जो सकल अग्रिमों की 16.68 प्रतिशत की वृद्धि दर से आगे निकल गई। इसके परिणामस्वरूप एनपीए के सकल तथा निवल अग्रिमों की तुलना में सकल तथा निवल अनुपात 2009-10 के दौरान घट गए। आस्ति गुणवत्ता का हास सितंबर 2010 के अंत तक जारी बना रहा, क्योंकि वर्ष दर वर्ष आधार पर सकल एनपीए लगभग 19.34 प्रतिशत बढ़ गए (चार्ट 4.32)। सकल एनपीए जो मार्च 2010 के अंत में 2.39 प्रतिशत था, वह सितंबर 2010 के अंत में बढ़कर 2.58 प्रतिशत हो गया। तथापि, चूंकि बैंकों ने 70 प्रतिशत प्रावधान व्याप्ति अनुपात की विनियामक अपेक्षा को पूरा करने की गई मांग में अपने प्रावधानों में वृद्धि की थी। अतः निवल एनपीए अनुपात में सुधार हुआ (1.12 प्रतिशत से बढ़कर 1.06 प्रतिशत चार्ट 4.33)।

4.50 एनपीए में बढ़ोत्तरी की दर अलग-अलग बैंकों की एक बारगी समझौता निपटान योजना के अधीन बड़े पैमाने पर खातों को बढ़ाते खाते डाले जाने के बावजूद उच्चतर बनी रही (चार्ट 4.34)। एनपीए में हुई बढ़ोत्तरी अधिक मात्रा की हो सकती थी, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संकट से अस्थायी रूप से प्रभावित संस्थाओं को पुनर्संरचना मानदंडों में दी गई विशेष एक बारगी छूट के कारण ऐसा नहीं हुआ।

<sup>7</sup> बासल-1 दिशा-निर्देशों की तुलना में बासल-11 दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सीआरएआर और कोर सीआरएआर क्रमशः 78 और 74 आधार अंक से अधिक रहे। अन्य बातें साथ-साथ, इसका प्रमुख कारण, उच्च रेटिंग प्राप्त खातों के घटे हुए जोखिम भारांकों, अक्षितयों को प्राप्त होने वाले विनियामक रिटेल और रिहायशी आवास ऋणों से संबंधित एक्सप्रेस में घटे हुए जोखिम भारांकों के संबंध में मिलने वाले लाभ हैं।


<sup>8</sup> बैंकों के विनियामक द्वाचे में किए जानेवाले वैष्णविकास के साथ साथ पूँजी की गुणवत्ता तथा मात्रा बढ़ाने एवं उसको जोखिम व्याप्ति में सुधार लाने परिलक्षित हैं ताकि कर्म विशिष्ट तथा सर्वांगीण जोखिम दोनों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सके।

चार्ट 4.31: बासल I और बासल U फ्रेमवर्क के तहत पूँजी पर्याप्तता (सितंबर 2010)




स्रोत: रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोगी विवरणियां

चार्ट 4.32: एनपीए के सकल एनपीए में वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोगी विवरणियां

चार्ट 4.33: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए अनुपात और फ्रेश स्लिपेज अनुप



स्रोत: रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोगी विवरणियां

कमी का अनुपात<sup>9</sup> कुछ बड़े खातों में संकेंद्रित एनपीए के लिए मार्च 2010 के मुकाबले सितंबर 2010 के अंत में 1.42 प्रतिशत वार्षिकीकृत पर उच्च बना रहा हालांकि इसमें 2009-10 के लिए 2.21 प्रतिशत पर सुधार दर्ज हुआ।

### कुछ बड़े खातों में संकेंद्रित एनपीए के लिए वसूली प्रयासों पर विशेष ध्यान देना जरूरी

4.51 कुछ खातों में उल्लेखनीय रूप से संकेंद्रित एनपीए लगातार बने रहे। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लेखांकन की सबसे बड़ी 30 क्षत आस्तियों का कुल एनपीए में अंशादान 30 प्रतिशत रहा। यदि इन बड़े खातों में से एक या अधिक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तो ये संभाव्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र की प्रावधान संबंधी निर्धारित आवश्यकता से अधिक बढ़ सकते हैं।

### कुल एनपीए में लगभग आधे पुराने एनपीए खाते

4.52 संदिग्ध तथा हानिवाली आस्तियां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए के स्टॉक के 50 प्रतिशत अधिक मात्रा में थीं जो ऐसे अग्रिमों की प्रचुरता का संकेत देती है (चार्ट 4.35)। इस तथ्य के साथ कि एनपीए में जुटाव उच्च स्तर का बना रहा, बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की गुणवत्ता कुछ चिंता का विषय टेलीकॉम और भूसंपदा क्षेत्र की हाल की गतिविधियां ऋण देने तथा इन क्षेत्रों की अस्ति गुणवत्ता प्रभावित कर सकती हैं।


**टेलीकॉम और भूसंपदा क्षेत्र की हाल की गतिविधियां, ऋण देने तथा इन क्षेत्रों की अस्ति गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।**

4.53 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जारी हाल की रिपोर्ट में यह बात सामने लायी गयी कि 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस बाजार दर से न्यून दरों पर आबंटित करने में पायी गयी असंगतियों के फलस्वरूप राजकोष को उल्लेखनीय मात्रा में राजस्व हानि हुई है। यदि इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों के कारण टेलीकॉम कंपनियों को जारी किए गए लाइसेंस रद्द किए जाते हैं तो इन कंपनियों को 2जी लाइसेंसों की जमानत पर निधियां प्रदान करनेवाले बैंकों को देय चुकौतियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

4.54 अन्य गतिविधि में भूसंपदा ऋणों की मंजूरी में कुछ बैंकों में अनियमितता बरतने के आरोप किए गए हैं। इनकी विस्तृत पड़ताल की जा चुकी है, हालांकि प्राथमिक निष्कर्षों में व्यापक अनियमितताएं अथवा सर्वांगीण चिंता का कोई उल्लेख नहीं है। इसके होते हुए भी,


<sup>9</sup> कमी (स्लिपेज) अनुपात निष्पादक ऋणों के प्रारंभिक स्थाक का प्रतिशत के रूप में नए बाधित ऋण दर्शाता है।

चार्ट 4.34: बैंक समूहों के सकल एनपीए में वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां

चार्ट 4.35: अनुसूचित वाणिज्य बैंक के एनपीए का श्रेणीवार विभाजन



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरणीय विवरणियां

इन गतिविधियों का इन दोनों क्षेत्रों को अत्यधिक सावधानी से ऋण प्रदान करने के रूप में अभी भी प्रतिकूल परिणाम देखे जा सकते हैं।

### मानक आस्तियों की पुनर्संरचना करना

#### पुनर्गठित खातों में स्लिपेज के जोखिम पर निरंतर निगरानी की ज़रूरत

4.55 जबसे वैश्विक मंदी के विशेषकर सितंबर 2008 के बाद से, प्रभाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना प्रारंभ किया जिससे अन्यथा अर्थक्षम इकाइयों/ गतिविधियों पर दबाव पड़ा, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दबावयुक्त मानक अग्रिमों तथा उनकी आस्ति वर्गीकरण के बारे में (लघु) सीमित अवधि के लिए एक विशेष विनियामक सुविधा की घोषणा की। पुनर्गठित मानक आस्तियों की राशि 2008-09 में 192 प्रतिशत बढ़ गई (कुल मानक अग्रिमों का 2.22 प्रतिशत) तथा 2009-10 में 60.18 प्रतिशत बढ़ गई (कुल मानक अग्रिमों का 3.03 प्रतिशत)। चूंकि विशेष सुविधा की अवधि समाप्त हो गई, मानक अग्रिमों के पुनर्गठन के नए मामले बहुत कम हो गए। हालांकि पुनर्गठित खातों के कुछ भाग का एनपीए में बदल जाने तथा आस्ति गुणवत्ता को क्षति पहुंचाने का जोखिम है, लेकिन अभी तक पुनर्गठित खातों के बड़े पैमाने पर स्लिपेज का कोई प्रमाण नहीं है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्थिति पर पुनर्गठित खातों के स्लिपेज के प्रभाव के आंतरिक अध्ययन से पता चला कि पुनर्गठित खातों के 30 प्रतिशत स्लिपेज के बाद भी सीआरएआर पर प्रभाव नगण्य था। बहरहाल, इस बारे में लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता बनी हुई है।

### न्यूनतम प्रोविज्ञन कवरेज अनुपात

#### स्लिपेज पर नियंत्रण के लिए प्रतिचक्रीय उपाय

4.56 30 सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए पीसीआर<sup>10</sup> 75.9 प्रतिशत के स्तर पर काफी सहज था। कुल मिलाकर, सितंबर 2010 में बैंकिंग क्षेत्र ने 70 प्रतिशत पीसीआर की आवश्यकता को पूरा किया। तथापि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए का 73 प्रतिशत) ने अभी पीसीआर की आवश्यकता पूरी नहीं की (चार्ट 4.36)।

### लाभप्रदता


#### ब्याजजन्य आय में संवृद्धि की निम्न दर से लाभप्रदता की बेहतरी बाधित

4.57 कम मात्रा में ऋण लिए जाने और संकट-बाधित अवधि में जोखिम से मुक्त, साथ ही, निम्न प्रतिफलकारी निवेशों को वरीयता

<sup>10</sup> प्रोविजन कवरेज अनुपात = प्रोविजन्स हैल्ड (सैसिफिक + फ्लोटिंग) तथा टैक्सिकल राइट आफ का स्टाक + कुल एनपीए तथा राइट आफ\* 100 का स्टाक।

<sup>11</sup> पीसीआर के संतुलन के लिए प्रयुक्त टैक्सिकल राइट आफ के संबंध में आकड़े, जैसा कि आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियों में बताया गया है, मार्च 1997 से सितंबर 2010 तक की अवधि के लिए हैं।

चार्ट 4.36: बैंक समूहों का प्रोविजन कवरेज अनुपात<sup>11</sup>



स्रोत: भा.स्टे.बै.की एव्यैक्षी विवरणियां

दिए जाने की वजह से 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता संबंधी संकेतकों को झटका लगा (चार्ट 4.37)। प्रावधानों की अपेक्षाएं बढ़ने से भी बैंकों की लाभप्रदता पर असर पड़ा (मानक आस्तियों की श्रेणी में गिरावट और 70 प्रतिशत के प्रावधान कवरेज अनुपात की अपेक्षा को पूरा करने की वजह से)। 2010-11 में, बचत खाते की शेष राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज को दैनिक आधार पर परिकलित किए जाने के कारण से भी बैंकों की निवल आय प्रभावित हुई। ब्याज और ब्याज से इतर आय (ब्याजजन्य आय का हिस्सा कुल आय में लगभग 84 प्रतिशत होता है) में धीमी गति से हुई संवृद्धि के चलते 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आय 6.82 प्रतिशत ही बढ़ पाई। उक्त वर्ष में फोरेक्स और ट्रेडिंग परिचालनों दोनों से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा में कमी (क्रमशः 21.96 और 10.76 प्रतिशत) होने की वह से ब्याज से इतर आय में गिरावट आई। विदेशी बैंकों को ट्रेडिंग बहियों पर काफी हानि उठानी पड़ी (चार्ट 4.38)।

### लाभप्रदता अनुपात इष्टतम आस्ति उत्पादकता की तुलना में कम परिलक्षित हुआ


4.58 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लाभप्रदता अनुपात में थोड़ी चिंता दिखी क्योंकि बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 2008-09 के दौरान 1.02 प्रतिशत और 13.18 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में क्रमशः 0.96 प्रतिशत और 12.52 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2010 को समाप्त छमाही के दौरान, आरओए और आरओई में कुछ सुधार दिखा (चार्ट 4.39)। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि कुल आय में गैर-ब्याज आय के अनुपात में गिरावट आई और दक्षता अनुपात<sup>12</sup>, जो जून 2010 से गिर रहा था, में वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आय की वृद्धि की तुलना में उनके गैर ब्याज व्यय में सापेक्षिक रूप से अधिक वृद्धि के करण दक्षता अनुपात में वृद्धि हुई है।

### चलनिधि

**बैंकों के पास अत्यकाल में चलनिधि बनी हुई है लेकिन प्रधावधि से दीघावधि में वे दबाव का सामना कर सकते हैं**


4.59 अत्यावधि समय समूह (28 दिनों तक) में चलनिधि अंतराल के विश्लेषण (प्रवाह दृष्टिकोण) से पता चलता है कि प्रणाली स्तर पर कोई बड़ी असुरक्षितता नहीं है साथ ही सभी समय समूहों में धनात्मक बेमेल दिखे हैं (सारणी 4.2)। तथापि, आस्ति - देयता

चार्ट 4.37: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय के चुनिंदा घटकों को वृद्धि




स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरी विवरणियां

चार्ट 4.38: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय के महत्वपूर्ण घटकों का हिस्सा



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरी विवरणियां

चार्ट 4.39: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के महत्वपूर्ण लाभप्रदता अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरी विवरणियां

<sup>12</sup> दक्षता अनुपात को आय की तुलना में लागत के अनुपात के रूप में जाना जाता है। यह निवल कुल आय द्वारा गैर ब्याज व्यय अनुपात होता है (निवल कुल आय कुल आय और ब्याज व्यय के बीच अंतर के बराबर होता है)। यह निवल कुल आय की मात्रा की माप है जो गैर ब्याज व्यय को पूरा करता है। कम दक्षता अनुपात वांछनीय है।

मर्दों के अनुपात के आधार पर, चलनिधि के स्टॉक विश्लेषण से पता चला कि मुख्य रूप से बैंकों की उधारों पर बहुत अधिक निर्भरता और चलनिधि आस्तियों के स्तर में गिरावट के कारण प्रणाली स्तर पर कतिपय दबाव विद्यमान हैं (चार्ट 4.40)।

4.60 अनुपातों के माध्यम से चलनिधि के और अधिक विश्लेषण से पता चलता है कि तुलन-पत्र वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए अस्थिर देयताओं पर निर्भरता बढ़ रही है (सारणी 4.3)। कुल आस्तियों की तुलना में मूल जमाराशियों के हिस्से में कुछ बर्बादी के दौरान उत्तरोत्तर गिरावट आयी है (मार्च 2010 और सितंबर 2010 को समाप्त तिमाही को छोड़कर)। कुल आस्तियों की तुलना में अस्थायी आस्तियों के उच्च अनुपात के बावजूद, अस्थिर देयताओं की तुलना में तरल आस्तियों का कवरेज एक से कम बना हुआ है जो संभावित चलनिधि दबावों को दर्शाता है। बैंकों द्वारा खरीदी गई चलनिधि पर निर्भरता, जैसाकि अनुपात 3 से देखा जा सकता है ([ऋण + अधिदेशात्मक सीआरआर + अधिदेशात्मक एसएलआर + अचल आस्तियां]/ मूल जमाराशियों) में 2008-09 में मामूली गिरावट आई लेकिन उसके पश्चात थोड़ा परिवर्तन हुआ।


4.61 और अधिक लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2009-सितंबर 2010 की अवधि के दौरान बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और निवेशों के परिपवक्ता स्वरूप से पता चला कि मध्यम से दीर्घावधि में ऋण के नियोजन की तुलना में अत्पकालिक जमाराशियों का सकेन्द्रण रहा, जिसका तात्पर्य है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में अंतर्निहित संरचनात्मक बेमेल पौजूद हैं। (सारणी 4.4) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा आधारभूत वित्तीय बोनस को बढ़ाने से पहले से भौजूद आस्ति देयताओं की बेमेल बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फिर भी कम

सारणी 4.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अत्पकालिक चलनिधि पूल्यांकन (प्रवाह दृष्टिकोण)

	बहिर्वाह के प्रतिशत के रूप में निवल संचयी बेमेल			
	1 दिवसीय	2 से 7 दिवसीय	8 से 14 दिवसीय	14 से 28 दिवसीय
मार्च-09	17.80	14.38	7.86	8.63
जून-09	24.60	23.87	17.19	15.77
सितंबर-09	34.35	28.48	19.23	16.74
दिसंबर-09	30.96	25.18	19.39	15.71
मार्च-10	19.54	14.64	8.13	6.46
जून-10	12.21	9.02	6.06	6.55
सितंबर-10	10.79	8.16	4.83	4.48

स्रोत: रिजर्व बैंक की यथावेक्षी विवरणियां।

चार्ट 4.40: चलनिधि पूल्यांकन (स्टॉक दृष्टिकोण)



स्रोत: रिजर्व बैंक की यथावेक्षी विवरणियां।

सारणी 4.3: चलनिधि अनुपात - दीर्घावधि वित्तीयन के लिए अत्पकालिक निधियों पर निर्भरता

चलनिधि अनुपात	चलनिधि अनुपात					
	मार्च-06	पार्च-07	पार्च-08	पार्च-09	पार्च-10	सितं-10
1. (अस्थिर देयताएं - अस्थायी आस्तियां) / (अर्जक आस्तियां - अस्थायी आस्तियां) (%)	38.4	41.4	43.9	38.2	40.9	40.9
2. (ऋण+अधिदेशात्मक सीआरआर+अधिदेशात्मक एसएलआर+अचल आस्तियां)/कुल आस्तियां (%)	53.9	52.2	49.3	48.4	49.8	51.0
3. (ऋण+अधिदेशात्मक सीआरआर+अधिदेशात्मक एसएलआर+अचल आस्तियां)/मूल जमाराशियां	79.9	83.4	85.9	79.4	81.7	82.4
4. अस्थायी आस्तियां / कुल आस्तियां (%)	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6
5. अस्थायी आस्तियां / अस्थिर देयताएं	30.3	43.4	52.0	47.9	41.2	47.6
6. अस्थिर देयताएं / कुल आस्तियां (%)	0.53	0.65	0.71	0.72	0.65	0.70
7. (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य + अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां) / (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य + अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां)	57.1	66.8	73.1	66.1	63.7	67.7
स्रोत: रिजर्व बैंक की यथावेक्षी विवरणियां।	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9

लागतवाली जमाराशियों (सीएसए जमाराशियों) का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्थिर है, को वजह से चलनिधि जोखिम को कम करने में सहायता होगी।

## ब्याज दर संवेदनशीलता

### ब्याज दर जोखिम में वृद्धि का प्रमाण दिखायी दे रहा है

4.62 बेशक बैंकिंग का एक सामान्य भाग और लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण स्रोत और शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ता है, अत्यधिक ब्याज दर जोखिम बैंक की आय को और पूँजी आधार को एक महत्वपूर्ण खतरे की चेतावनी दे सकता है। ब्याज दर जोखिम सामान्यतः सामान्य गैप विश्लेषण<sup>13</sup> अथवा डयूरेशन गैप विश्लेषण<sup>14</sup> अथवा जोखिम पर मूल्य (वैल्यू एट रिस्क) अथवा तनाव परीक्षण तकनीक (स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्नीक्स) जैसे और अधिक अत्याधुनिक उपायों की सहायता से नापा जाता है। इस संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए विनियामक प्रावधान सबसे पहले फरवरी 1999 में निर्धारित किये गये जिसमें 'प्राप्तियों के परिपेक्ष्य' से ब्याज दर जोखिम मापदंडों के लिए एक सरल गैप विश्लेषण निर्धारित किया गया। अलबत्ता, बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे एक अवधि के भीतर डयूरेशन गैप विश्लेषण, सिमुलेशन और वैल्यू एट रिस्क जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाएं।

4.63 सितंबर 2010 में परिपक्वता टाइम बेकेट वार दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के आंकड़ों ने टाइम बेकेट के 5 वर्ष से अधिक अवधिवाली बेमेल स्थितियों के प्रभाव की ओर सकेत किया। ये, जो आंशिक रूप से मूलभूत वित्तपोषण को बढ़ाते हुए निवेशों के कारण हुई थी।


4.64 रिजर्व बैंक ने नवंबर 2010 में ब्याज दर जोखिम को नापने के लिए अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित किया। बैंकों को अब यह सूचित किया गया है कि वे परंपरागत गैप विश्लेषण के साथ-साथ डयूरेशन गैप विश्लेषण को भी स्वीकार करें ताकि ब्याज दर के परिवर्तनों को उनकी इकाइयों के बाजार मूल्य पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके और उस से केवल प्राप्तियों पर केंद्रित सिर्फ सीमित विश्लेषण से उल्लेखनीय रूप से हटने का सकेत मिलेगा।

सारणी 4.4: जमाराशियों और अग्रिमों की परिपक्वता का प्रोफाइल (प्रतिशत)

समीक्षक		1 वर्ष तक	1-3 वर्ष तक	3-5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
मार्च 09	जमाराशिया	44.00	30.17	7.70	18.13
	अग्रिम	35.14	38.34	9.94	16.58
जून 09	जमाराशिया	43.88	29.65	8.35	18.12
	अग्रिम	34.37	39.20	10.34	16.09
सितं 09	जमाराशियां	43.53	29.31	8.54	18.62
	अग्रिम	34.15	37.72	10.70	17.42
दिसं 09	जमाराशियां	42.67	29.39	8.33	19.62
	अग्रिम	34.24	37.33	10.74	17.68
मार्च 10	जमाराशियां	43.91	28.80	8.06	19.24
	अग्रिम	34.47	37.35	10.53	17.65
जून 10	जमाराशिया	42.77	29.11	8.35	19.77
	अग्रिम	35.08	37.20	10.50	17.22
सितं 10	जमाराशियां	43.16	28.37	8.34	20.13
	अग्रिम	34.58	37.40	10.49	17.53

स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरकी विवरणिया

चार्ट: 4.41: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति-देयता भे अंतर



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरकी विवरणिया

<sup>13</sup> ब्याज दर संवेदनशील आस्ति और देयताओं के दरम्यान के अंतर (गैप) को विवेकपूर्ण टाइम बेकेट में संयोजित किया गया है और उसे ब्याज दर में संभावित परिवर्तन से गुणा किया गया है ताकि शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके।

<sup>14</sup> बैंक के आर्थिक मूल्य में औसतनता प्रदान करने की दृष्टि से मैच्योरिटी/पुनर्मूल्यनिर्धारण के क्रांत्वनेशन के साथ टाइम बैंड को अवधि आधारित जोखिम लागू किया गया है जिस के परिणामस्वरूप ब्याज दरों के स्तर में परिवर्तन हुआ है।

### बैंकिंग स्थिरता को नापना (चयनित सूचकांकों पर आधारित)

चलनिधि संकेतकों से संबंधित जोखिम बढ़ गया है

4.65 सितंबर 2009-सितंबर 2010<sup>15</sup> के वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता का कुल मूल्यांकन स्थिरता नक्शे का (चार्ट 4.42) का उपयोग करते हुए किया गया। स्थिरता नक्शा पांच महत्वपूर्ण सूचकांकों पर आधारित है। ये सूचकांक किसी भी पूर्व की तारीख की स्थिति में बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम आयामों में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे स्पष्ट करते हैं। यह 30 सितंबर 2009 के संदर्भ में है।

4.66 बैंकिंग स्थिरता नक्शा यह दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र के चलनिधि को प्रभावित करनेवाले जोखिम ने सितंबर 2009 की तुलना में सितंबर 2010 के अंत में आयामों वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की है। यह अंशतः बैंकों का उधारों पर बढ़ता आश्रय और उनके चलनिधि आस्तियों के स्तर में गिरावट (इस अध्याय के पैरा 4.59) द्वारा दर्शायी गयी संबंधित बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है।

4.67 सुदृढ़ता संकेतक बिगड़ती स्थिति दर्शाते हैं क्योंकि बैंकों के पूँजी पर्याप्तता अनुपातों में सितंबर 2009 की स्थिति की तुलना में कुछ घट हुई है यद्यपि ये अनुपात विनियामक अपेक्षाओं के काफी ऊपर बने रहे। (इस अध्याय का पैरा 4.45) लाभप्रदता, क्षमता और आस्ति गुणवत्ता सितंबर 2009 की तुलना में सितंबर 2010 में कम आयामों जोखिम दर्शाते हैं।

### बैंकिंग स्थिरता सूचकांक

**स्थिरता सूचकांक इन वर्षों में मजबूत हुआ है यद्यपि सुधार दर धीमी हो गई है**


4.68 बैंकिंग स्थिरता सूचकांक<sup>16</sup> की तिमाही शृंखला पिछले कुछ वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में सुधार दर्शाती है जैसे कि उपर्युक्त पांच उप-सूचकांक दर्शाते हैं। बढ़े हुए जोखिम (प्राथमिक

<sup>15</sup> बैंकिंग स्थिरता नक्शे में पांच मुख्य आयामों का समावेश किया गया है - क्रमशः बैंक की सुदृढ़ता, परिचालनात्मक क्षमता, आस्ति गुणवत्ता, पूँजी पर्याप्तता अनुपात आधारित चलनिधि और लाभप्रदता, आय के लिए लागत अनुपात, कुल ऋणों के साथ अनुत्पादक ऋणों का अनुपात और कुल आस्तियों के साथ शुद्ध लाभ का अनुपात। सीआरआरआर को बासल 1 प्रान्दडों के अंतर्गत गिना गया है। प्रत्येक आयाम का माप समग्र बैंकिंग क्षेत्र के लिए संकेतक के भारित औसत के रूप में गिना गया है, जहां कुल बैंकिंग की प्रणाली की तुलना में भार व्यक्तिगत बैंक आस्तियों के अनुपात में है। सूचकांकों को शून्य (न्यूनतम) और एक (अधिकतम) के बीच का मूल्य लेने के लिए सामान्य कर दिया गया, वर्षों के बीच नमूना अवधि (2006-10) के दौरान निष्पादन से संबंधित उपाय थे। यदि विशेष जोखिम आयाम से संबद्ध कोई सूचकांक अपने पुराने मूल्य की तुलना में उच्चतर मूल्य की तरुदृकाव दर्शाता है और उस वर्जह से कैद से अपना अंतर दर्शाता है तो इसका प्रतलब है कि उस आयाम का जोखिम या दोषपूर्णता बढ़ गई है। विशेष अवधि के लिए प्रत्येक जोखिम पहलू के लिए सूचकांक निम्नानुसार गिना गया है:

(यी गई तारीख अवधि पर अनुपात मायनस उक्त अवधि में न्यूनतम मूल्य) डिवाइडेट बाय (उक्त अवधि में अधिकतम मूल्य मायनस उक्त अवधि में न्यूनतम मूल्य)

<sup>16</sup> व्यक्तिगत सूचकांकों पर आधारित, बैंकिंग स्थिरता सूचकांकों के फार्म में एक सिंगल पॉइंट संदर्भ डिवाइज कर दिया गया है। यह सूचकांक बैंकिंग स्थिरता के लिए चुने गए पांच उप-सूचकांकों के क्षतिपूरक का संधारण औसत है।

चार्ट 4.42: बैंकिंग स्थिरता नक्शा



रूप से चलनिधि जोखिम) के कारण सितंबर 2010 की छमाही के दौरान (चार्ट 4.43) सूचकांक में गिरावट आई।

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

#### समेकन के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार आया


4.69 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उन संस्थाओं के रूप में सोचा गया था जिनमें स्थानीय भावना और सहकारी संस्थाओं को अपनेपन का संगम था और जो वाणिज्य बैंकों के व्यापार संगठन लेकर चल रहे थे। ऐतिहासिक रूप से, इन संस्थाएं निम्न पूंजी आधार, परिचालनात्मक अक्षमता और ढेर सी हानियों की बोमारियों का घर बन गयीं। इन मामलों से निपटने के लिए एक राज्य-स्तरीय प्रायोजक बैंक-वार समामेलन कार्यक्रम और पुनर्पूंजीकरण की एक अलग प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटाकर वर्ष 2005 के 196 से मार्च 2010 के 82 पर लाई गई और 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः पूंजी दी गई।

4.70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों में वर्ष 2009-10 के दौरान सुधार आया। उनके शुद्ध लाभ 41.1 प्रतिशत से बढ़ गए, तुलन पत्र का आकार 22.1 प्रतिशत से बढ़ गया और शुद्ध मालियत में 21.72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। समेकन के लिए प्रारंभ किये गये उपायों के परिणामस्वरूप हानि उठानेवाली शाखाओं की संख्या में गिरावट आई। परिसंपत्तियों पर आय 2008-09 की तुलना में 1.1 प्रतिशत बढ़ गई। आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार आया। (चार्ट 4.44)

#### अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान विनियामक शासन की ओर धीरे-धीरे प्रगति

4.71 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं के निर्धारण का एक क्रमिक दृष्टिकोण भारत में अपनाया गया है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में कुठ उपाय अपनाए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे (बासल-1 मानदंडों के अनुसार परिकलित सीआरएआर का स्तर 31 मार्च 2008 से उनके तुलनपत्र के लेखे की टिप्पणी के रूप में दर्शाएं, 31 मार्च 2010 को 53 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे थे जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से अधिक था और 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 5 प्रतिशत से अधिक था। (2009 में क्रमशः 54 और 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था)। 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सीआरएआर एक प्रतिशत से कम था। मार्च 2012 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत तक लाने के लिए सरल मार्ग का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित एक समिति ने 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के और पुनर्पूंजीकरण की सिफारिश की और


चार्ट 4.43: बैंकिंग स्थिरता सूचकांक



उच्चतर मूल्य अधिक स्थिरता दर्शाते हैं।

स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यावरणी और रिजर्व बैंक की स्टाफ गणना

चार्ट 4.44: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अनुत्पादक आस्तियों के अनुपात



\* 2010 के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: नाबार्ड

यह प्रस्ताव दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस दौरान पूँजी बाजार तक पहुंचने के लिए तुलनात्मक रूप से उच्चतर शुद्ध मालियत की अनुमति दी जाए।

### सहकारी बैंकिंग क्षेत्र

#### बृहतर वित्तीय समावेशन की उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण

4.72 भारत में सहकारी संस्थाएं पहली ऐसी औपचारिक संस्थाएं थीं जिन्हें ग्रामीण भारत को ऋण देने के लिए सोचा गया था और विकसित किया गया था। उनका विस्तृत जाल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों के वित्तीय मध्यस्थ कार्य में मदद करता है और वित्तीय समावेशन को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तथापि, उनकी वित्तीय अर्थक्षमता और सुदृढ़ता और साथ ही साथ दोहरा नियंत्रण<sup>17</sup> चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे। वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन (2009) पर समिति ने दोहरे नियंत्रण को सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में 'एकल अत्यधिक महत्वपूर्ण विनियामक और पर्यवेक्षी कमज़ोरी' के रूप में पाया है।


### ग्रामीण सहकारी ऋण

4.73 लघु अवधि सहकारी संरचना एक तीन चरणवाली संरचना है जिसमें शिखर स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं और उसके बाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अंतर-मध्य राज्य स्तर पर हैं और उसके बाद गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। दीर्घावधि संरचना राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को समाविष्ट करती है।

#### ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में और आगे सुधार की आवश्यकता है

4.74 इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंताएं बनी रही। तुलनपत्रों में वृद्धि मामूली थी, दीर्घावधि संस्थाओं का अधिकतर उद्धारियों पर निर्भर रहना जारी रहा और आस्ति गुणवत्ता एक चिंता बनी रही। लाभप्रदता संकेतकों ने किंचित सुधार दर्शाया। निर्धारित न्यूनतम शुद्ध मालियत 5 राज्य सहकारी बैंकों (कुल 31 में से) के मामले में और 82 राज्य मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में (कुल 371 में से)<sup>18</sup> प्राप्त नहीं की जा सकी। वित्तपोषकों ने केवल राज्य मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में (लघु अवधि ग्रामीण सहकारी संरचना में) और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के

चार्ट 4.45: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को महत्वपूर्ण तुलनपत्र मदे



स्रोत: भारत में बैंकिंग में प्रवृत्ति और प्रगति पर रिकॉर्ड बैंक को रिपोर्ट 2009-10

<sup>17</sup> जहां सहकारी बैंकों के समावेशन/पंजाइकरण और प्रबंधकीय गतिविधियों से संबंधित गतिविधियां उन राज्यों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित कर दी गयी हैं, वहीं बैंकिंग संबंधी गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अथवा नाबार्ड के विनियामक/पर्यवेक्षी सीमा क्षेत्र के अधीन हैं। दोहरे नियंत्रण के कारण सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण, विनियमन और कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

<sup>18</sup> 30 जून 2010 की स्थिति के संबंध में नाबार्ड से प्राप्त स्थिति की रिपोर्ट।

मापते में (दीर्घावधि संरचना में) सुधार दर्शाया। (चार्ट 4.45 और 4.46)।

4.75 चिंता का अन्य क्षेत्र यह तथ्य था कि सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला राज्य मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का लाइसेन्सीकरण का लक्ष्य अधीर प्राप्त होना बाकी था। 7 राज्य सहकारी बैंकों और 164 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का सितंबर 2010 के अंत तक लाइसेन्सीकरण करना बाकी था।

शहरी सहकारी बैंक

विनियामक शासन को प्रज्बूत करने के उपायों और समेकन, दोनों में प्रगति हुई

4.76 रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हुए समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार विविध राज्यों में गठित टाफ़कब (सहकारी शहरी बैंकों के लिए कार्यबल) के शासन के अधीन शहरी सहकारी बैंकों का समेकन जारी रहा। रिजर्व बैंक द्वारा जारी विलयन के लिए कुल 103 में से अधिकांश (91) कमज़ोर बैंकों के संबंध में थे और इन में से 71 विलयन अब तक अधिसंचित हुए हैं।

4.77 ग्रेड III और IV के बैंकों ने<sup>19</sup> अपनी संख्या के माध्यम से शहरी सहकारी खंड के एक नगण्य हिस्सा बनाना जारी रखा और क्षेत्र में व्यापार का हिस्सा धीरे-धीरे कम हो गया है (सारणी 4.5)।

## वित्तीय सुदृढता संकेतक

यद्यपि समेकन के कारण कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है फिर भी कछ कमज़ोरियां बरकरार हैं

4.78 धूकि शहरी सहकारी बैंक वाणिज्य बैंकों जैसा ही कार्य कर रहे हैं और उनके परिचालन में उन्हें एक जैसे जोखिमों का समाना


सारणी 4.5: शहरी सहकारी बैंकों को ग्रेड के अनुसार उपस्थिति

ग्रेड	शहरी महकारी वैद्यकों की संख्या		कुल की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों का प्रतिशत		जमाराशि को गणि		कुल की तुलना में जमाराशि का प्रतिशत		अधिकों की राशि		कुल की तुलना में अधिकों का प्रतिशत	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
I	845	879	49.1	52.5	102330	128770	65.1	70.4	61761	77265	64.2	70
II	484	465	28.1	27.8	30626	34756	19.5	19	18920	21245	19.7	19.3
III	219	179	12.7	10.7	7954	7494	5.1	4.1	5405	4731	5.6	4.3
IV	173	151	10.1	9	16131	11842	10.3	6.5	10148	7062	10.5	9.4

**स्रोत:** भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2009-10

<sup>19</sup> विनियोगक ग्रामोजन हेतु फिल्हले विस्तीर्ण क्षेत्र में सीआरआर/एसएलआर के अनुपालन और सीआरएआर, शुद्ध अनुत्पादक आस्तियों और फिल्हले वर्ष की लाभप्रदता पर आधारित ग्रेड I, II, III और IV में शहरी सहकारी बैंकों को वर्गीकृत किया गया है। ऐसे बैंक, जिनको पर्यावरणीय चिंताएं नहीं हैं, उन्हें ग्रेड I बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रेड II में वर्गीकृत बैंक वे हैं जो तुलनात्मक हृप से युक्त हैं, जबकि ग्रेड III और IV में जो बैंक हैं, वे कमजोर बैंक हैं। 31 मार्च 2009 के नियोजित चक्र से शहरी सहकारी बैंकों को एक संशोधित कैमल मॉडल लागू कर दिया गया है।

**चार्ट 4.46: ग्रामीण सहकारी ऋण संख्याओं के विनोद सुदृढ़ता संकेतक**



**स्रोत:** भारत में वैकिंग की प्रवर्त्ति और प्रगति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

करना पड़ रहा है, पूँजी पर्याप्तता मानदंड मार्च 2002 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ाए गए हैं। शहरी सहकारी बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता मानदंड बासल 1 के मानदंडों के आधार पर रखना जारी रहा है। 14 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंक मार्च 2010 के अंत तक 9 प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता की विनियामक अपेक्षा पूरी नहीं कर पाएं हैं। यद्यपि कुल क्षेत्र को देखते हुए क्षेत्र की 12 प्रतिशत की पूँजी पर्याप्तता का सीआरएआर जून 2010 के अंत में नकारात्मक था (सारणी 4.6)।

4.79 शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता उच्च सकल और शुद्ध एनपीए अनुपात के साथ कमज़ोर रही यद्यपि हाल ही वर्षों में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ। (चार्ट 4.47) प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2010 में 60 प्रतिशत से ऊपर के स्तर पर थी।

4.80 लाभप्रदता सकेतक बहुत स्वस्थ नहीं थे और वे आगे 2009-10 के दौरान और खराब हुए। (सारणी 4.7)

4.81 आंतरिक रूप से आयोजित चलनिधि तनाव ने कारोबार के सामान्य अवधि में शहरी सहकारी बैंकों की चलनिधि स्थिति ठीकठाक होने का सकेत दिया। (तनाव परीक्षण पर इस रिपोर्ट के अध्याय VI में चर्चा की गई है।

#### गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

विनियामक शासन इन कंपनियों के तुलन पत्र विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत बनाया जा रहा है।

4.82 देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के अधिकाधिक भाग में वित्तीय सेवाएं पहुंचने के लिए उसे बढ़ाता है। यह क्षेत्र आकार, गतिविधियों और समावेशन के स्वरूप के अनुसार अत्यंत विषम है जिसकी वजह से विनियमन और पर्यवेक्षण अत्यंत

सारणी 4.6: शहरी सहकारी बैंकों का पूँजी पर्याप्तता अनुपात

	लीवरेज अनुपात	सीआरएआर <3	3-सीआरएआर <6	6-सीआरएआर <9	सीआरएआर >9
गैर अनुसूचित	14	135 (8.3)	25 (1.5)	58 (3.6)	1403 (86.6)
अनुसूचित	11.8	9 (17.0)	2 (3.8)	1 (1.9)	41 (77.4)
सभी शहरी सहकारी बैंक	13.0	144 (8.6)	27 (1.6)	59 (3.5)	144 (86.3)

- टिप्पणी: 1. कुल मिलाकर शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए समेकित सीआरएआर और लीवरेज अनुपात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि
2. लघु कोष्ठक में दिये गये आकड़े सर्वथित जोड़ का प्रतिशत है।
  3. लीवरेज अनुपात कुल आस्तियों के पूँजी और आरक्षित अनुपात के रूप में परिकलित किया गया है।
  4. आकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2009-10



सारणी 4.7: शहरी सहकारी बैंकों के लाभप्रदता अनुपात

	अनुभवित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
आस्तियों पर प्रतिफल	1.1	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7
ईक्विटी पर प्रतिफल	9.2	5.7	5.1	4.9	6.8	5.2
निवल ब्याज मार्जिन	2.9	2.5	3.3	3.1	3.1	2.8
गैर-ब्याज मार्जिन	-1.0	-1.2	-1.6	-1.6	-1.3	-1.4

टि: अनंतिम आकड़े

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2009-10

चार्ट 4.47: शहरी सहकारी बैंकों के अनुतादक आस्तियों के अनुपात



स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2009-10

चुनौतीपूर्ण बन गया है। रिजर्व बैंक जमाराशि लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियामक और पर्यवेक्षक है। जमाराशि न लेनेवाली कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो उनकी गतिविधियों पर आधारित हैं, वे भी रिजर्व बैंक विनियामक परिधि में आती हैं जबकि अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाइयां अन्य विविध विनियामकों द्वारा विनियामित की जाती हैं। (विनियामक रूपरेखा पहले के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विस्तार से दी गई है।) उनका प्रणालिगत महत्व देखते हुए धारक कंपनियों अथवा कोर निवेश कंपनियों को अब रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी परिधि के भीतर लाया गया है ताकि उन पर अतिरिक्त लीवरेज विनियामक ध्यान केंद्रित किया जा सके।

**4.83** जैसे कि पिछले वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में चर्चा की गई है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक का विनियामक तंत्र जमाराशि लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज-डी) और 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक आस्ति आकार के साथ जमाराशि लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो प्रणालीगत रूप से जमाराशि ने लेनेवाली (एनबीएफसीज-एनडी-एसआइएस) के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2007 से जमाराशि स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक आवश्यकताएं इस खंड के बढ़ते हुए महत्व और इसके बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ अंतर संबंधों को देखते हुए सख्त करना कर दी गयी है।


**4.84** जैसे कि जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक शासन उत्तरोत्तर रूप से मजबूत बनाया गया है, ऐसी इकाइयों की संख्या और साथ ही साथ उनकी जमाराशि की मात्रा में तीव्र गिरावट आयी है। (चार्ट 4.48)

### वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

पूंजी पर्याप्तता और आस्ति गुणवत्ता अनुपातों ने सुधार दर्शाया परंतु एनबीएफसी-एनडी-एस.आड.एस में त्वरित विस्तार और समग्र रूप से निअल्य लाभप्रदता चिंता का विषय बना रहा

**4.85** जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 12 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर रखना जरूरी है।<sup>20</sup> जमाराशि स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में मार्च 2010 को सीआरएआर निर्धारण न्यूनतम 12 प्रतिशत था जो मार्च 2011 तक 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। आधारभूत कंपनियों से अपेक्षित है को चाहिए कि वे क्रमशः न्यूनतम 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के सीआरएआर और कोर सीआरएआर रखें। 4 कंपनियों का अपवाद छोड़कर जमाराशि लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने मार्च 2010 के अंत में और सितंबर 2010 के अंत में न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा

चार्ट 4.48: जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और उनकी जमाराशियों की मात्रा



(\*) गैर बैंकिंग कंपनियों को मिलाकर

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2009-10

<sup>20</sup> रेटिंग न की गई जमाराशि लेनेवाली ऋण/निवेश कंपनियों के मामले में 15%।

किया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनडी-एसआइ का कुल सीआरएआर पिछले वर्ष के 39.0 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2010 के अंत में 39.6 प्रतिशत पर रहा। जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता भी सुदृढ़ थी। (सारणी 4.8) वर्ष 2010 के लिए सकल एनपीए अनुपात (अनंतिम) जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1.3 प्रतिशत रहा जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनडी-एसआइएस के लिए जून 2010 में वह 2.6 प्रतिशत रहा।

4.86 जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग कंपनियों के तुलन पत्र का आकार पिछले वर्ष के 3.4 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 21.5 प्रतिशत की दर तक बढ़ा। तुलनपत्र में वृद्धि अधिकतर बढ़े हुए उधारों के माध्यम से निधियों के कारण हुई थी। यह वृद्धि आस्ति वित्त कंपनियों के भाग्य में अधिकतर सुस्पष्ट हुई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनडी-एसआइएस की आस्ति का आकार वर्ष 2009-10 में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस के साथ एनबीएफसी एनडी एसआइएस के अप्रतिभूत उधारों में 22.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जो अधिकतर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के स्रोतों से हुई। आस्तियों की तरफ से उन का पूंजी बाजार को निवेश तीव्र गति से बढ़ गया। (28.9 प्रतिशत)

4.87 जमाराशि लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन, परिसंपत्तियों पर आय के साथ खराब हो गया और उनको घटने की प्रवृत्ति जारी रही। (चार्ट 4.49)। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनडी एसआइएस के भाग्य में, एक सीमांत सुधार वर्ष 2009-10 के दौरान उनके निष्पादन में देखा गया क्यों कि उनका शुद्ध लाभ 0.89 प्रतिशत से बढ़ गया। तथापि उनकी परिसंपत्तियों पर आय इस अवधि के दौरान 2.2 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत तक गिर गयी।

4.88 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन के महत्वपूर्ण विश्लेषण से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनडी-एसआइ क्षेत्र में विशेष रूप से तीव्र वृद्धि देखने में आईं और उसके लाभप्रदता अनुपातों में खराबी आई। बैंकिंग क्षेत्र में विनियम सख्त करने को देखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई और यह सत्य है कि गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में विनियम बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में तुलनात्मक रूप से शिथिल रहते हैं। विनियमों में कई त्रुटियां/कमियां रह जाती हैं जिस पर इस रिपोर्ट के अध्याय V में चर्चा की गई है।

## वित्तीय संस्थाएं

### वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक मजबूत रहे

4.89 वित्तीय संस्थाओं से देश में गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का एक खंड पूरा होता है और इस समय रिजर्व बैंक के विनियामक परिधि में


सारणी 4.8: जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनुपादक आस्तियों के अनुपात

	ऋण एक्सपोजर की तुलना में सकल अनुपादक आस्तियां	ऋण एक्सपोजर की तुलना में शुद्ध अनुपादक आस्तियां
1	2	3
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	#
2009	2	#
2010 अ	1.3	#

अ: अनंतिम # प्रोजेक्शन अनुपादक आस्तियों से अधिक है

स्रोत: भा.रि.बैंक की पर्याक्षी विवरणियां

चार्ट 4.49: जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय निष्पादन



स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्राप्ति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2009-10

चार वित्तीय संस्थाएं हैं (एकिजम बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक और सिडबी) वर्ष 2009-10 में, जहां एक ओर वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र का आकार 13.4 प्रतिशत से बढ़ गया, वहीं परिसंपत्तियों पर आय के अनुसार लाभप्रदता 2008-09 के 1.3 प्रतिशत से सीमान्त रूप से 2009-10 में 1.2 प्रतिशत तक घट गयी। वित्तीय संस्थाओं में पूंजी (मुख्य रूप से ये अपने लाभ का एक बड़ा भाग अपने पास ही रख रही हैं) की भरमार रही, 30 सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार उनका सीआरएआर 23.23 प्रतिशत था। मार्च 2010 में इनके सीआरएआर का स्तर 24.17 प्रतिशत था, जो बाद में घट गया। उच्च सीआरएआर से काफी हद तक यह साबित होता है कि उनकी पूंजी निधियों का सही मायने में प्रयोग नहीं हुआ है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता काफी अच्छी रही (मार्च 2010 में सकल एनपीए 0.25 प्रतिशत था, जो सितंबर 2010 में 0.29 हो गया), मार्च 2010 में लीवरेज अनुपात 8.79 था, वहीं, सितंबर 2010 में 9.18 हो गया, जिन्हें काफी ज्यादा नहीं माना जा सका।

## निष्कर्ष

4.90 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली कॉन्फिंडेंस शेटके और निधि-पोषण के जोखिमों का सामना कर रही है और वह सरकार या केंद्रीय बैंक की सहायता पर अत्यंत निर्भर रह रही है। बैंकों ने अपने पूंजी पर्याप्तता अनुपात में काफी सुधार किया है, यहाँ तक कि वित्तीय वैश्विक सुधार कार्यक्रमों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकों को पूर्व से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाली पूंजी रखनी है।

4.91 भारत में वित्तीय क्षेत्र की स्थिति मजबूत रही है। सूक्ष्म स्तरीय और प्रणालीगत दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात विनियामक अपेक्षित स्तर से काफी अधिक रहे। इससे यह पता चलता है कि बासल-III अपेक्षाओं को अपनाने पर प्रणाली स्तरीय महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आने वाला है। उन्नत राष्ट्रों की तुलना में लीवरेज अनुपातों का स्तर काफी कम रहा। आर्थिक वृद्धि की वजह से ऋणों की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई। विभिन्न क्षेत्रों के क्रेडिट की गति बढ़ी। किंतु विशेष रूप से यह बढ़ोत्तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों और रिटेल क्रेडिट में ही देखी गई। इन दोनों क्षेत्रों में अग्रिमों की बढ़ोत्तरी पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि पहली बात यह है कि उससे

परिसंपत्ति देयता की विसंगतियां बढ़ेंगी, भले ही कासा जमाखातों की मात्रा बड़ी हो और बैंकों द्वारा ब्याज दर के पुनर्निर्धारण की शर्तें बताई गई हों तथा दूसरी बात यह है कि उनकी हानिकर परिसंपत्तियों का औसत अनुपात से अधिक रह जाना। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण की संभावनाओं को तत्त्वाशने के लिए कई उपाय किए गए, जैसे टेक-आउट वित्तपोषण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कार्पोरेट बांड बाजार को बढ़ावा देना और कार्पोरेट बांडों पर सीडीएस की प्रस्तावित शुरुआत, जिनसे दीर्घावधि परियोजनाओं के वित्तपोषण में बैंकों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है।

4.92 अग्रिमों की वृद्धि की तुलना में एनपीए की बढ़ोत्तरी होने की वजह से परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा है, जिससे सकल एनपीए अनुपातों की स्थिति बिगड़ रही है। बट्टे खाते डालने और एकबारगी निपटानों के बावजूद इन अनुपातों की स्थिति बिगड़ी हुई है। मुख्य रूप से प्रावधानों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण निवल एनपीए अनुपातों में सुधार आया, क्योंकि बैंकों द्वारा 70 प्रतिशत के प्रावधान करवरेज अनुपात संबंधी विनियामक अपेक्षा की पूर्ति करने की चेष्टा की गई है। बैंकों की आय में धीमी गति से हुई बढ़ोत्तरी और प्रावधान संबंधी बढ़ती अपेक्षाओं के कारण उनके लाभ में कमी आई है। अल्प-अवधि की दृष्टि से बैंकों की चलनिधि स्थिति अनुकूल रही, किंतु दीर्घ-अवधि के लिहाज से काफी विसंगतियां पैदा होती हैं। बैंकिंग स्थिरता के नक्शे में बताए अनुसार इससे चलनिधि संबंधी जोखिमों में परिमाणात्मक बढ़ोत्तरी हुई है। ओबीएस एक्सपोजर, विशेषकर डेरिवेटिव एक्सपोजरों का रुख विदेशी बैंकों की ओर बने रहा। विदेशी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार में इन एक्सपोजरों का अनुपात काफी बढ़ रहा है, इस पर नजर रखना जरूरी है।

4.93 सहकारी क्षेत्र ने पूरे देश में हुए महत् वित्तीय समावेशन में काफी योगदान किया है। इस क्षेत्र के पुनर्गठन, पुनर्पूंजीकरण, सघन पर्यवेक्षण आदि की बाबत किए गए प्रयासों से इसके कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति संबंधी मानदंडों में कुछ सुधार आया है, तथापि, काफी आशंकाएं अभी भी हैं। आकार की दृष्टि से इस क्षेत्र का कोई प्रणालीगत महत्व तो नहीं है, किंतु अतीत की घटनाओं से यह पता चला है कि इस क्षेत्र में होने वाले किसी भी दिवालियापन बाजार के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, जिससे वित्तीय क्षेत्र का कार्य-संचालन बाधित होगा।

## अध्याय V

### वित्तीय क्षेत्र नीतियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर

अंतर्राष्ट्रीय विनियामक समुदाय ने विनियामक सुधार के लिए ऐसी रूप-रेखा तैयार करने के लिए काफी कदम उठाए हैं जो संकट से पहले मौजूद विनियामक ढांचे में पाई गई खामियों को दूर करने की चेष्टा करती है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के समुख ऐसे समय उच्च पूंजी संबंधी अपेक्षाएं रखी गई जब विकास की गति और बढ़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन से क्रेडिट की मांग बढ़ने की संभावना थी। व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को चरणबद्ध रूप से लागू करना जरूरी है, किंतु भारत में बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की अनुकूल स्थिति और संकट-पूर्व विनियामक ढांचे का मतलब यह नहीं कि बैंकिंग प्रणाली उच्चतर पूंजी अपेक्षाओं को समायोजित करने पर पड़ने वाले अनुचित से दबाव को झेलने की स्थिति में हो। वैयक्तिक बैंक के स्तर पर देखा जाए तो कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटानी जरूरी होगी। किंतु बासल-III उपायों को अमल में लाने के लिए नियत समय-सीमा को बढ़ा देने की वजह से कोई खास चुनौती सामने नहीं आएगी। समष्टि-विवेकपूर्ण साधनों को प्रयोग में लाए जाने से भारत में परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ावों तथा बैंकों के तुलन-पत्रों में कुछ क्षेत्रों से संबंधित ऋणों की मात्रा में हुई बढ़ोत्तरी के संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। किंतु इन नीतियों की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए कतिपय मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। वित्तीय बाजारों के कई खंडों और वित्तीय बाजार के सहभागियों के बीच की अंतरसंबद्धता समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व बनी हुई है। ऐसी संस्थाओं का सख्ती से पर्यवेक्षण करना जरूरी है जो भुगतान और निपटान प्रणालियों या अंतर-बैंक देयताओं से संबंध रखती हों। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाना चुनौतीपूर्ण होगा और उसके लिए सघन प्रयास करना आवश्यक है, साथ ही, उन्हें अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाना जरूरी है। वित्तीय समूहों (एफसी) के विनियमन में अंतर्राष्ट्रीय नीति विकासों को ध्यान में रखते हुए सुधार करना जरूरी होगा। वित्तीय नियंत्रक कंपनी वाले ढांचे की शुरुआत बैंकों को मूल संस्था नीत ऐसे मॉडल से संबद्ध जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने में एक उपाय हो सकेगी, जिसमें बैंक को जोखिम उठाना पड़ता है, साथ ही उसे अपनी अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रतिष्ठा-संबंधी जोखिम भी उठाना पड़ता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विनियामक ढांचे को मजबूत करना, इस क्षेत्र में विनियामक खामियों को दूर करना, सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र में पैदा होने वाले ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के लिए रूप-रेखा तैयार करने का जटिल मुद्दा, आदि चुनौतीपूर्ण हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली का बुनियादी ढांचा सुचारू ढांग से संचालित हो रहा है। तथापि, इसमें कुछ खामियां रह गई हैं, जैसे कतिपय सहभागियों तक ही भुगतान और निपटान लेनदेनों का सीमित रह जाना, केंद्रीय प्रतिरूपों (सीसीपी) में जोखिम का बढ़ना, और वास्तविकता यह है कि कुछ महत्वपूर्ण निपटान प्रणालियां भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की परिधि में शामिल ही नहीं हैं। सुरक्षात्मक उपाय तो किए जा रहे हैं, किंतु कुछ कमियां और आशंकाएं बनी हुई हैं।

5.1 वित्तीय स्थिरता कुछ हद तक सुदृढ़ व सुप्रबंधित वित्तीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। वित्तीय नीतियों का उद्धार, वित्तीय बाजार की बुनियादी ढांचे में सुधार और विनियामक व्यवस्था का पुनर्गठन वास्तविक अर्थव्यवस्था को स्थिरता से वित्तीय सेवाएं मुहूर्च्या करने और खामियों, जिनसे चक्रीय रूप से जोखिम पैदा हुए, को दूर करने की दृष्टि से किए गए ऐसे उपायों के पैकेज के ही अंग हैं, जिनमें से कई उपायों से वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान काफी राहत मिली।

5.2 इस अध्याय के प्रथम भाग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही साथ इन्हें भारत में अमल में लाने में आने वाली चुनौतियों का भी

उल्लेख किया गया है। इसके दूसरे भाग में संकट के एकमात्र महत्वपूर्ण सबक संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है - जो कि, प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन के लिए समष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को महत्ता को उजागर करता हो, और उसमें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में मौजूद अंतरसंबद्धता को रेखांकित करते हुए अनुभवमूलक प्रयोग के परिणामों को प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के विनियामक ढांचे में उभरती प्रवृत्तियों पर विचार-विपर्श किया गया है और भारत के प्रसंग में मुद्दों/खामियों पर विशिष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। अंत में उसमें वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रमुख गतिविधियों और वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना के साथ-साथ तत्संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया है।

## वित्तीय क्षेत्र की नीतियां

5.3 मार्च 2010 के दौरान प्रकाशित पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की अवधि से अब तक ऐसे वैश्विक विनियामक सुधार कार्यक्रम को साकार बनाने में काफी प्रगति हुई है, जिसे वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखने, प्रोत्साहन स्वरूप में बदलाव लाने और उसकी दीर्घ-कालीन स्थिरता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। एक ओर अपेक्षाकृत अधिक सख्त विनियामक ढांचा तैयार करने में काफी हद तक एकमत बना हुआ है, तो दूसरी ओर यह महसूस किया जा रहा है कि बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में एक सुविचारित बदलाव किया जाना आवश्यक है, साथ ही साथ, वित्तीय सुधार बाधित नहीं होना चाहिए।

5.4 बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति (बीसीबीएस) ने विवेकपूर्ण या फर्म स्टरीय विनियमन को मजबूत बनाने के कई उपाय घोषित किए हैं, जिनसे वैयक्तिक वित्तीय संस्थाओं को बल प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस समिति ने समूची प्रणाली में रहने वाले जोखिमों को समष्टि विवेकपूर्ण रूप से ध्यान संकेंद्रित करने की दृष्टि से कई सुधारात्मक उपाय भी घोषित किए हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर निर्भरता को कम करने, प्रतिपूर्ति संबंधी प्रथाओं में सुधार करने और ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में प्रभावी ढंग से सुधार करने की दृष्टि से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) के साथ नैतिक संकटजन्य जोखिम सहित कई विनियामक सुधारों के प्रति समन्वय किया है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों में महारत हासिल करने में काफी हद तक प्रगति भी हुई है।

5.5 एफएसआर के पूर्ववर्ती अंक में संकट से पूर्व और उसके दौरान की गई विभिन्न नीतिगत शुरुआतों का उल्लेख किया गया है जिसके फलस्वरूप भारतीय वित्तीय प्रणाली बाधित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता की सूरत में भी मजबूत रही। इस देश में वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से बैंकों, वित्तीय बाजारों और वित्तीय बुनियादी ढांचे के संबंध में मौजूद सुदृढ़ विनियामक व पर्यवेक्षी ढांचे के संबंध में यह महसूस किया गया है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त अधिकतर सुधारात्मक उपायों के अनुकूल बनाने से प्रणाली पर कोई बेमेल दबाव नहीं पड़ने वाला है। वस्तुतः इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन कई उपाय काफी पहले से ही भारतीय विनियामक ढांचे में मौजूद हैं। तथापि, प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यक्रम के अनुसार नीतिगत दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है।

## पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बीसीबीएस प्रस्ताव

5.6 समग्रतः फर्म-विशिष्ट व व्यापक, प्रणालोगत जोखिमों दोनों से संबंधित नए वैश्विक मानक “बासल-III” कहलाते हैं। बासल-III में निमांकित निर्माण ब्लॉक मौजूद हैं, जिन्हें जुलाई 2009 और सितंबर 2010 की अवधि में बासल समिति, गवर्नरों और पर्यवेक्षणाध्यक्षों द्वारा स्वीकार कर जारी किया गया है।

- पूंजी की गुणवत्ता को बेहतर बनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक वर्तमान चिंता और अतीत हो चुकी चिंता दोनों के रूप में हानियां उठा सकने की स्थिति में हों;
- पूंजी संरचना के जोखिम कवरेज, विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियों, प्रतिभूतिकरणों, तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़रों (ओबीएस) संस्थाओं से संबंधित एक्सपोज़रों और डेरिवेटिवों से पैदा होने वाले प्रतिपार्टी एक्सपोज़रों से संबंधित कवरेज को बढ़ाना;
- न्यूनतम पूंजी की अपेक्षाओं के स्तर को बढ़ाना, जिसके अंतर्गत न्यूनतम सामान्य ईक्विटी अपेक्षा को 2 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत से बढ़ाना और 2.5 प्रतिशत का एक पूंजी संरक्षण बफर रखना, कुल सामान्य ईक्विटी को 7 प्रतिशत बनाना आदि शामिल है;
- जोखिम-आधारित पूंजी उपाय के लिए सुरक्षा कवच के रूप में और प्रणाली में अत्यधिक बढ़ने वाले लीवरेज को काबू में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण लीवरेज अनुपात की पहल करना;
- पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (स्टंभ 2) और सार्वजनिक प्रकटीकरण (स्टंभ 3) के लिए मानकों को बढ़ाना, साथ ही साथ सुदृढ़ मूल्यांकन प्रथाओं के क्षेत्र में अतिरिक्त मार्गदर्शन, तनाव परीक्षण, चलनिधिगत जोखिम प्रबंधन, कार्पोरेट गवर्नेस और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना;
- ऐसे न्यूनतम वैश्विक चलनिधि मानकों की शुरुआत करना जिनमें अत्यकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक चलनिधि कवरेज अनुपात, संरचनात्मक नेट स्थिर नियिन अनुपात शामिल हैं; तथा
- अनुकूल समयों में पूंजी बफरों के निर्माण को बढ़ावा देना ताकि उनका तनाव के दौरान प्रयोग किया जा सके, जिनके अंतर्गत अत्यंत क्रेडिट वृद्धि के समयों में बैंकिंग क्षेत्र को पूंजी संरक्षण बफर और प्रतिचक्रीय बफर दोनों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

5.7 नये मानकों में संक्रमण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ बासल समिति द्वारा किए गए मात्रात्मक

<sup>1</sup> <http://www.bis.org/publ/bcbs179.pdf>

प्रभाव अध्ययन के निष्कर्षों पर आधारित है। सामान्य इक्विटी के संबंध में बासल III पूंजी अपेक्षाओं का राष्ट्रीय कार्यान्वयन 1 जनवरी 2013 से आरंभ होगा और उसके 2015 तक पूरा हो जाने की आशा है। तत्पश्चात्, पूंजी परिरक्षण बफर पर सोच-विचार शुरू होगा, जिसे 2018 के अंत में अंतिम रूप दिया जाएगा।

**प्रस्तावित पूंजी नियम - बैंकिंग प्रणाली के असम्यक रूप से दबावग्रस्त करने की संभावना नहीं है, परंतु कुछ बैंक कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं**

5.8 बासल III प्रस्ताव में संकटों से सबक लेना प्रतिबिंబित होता है और 'इससे तस्वीर काफी बदलने' की संभावना है। विशेषतः, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कार्यान्वयन तब किया जाता है जब, अन्य बातों के साथ-साथ, सुदृढ़ वृद्धि की बाध्यताओं, मूलभूत संरचना की निवेश-आवश्यकताओं और बढ़ते वित्तीय समावेशन द्वारा पैदा हुई मांग को देखते हुए ऋण की मांग बढ़ने की संभावना है। इसके साथ-साथ वहनीय लागत पर अतिरिक्त पूंजी बफर की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था की तेज़ी से बढ़ती ऋण आवश्यकताओं संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करना आसान काम नहीं होगा। तथापि, बासल II मानकों के अंतर्गत भारत में बैंकों की अच्छी पूंजी पर्याप्तता स्थिति (30 सितंबर 2010 को सीआरएआर 14 प्रतिशत से अधिक और मूल सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक) से यह अभिप्रेत है कि एक बार का संपूर्णतः नपातुला मापन किये जाने के बाद बासल II अपेक्षाएं वर्तमान स्थिति की तुलना में अत्यधिक उच्चतर रहने की संभावना नहीं है।

5.9 फिर भी महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान रह जाती हैं। सर्वप्रथम, नये मानक अपनाये जाने पर टियर I और टियर II पूंजी में से अमूर्त आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों जैसी कुछ कटौतियों को सामान्य इक्विटी के अंतर्गत ले जाने के कारण कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारत में बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर बासल III के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के प्रभाव के त्वरित अनुमान से यह संकेत मिलता है कि सामान्य इक्विटी के लिए बासल III कटौतियों को लागू किए जाने से सामान्य इक्विटी अनुपात 7 प्रतिशत से अधिक बना रहेगा।

5.10 समग्र स्तर पर वर्तमान स्थिति के बावजूद, आगामी वर्षों में कुछ अलग-अलग बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासल III मानदंडों में अपेक्षित स्तर से कम रह सकते हैं, जिसका आशय यह है कि पूंजी संवर्धन की आवश्यकता हो सकती है। तथापि, इसके लिए अनुमत कालावधि पर्याप्त रूप से लम्बी होने के कारण ये बैंक बढ़ी हुई अपेक्षाओं को अच्छी तरह समायोजित करने में समर्थ हो सकेंगे।

<sup>2</sup> ...बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी संकट-पश्चात् सुधार - वैश्विक स्तर पर सोचें, स्थानीय स्तर पर कार्य करें... वैश्विक बैंकिंग 'पूर्ण बदलाव' पर फिक्कीआइबीए के सेमिनार में रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डॉ सुब्राह्मण का उद्घाटन भाषण : सितंबर 2010

5.11 पूंजी पर्याप्तता संरचना की जोखिम व्याप्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों का और अधिक प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम संरचना के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रभाव भारत में उन बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपातों पर पड़ने की संभावना है, जिनकी ओटीसी डेरिवेटिव स्थिति विशेष रूप से बहुत बड़ी है। तथापि, प्रतिभूतिकरण संबंधी एक्सपोजरों और व्यापरिक बही स्थितियों पर प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा।

**लीवरेज अनुपात के बाध्यकारी हो जाने की संभावना नहीं है।**

5.12 भारतीय बैंकों का लीवरेज सामान्य रहा है और इस संबंध में बासल समिति के वर्तमान प्रस्तावों से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। तथापि, बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो को किस रूप में लिया जाए, इसके संबंध में कुछ चिंताएं उत्पन्न होती हैं। चूंकि यह पोर्टफोलियो बैंकों के तुलनपत्र का विनियामक रूप से अधिदिष्ट भाग है, अतः लीवरेज के परिकलनों में इस पोर्टफोलियो को शामिल न करने के पक्ष में ठोस तर्क दिया जाता है। इस तर्क को इस तथ्य द्वारा और अधिक मजबूती प्राप्त होती है कि इस पोर्टफोलियो में केवल सामान्य जोखिम है। तथापि, प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मानदंड इसकी अनुमति नहीं देते और यह अपेक्षा की जाती है कि लीवरेज अनुपात को माप करते समय नकदी सहित किसी भी आस्ति को नहीं निकालना चाहिए।

**चलनिधि की स्थिति अनुकूल है, परंतु कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं**

5.13 अधिकांश भारतीय बैंक खुदरा व्यवसाय मॉडल अपनाते हैं और अल्पावधि/एकदिवसीय थोक निधीयन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहते। उनके पास पर्याप्त मात्रा में अर्थसुलभ आस्तियां भी होती हैं जिसके जरिये अर्थसुलभता के नये मानकों की पूर्ति करने में वे सक्षम होंगे। इसलिए बासल III के अंतर्गत नई अपेक्षाओं में से कई अपेक्षाओं से भारत में स्थित बैंकों पर असम्यक दबाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5.14 चलनिधि अनुपातों के परिकलन के लिए एसएलआर धारिताओं को किस सीमा तक हिसाब में लेना चाहिए यह सोच-विचार का विषय है। चूंकि ये धारिताएं निरंतर आधार पर कायम रखी जाती हैं, अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि उन्हें कदम परिस्थिति में नहीं लिया जाए। तथापि, दबाव की स्थितियों में चलनिधि अनुपात के परिकलन के लिए एसएलआर धारिताओं के कम-से-कम एक हिस्से को हिसाब में लेना तर्कसंगत होगा क्योंकि एसएलआर

धारिताएं मुख्य रूप से सरकारी बांड होती है, जिनकी जमानत पर रिजर्व बैंक चलनिधि उपलब्ध कराता है।

**5.15** भारत में स्थित बैंकों को नए चलनिधि मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित शुद्धता और संगति के साथ अर्थसुलभता संबंधी दबाव परिदृश्य तैयार करने और उनकी पूर्वघोषणा करने के जटिल कार्य से निपटना पड़ सकता है। भारतीय बाजारों ने वैश्विक बाजारों जैसे दबाव के स्तरों का अनुभव नहीं किया है, इसे देखते हुए दबाव के परिदृश्यों की पूर्वघोषणा करने के लिए गुणात्मक निर्णयात्मक आहवान अपेक्षित है। समय पर सही और सूक्ष्म आधारभूत आंकड़ों की उपलब्धता में आनेवाली बाधाएं इस कठिनाई को और अधिक बढ़ाती हैं।

### बफर के बारे में सोच-विचार करने के लिए समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में सतर्कतापूर्ण निर्णय अपेक्षित है

**5.16** प्रस्तावित प्रतिचक्रिय बफर के नपेतुले मापन के लिए समष्टि अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेना अपेक्षित है। इसके लिए समग्र और क्षेत्रवार स्तरों पर व्यवसाय चक्रों की स्थिति की समझ जरूरी है, जिसमें कुछ कठिनाइयां हैं। सामान्यतया ऋण-जीडीपी अनुपात के उसकी दीर्घावधि प्रवृत्ति से विचलन का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जाता है, परंतु यह तरीका भारत जैसे उन उभरते बाजारों के लिए विश्वसनीय सकेतक साबित नहीं हुआ है जिनमें संरचनात्मक कारणों - उच्च वृद्धि और बृहत्तर वित्तीय समावेशनों के कारण अत्यधिक ऋण उठाव की वजह से इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वास्तव में, रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात बैंकिंग प्रणाली में सर्वांगी जोखिम निर्णय का ऐतिहासिक रूप से अच्छा सकेतक नहीं रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा पिछले दशक में अथवा ऐसी ही किसी अवधि में किये गये क्षेत्रवार प्रतिचक्रीय नीतिगत उपाय भी कठिपय गुणात्मक और मात्रात्मक सकेतकों - बैंकों के कार्यस्थल पर निरीक्षण द्वारा उद्घाटित घटते हामीदारी मानक, स्थावर संपदा क्षेत्र में जोखिमों के न्यूनतर अंकन के सकेत निवेश प्रयोजनों के लिए दूसरे मकान की ओर उभरती अभिमुखता, संपूर्ण संपत्तियों की सूची तैयार करने के संबंध में वर्णित साक्ष्य और भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि पर निर्भर रहे हैं जिनमें से कई आसानी से परिमापनीय नहीं हैं।

### विनियामक मानदंडों को सख्त करने के बावजूद एनबीएफसी क्षेत्र का विस्तार तेज़ गति से हो रहा है

**5.17** बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन अधिक कठोर किए जाने से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) में व्यवसाय ले जाने के रूप में विनियामक अंतररपणन को प्रोत्साहन देने में वृद्धि हुई। यह

विशेष रूप से भारत में वर्तमान परिवेश में तब होता है जब एनबीएफसी (विशेषतः जमाराशि न स्वीकारनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी) का विस्तार तेज़ गति से हो रहा है और विविध प्रकार की संस्थाओं के बीच अंतर-संलग्नता और उत्पाद प्रतिस्पर्धा दोनों में तेज़ी आ रही है। प्रस्तावित सुधारों से अधिक आधात-सह वित्तीय क्षेत्र बनाने का उद्देश्य पूरा हो इसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से गैर-बैंकिंग क्षेत्र में विनियामक सुधार तथा साथ ही साथ विनियामक अंतररपणन की गुंजाइश की पहचान करने एवं उसे समाप्त करने के लिए पर्यवेक्षण में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की विनियामक संरचना को सख्त करने के लिए कई पहल किये गये हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों को इस आभासी बैंकिंग क्षेत्र<sup>3</sup> पर लागू किया जाना शामिल है।

### सुधार पैकेज के प्रभाव का आकलन

**5.18** इसमें कोई आश्वर्य नहीं कि प्रस्तावित सुधारों के अंतिम प्रारूप, उनके निहितार्थों, उनके पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए तर्कों और वैश्विक वृद्धि पर प्रभाव पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) द्वारा किये गये दो अध्ययन कार्य और वॉशिंगटन स्थित औद्योगिक वित्त संस्थान (आईआईएफ) नामक निजी क्षेत्र के एक निकाय द्वारा किये गये एक अध्ययन, इन तीन नवीन अध्ययन कार्यों में अल्पवादी और दीर्घावधि दोनों में वृद्धि पर सुधारों के प्रभाव के संबंध में अलग-अलग अनुमान लगाए गए हैं।

**5.19** बीआईएस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, सकल उत्पाद पर उच्चतर पूंजी मानकों की ओर संक्रमण का थोड़ा प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से यदि उच्चतर अपेक्षाओं को क्रमिक रूप से शामिल किया जाए (बैंक के अनुपात में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि से साड़ेचार वर्षों की अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर में औसत 0.04 प्रतिशत की गिरावट आएगी)। आईआईएफ अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि विनियामक सुधारों के कार्यान्वयन से जी3 (अमरीका, यूरो क्षेत्र और जापान) के लिए वास्तविक जीडीपी के मार्ग से पांच वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 0.6 प्रतिशत का वार्षिक औसत और दस वर्ष की अवधि के दौरान 0.3 का औसत कम हो जाएगा। अनुमानों में अंतर आंशिक रूप से भिन्न-भिन्न मान्यताओं का परिणाम है और साथ ही साथ कमज़ोर डेटाबेस और इस तथ्य का भी परिणाम है कि वित्तीय बाजारों में तथा वित्तीय एवं वास्तविक बाजारों के बीच कई संबंध गैर-रेखीय हैं।

**5.20** रिजर्व बैंक ने देश की संवृद्धि के पथ पर पूंजी की बढ़ी हुई अपेक्षाओं का प्रारंभिक आकलन भी किया है और वह मानकों को इस

<sup>3</sup> भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग जी प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2009-2010. (<http://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=12975>)

प्रकार चरणबद्ध रूप से लागू करेगा कि संवृद्धि के साथ किया जाने वाला समझौता स्वीकार्य सीमाओं के अंतर्गत हो।

### **एसआईएफआई द्वारा प्रस्तुत नैतिक संकट का प्रबंधन**

5.21 वित्तीय संकट ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सर्वोधिक बल दिया है कि बड़ी और जटिल वित्तीय संस्थाओं पर ऐसी विनियामक और पर्यवेक्षी अपेक्षाएं लागू की जाएं, जो उनके द्वारा वित्तीय प्रणाली के समक्ष प्रस्तुत जोखिम के परिमाण के अनुरूप हों। इस संकट ने “इतनी बड़ी या इतनी अधिक परस्पर संबद्ध कि विफल नहीं हो सकती” यानी कई संस्थाओं से जुड़े हुए नैतिक संकट को रेखांकित किया है -बाजार/निवेशकों का मानना है कि विपत्ति के समय एलसीएफआई को उबार लिया जाएगा तथा इस प्रकार उनके द्वारा जारी किए गए क्रृति पर प्रतिलाभ की कम दर अपेक्षित होती है, जिससे ऐसी संस्थाओं को “निधि जुटाने का लाभ” प्राप्त होता है और इससे वे उच्चतर जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं<sup>4</sup>। समस्या अत्याधिक तीव्र हो जाती है क्योंकि बड़े विपदाग्रस्त और परस्पर संबंधित वित्तीय फर्मों से निपटने के लिए अधिकांश अधिकारिताओं ने इसके लिए पर्याप्त विधिक ढांचा नहीं बनाया है। विश्व अर्थव्यवस्था पर 12 वीं जिनेवा रिपोर्ट के अनुसार - “अंतिम परिणति - विफल होनेवाली संस्थाओं का विघटन - सीमा पार स्तर पर अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है और अक्सर देश के भीतर भी ऐसा नहीं किया गया होता है।”

5.22 एसआईएफआई से संबंधित सुधार नीति के संबंध में तीन विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयास किये जा रहे हैं (i) उच्चतर पूंजी अपेक्षाओं सहित उच्चतर विवेकपूर्ण अपेक्षाओं बेहतर पर्यवेक्षी प्रथाओं, आकार, विस्तार और अंतः समूह संबद्धता पर संभाव्य सीमा लगाने के माध्यम से विफलता को संभावना एवं प्रभाव को कम करना (ii) विघटन की क्षमता में सुधार करना (iii) प्रमुख वित्तीय मूलभूत ढांचों और बाजार को मजबूत करना ताकि अंतर-संबद्धता की समस्या का समाधान किया जा सके तथा विफलता के मामले में संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके।

5.23 तथापि, इस कार्य में कुछ बहुत जटिल प्रश्नों के जवाबों की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला स्थान वित्तीय संस्था के प्रणालीगत महत्व के आकलन का ऐचीदा मुद्दा है। अंतरराष्ट्रीय रार्य कुछ कारकों, मुख्य रूप से आकार (सापेक्ष या निरपेक्ष), परस्पर संबद्धता (यानि शेष प्रणाली के साथ सहबद्धता, उदाहरण के तौर पर अंतर बैंक उधार के माध्यम से या एक मुख्य बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष

के माध्यम से सहबद्धता) और प्रतिस्थापनीयता (उस सीमा तक जिसमें प्रणाली के अन्य धटक विफलता की स्थिति में वही सेवाएं प्रदान कर सकते हैं), की दिशा की ओर जा रही है। ये कारक एक संस्था के प्रणालीगत महत्व की माप के लिए सबसे अच्छा बुनियादी मानदंड बन सकते हैं और अंतिम निर्णय के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों संस्थागत कारकों को शामिल करने की आवश्यकता होगी।

5.24 उच्चतर हानि वहन क्षमता के विस्तार सहित एसआईएसआई हेतु उच्चतर विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के विवरण अभी भी तैयार किए जा रहे हैं। फर्मों की समाधान क्षमता में सुधार के लिए कार्य किया जा रहा है: फर्म विशिष्ट रिकवरी और विघटन को योजनाएं तैयार की जा रही हैं और सीमा पार वित्तीय संस्थाओं हेतु प्रभावी विघटन प्रणाली का विकास किया जा रहा है।

5.25 इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा वित्तीय क्षेत्र पर लेवी या कर लगाने से संबंधित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह क्षेत्र किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के साथ जुड़ी लागत का भुगतान करे। कुछ देशों ने ऐसे करों की घोषणा की है या इस बारे में विचार कर रहे हैं और आईएमएफ ने इस मामले में कई सिफारिश की हैं। तथापि, इस मुद्दे पर कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और यद्यपि करदाता को वित्तीय क्षेत्र को संकट से बचाने के लिए भुगतान करने पर विवश नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ पूर्वनुमानित वित्तीय क्षेत्र की लेवी सबके लिए एक जैसा समाधान नहीं है। भारत में विशेष रूप से सक्रिय विनियमन, लिवरज पर उच्चतम सीमा का निर्धारण तथा आरक्षित नकदी निधि/एसएलआर का निर्धारण कंपनी को उबारने की जरूरत को कम कर सकता है।

### **विनियामक पूंजी की हानि वहत क्षमता में वृद्धि**

5.26 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए उपकरण लागू करने के लिए प्रस्तावों का एक ऐसा अलग सेट बनाया गया है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि एक वित्तीय संस्था को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब गैरबीमाकृत लेनदार को भी हानि के खतरों का सामना करना पड़ता है। आकस्मिक पूंजी और उबारने के लिए बनी पूंजी ऐसे उपकरणों के दो भिन्न रूप हैं (बॉक्स 5.1)।

भारत में एसआईएफआई के पर्यवेक्षण हेतु संरचना सुदृढ़ है लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी हैं।

5.27 पूर्ववर्ती एफएसआर में भारत में बड़ी वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं के ब्यौरे किए

<sup>4</sup> “दि वाल्य आफ ..टू बिंग टु फेर्स्ट.. बिंग बैंक सर्विसडो..”, डॉ. बेकर एंड टी. माकऑर्थर, सीईपीआर अंक ब्रॉफ, 2009.

<sup>5</sup> आईएमएफ: “गाइडेन्स टु असेस दि सिस्टेमिक इंपोर्टेन्स आफ फिनान्शियल इंस्टिट्यूशन्स, पार्कट एंड इन्स्ट्रुमेंट्स”, 2009.

### बॉक्स 5.1: बैंक के तुलन पत्र के देयता ढांचे को नया रूप देना: आकस्मिक पूँजी और बचाव (बेल-इन)-दृष्टिकोण और मुद्दे

प्राथमिक रूप से निधीयन संबंधी मुद्दों और विफल न हो सकें इनी बड़ी मानी जानेवाली संस्थाओं के नैतिक जोखिम को कम करने के लिए बैंकों के तुलन पत्रों के देयता ढांचे को नया रूप देने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी उत्सुकता रही है। इसमें अंतर्निहित विचार यह है कि तुलन पत्र के देयता में घाटा सहने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए ताकि करदाताओं की मदद के बिना ही सभी घाटों को सह लिया जाए और घाटे को इस प्रकार सहन किया जाए कि उससे प्रणाली को आधात न लगे या क्रूर देने जैसी आवश्यक व्यवसायिक गतिविधियों पर दुष्क्रिया बनाना न पड़े। इस संबंध में बैंक की कर्ज परिपक्वताओं को विस्तारित करने के तरीके खोजने और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, तथापि, नीति निर्माताओं की युक्तियों में कई अन्य प्रस्तावित उपाय भी शामिल हुए। उनमें से दो उपाय, जिन पर वैश्विक रूप से काफी विचार-विमर्श हुआ हैं - आकस्मिक पूँजी और बचाव (बेल-इन)। आकस्मिक पूँजी, जिसे 'कोकोज' के नाम से भी जाना जाता है, नियामकीय ढांचे में पहले ही अपने पैर जमा चुकी है जबकि बैंक के उधारदाताओं द्वारा किया गया बचाव (बेल-इन) अभी विकास की शैशवावस्था में है।

आकस्मिक पूँजी इस प्रकार का कर्ज है जो बैंक के वित्तीय संकट के समय इक्विटी में परिवर्तित हो जाती है। सिद्धांत: सामान्य समय में वे कर्ज संबंधी लिखते हैं जो पहले से ही निर्धारित दबाव संबंधी सीमा(ट्रिगर) को लांघते ही स्वतः साधारण इक्विटी में परिवर्तित हो जाती हैं। यह सीमा किसी विशिष्ट बैंकिंग संस्था और/या संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली की स्थिति होने वाली अवनति के साथ संपूर्वक की जा सकती है। तथापि, कठिन समय के दौरान आकस्मिक पूँजी का उपयोग करने का मतलब अनिवार्यतः यह नहीं है कि वास्तविक रूप से नकदी बैंक को अंतरित की गई, अपितु इसका सामान्य अर्थ यह हो सकता है कि इसके मौजूदा देयता ढांचे में परिवर्तन हुआ है। दूसरी ओर, यद्यपि बैंक के उधारदाताओं द्वारा किया गया बेल-इन अपने उद्देश्यों में आकस्मिक पूँजी के समान ही है, तथापि इसकी कार्यप्रणाली अलग है क्योंकि यह संभवतः बैंक की देयताओं के बहुतर भाग पर लागू होगा और इसकी परिधि में मौजूदा के साथ ही भविष्य के कर्ज भी आएंगे। बेल-इन की कार्यविधियां अभी विचाराधीन हैं और इसके कई रूप हो सकते हैं, उदाहरणार्थ, थोड़ी सामान्य मार्जिन (हेअर-कट) और/ या वरिष्ठ (सिनियर) कर्ज को अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तित करना। मौजूदा काम कर्मे लाया जा रहा अनुमान यह है कि वरिष्ठ (सिनियर) उधारदाताओं की पर 'हेअर-कट' साधारण इक्विटी और गौण कर्ज के समाप्त होने के बाद ही लागू किया जाएगा। अतः बैंक के व्यवहार्य न रह पाने की स्थिति में ही बेल-इन का विकल्प अनेकों की संभावना है जो बेल-इन की व्यवहार्यता के संबंध में भी कुछ मुद्दे उठा सकता हैं।

यद्यपि आकस्मिक पूँजी और बेल-इन एक विचार के रूप में सरल परंतु मजबूत साधन प्रतीत होते हैं, तथापि उन्हें लागू करना कहीं दुष्कर कार्य है। आकस्मिक पूँजी प्रतिभूतियों को बफर के रूप में प्रभावी साबित करने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि रूपांतरण सीमा (ट्रिगर) को उपयुक्त स्तर पर निश्चित किया जाए। तथापि, इस उपयुक्त स्तर को निर्धारित करना तब तक कठिन है जब तक कि संकट वास्तव में न आ जाए। प्रकाशित पूँजी अनुपात वित्तीय सुदृढ़ता के पीछे रहने वाले संकेतक हो सकते हैं और एक बैंक की तुलना में अन्य बैंक द्वारा और अधिक रूढिवादी रूप से उनकी गणना की जा सकती है। दूसरा मुद्दा आकस्मिक पूँजी लिखतों के कीमत निर्धारण से संबंधित है जो निवेशक आधार के लिए मुख्य है। यह भी लगभग असंभव है कि ट्रिगर के आसपास चलनिष्ठि में उल्लेखनीय गिरावट आ जाए, जिसका प्रभावप्रभाव कीमत पर पड़ने वाला हो। इसके अलावा, ट्रिगर के आसपास सभी

हितधारकों का व्यवहार और मनोविज्ञान स्पष्ट नहीं है और इस प्रकार उसका निरूपण कठिन है। अतः आकस्मिक पूँजी से उठने वाला तीसरा मुद्दा निर्धारित आय चाहने वाले निवेशक हैं, अधिकतर बीमा कंपनियां, जिन्हें वे आकृष्ट करते हैं। इससे अंतर-संबद्धता बढ़ती है क्योंकि यह एक संचरण माध्यम बनाता है जो जोखिम को बैंकिंग सेक्टर से बीमा सेक्टर में अंतरित कर देता है। आकस्मिक पूँजी के रूपांतरण के परिणामस्वरूप बीमाकर्ताओं को हानि उठानी पड़ सकती है और यद्यपि रूपांतरण बैंकिंग संकट से उबरने में मदद कर सकता है, लेकिन यह बीमा संकट उत्पन्न कर सकता है या मुछ ऐसे म्यूचुअल फंडों से पैसे निकालने के लिए भगदड़ मच सकती है जिन्होंने आकस्मिक पूँजी में निवेश किया था। इसके अलावा, रूपांतरण के बाद, निर्धारित आय वाले कुछ ऐसे निवेशकों के पास अंतरः इक्विटी शेयर आ जाएंगे जिनका निवेश संबंधी अधिदेश उन्हें इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप वे इन शेयरों को बेचने के लिए बाध्य होंगे वो भी मजबूरन बिक्री की कीमतों पर। इससे बैंक के शेयर के भाव पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना होगी जिससे निवेशकों का घाटा और बढ़ेगा। इसी प्रकार के मुद्दे बेल-इन लिखतों के साथ भी जुड़े हैं। इसका सर्वाधिक स्पष्ट प्रभाव समग्र रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए निधीयन की लागत में बढ़िया के रूप में पड़ेगा क्योंकि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेल-इन लिखतों की कीमत को उल्लेखनीय रूप से अधिक रखा जाएगा। बेल-इन किसी विफल हो रही संस्था का समाधान करने या उसका पुनःपूँजीकरण करने के लिए एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसे ऐसी समाधान पद्धति द्वारा, जो नियामकों को विभिन्न प्रकार के निधि-प्रदाताओं पर हानियों को रोपित करने की शक्ति प्रदान करती है, या ऐसी विभिन्न श्रेणी के निधि-प्रदाताओं द्वारा जिन्होंने पूर्व में ही हानियों को (अवलेखन) या इक्विटी में रूपांतरण के जरिए) सहने के लिए करार किया हुआ है, प्राप्त किया जा सकता है ताकि पुनःपूँजीकरण का लक्ष्य किया जा सके। पहले उदाहरण के लिए नया विधेयक लाना होगा जो नियामकों को अवलेखन (राइट-डाउन) करने या गैर-पूँजी निधि-प्रदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों पर अवलेखन का रूपांतरण की शर्तें लगाते की समाधान शक्तियां प्रदान करेगा। दूसरी ओर, संविदात्मक पद्धति अपनाने के लिए यह अपेक्षित होगा कि जोखिम-भारित अस्तियों (आरडब्ल्यूए) के कुछ निश्चित भाग का निधियन प्रतिभूतियों द्वारा किया जाए जिनमें संविदात्मक की शर्तों की भीतर रूपांतर या बेल-इन प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

आकस्मिक पूँजी और बेल-इन दोनों को ही लागू करने में शामिल अनेक नुस्खाओं के बावजूद वे ऐसे नीतिगत विकल्प हैं, जो बड़े स्तर पर बैंक के विफल होने की लागत में कमी करते हुए और जमापूँजी निकालने की आपाधारी के जोखिम को कम करते हुए निवेशकों, लेन-देन भुगतानों और ग्राहकों के प्रमुख कार्यकलापों की सुरक्षा करते हुए प्रणालीयां जोखिम में आश्र्य जनक रूप से कमी की जा सकती है। यदि आकस्मिक पूँजी और बेल-इन दोनों के प्रयोगों को स्पष्ट कर दिया जाए तो वे दोनों एक ही साथ काम कर सकते हैं। शीघ्र कार्रवाई, प्रबंधन को प्रोत्साहनों देने और छोटे-मोटे संकटों का सामना करने के लिए आकस्मिक पूँजी का उपयोग किया जा सकता है, जबकि बेल-इन हमारे लिए संकट के समय काम आने वाली ऐसी आरक्षित सेना के रूप में होंगे, जिनका उपयोग दूरस्थ जोखिमों को समाप्त करने में किया जा सकेगा और जिनकी वजह से आकस्मिक पूँजी को भली प्रकार व्यवहृत करने में मदद मिलेगी।

## संदर्भ:

- क) कंटिजेंट कैपिटल: ऐन इन डेप्थ डिस्कशन- स्टैन मैस एंड विम स्काउटेन्स
- ख) कंटिजेंट कैपिटल विथ ए कैपिटल रेशियो ट्रिगर- पॉल ग्लासरमैन तथा बेजाद नैरी

गए थे। भारत में वित्तीय प्रणाली पर बैंकों का काफी हद तक प्रभुत्व है और ज्यादातर मामलों में वे पहचान की गई वित्तीय संस्थाओं के जनक हैं। वर्तमान पर्यवेक्षणीय ढांचा के तहत दोहरे तरीकों पर विचार किया जाता है जिसमें ऑफ-साइट निगरानी और आवधिक रूप से संगुटों से बातचीत करना शामिल है। इन संस्थाओं को पेश आ रही समस्याओं का अनुमान लगाने में यह काफी अच्छा साबित हुआ है। तथापि, आगे बढ़ते हुए इन वित्तीय कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

### आगे चलकर विवेकपूर्ण विभेदक मानदंडों की आवश्यकता पड़ सकती है

5.28 वित्तीय संगुटों के प्रति जो वर्तमान दृष्टिकोण है उसमें प्राथमिक रूप से और अधिक गहन पर्यवेक्षण पर फोकस किया गया है और किसी तरह की विवेकपूर्ण विभेदक मानदंडों की अपेक्षाओं को आवश्यक नहीं माना गया है। हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी बड़ी देशी कंपनियों, जो कि वैश्विक एसआईएफआई नहीं हैं, के लिए अलग से किसी प्रकार की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को तत्काल अधिदृष्ट करना जरूरी न हो। किसी भी भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर एसआईएफआई माने जाने की संभावना नहीं है। फिर भी, इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय नीतिगत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए घरेलू एसआईएफआई के लिए नीतियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

### बैंक होल्डिंग कंपनी ढांचे से जोखिम से बेहतर बचाव संभव है

5.29 दूसरा मुद्दा भारत में वित्तीय संगुटों के संगठनात्मक ढांचे से संबंधित है। विनियमन और वित्तीय समेकन से वित्तीय धारक कंपनियों का जन्म हुआ है -जो उसी कारपोरेट हब के तहत वाणिज्यिक बैंकिंग, बीमा, निवेश बैंकिंग और अन्य बैंकिंग गतिविधियों को संपादित करने की अनुमति देती हैं। तथापि, भारत में मूल कंपनी की अगुवाई वाले माडल की प्रथानता है और किसी बैंक की गतिविधियों में किसी प्रकार का विस्तार या तो बैंक के भीतर (सार्वभौमिक बैंक) हो सकता है अथवा सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यमों (बैंक सहायक कंपनी मॉडल) की स्थापना द्वारा हो सकता है। इस प्रकार के मॉडल में बैंक ही जोखिम का वहन करता है, जिसमें सहायक/ अनुबंधी कंपनियों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी शामिल होते हैं। इस समूह में बैंक ही कारपोरेट अभिशासन की जिम्मेदारी भी वहन करता है। इस मॉडल की यह अपेक्षा भी हो सकती है कि बैंक पर्याप्त इक्विटी को अलग रखे ताकि सहायक कंपनियाँ भलीभांति पूँजीकृत हों। इसकी तुलना में, धारक कंपनी के ढांचे से बैंक द्वारा वहन किये जाने वाले जोखिम की कम किए जाने की संभावना होती है। बैंक धारक कंपनी ढांचे को लागू करने की तरीके की सिफारिश

करने और उसके लिए अपेक्षित विधायी संशोधन/ ढांचे का सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

### वित्तीय संगुटों का व्यवस्थित समाधान विधिक रूप से और परिचालन की दृष्टि से कठिन हो सकता है

5.30 संस्थानों के व्यवस्थित समाधान के लिए मौजूदा ढांचे के संबंध में कई प्रकार की विधिक और परिचालनगत समस्याएं हैं, जटिल वित्तीय संस्थाओं पर यह बात और अधिक लागू होती है। जैसी कि इस अध्याय के पैरा 5.123 में चर्चा की गई है, भारतीय रिजर्व बैंक और निष्केप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, जो जमाराशि का बीमाकर्ता है, के पास समाधान के बहुत ही सीमित विकल्प उपलब्ध हैं।

### गैर-बैंकिंग क्षेत्र के साथ अंतर-संबद्धता अभी भी गंभीर है

5.31 भारत में, और विश्व में भी, वित्तीय संगुटों के परिचालनों संबंधी मुद्दों से जुड़ा चौथा और सबसे गंभीर मुद्दा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के साथ अंतर-संबद्धता से उपजता है। जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा संग्रहण करने वाली और जमा संग्रहण न करने वाली बड़ी संस्थाओं) का विनियमन रिजर्व बैंक करता है तथा अन्य संस्थाओं का विनियमन, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा और विकास प्राधिकरण (इरडा), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) करता है। वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति (सुस्पष्ट तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति) के रूप में एक समन्वय प्रणाली स्थापित की गई है ताकि वह अंतर-विनियमकीय फोरम के रूप में वित्तीय संगुटों की निगरानी प्रणाली पर एक व्यापक राय बना सके। भारतीय वित्तीय प्रणाली में मुख्यतः बैंकों की प्रधानता है। तथापि, पूँजी और चलनिधि संबंधी विनियमकीय ढांचा कम कठोर है यद्यपि इस क्षेत्र के लिए विनियमकीय ढांचे को कठोर बनाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है (इस अध्याय का पैरा 5.17)।

### मुआवजा

#### भारत में मुआवजा हमेशा से विनियमित रहा - फ्रेमवर्क को सुचारू बनाने का कार्य प्रगति पर है

5.32 जोखिम-समायोजित मुआवजे के ब्यौरे दूर-दूर तक स्पष्ट नहीं हैं। फिर भी, मुआवजा के ठोस सिद्धांतों के लिए यह आवश्यक है कि वेतन किस प्रकार अर्जित किया जाता है इसका विवरण रखा जाए। अतः संकट के बाद, मुआवजा भी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गया है। भारत में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मुआवजा हमेशा से विनियमित रहा है। सरकारी क्षेत्र

के बैंकों के लिए इसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों के संबंध में इसके लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन<sup>9</sup> अपेक्षित होता है। इसके बावजूद वैश्विक समुदाय द्वारा किए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने बैंकों में मुआवजा संबंधी वर्तमान प्रथाओं पर एक बार पुनः विचार किया है। जुलाई 2010 में रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की मुआवजा संबंधी प्रथाओं पर सार्वजनिक अभिमत आमंत्रित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक मसौदा जारी किया। दिशानिर्देशों के इस मसौदे में बैंकों के सभी कर्मचारियों, जोखिम उठाने वाले और जोखिम नियंत्रण स्टाफ दोनों, को शामिल किया गया है। इनमें मुआवजा द्वांचे के विविध पहलुओं को कवर किया गया है- नामतः प्रशासन, जोखिम सामंजस्य और प्रकटन, और वे मोटे तौर पर एफएसबी के मुआवजा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। सभी हितधारकों से अभिमत प्राप्त होने के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

### क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

#### क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर निर्भरता कम करना- अगला रास्ता

5.33 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग से उत्पन्न होने वाले 'किलफ प्रभाव', जो प्रचक्रीयता को बढ़ा सकता है और प्रणालीगत व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने सिद्धान्तों के एक ऐसे सेट का अनुमोदन किया है जिससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर प्राधिकरणों और वित्तीय संस्थाओं की निर्भरता को कम किया जा सके। ये सिद्धान्त वित्तीय बाजार की पांच प्रकार की गतिविधियों को कवर करते हैं: बैंकों का विवेकपूर्ण परिवेशक्षण, निवेश प्रबंधकों और संस्थागत निवेशकों से संबंधित नीतियां, केंद्रीय बैंक परिचालन, निजी क्षेत्र की मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं, और प्रतिभूति निर्गमकर्ताओं के लिए प्रकटन अपेक्षाएं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्राधिकरणों ने इस प्रकार की निर्भरता को कम करने के लिए पहले ही उपाय करने प्रारंभ करने कर दिए हैं या उन्हें प्रारंभ करने पर विचार कर रहे हैं। तथापि, इस प्रकार की निर्भरता कम करने के लिए अभी भी कई मुद्दे बचे हुए हैं।

#### क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विकल्पों को पहचान व सुनिष्ठ तरीके से करने में कठिनाइयां हैं।

5.34 भारत में रिजर्व बैंक हमेशा इस बात पर जोर देता रहा है कि बैंकों को स्वयं अपना मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें केवल रेटिंग पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तथापि, विनियमन में से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग को हटाना या उनके स्थान पर विकल्प देना और बाजार निर्भरता में तत्संबंधी कमी करना रातों-रात संभव नहीं है।

कई मामलों में इसके लिए ऋण प्राप्तता के वैकल्पिक उपाय और अंतरिक्त जोखिम प्रबंधन क्षमता विकसित करने अपेक्षित होंगे, जिसमें कुछ समय लगेगा। विशेषरूप से, बासल-II के तहत मानकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बैंक की पूँजीगत अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए बाह्य रेटिंग पर बैंकों की निर्भरता भारत सही कई अधिकार-क्षेत्रों में बनी रहने की संभावना है। बहुत ही कम बैंकों से ऐसी आशा की जा सकती है कि वे अंतरिक्त रेटिंग पर आधारित उपायों को अपनाएंगे। इसके अलावा, स्वयं का क्रेडिट मूल्यांकन करने में निवेशकों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए, प्रतिभूति निर्गमकर्ताओं द्वारा प्रकटन की गुणवत्ता और मात्रा में भी काफी हद तक सुधार लाना होगा।

**क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए विनियमन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है।**

5.35 संकट ने, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक प्रभावी विनियमकीय पर्यवेक्षात्मक की आवश्यकता को रेखांकित किया है। संकट के बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पर्यवेक्षण के लिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपाय किये गये हैं या उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। इन उपायों के फलस्वरूप विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नये विनियमों के बीच असमानताओं के कारण उत्पन्न होने वाली आसंगतियों या परस्पर विरोधों से बचने की आवश्यकता संबंधी चुनौती सामने आ रही है।

**भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली संतुलित है, परंतु विनियमकीय ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।**

5.36 वित्तीय संकट के संदर्भ में देखने के बावजूद भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली प्राथमिकता रूप से कोई चिंता का विषय नहीं है। तथापि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बनी रहती है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मौजूदा नियम संहिता का अनुपालन करें और जवाबदेई परदर्शिता और हितों के टकराव, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सामना किया जा रहा है, जैसे सामान्य मुद्दों को ध्यान में रखा जाए। भारत में रेटिंग अपेक्षाएं निश्चित रूप से विभिन्न आस्ति वर्गों के प्रति विनियमित इकाइयों की एक्सपोजर पर लागू विनियमकीय नीतियों द्वारा संचालित होती हैं। यद्यपि, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन, 1999 सेबी को भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विनियमन के लिए शक्तिया प्रदान करता है तथापि, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर सेबी का अधिकार-क्षेत्र प्रतिभूति बाजार में उनकी गतिविधियों और विशेष तौर पर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियमन, 1956 के तहत यथापरिभाषित ‘‘प्रतिभूति’’ के रूप में श्रेणीकृत लिखतों में क्रेडिट

<sup>9</sup> बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1947 के अनुसार।

<sup>10</sup> प्रिसिपलस ऑन साउंड कॉर्पोरेशन सेशन ब्रॉकरीसिस्ट्स, एफबीएस, अगस्त 2009।

रेटिंग एजेंसियों के व्यवहार पर ही लागू होता है और यह अन्य विनियामकों द्वारा शासित प्रतिनिधियों को कवर नहीं करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अन्य विनियामकों के तहत आनेवाली इस प्रकार की गतिविधियों के संबंध में रेटिंग एजेंसियों को प्रत्यायित करने की प्रक्रिया और इस प्रकार की गतिविधियों के लिए रेटिंग देने की पद्धति पर संबंधित विनियमक द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बैंकों के संबंध में रिजर्व बैंक कठोर मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थाओं के रूप में प्रत्यायित करता है।

5.37 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए निर्धारित विनियामकीय बुनियादी ढाँचे से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों की जांच 'क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के व्यापक विनियमन पर गठित समिति' द्वारा की गई थी, जिसे वित्तीय बाजारों पर उच्चस्तरीय समन्वय समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। समिति ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणालियों से संबंधित संभावित चिंता के उपर्युक्त कुछेक थेंड्रों को निहित किया है और इस संबंध में विनियामकीय ढाँचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

5.38 वित्तीय क्षेत्र में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निरंतर बनी हुई महत्व को देखते हुए विनियामकों को रेटिंग फ्रेमवर्क को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करना होगा। किसी लिखत के निर्गम को रेटिंग देने की व्यवस्था से निर्गमकर्ता को रेटिंग देने की व्यवस्था में तब्दील होने की आवश्यकता है। किसी विशेष लिखत को दी गई रेटिंग को निर्गमकर्ता इकाई के क्रेडिट जोखिम का सूचक नहीं माना जा सकता। रेटिंग एजेंसियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे रेटिंग देते समय एक सटीक चक्रीय दृष्टिकोन अपनाएं। किंतु विनियामकों के लिए यह आवश्यक है कि वे क्षेत्रगत आधार पर प्रणालीगत जोखिम के मूल्यांकन के अपने अनुमान के अनुसार बाह्य रेटिंग पर लागू जोखिम भारों का गतिशील रूप से उपयोग करें।

### अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक

अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ समझौता के तरीके की घोषणा

5.39 पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से कारपोरेट मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक कोर समूह ने भारत में कारपोरेट जगत और बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समझौता लाने के लिए चरणबद्ध समय-सारणी जारी की है। जहां वाणिज्यिक बैंकों के लिए आईएफआरएस के साथ समझौता लाने के लिए 01 अप्रैल 2013 की तारीख तय की गई है, वहीं शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, उनके आकार के आधार पर और इस आधार पर कि वे सूचीबद्ध हैं अथवा नहीं, चरणबद्ध व्यवस्था का सुनिश्चित दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिनकी निवल मालियत अपेक्षाकृत छोटी है, अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों का उपयोग करती रहेंगी।

**महत्वपूर्ण लेखांकन मानकों के लक्ष्य अभी स्थिर नहीं हैं और उनमें कठिनाइयां आ सकती हैं**

5.40 भारतीय बैंकिंग प्रणाली को आईएफआरएस के साथ समझौता बनाने के लिए कुछ मुद्दों का समाधान निकालना होगा। सर्वप्रथम, वित्तीय लिखतों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण आईएफआरएस 9 अभी निर्माणाधीन है और इसका अंतिम रूप 2011 के मध्य के पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इसके बाद, भारतीय सन्धी लेखांकार संस्थान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भारत के लिए समझौता पित मानक घोषित करे। बाजार प्रथाओं या बैंचर्मार्क के रूप में भारत में विस्तृत दिशानिर्देशों की उपलब्धता न होने के कारण कुछ मामलों में 'उचित मूल्यांकन' दौर में अंतरण और त्रहन हानि प्रावधानीकरण में प्रत्याशित हानि दृष्टिकोण अपनाने में काफी कड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। मानकों में समझौता पता लाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में कुशलता का प्रो-न्यून और बैंकों की आइटी प्रणालियों में आशोधन अपेक्षित होगा। इन्हें लागू करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए और समझौता के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को बनाने में सहायता देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक कार्यदल का गठन किया है।

**समष्टि-विवेकशील विश्लेषण और प्रणालीगत जोखिम का प्रबंधन**

**नीति निर्माण के लिए समष्टि-विवेकशील दृष्टिकोण-संकट से महत्वपूर्ण सीख**

5.41 समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के स्पष्ट अनुसरण को उत्पन्न होना हाल के संकट से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख कहा जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के लिए हाल के संकट के बाद दो विभिन्न परंतु आपसी तौर पर अत्यधिक सहसंबद्ध बातें सामने आई हैं- वे हैं समष्टि-विवेकशील नीति और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन। समष्टि-विवेकशील नीति के लिए अपेक्षित है कि वित्तीय नीतियों/विनियामकीय और पर्यवेक्षणीय व्यवस्थाओं प्रणालीगत दृष्टिकोण से, न कि वैयक्तिक संस्था के दृष्टिकोण से, सोच विचार किया जाए। प्रणालीगत जोखिम अपने आपमें एक जटिल संकल्पना है और इसकी सुस्पष्ट परिभाषा के संबंध में नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच बहुत कम सहमति है (बॉक्स 5.2)।

**समष्टि-विवेकशील नीति के आवधिक और प्रति-खंडीय दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है**

5.42 विशिष्ट रूप से, नीति के लिए समष्टि-विवेकशील पहलू के दो आयाम होते हैं - एक समय संबंधी आयाम होता है जिसके तहत इस बात पर विचार किया जाता है कि एक वित्तीय प्रणाली के में एक कालावधि के दौरान किसी तरह से समग्र जोखिम उत्पन्न होता है और दूसरा आयाम प्रति खंडीय (क्रॉस-सेक्षनल) आयाम होता है जो किसी समय विशेष<sup>10</sup> में वित्तीय प्रणाली के भीतर आबंदित जोखिम

### बॉक्स 5.2: प्रणालीगत जोखिम प्राप्ति - भुजे और विकल्प

वैश्विक वित्तीय संकट ने उन अन्युलझी गुटियों में विशेष रुचि जागृत कर दी है जो प्रणालीगत जोखिम को अब वित्तीय अस्थिरता और संभाव्य नीतिगत उपायों के अध्ययन के लिए आधारभूत प्रमुख संकलनमा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।<sup>8</sup> जब प्रणालीगत जोखिम का प्रयोग संलीण रूप में बैंकों से जमा निकालने की आपाधारी में और मुद्रा संकट के सदर्भ में किया जाता था, तब की तुलना में इसकी परिभाषा आज कहीं अधिक व्यापक हो गई है। प्रणालीगत जोखिम अपने आपमें एक जटिल और खिचरी हुई संकलन्या है। इसे ऐसी संभावना के रूप में परिभासित किया जा सकता है कि वित्तीय संस्थाओं के मध्य एक छोटे समयांतर संकट में सह-संबंधित चूकों की श्रृंखला से चलनिधि की निकासी प्रारंभ होगी और समग्र रूप में वित्तीय प्रणाली में व्यापक रूप से विश्वास समाप्त होने लगेगा। प्रणालीगत जोखिम की परिभाषा के दो मुख्य घटक होते हैं - आयात और प्रचार का तरीका। ये आधात या तो एक सनक की भाँति होते हैं जो केवल किसी एक संस्था विवेश को प्रभावित करता है या प्रणालीगत होता है जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव डालता है। दूसरी ओर प्रचार या संचारण की विधि यह निश्चित करती है कि किस प्रकार प्रारंभिक पूर्ण घटना या प्रणालीगत आयात संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में फैल जाता है। ये आधात भूकंप द्वारा निर्भित लहरों के समान होते हैं, जो क्षेत्रिज अथवा लम्बवत किसी भी दिशा में फैल सकते हैं। जहां क्षेत्रिज प्रणालीगत जोखिम का तात्पर्य केवल वित्तीय क्षेत्र में महसूस किये गये आधात से होता है वहीं लम्बवत प्रणालीगत जोखिम की संकलन्या का संबंध प्रारंभ में वित्तीय क्षेत्र द्वारा महसूस किये गये आयातों का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में फैलाव होने से होता है। चूंकि दोनों प्रकार के आधातों की उत्पन्नि और बाद में उनका फैलाव दोनों की ही प्रकृति अनिश्चित होती है, अतः प्रणालीगत घटनाओं का प्रभाव विविध सांकेतिक होता है। तथापि, विवेकपूर्ण वित्तीय विनियमन प्रणालीगत जोखिमों के दुर्घटाणों को कम करने महत्वपूर्ण धूमिका निभा सकता है। परंतु विनियमकीय सुधार प्रारंभ करने के पूर्व यह अत्यंत अवश्यक है कि प्रणालीगत जोखिम के भरोसेमंद उपायों को विकसित किया जाए जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में मौजूद सहबद्धताओं और संवेदनशीलताओं पर नज़र रख सके और उन्हें इस प्रकार बनाया जाए कि वे समग्र स्तर पर प्रणाली के लिए मौजूद जोखिम की निगरानी और विनियमन की सुविधा प्रदान करें।

संकट के उपरान्त प्रणालीगत जोखिम पर अनिग्रहित अध्ययन किये गये। प्रणालीगत जोखिम का निर्धारण करने के लिए और उसका सामना करने के लिए उतनी ही संख्या भौतिक विधियों को प्रस्तुत किया गया। हालांकि कोई भी एक विधि प्रत्येक वित्तीय प्रणाली की सभी चारित्रिक गुटियों को नहीं सुलझा सकती है, फिर भी वे किसी वित्तीय प्रणाली विशेष की जरूरत के अनुकूल प्रणाली तैयार करने में एक प्रभावी प्रारंभिक उपाय साबित हो सकते हैं। फिर भी, इनमें से अधिकतर विधियों समग्र प्रणालीगत जोखिम का अनुमान लगाने के बजाय प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं की पहचान करने को लक्ष्य बनाती है। ये विधियों इक्विटी कीमतों में परिवर्तनों पर भी आधारित हैं। परंतु, प्रणालीगत जोखिम का सामना करने में चुनौती केवल तरीकों, उपायों एवं संकेतकों का विकास करना नहीं है जो यह बता सके कि कोई वैश्विक संस्था या संस्थाओं के किसी समूह को आधात लगाने की

से संबंधित होता है। प्रत्येक आयाम के अनुरूप प्रणालीगत वित्तीय कठिनाई का एक स्वतंत्र होता है - समय संबंधी आयाम में वित्तीय प्रणाली की प्रचक्षीयता और प्रति खंडीय आयाम में सामान्य एक्सपोजर और अंतर-सहबद्धताएं।

संभावना है, परंतु चुनौती उन तरीकों को विकसित करने की है जो प्रणालीगत सह-बद्धताओं का अनुमान लगा सकें। जहां तक संस्वागत स्तरीय आयातों के लिए संकेतकों का संबंध है, संकट के बाद आईएमएफ (2009क) द्वारा किये गये अध्ययन में यह पाया गया कि 'लोवरेज की माप में निहित सूचना हस्तक्षेप की आवश्यकता की पूर्व-घोषणा करने के लिए उपयोगी थी, लेकिन पूर्जी पर्याप्तता अनुपात और चलनिधि अनुपात उपयोगी नहीं थे'। गैर-निष्पादक ऋणों सहित, इक्विटी पर प्रतिलाभ और इक्विटी कीमतों जैसे अन्य संकेतक भी इस बात की संभावना की जानकारी देने में सक्षम नहीं हो सके कि किसी फर्म को सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यह आवश्यक है कि संस्थाओं में दबावों की पूर्वसूचना ग्राप्ट करने के लिए उन्नत क्रेडिट जोखिम मॉडलों के साथ-साथ पारंपरिक संकेतकों के उचित सम्मिश्रण के बारे में सोच-विचार किया जाए। प्रणालीगत जोखिम के अध्ययन में अन्य क्षेत्र है - प्रणालीगत सह-संबंधों का पता लगाना, जिस पर हाल ही में काफी ध्यान दिया गया है। यह निश्चित रूप से उन तरीकों के निर्माण में सहायत देता है जो संभवतः प्रचार के माध्यमों को और संभावित डाम्पों प्रभावों को बता सकता है। आईएमएफ (2009ख) में वित्तीय कर्मों के बीच अंतर-संबंधों का अनुपात लगाने के विभिन्न तरीकों का सर्वेक्षण किया और चार दृष्टिकोनों के बीच अंतर बताया गया। ये हैं (क) नेटवर्क दृष्टिकोण, जो अंतर-बैंक बाजार में सह-संबंधों के जरिए बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय दबाव के संचरण का पता लगाता है, (वित्तीय नेटवर्क और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन पर एक अन्य व्यावेरावर नोट इस अध्याय के बॉक्स 5.3 में दिया गया है); (ख) सह-जोखिम मॉडल, जो क्रेडिट फिकल्ट रूप पर बाजार के डाटा का उपयोग यह अनुपम लगाने के लिए करता है कि किस प्रकार किसी संस्था की चूक का जोखिम किसी दूसरी संस्था की चूक के जोखिम से प्रभावित होता है (ग) विपर्णी निर्भरता मैट्रिक्स, जो विश्लेषकों के वित्तीय संस्थाओं के किसी समूह का अध्ययन करने की और अन्य संस्थाओं के समूह के आधार पर किसी दो संस्थाओं के लिए विपर्णी की संभावना का अनुमान लगाने की अनुमति देती है और (घ) चूक तीव्रता (इंटेसिटी) मॉडल, जो सह-संबंधों के जरिए वित्तीय संस्थाओं के एक बड़े भाग द्वारा चूक करने की संभावना पर विचार करता है। इसके बावजूद, इस समय सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य संकेतक या कोई मात्रात्मक फ्रेमवर्क नहीं है जो अन्यत्र रूप से प्रणालीगत जोखिम को माप सके। यद्यपि हाल में इस ओर काफी प्रगति हुई है कि फिर भी अभी तक अन्याधिक परिशुद्ध उपाय भी केवल कुछ 'प्रकार' के हो प्रणालीगत जोखिमों के बारे में ही बताते हैं और वे अक्सर प्रणालीगत घटनाओं की सकारी परिमाणों पर निर्भर करते हैं। वित्तीय कमज़ोरी, वित्तीय उछाल और वित्तीय संकट के पिछले अनुमत यह बताते हैं कि वित्तीय प्रणाली में उसी स्थान पर समस्याएं दूसरी बाद शायद ही उत्पन्न होती हैं। जो अंश जो प्रारंभिक चिनारी के पूर्ण विकसित संकट में तब्दील कर देता है, वह यह है कि बाजार प्रतिभागियों और विनियमकों द्वारा उसकी आशा नहीं की जाती है। इस परिशेष्य में, ऐसा तरीके के बारे में सोच-विचार करने की जरूरत है जो वित्तीय सुदृढ़ता की निगरानी के पारंपरिक संकेतकों की निगरानी, वित्तीय संस्थाओं के बीच अंतर-संबंधों की माप और वित्तीय अस्तियों की कीमतों के व्यवहार में आये परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हुवे प्रणालीगत जोखिम का अनुमान लगा सके।

5.43 इन दोनों पहलुओं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के नीतिगत सुधारों के माध्यम से कार्रवाई करने की जरूरत होगी। बीसीबीएस के प्रस्तावों में शामिल हैं - सहज परिस्थितियों के समय किये गये पूँजी का भंडारण का दबाव के समय उपयोग करना।

<sup>8</sup> बाट इन सिस्टमेटिक रिस्क रूडे? ऑलिवर डी बैनेटेड तथा फिलिप हर्टमैन।

<sup>9</sup> डिफाइनिंग एण्ड मेशरिंग सिस्टमेटिक रिस्क - स्टिफन गेरलान।

<sup>10</sup> ..इप्लिमेटिंग ए माइक्रोप्रूडेशियल फ्रेमवर्क: ब्लैंडिंग बॉल्डेनेस एण्ड रियलिज़म.., ब्लाउडिंग बोरियो, बीआइएस, जुलाई 2010।

प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों के प्रस्तावों को लागू करने का उद्देश्य है - ऋण हानि प्रावधानों को उन कार्यविधियों पर आधारित करना जो पोर्टफोलियो के जीवनकाल में प्रत्याशित ऋण हानियां दिखलाती हैं और वर्तमान प्रावधान आवश्यकताओं में निहित संभावित चक्रीयता से सम्बद्ध मुद्रों पर ध्यान देंगी। डेरिवेटिव उत्पादों तथा व्यापार करने तथा डेरिवेटिव गतिविधियों तथा जटिल प्रतिभूतिकरण के लिए सीसीपी के माध्यम से बैंकों द्वारा पूंजीगत प्रोत्साहनों के संबंध में प्रस्ताव, ओबीएस तथा अंतर वित्तीय क्षेत्र जोखिम का उद्देश्य है कि वैश्विक फर्मों के बीच परस्पर सम्बद्धता के कारण उत्पन्न जोखिमों को कम किया जाए।

### **भारत में स्थूल विवेकपूर्ण नीति का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने की ज़रूरत**

5.44 वैश्विक वित्तीय प्रणाली (सीजीएफएस) के संबंध में एक समिति ने सर्वेक्षण<sup>11</sup> में यह पाया कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में स्थूल विवेकपूर्ण लिखते तथा स्थूल विवेकपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क काफी प्रचलित है। वस्तुतः, भारत में, मार्च 2000 के बाद से स्थूल विवेकपूर्ण संकेतकों की आवधिक रूप से निगरानी की गई है। प्रावधान करने तथा जोखिम भाराक देने सहित कई विशिष्ट स्थूल विवेकपूर्ण नीतिगत साधनों का सक्रिय रूप से प्रयोग किया गया, विशेषकर पिछले दशक के दौरान। पिछले एफएसआर में इन पर चर्चा की गई थी। हाल ही में, आवास ऋण के लिए विवेकपूर्ण मानकों को कठोर किया गया, जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय IV में चर्चा की गई है।

5.45 भारत में स्थूल विवेकपूर्ण उपायों के उपयोग से बैंकों के तुलनपत्रों के कुछ क्षेत्रों में आस्ति मूल्य उत्तर-चढ़ावों तथा उच्च ऋण वृद्धि के नकारात्मक प्रभावों का सामना करने में काफी सफलता मिली है। तथापि, यदि इन नीतियों को प्रभावशीलता को बनाए रखना है तो इन महत्वपूर्ण मुद्रों पर ध्यान देना होगा। जैसाकि उपर्युक्त सीजीएफएस रिपोर्ट में कहा गया है ..‘‘कुछ अधिक प्रभावकारी स्थिरीकरण नीति के लिए संपूर्ण स्थूल विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क का विकास करने में बहुत से मुद्रे जुड़ जाते हैं। कुछ मुद्रे अनुभवजन्य हैं, जबकि कुछ परिचालन से सम्बद्ध हैं।’’

### **प्रतिचक्रीय नीति के निर्धारण के लिए यथोचित संकेतक के पहचान करने में कठिनाइयां**

5.46 प्रवृत्ति के विरुद्ध जाने में जैसा कि स्थूल विवेकपूर्ण नीति फ्रेमवर्क में अपेक्षित है, वित्तीय जोखिमों की पहचान करने के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए और विशेष रूप से विकासशील

अर्थव्यवस्थाओं में जहां पर वित्तीय आकड़ों की गुणवत्ता में काफी सुधार की गुंजाइश है। मेट्रिक की अपर्याप्तता अर्थात् दीर्घावधि की प्रवृत्ति से जीडीपी में ऋण के अनुपात से विचलन, विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इस पैराग्राफ के 5.16 में चर्चा की गई है। कुछ मिलाकर स्थूल विवेकपूर्ण जोखिमों तथा स्थूल विवेकपूर्ण नीति फ्रेमवर्क के डिजाइन में निर्णय तथा विवेक का योगदान रहेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित फ्रेमवर्क भी इतनी स्वतंत्रता जरूर देता है कि ‘‘अनुपालन करो या स्पष्ट करो’’ फ्रेमवर्क में किसी देश की स्थिति के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर विवेक का प्रयोग किया जा सकेगा। इसलिए ऐसे आलोचक, विशेषकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमेशा रहेंगे जो नियम पर आधारित दृष्टिकोण की वकालत करेंगे जिससे एक अनुमान लगाने योग्य तथा पारदर्शी नीति फ्रेमवर्क सुनिश्चित हो सके।

**डेटा में अंतर अर्थव्यवस्था की स्थिति के आकलन को जटिल बना देते हैं**

5.47 जोखिम के लिहाज से सकेदण/ अतिसवेदनशील विश्लेषण तथा/या यह जानने के लिए कि एक संस्था का प्रभाव दूसरे संस्थाओं पर कैसे पड़ता है, डेटा अंतरों को पाठना महत्वपूर्ण हैं यदि किसी भी स्थूल विवेकपूर्ण नीति फ्रेमवर्क के सफलता पूर्वक निर्धारित करना है। प्रणालीगत सूत्रों तथा जोखिमों की पहचान करने की डेटा की उपलब्धता में अंतरों में पहचान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी, ये डेटा अंतर उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं विशेषकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से बाहर जहां सूचना प्रणालियां तैयार की गई हैं और नई प्रौद्योगिकी अपनाये जाने के कारण निरंतर सुधर रही हैं। इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों द्वारा एक स्पष्ट रूप से लिये जाने के बाद भारतीय संदर्भ में इन अंतरों पर ध्यान देना होगा।

### **प्रणालीगत परस्पर सम्बद्धता**

**वित्तीय प्रणाली में परस्पर सूत्रों की पहचान कर उनकी निगरानी करना आवश्यक है**

5.48 जैसा कि इस अध्याय के पैराग्राफ 5.42 में चर्चा की गई है स्थूल विवेकपूर्ण नीति के बहुक्षेत्रीय आयाम वित्तीय प्रणाली में परस्पर सूत्रों की अतिमहत्ता को दर्शाते हैं। जैसा कि हाल ही के संकट में दिखाया है, एक लगातार तथा परस्पर संबंध वित्तीय प्रणाली का परिणाम यह है कि किसी भी बाधा के परिणाम के बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन है। इसने मजबूत विश्लेषणात्मक तरीके तैयार

<sup>11</sup> “पुर्डेशियल इन्स्ट्रुमेंट्स एंड फ्रेमवर्क्स: ए स्टॉक टेक्निक ऑफ इश्यूसज एण्ड एक्सपरियन्स”, सीजीएफएस बोआइएस मई 2010

करने के महत्व को रेखांकित किया है, जिससे प्रणालीगत अंतर्संबंधों को पहचानने, उनकी निगरानी करने और उन्हें नियंत्रित करने में बेहतर

रूप से मदद मिलेगी। नेटवर्क विश्लेषण ऐसा ही एक साधन है।<sup>12</sup> (बॉक्स 5.3)

### बॉक्स 5.3: वित्तीय नेटवर्क और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन

जब अप्रैल 2009 में एक एम्प्लूएंजा वायरस एच।एन। के प्रकोप की खबर फैली, तब पूरे विश्व में ऐसी डर की मनोवृत्ति फैली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वायरस के बारे में कुछ ऐसी अफवाह जुड़ती चली गयी और नतीजा यह हुआ कि बीमारी संक्रामक रोग का रूप लेने लगी। जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन अगस्त 2009 में अधिकारिक रूप से इस संक्रामक रोग के खत्म होने की घोषणा करता, एच।एन। उससे पहले ही विश्व में काफी बड़ी अर्थिक क्षिति का कारण बन चुकी थी। हालांकि, इस वायरस की वजह से लगभग अठारह हजार मीटै हुई थीं जो विश्व में एम्प्लूएंजा से होनेवाले वार्षिक मीटों का लगभग केवल 4 प्रतिशत है। असाधारण रूप से इसी तर्ज पर लेहमन ब्रदर्स - द्वारा न्यूयार्क कोर्ट में सितंबर 2008 में दिवालिएपन का अध्याय 11 फाइल करने की खबर ज़ंगल की आग की तरह फैली और इस वजह से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान नकदी अपने पास जमा कर रखने लगे तथा वे ऐसे बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को उधार देने से कतराने लगे जिन पर इस खबर से प्रभावित होने का संदेह था। उस शाम तक जो कारोबार एक साथ मिलकर होता था उसमें अचानक विश्वास खोने लगा और बैंक ताश के पन्नों की तरह ढहने लगे। इन घटनाओं का समष्टिगत अर्थिक प्रभाव काफी बड़ा था तब भी अंतिम गिनती में लेहमन ब्रदर्स कि फिलता से हुई प्रत्यक्ष हानि अपेक्षाकृत संघर्षित रहने की संभावना है क्योंकि लेहमन के सीडीएस करार पर निवल पेआउट की राशि केवल लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इन समानताओं को इस तरह से प्रकार संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। एक बाहरी घटना जन्म लेती है। भय सिस्टम को अपने गिरफ्त में ले लेता है और सब कुछ उथलपुथल हो जाता है। इससे होने वाली संपर्की क्षिति काफी विस्तृत और गहरी होती है। तब भी इस परिस्थिति को शुरू करनेवाली घटना कुछ समझ के साथ कमोबेश संघर्षित बनी रही।<sup>13</sup> इन दोनों मामलों में जटिल एडाप्टर नेटवर्क के आचरण का पैटर्न स्पष्ट रूप से देखा गया। यह नेटवर्क जटिल है क्योंकि एजेंटों के बीच शामिल अंतर्संबद्धता व्यापक है और अनुकूल है क्योंकि इस नेटवर्क में शामिल एजेंट हमेशा अनुकूल स्थिति में रहना चाहते हैं, तब भी वे अधिकांशतः भ्रमित रहते हैं और उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती।

इस पृष्ठभूमि में, विश्व अब इन सब को एक अलग नजरिए से देखता है, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच विद्यमान अंतर्संबद्धता का महत्व और किस प्रकार वित्तीय लिंक आघात को बढ़ाने में एक माध्यम का कार्य कर सकती है। तदनुसार, वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण नामक एक नया अध्ययन क्षेत्र सामने आया है और इसकी प्रमुखता काफी बड़ी है। सामान्यतया वित्तीय नेटवर्क को नोड के संग्रह के रूप में जो बैंक और अन्य वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं हो सकती हैं और उनके बीच क्रेडिट एवं वित्तीय संबंध के रूप में विद्यमान लिंक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन लिंकों को इन-डिग्री तथा आउट-डिग्री कहा जाता है, इन-डिग्री अर्थात् जो दूसरों का दायित्व बताती है तथा आउट डिग्री जो किसी वित्तीय संस्था का दूसरों के प्रति दायित्व बताती है। ये लिंक नोड को प्रभावित करते हैं और लिंक का द्वाचा समूची प्रणाली के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण शुद्ध विज्ञान और साथ ही सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हासिल प्रगति का उपयोग करने की कोशिश करता है। इस व्यावहारिक विश्व में, दावा और दायित्व का

गहन मिश्रण जो विभिन्न वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की बैलेंस शीट को लिंक करता है, वह एक वित्तीय नेटवर्क में निर्मित होता है। एलेम और गेल(2000) ने एक साधारण चार बैंक मॉडल का प्रयोग कर वित्तीय प्रणाली में बैलेंसशीट के सीधे अंतर्संबद्ध की वजह से संक्रमण फैलने का व्यापक रूप से विश्लेषण किया था। उन्होंने यह निर्धार्ष निकाला कि जब नेटवर्क ‘पूर्ण’ हो और बैंकों का एक दूसरे में एक्सपोजर इस तरह हो कि किसी एक बैंक में रखी अंतर्वैक जमाराशि की रकम दूसरे बैंकों में समान रूप से बंटी हो, तब आघात का प्रभाव आसानी से ब्याजोर से जाता है। सभी बैंक थोड़े-थोड़े आघात सहते हैं और कोई संक्रमण नहीं होता है। इसके विपरित जब नेटवर्क ‘अपूर्ण’ होता है और बैंकों का एक्सपोजर कुछ थोड़े ही बैंक या वित्तीय संस्थाओं तक सीमित होता है, तब सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। किसी आघात का प्रारंभिक प्रभाव पदोन्नी बैंकों में घर कर लेता है। एक बार इन आघातों के हावी होने के बाद, लंबी अवधि की अस्तित्वों के परिष्कर्ता पूर्व लिंकेंडेशन और कीमत की संबंधित हानि की वजह से पहले के अप्रभावित बैंक संक्रमण की अप्रपक्षित में आ जाते हैं।<sup>14</sup> नेटवर्क अंतर्संबद्धता के सहज चेन के अध्ययन से वित्तीय नेटवर्क मॉडलिंग के नए ढाँचे का निर्माण होता है। इस अध्ययन में नोड को ‘एजेंट’ के रूप में लिया जाता है जिसकी क्षमता वियम आधारित व्यवहार या पूरी तरह स्वतंत्र व्यवहार के अनुकूल होती है और यह वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं तथा विनियामक प्रारंभिक रैक की प्रतिनिधित्व करती है। वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं, मध्यवर्ती संस्थाएं और अंतिम प्रयोक्ता के बीच करार संबंधी बाध्यता जो भुगतान का द्विपक्षीय प्रवाह निर्धारित करती है, उससे पहले से विद्यमान नेटवर्क ढाँचे का निर्माण होता है जबकि प्रतिरूपी संस्थाओं के डिफाल्ट तथा वास्तविक संकट से और अधिक आकस्मिक दावा उत्पन्न हो सकता है जिसे डेरिवेटिव बाध्यता और अस्तित्व बाजार में गिरावट के चलते डिफाल्ट से भारी क्षति। इस प्रकार, एजेंटों के बीच अंतर्संबद्धता पूरे सिस्टम के लिए फॉड-बैक लूप देती है। एजेंट आधारित मॉडल में इन्हें पूर्व निर्दिष्ट समीकरणों तक सीमित करने की ज़रूरत नहीं है जिसका आकलन इकोप्रेटिक या समय आधारित दृष्टिकोण में पूर्व डाटा का प्रयोग कर किया जाना है। समीकरण उन्मुख विश्लेषण में मुख्य कमी यह है कि योजना के व्यवहार से द्वाचा बदल जाता है और व्यक्तिगत फैसलों पर फैलौक लूप के आकस्मिक लिंक और प्रभाव का पता लगाना लगभग असंभव है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि विशेषकर नीति निर्माण के सदर्ध में स्ट्रेस टेस्ट के प्रारंभिक विन्डू और परिस्थिति विश्लेषण के मद्देनजर एजेंट आधारित आइसोट्रो विकसित किया जाए जो वित्तीय बाजार की ढाँचागत अंतर्संबद्धता के डिजिटल मैप से निर्देशित परिष्कृत डाटा आधार पर हो। उच्च रूप से अंतर्संबद्ध और संक्रमण की उपस्थिति प्लेअर्स के लिए एक विशिष्ट जटिल सिस्टम नेटवर्क खड़ा कर देता है जिसे अर्थशास्त्रियों के संतुलन नेटवर्क से विपरीत माना जाना चाहिए। वास्तविक संसार में नेटवर्क निर्माण के चालक अर्थिक संतुलन मॉडल में माने गए चालकों से अलग होते हैं। विफलता के फैलने के संदर्भ में तथापि यह सच नहीं है कि ऐसी वित्तीय प्रणालियां जहां कोई भी नोड इतने अंतर्संबद्ध नहीं होते हैं, (जैसा कि रैटेंप नेटवर्क में होता है) उन्हें ढाँचागत स्पष्टता और स्थिरता के लिहाज से आवश्यक रूप से आसानी से संभाला जा सकता है। इस प्रकार यह ये बताता है कि वित्तीय नेटवर्क के लिए एक आदर्श नेटवर्क योगीलौजी तैयार करने में साक्षात् बरतने की ज़रूरत है।<sup>15</sup>

<sup>12</sup> अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ‘‘एसेंसिंग द सिस्टेमिक इम्प्लोकेशन ऑफ फाइंसियल लिंकेज’’, ग्लोबल फाइंसियल रिपोर्ट, अप्रैल 2009; इसींबा, ‘‘द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टेमिक रिस्क’’, फाइंसियल स्टॉबिलिटी रिप्पु, दिसंबर 2009 और ‘‘फाइंसियल नेटवर्क एण्ड स्टॉबिलिटी रिपोर्ट’’, फाइंसियल स्टॉबिलिटी रिप्पु, जून 2010.

<sup>13</sup> रोयलिंग द फाइंसियल नेटवर्क- एन्ड-जी हल्डेन, अप्रैल 2009.

<sup>14</sup> प्रसन्ना गई और सुजीत कापाड़िया की ‘‘कॉर्न्जिनग इन फाइंसियल नेटवर्क’’ देखें।

<sup>15</sup> शेरी मार्कोज, वर्कलांप और फाइंसियल नेटवर्क एन्टर्लिसिस, भारतीय रिजर्व बैंक, अगस्त 2010.

## भारत में अंतर्संबद्धता को नियंत्रित करने के लिए कई सारे नीतिगत चालक प्रयोग किए गए।

5.49 भारत में संकट के मद्देनजर अंतर्संबद्धता को नियंत्रित करने के लिए काफी पहले ही कई सारे नीतिगत उपाय निर्धारित कर लिए गए थे। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों के अंतर्बैंक देयताओं पर विवेकपूर्ण सीमा, ओवरनाइट गैर-संपाद्धक निधियन बाजार को केवल बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों तक ही सीमित रखना और इनके एक्सपोजर में अधिकतम सीमा तय हो, बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के गौण ऋण में निवेश को सीमित करना और इनमें उच्चतर जोखिम भार लगाना, बैंकों और एनबीएफसी के बीच एक्सपोजर और संवेदनशील बाजारों में अनिवार्य संसोधि व्यवस्थाएं करना शामिल हैं।

### सहभागियों के प्रणालीगत महत्व में अंतर पाया गया जब उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों में परखा गया।

5.50 जून 2010 को समाप्त तिमाही में भुगतान एवं निपटान प्रणाली के आंकड़े और 30 जून 2010 को बैलेंस शीट के आकार तथा अंतर्बैंक देयताओं के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत में बड़े और अंतर्संबद्ध बैंकों की पहचान करने के प्रयास किए गए।


5.51 विश्लेषण दर्शाता है कि सहभागियों के प्रणालीगत महत्व काफी अलग-अलग हो सकते हैं जब उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों जैसे भुगतान एवं निपटान प्रणाली, बैलेंस शीट के आकार, बैलेंस शीट से इतर एक्सपोजर और अंतरबैंक एक्सपोजर के जरिए अंतर्संबद्धता के संदर्भ में परखा जाए (चार्ट 5.1 और सारणी 5.1)

5.52 उपर्युक्त विश्लेषण वित्तीय संस्थाओं के प्रणालीगत रूप से उनके महत्व के संबंध में निर्णय करते समय विभिन्न सकेतकों/ बाजारों/ बैलेंस शीट और ओबीएस पहलुओं पर विचार करने के महत्व को ऐक्सिकोण जो केवल गहन पर्यवेक्षण वा अधिकांशतः आकार के मानदंड पर आधारित हो, उससे ऐसी अन्य संस्थाओं को अनदेखी हो सकती है जो भुगतान प्रणाली या अंतर्बैंक बाजार जैसे कारणों से अधिक अंतर्संबद्ध होते हैं।

### विनियामक ढांचा

5.53 प्रणालीगत निगरानी और समष्टि विवेकपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। कई देशों में इस बाबत वैधानिक परिवर्तन किए जा रहे हैं कि किसी एजेंसी/ एजेंसियों को सुस्पष्ट रूप से समष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण और प्रणालीगत जोखिम के प्रबंधन की जवाबदेही का कार्य सौंपा जाए। विभिन्न क्षेत्रों में विनियामक और

चार्ट 5.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र बैलेंस शीट, ओबीएस एक्सपोजर और अंतरबैंक एक्सपोजर में सर्वोच्च 10 भुगतान एवं निपटान प्रणाली प्रतिभागियों की मापदारी



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, सोसाइआइएल

सारणी 5.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र बैलेंस शीट, ओबीएस एक्सपोजर और अंतरबैंक एक्सपोजर में सर्वोच्च 10 भुगतान एवं निपटान प्रणालों प्रतिभागियों की रैंकिंग

भुगतान एवं निपटान	बैलेंस शीट का आकार	ओबीएस एक्सपोजर	अंतरबैंक एक्सपोजर
1	6	9	17
2	1	8	2
3	19	1	8
4	40	5	9
5	20	2	13
6	11	12	14
7	3	7	4
8	22	3	5
9	8	17	39
10	51	6	11

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, सोसाइआइएल

निगरानी ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधनों में निम्नलिखित में से एक या अधिक शामिल हैं।

- केंद्रीय बैंक को जवाबदेही के साथ सर्वांगी विनियामक के रूप में स्थापित करना
- केंद्रीय बैंकों को विशेषकर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में यदि अभी तक सूक्ष्म विवेकपूर्ण विनियमन नहीं सौंपा गया है तो उन्हें समस्त विवेकपूर्ण विनियमन के अतिरिक्त सूक्ष्मविवेकपूर्ण विनियमन सौंपना और
- वित्तीय स्थिरता पर काफी उच्च स्तर पर ध्यान देने के लिए वित्तीय स्थिरता परिषदों/आयोगों की स्थापना

### **एफएसडीसी - भारत का एक सूक्ष्म विवेकपूर्ण प्राधिकरण**

5.54 भारत में रिजर्व बैंक अव्यक्त रूप से एक सर्वांगी विनियामक के कार्य का निर्वाहन करता आ रहा है। वित्तीय स्थिरता की पूर्व रिपोर्ट में इस तथ्य से निकले निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था कि रिजर्व बैंक मौद्रिक अधिकारी, अंतिम उधारदाता, बैंकों, एनबीएफसी और संवेदनशील वित्तीय बाजारों का विनियामक और पर्यवेक्षक है। संकट के पश्चात, केंद्रीय बजट 2010 में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रणाली को मजबूत और संस्थागत करने के प्रयोजन से एक उच्च स्तरीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के स्थापना की घोषणा की गई। एफएसडीसी आकार ले रहा है और इसमें एक उप समिति होगी जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे। इसमें रिजर्व बैंक की भूमिका संवेदनशील होने की उम्मीद है।

### **नीति दिशानिर्देश से होने वाले - वैधानिक सुधार**

5.55 केंद्रीय बजट में वित्तीय क्षेत्र के कानून को फिर से लिखने और उसे इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए अलग से एक वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। यह निर्णय समय पर लिया गया है और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान वैधानिक व्यवस्था में वित्तीय उद्योग के अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अलग-अलग कानून हैं। वैधानिक व्यवस्था ने बैंकिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखते हुए इस प्रणाली की अच्छी तरह से सेवा की है। तथापि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विधानों की समीक्षा और उन्हें फिर लिखने की कई कारणों से जरूरत है। इन कारणों में विभिन्न कानूनों को एक सीधे में लाना ताकि स्पष्टता और पारदर्शिता बने और ऐसे प्रावधान किये जाएं जिनमें वैश्विक वित्तीय संकट से सीखे गये पाठ और वित्तीय स्थिरता की महत्ता शामिल हो। हालांकि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विधानों में किसी संशोधन के लिए जरूरत इस बात की है कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश तय किए जाएं।

### **भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र- विनियामक मानदंडों को कठोर बनाना**

5.56 इस बात को अच्छी तरह मान लिया गया है कि संकट के पूर्व बैंक-जैसी संस्थाओं का एक समूचा नेटवर्क - जिन्हें अब आभासी अर्थात् शैडो बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है, वे बैंकों के विनियामक क्षेत्र के बाहर बढ़े और फले-फूले। जब प्रणाली में इनका रहस्य खुला तब यह पाया गया कि आभासी बैंकिंग प्रणाली के ऐसे अधिकांश संस्थाओं से काफी प्रणालीगत जोखिम हो सकते हैं।

5.57 भारत के संदर्भ में आभासी बैंकिंग प्रणाली जो कि अधिकाशतः विकसित दुनिया के देशों में विद्यमान है, कोई खास मायने नहीं रखती। गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली विनियमित है। एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी, II सी और V की धाराओं के तहत रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (यदि वे कंपनी हैं) और सेबी विनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। रिजर्व बैंक की विनियामक परिधि में लोगों से जमाराशि स्वीकार करने वाले वित्तीय संस्थाएं और जमाराशि, स्वीकार न करने वाले वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हैं। तथापि विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा जमाराशि स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं (जिनके अस्ति का आकार रु.110 करोड़ और उससे अधिक हो) की ओर तेज हुआ है और जमाराशि स्वीकार न करनेवाली अन्य संस्थाओं के प्रति पर्यवेक्षी ढांचा सीमित है।

5.58 कुछ विशेष प्रकार की ऐसी संस्था जो एनबीएफआइ के कार्यकलाप करती हैं, उन्हें इसलिए रिजर्व बैंक के विनियमन से छूट प्राप्त है कि वे अन्य विनियामकों से विनियमित हो रही हैं जैसे आवास वित्त कंपनियां अर्थात् एचएफसी, म्यूच्युअल फंड, बीमा कंपनियां, स्टाक ब्रॉकिंग कंपनियां, मर्चेट बैंकिंग कंपनियां और बैन्चर कैपिटल फंड (वीसीएफ) जो कि संबंधित क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित होती हैं।

5.59 उपर्युक्त विनियामक ढांचा दो प्रकार के मुद्दों को जन्म देता है जो संभावित विनियामक खामियों का कारण बन सकती है। पहला मुद्दा इस खामी को खत्म करने और रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विनियामक नियंत्रण को कठोर करने से संबंधित है। इनके बारे में इस अध्याय के पैराग्राफ 5.60 से 5.61 तक चर्चा की गई है। दूसरा मुद्दा ऐसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली गतिविधियों से संबंधित है जो संस्थाओं के विनियमन की वर्तमान प्रणाली की बजह से विनियमित नहीं हो पा रही हैं। इनके बारे में नीचे 5.62 से 5.66 पैराग्राफ तक चर्चा की गई है।

### **रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाओं के लिए एक सुव्यवस्थित विनियामक ढांचा स्थापित किया गया**

5.60 रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के मामले में धोरे-धोरे एक सुव्यवस्थित विनियामक ढांचा बनाया गया। वित्तीय स्थिरता जी

पूर्व रिपोर्ट में इस बार में चर्चा की गई है। हाल के महीनों में भी, एनबीएफसी पर लागू विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि इस क्षेत्र के विनियामक ढांचे को मजबूत किया जा सके और यदि कोई विनियामक कमी है तो उसे दूर किया जा सके।

### एनबीएफसी की तुलना में बैंक - विनियामक आर्किटेज की गुंजाइश बनी रहती है

5.61 इन सब के बावजूद विशेषकर तेजी से बढ़ते एनबीएफसी क्षेत्र के संबंध में कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। बैंकों की तुलना में (वर्तमान में ₹ 300 करोड़) एनबीएफसी क्षेत्र के लिए (वर्तमान में ₹ 2 करोड़ की निवल मालियत निधि) प्रवेश मानदंड कम है जिससे अपेक्षाकृत नरम विनियमन की वजह से एक एनबीएफसी स्थापित करना अधिक आकर्षक विकल्प है। पूंजी बाजार में निवेश करने के संबंध में एनबीएफसी किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है और तदनुसार इससे बड़े बाजार जोखिम हैं; न ही उनके द्वारा कोई सब्सिडियरी स्थापित करने पर प्रतिबंध है और तदनुसार उन्हें पारदर्शिता मुद्दों से जुड़े एक संभावित अपारदर्शी ढांचे स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा, कंपनी अभिशासन और प्रबंधन की गुणवत्ता गंभीर चिंताओं का जन्म देती है। अगला मुद्दा एनबीएफसी की परिभाषा के संदर्भ में इसके 'प्रमुख कारोबार' से संबंधित है और इस वजह से एनबीएफसी के लिए गैर-वित्तीय आस्तियों में निधि नियोजित कर कुछ अन्य गैर-वित्तीय गतिविधियों में शामिल होना संभव हो जाता है। इससे वे बैंकों को तुलना में 'लेवल प्लेइंग फोल्ड' से वंचित रह जाती हैं। इन सभी मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।

### विनियामक खामियों की वजह से अवैध जमाराशियां की बढ़ोत्तरी को खत्म करने को जरूरत है।

5.62 एनबीएफसी कम्पनियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 67 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है, जिसमें यह आवश्यक है कि 49 से अधिक निवेशकों को शेयरों/डिबेंचरों का निर्गमन पब्लिक इश्यू के जरिए किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी एनबीएफसी कम्पनियां विशेषकर जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं होती हैं, वे रीटेल / संस्थागत निवेशकों को निजी तौर पर आबंटन अर्थात् प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ऋण या अर्ध-ऋण (क्वासी-डेट) लिखत जारी कर सकती हैं। ऐसे करना वर्तमान विनियामक ढांचे के बाहर लोगों से जमाराश जुटाने के समतुल्य होगा।

5.63 इस बारे में पूर्व में कुछ एनबीएफसी द्वारा परिवर्तीय अधिमानी शेयरों (सीपीएस) के निजी आबंटन को लेकर विशेष चिंताएं उठी

हैं। रिजर्व बैंक कंपनी मामले के मंत्रालय के साथ मिलकर इस विनियामक कमी को दूर करने की प्रक्रिया में है।

**ऐसी संस्थाएं जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं होती हैं उनकी लीवरेज गतिविधियों के विवेकपूर्ण विनियमन को स्पष्ट करने की जरूरत है।**

5.64 कुछ ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो अन्य विनियामकों के क्षेत्रधिकार में आती हैं, उन्हें कुछ शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक की विनियामक परिधि से छूट प्राप्त है। उदाहरण के लिए, मर्चेंट बैंकों को इस शर्त के अधीन छूट प्राप्त है कि वे केवल अपने मर्चेंट बैंकिंग कारोबार के भाग रूप में ही प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45I (सी) में संदर्भित अन्य कोई वित्तीय गतिविधि नहीं करते हैं और न लोगों से जमाराश स्वीकार या धारित करते हैं। तथापि, इससे कुछ छूट प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उदाहरण सामने आए हैं जिनकी कुछ विशेष कार्यप्रणाली गतिविधियां अविनियमित रह गई हैं। उदाहरण के लिए:

- मर्चेंट बैंक कुछ ऐसे निधि आधारित कार्यकलाप भी करते हैं जैसे ग्राहकों को मार्जिन वित्त उपलब्ध कराना और विशेषकर अपने हामीदारी कारोबार तथा इसमें आगे की गतिविधि के संदर्भ में प्रोपराइटरी ट्रेडिंग का कार्य करना। वे और अन्य निवेश कार्यकलाप भी करते हैं जिन्हें उपर्युक्त छूट की वजह से रिजर्व बैंक पास पंजीकरण करवाने की जरूरत होती है।
- मर्चेंट बैंक, पोर्टफोलियो प्रबंधक और ब्रोकरेज अपने उच्च मालियत वाले ग्राहकों को सुनियोजित उत्पाद जैसे इक्विटी लिंक डिबेंचर (ईएलडी) भी जारी करते हैं। वित्तीय बाजार की मध्यवर्ती संस्थाएं होने की वजह से इन संस्थाओं के बही खातों में किसी प्रकार के लीवरेज को विवेकपूर्ण तरीके से विनियमित करने की जरूरत है।

5.65 रिजर्व बैंक ने सेबी के साथ मिलकर उपर्युक्त मुद्दे पर काबू पाने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

5.66 दूसरी विनियामक खामी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा (और कंपनियों द्वारा भी) जारी अपरिवर्तीय डिबेंचर (एनसीडी) के वर्तमान विनियमन से संबंधित है जिसे हाल ही में इस तरह दूर कर लिया गया है कि 90 दिन या इससे अधिक परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तीय डिबेंचरों में उनके जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर कॉल/पुट ऑप्शन उपयोग नहीं की जा सकती।<sup>10</sup>

<sup>10</sup> <http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=5743&Mode=0>

## लघुवित्त संस्थाएं (एमएफआइ) - हाल की चिंताओं पर सतर्कतापूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है

5.67 हाल ही में, आंध्रप्रदेश राज्य द्वारा उधार देने संबंधी लेन-देन को विनियमित करने और इनके कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए अध्यादेश से हुए विवाद के मद्देनजर देश में लघुवित्त संस्थाओं के विनियमन से जुड़े कई सारे मुद्दे सामने आए हैं। इन चिंताओं में अन्य बातों के साथ-साथ ऊंची ब्याज दर लगाना, जबरन वसूली प्रथा और उधार देने में दुराचार जैसे एक ही व्यक्ति को अधिक संस्थाओं द्वारा उधार देना अर्थात् मलटीपल लेंडिंग, एवरग्रीन ऋण और हाउसहोल्ड क्षेत्र को ऋण चुकाते रहने की क्षमता के बाहर उधार देना शामिल है। उपर्युक्त प्रचार से विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में लघुवित्त संस्थाओं के कार्यकलापों भी प्रभावित हुए हैं। ऋण के नए संवितरण पर विराम लग चुका है जबकि एनबीएफसी-एमएफआइ की वसूली दर में तेजी से कमी आई है। इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि लघुवित्त संस्थाओं के ऋणों की वसूली न करने का प्रभाव दूसरे राज्यों और दूसरे चैनलों तक फैला सकता है जिसमें स्वयं सहायता समूहों के जरिए बैंक उधार शामिल हैं। इसकी सावधानीपूर्वक निगरानी करने की ज़रूरत है क्योंकि लघुवित्त संस्थाएं ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में उभरी हैं जो देश में बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को बढ़ा रही हैं। रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

## भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति - मुद्दे एवं चिंताएं

5.68 विदेशी बैंकों के इनकार्पोरेशन की प्रकृति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी गहन चर्चा हुई है। विदेशी बैंकों को देश में इनकार्पोरेट करने अर्थात् अनुषंगी के रूप में गठित करने (सब्सिडीयराइजेशन) के कई फायदे हैं जैसे ऐसे बैंकों पर बेहतर विनियामक नियंत्रण, स्वामित्व से प्रबंधन को स्पष्ट रूप से अलग करना, दिवालिएपन की स्थिति में स्पष्ट और बेहतर निपटान और देश के भीतर पूँजी की अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षा। तथापि, वित्तीय स्थिरता की चिंताएं इस बात के लिए आगाह करती हैं कि अनुषंगी (सब्सिडीयरी) के रूप में गठित करने का विकल्प चुनते समय घरेलू वित्तीय प्रणाली विशेषकर बैंकिंग प्रणाली के प्रभुत्व की मुश्किलों को ध्यान में रखना होगा। दूसरे देशों के अनुभव बताते हैं कि जहां विदेशी बैंकों द्वारा गठित किए गए सब्सिडीयरी की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी वहां विदेशी बैंक तेजी के वर्षों में घरेलू बैंकों की कीमत पर बड़ी भागीदारी प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुए। लेकिन जब गृह देश संकटग्रस्त हुए, तब ये बैंक अपने परिचालन तेजी से कम करने लगे या मेजबान देश से बाहर

निकल गए। इस मामले में भारतीय अनुभव कोई अपवाद नहीं रहा है क्योंकि 2009-10 में नकारात्मक उन्नत वृद्धि दर के साथ संकट के वर्षों में विदेशी बैंक भारत के क्रेडिट बाजार से तेजी से बाहर निकलते देखे गए (जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय IV में चर्चा की गयी है)।

5.69 इस संदर्भ में कई सारे मुद्दे सामने आए हैं उदाहरण के लिए (i) क्या इन सब्सिडीयरियों को स्थानीय रूप से गठित होने की बजह से राष्ट्रीय स्तर का महत्व दिया जाए? यदि नहीं तो प्रतिबंध की प्रकृति और सीमा क्या होगी? (ii) क्या सब्सिडीयरी रूप में उपस्थिति का स्वरूप सभी प्रवेशकों के लिए अनिवार्य किया जाए या इसे विशेष मानदंडों के आधार पर चयनित रूप से लागू किया जाए? और (iii) विदेशी बैंकों की वर्तमान शाखाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए- क्या उन्हें सब्सिडीयरी में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? इन सभी मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की ज़रूरत है।

## भुगतान एवं निपटान प्रणाली

5.70 किसी देश एवं वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भुगतान एवं निपटान ढांचे का सुगम परिचालन और इसमें झटकों को सहने का सामर्थ्य ने केवल वित्तीय स्थिरता में योगदान देता है बल्कि यह वास्तव में स्थिरता के लिए पूर्व शर्त है। वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर जो वित्तीय प्रणाली में अंतर्संबद्धता के जरिए काम करता है, वह संस्थाओं, बाजारों और खुद अपनी परिचालन की स्थिरता को प्रभावित करते हुए एक संक्रामक चैनल की भाँति कार्य कर सकता है।<sup>17</sup>

## विनियामक ढांचा

**भुगतान एवं निपटान प्रणाली के लिए एक मजबूत विनियामक ढांचा मौजूद है।**

5.71 भारत में, भुगतान एवं निपटान प्रणाली संरक्षा, सुरक्षा, सुदृढ़ता (रोबस्ट) कार्यदक्षता, पहुंच (वित्तीय समावेशन की चुनौती सहित) के उद्देश्यों और साथ ही इस बात से भी निर्देशित होते हैं कि सभी भुगतान प्रणालियां अच्छी तरह से प्राधिकृत हैं जैसा कि “भारत में भुगतान प्रणाली विजन 2009-12 (जुलाई-जून)”, के मिशन वक्तव्य में उल्लेख किया गया है।

5.72 देश में भुगतान एवं निपटान प्रणालियों में विनियामक निरीक्षण का भार रिजर्व बैंक को सौंपा गया है। रिजर्व बैंक की इस निगरानी की भूमिका के लिए कानूनी ढांचा भुगतान एवं निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 और इसके अंतर्गत निर्मित भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन 2008 से प्राप्त होता है। वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुगम परिचालन की संवेदनशीलता को देखते हुए रिजर्व बैंक के

<sup>17</sup> “ए क्रेमर्क फॉर एसेसिंग सिस्टेमिक रिस्क”, माइकल डिकमैन, वर्ल्ड बैंक पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 5282, अप्रैल 2010

बोर्ड की एक समिति - 'भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड' को देश में भुगतान एवं निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की जवाबदेही सौंपी गई है।

5.73 भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधिनियमन के बाद देश में पारिचालित हो रहे सभी भुगतान प्रणालियों (स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन निगम को छोड़कर) को रिजर्व बैंक से अनुमोदन लेना आवश्यक है। तब से एक निगरानी प्रक्रिया शुरू की गई है जो ऑफसाइट पर्यवेक्षण पर केंद्रित है तथा जरूरत पड़ने पर ऑनसाइट निरीक्षण भी की जा सकती है। एक प्रभावी बाजार इंटीलीजेंस नेटवर्क से यह प्रभावी हुई है।

#### तथापि विनियामक परिधि में कुछ खामियां हैं

5.74 हालांकि उपर्युक्त विनियामक ढांचे ने देश में भुगतान एवं निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी आधार मुहैया कराया है, तब भी कुछ भुगतान प्रणालियां पीएसएस अधिनियम के दायरे से बाहर बनी हुई हैं। उपर्युक्त भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 34 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के तहत गठित समाशोधन निगमों पर लागू नहीं होते हैं। (उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम और भारतीय प्रतिभूति समाशोधन निगम)


#### भुगतान एवं निपटान प्रणाली के परिचालन का कार्य-निष्पादन परिचालन कार्य-निष्पादन मजबूत बना रहा।

5.75 भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य-निष्पादन की स्थिति अच्छी बनी रही। लेन-देन की मात्रा में 30 सितंबर 2010 को समाप्त छमाही तक लगभग 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ जबकि लेन-देन के मूल्य में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट हुई (चार्ट 5.2 तथा 5.3)

#### इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन तरीके में हस्तांतरण में प्रगति बनी रही


5.76 समीक्षात्मक और तार्किक तिहाज से कहा जाए तो अधिक सक्षम और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की भागीदारी में बढ़ोत्तरी बनी रही। (चार्ट 5.4)। 1 अप्रैल 2010 से उच्च मूल्यवर्ग समाशोधन (अर्थात् 1.00 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य के स्थानीय चेकों का उसी दिन समाशोधन, जो 30 केंद्रों में परिचालित था) में रोक लगा दी गई जिससे छमाही के दौरान उच्च मूल्यवर्ग लेन-देन को इलेक्ट्रॉनिक निपटान में बदलने में एक मजबूत प्रोत्साहन मिला।

चार्ट 5.2: मूल्य में प्रवृत्ति




स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 5.3: मात्रा में प्रवृत्ति



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 5.4: भुगतान लेन-देन में इलेक्ट्रॉनिक और पेपर आधारित प्रणालों को भागीदारी: मूल्य



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

कागज समाशोधन की बहुलता एवं समाशोधन गृहों के बड़े नेटवर्क ने सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर दी है।

5.77 अलबत्ता मात्रा को दृष्टि से 30 सितंबर 2010 को समाप्त छमाही अवधि में कागज आधारित लेनदेन 61% पर बने रहे जोकि मात्रा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक (चार्ट 5.5) है। ये लेनदेन बड़ी संख्या में छोटे व्यक्तिगत मूल्य वाले हैं, फिर भी कुल मिलाकर ये लेनदेन सारे लेनदेनों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और यह प्राहक तथा जमाकर्ता के सुरक्षा दृष्टिकोण से भी प्रणालीगत जोखिम का एक बड़ा स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। अलबत्ता, हाल ही के वर्षों में लिए गए अनेक उपाय- 10 लाख रुपए से अधिक के सभी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन अनिवार्य किया जाना एवं मजबूत विधिक आधार पर अंतिम भुगतान के लिए उपायों ने इस जोखिम को बड़े पैमाने पर कम कर दिया है।

5.78 यह भुगतान लेनदेन के बड़े हिस्से को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पोड में बदलने से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों में अन्य बातों के साथ-साथ देश का भौगोलिक विस्तार एवं भागीदारों की सामाजिक आदतें एवं मनोदशा शामिल होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक कागज आधारित लेनदेन प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में अनेक प्रयास करता आ रहा है। यहाँ अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न चरणों में चेक ट्रैकेशन प्रणाली शुरू करना, बैंकों द्वारा प्रयुक्त चेक फॉर्मों का मूल्यकोंकरण एवं चेक फॉर्मों के सुरक्षा मूल्यकों को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्पीड समाशोधन आरम्भ किया जाना शामिल है।


5.79 देश में कागज आधारित लेनदेन देश के भौगोलिक विस्तार में फैले 1150 समाशोधन गृहों के माध्यम से किए और निपटाये जाते हैं। सुदृढ़ जोखिम मूल्यकों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से समाशोधन गृहों के इतने बड़े नेटवर्क को व्यवस्थित करने में कुछ कठिनाइयों को बैंकर्स समाशोधन गृहों के लिए एक समूल्य विनियमों तथा नियमों, एमआईसीआर तथा एमआईसीआर रहित समाशोधन गृहों के लिए न्यूनतम परिचालन दक्षता मूल्यकों एवं आवधिक अंतराल पर स्व मूल्यांकन के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। समाशोधन गृहों में निगरानी की जानी चाहिए।

#### भुगतान एवं निपटान प्रणाली में परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिमों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए तथा कमजोरियों की निगरानी की जानी चाहिए।

5.80 भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के काम में परिचालनगत बाधाओं से वित्तीय बाजार लेनदेनों में देरी हो सकती है एवं इसके

चार्ट 5.5 भुगतान अंतरणों में इलेक्ट्रॉनिक तथा कागज आधारित प्रणालियों की हिस्सेदारी



परिणामस्वरूप नकदी संबंधी एवं अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा वित्तीय अस्थिरता के लिए यह एक प्रबल कारण बन सकता है। द कोर प्रिंसिपल्स फोर सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेट पेमेंट सिस्टम्स अतिसंवेदनशील वित्तीय बाजार के आधार की परिचालन संबंधी विश्वसनीयता पर भी बल देते हैं एवं स्थग्न करते हैं कि - ड्रेनेजली के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा एवं परिचालन विश्वसनीयता होना चाहिए तथा दैनिक प्रोसेसिंग को समय पर पूरा किए जाने के लिए आकस्मिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

5.81 भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के काम में परिचालनगत जोखियों ने कुछ समय से भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। संवेदनशील भुगतान प्रणाली उपकरणों की व्यापार निरंतरता क्षमताओं को जाँचने के लिए समय-समय पर आपदा समाधान अभ्यास किए जा रहे हैं। पिछले एफएसआर के प्रकाशन से अब तक तीन ऐसे अभ्यास किए जा चुके हैं।

5.82 देश में अधिकतर प्रमुख भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ बैंकिंग तकनीक विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के अंतर्गत प्रचालित इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क (आईएनएफआईएनइटी) द्वारा दी गई सुविधा पर काम करती हैं। इस प्रकार आईएनएफआईएनइटी असफलता के लिए अकेले ही एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। इससे हो सकने वाले नुकसानों को दूर करने के लिए पर्याप्त विकल्प का प्रावधान रखना आवश्यक है, और इसके लिए दो सेवा प्रदाताओं से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क लेना शामिल है।

5.83 आईएनएफआईएनइटी का ढांचा एक सीमित प्रयोगकर्ता समूह (क्लॉज्ड यूजर ग्रुप) के रूप में तैयार किया गया है। यह एक खास बात है जो कि अनुचित हस्तक्षेप से भुगतान एवं निपटान प्रणालियों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अलबत्ता, ऐसे प्रणालियों में किसी अनाधिकार हस्तक्षेप का कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इसका आवधिक नुकसान मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण ऐसे प्रणालियों के परिचालन में बाधा उत्पन्न होने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच होते हैं।

### प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियाँ

**रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)** अथवा विलम्बित वास्तविक निपटान पर बड़े मूल्य वाले लेनदेन

5.84 सभी बड़े मूल्य वाले भुगतानों को एक सीसीपी के माध्यम से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली अथवा सेक्योर्ड डेफर्ड नेट सेटलमेंट प्रणालियों को आपूर्ति बनाम भुगतान प्रणाली में डालने से देश में वित्तीय बाजार के ढाँचे की गतिविधियों में फेल होने के विफलता

जोखियम को बड़े पैमाने पर कम कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ये भुगतान प्रणालियाँ ठीक से तथा न्यूनतम बाधाओं के साथ काम कर रही हैं।

**सेक्योर्ड डेफर्ड नेट सेटलमेंट प्रणालियाँ संवेदनशील बाजार में चलनिधि का किफायती उपयोग सुनिश्चित करता है।**

5.85 भारत में बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणालियों के विकास में सुरक्षा तथा दक्षता में बृद्धि को ध्यान में रखा गया है। आरटीजीएस प्रणाली में सभी बड़े मूल्य वाले लेनदेन के निपटान से सेक्योर्ड ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली के लाभ मिलते हैं, जबकि चलनिधि बचत लाभ संवेदनशील अंतरबैंक बाजार (सारणी 5.2) का सेक्योर्ड डेफर्ड नेट सेटलमेंट करके प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में भारत में सरकारी सिक्युरिटीज, मार्केट रेपोज, कोलैटरल बोरोविंग्स एवं लेंडिंग ऑफिशियल (सोबीएलओ) तथा विदेशी विनियम (स्पॉट तथा फॉरवर्ड) का निपटान सीसीआईएल के द्वारा गारंटीड नेट सेटलमेंट आधार पर किया जाता है। पूँजी बाजार के लिए बड़े स्टॉक एक्सचेंज - जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के भी अपने सीसीपीएस (क्रमशः नेशनल सिक्युरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एण्ड इंडियन सिक्युरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) हैं।

### आरटीजीएस प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि स्थिति

5.86 रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए अंतर-दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) का प्रयोग करने के लिए आँकड़े (सारणी 5.3) भी यह दर्शाते हैं कि भुगतान प्रणाली में चलनिधि की स्थिति अच्छी है।

सारणी 5.2 नेटिंग क्षमता		
सरकारी सिक्युरिटीज (%)	विदेशी विनियम (%)	आईडीएल (%)
2008-09	84.43	94.42
2009-10	82.96	94.07
2010-11 (*)	79.89	95.16

(\*) सितंबर 2010 तक  
स्रोत: सीसीआईएल

सारणी 5.3 अंतर-दैनिक तरलता का उपयोग	
	आईडीएल (%)
मार्च 2010 को समाप्त तिमाही	2.11
जून 2010 को समाप्त तिमाही	2.67
सितंबर 2010 को समाप्त तिमाही	3.55
(*) आईडीएल उपयोग कुल लेनदेन के प्रतिशत के रूप में	
स्रोत: आरबीआई	

## प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुगतान एवं निपटान प्रणालियों में जमाव जोखिम देखे गए।

5.87 आरटीजीएस एवं सीसीआईएल परिचालित भुगतान प्रणालियों में लेनदेनों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इनमें सबसे बड़े सहभागी का कुल प्रपत्तियों एवं भुगतानों (चार्ट 5.6) का 15 प्रतिशत ही है। शीर्ष पाँच सहभागियों द्वारा किए लेनदेन महत्वपूर्ण जमाव दर्शाते हैं जो यह बताते हैं कि भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में उच्च स्तर पर आपस में जुड़ी हुई हैं।

5.88 यह नोड जोखिम<sup>18</sup> के मापन द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है—अर्थात्

$$(नोड जोखिम)_x = \frac{(प्रदत्त भुगतान)_x + (प्राप्त भुगतान)_x}{कुल भुगतान}$$


प्रणाली में पाँच सबसे सक्रिय बैंकों के लिए इंडेक्स मूल्य लगभग 78 प्रतिशत के बराबर है जिसमें सर्वाधिक सक्रिय प्रतिभागी का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। अन्य बैंकों के लिए औसत जोखिम इंडेक्स काफी कम है, जो यह सकेत देता है कि यदि पाँच सर्वाधिक सक्रिय बैंक कठिनाई अनुभव करते हैं तो लगभग 80 प्रतिशत भुगतान कार्य जोखिम में होगा।

5.89 इसी प्रकार का जमाव सीसीआईएल लेनदेन में भी देखा गया जहाँ लेनदेन कुछ विदेशी बैंकों (पाँच सबसे बड़े सहभागी विदेशी बैंक हैं।) तक ही सीमित है। व्यापार का ऐसा जमाव अंतर्निहित बाजार के लिए स्पष्ट इशारा करता है कि लेनदेन मात्र में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद बाजार की भागीदारी विषम है। (चार्ट 5.7 - 5.10)

**सीसीपी विश्व भर में निपटान के लिए एक प्राप्तिदाता माध्यम के रूप में उभर रहा है।**


5.90 वित्तीय संकट के आलोक में प्रणालीगत जोखिम को कम करने में सीसीपी की धूमिका के बढ़ते महत्व को महसूस किया गया है। प्रमुख वित्तीय संगठनों के बीच द्विस्तरीय अंतर्संबंध को कम करके सीसीपी वित्तीय प्रणाली में नुकसान जोखिम को सीमित करके महत्वपूर्ण योगदान देता है। सीसीपी की उपस्थिति इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि व्यापार सहयोगात्मक है। वास्तव में, यह दैनिक (अथवा

चार्ट 5.6: भुगतान प्रणालियों में संकेत्रण




स्रोत: भा.रि.बैंक, सीसीआईएल

चार्ट 5.7: आउटराइट सरकारी प्रतिमूलि व्यापार में हिस्सेदारी



चार्ट 5.8: आउटराइट विदेशी मुद्रा व्यापार में हिस्सेदारी



स्रोत: सीसीआईएल

<sup>18</sup> अत्येक नोड भुगतान इवं निपटान प्रणाली में एक सहभागी का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक सहभागी अन्य सहभागियों को भुगतान करता है एवं साथ ही अन्य सहभागियों के भुगतानों को प्राप्त करता है।

अधिक बार) स्तर पर नए सहयोगात्मक आवश्यकताओं की नए सिरे से गणना करता है। यह वर्तमूल्य वैश्विक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार को बतलाता है- एक इंटरनेशनल स्वैप्स एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार केवल 23 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार को बहुपक्षीय बनाया गया है, जबकि शेष 77 प्रतिशत की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंततः सीसीपी बेहतर पारदर्शिता द्वारा प्रणालीगत स्थिरता में योगदान देता है जैसे कि व्यापार संबंधित सूचनाओं की आवधिक प्रसारण द्वारा।


**परंतु सीसीपी सभी कमियों/जोखिमों के लिए रामबाण नहीं है।**

5.91 परन्तु यह भी स्वीकार किया गया है कि सीसीपी सभी उत्पादों एवं सभी बाजारों के लिए रामबाण नहीं है। विशेषकर सीसीपी व्यवस्था में एक समग्रता में विरोधाभाषी जोखिमों का जमाव है। एक पर्याप्त बड़े सीसीपी की स्थिति में यह जमाव प्रणालीगत हो सकता है एवं ऐसे सीसीपी के विफलता का प्रभाव काफी चिंताजनक हो सकता है। इसलिए यह तर्कसगत है कि सीसीपी में जोखिम प्रबंधन मानक जिसमें इसके परिचालन का विधिक ढाँचा भी शामिल है, सुदृढ़ हो एवं सीसीपी पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर सीसीपी के विनियमन ढाँचा का उपयोग सभी देशों में निरंतर आधार पर होना चाहिए ताकि विनियमन अवरोध के विकल्प उत्पन्न न हो एवं जोखिम प्रबंधन मानकों के बड़े पैमाने पर अवहेलना न हो। सेंट्रल कॉर्पोरेटिंग<sup>19</sup> के लिए सुझावों को अभी भुगतान एवं निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) द्वारा पुनरीक्षित किया जा रहा है एवं सिक्युरिटीज कमीशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा इन मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा।

**सीसीपी भारत में अनेक बड़े मूल्यवाले अंतरणों के लिए प्रसंदीदा निपटान प्रणाली**


5.92 भारत में जहाँ तक संभव है बड़े मूल्य वाले अंतरबैंक लेनदेनों के निपटान के लिए गारंटीड सेटलमेंट प्रसंदीदा प्राध्यम रहा है। मग्नी तथा सरकारी सिक्युरिटीज बाजार में रिजर्व बैंक ने सीसीआईएल की स्थापना की। सीसीआईएल को पीएसएस धारा के दायरे में लाया गया एवं इसकी कड़ी निगरानी रखी जाती है। देश में सीसीपी व्यवस्था में अभी भी कुछ कठिनाइयों का समाधान किया जाना है।

चार्ट 5.9: आउटराइट एपआईएफओआर स्वैप्स में हिस्सेदारी



प्रतिशत

चार्ट 5.10: आउटराइट एपआईबोओआर स्वैप्स में हिस्सेदारी



प्रतिशत

<sup>19</sup> <http://www.bis.org/publ/cpss64.htm>

**बहुउत्पाद सीसीपी के रूप में सीसीआईएल की संरचना चुनौतियां देती हैं जबकि व्याप्ति तथा मात्रा किफायती होती है।**

5.93 सीसीआईएल की संरचना, जैसा कि देखने में आया है, बहुल बाजारों/उत्पादों में एकमात्र सीसीपी के रूप में कार्य करने की है। यह संरचना व्याप्ति तथा मात्रा की किफायत के रूप में बहुत से लाभ देती है। यह संभागियों के लिए समग्र परिचालनात्मक लागत तथा उपयोग-शुल्क को कम कर देती है।

5.94 तथापि, संरचना का अभिप्राय यह भी है कि सीसीआईएल के नेटवर्क प्रतिपक्षीय जोखिमों भी विस्तार हो जाता है। भारतीय संदर्भ में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न बाजार खंडों में वही सहभागी काम करते हैं। यह मॉडल सीसीपी के समग्र जोखिम के प्रबंधन की चुनौतियां भी दिखलाता है और पश्चीय घटनाओं के प्रभाव का अनुमान लगाने में भी कठिनाई उत्पन्न करता है। इसलिए, सीसीपी की चूक-निधि की पर्याप्तता तथ इसकी हानि उठाने की क्षमता की प्रभावकारिता का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। ऐसी इकाई के साथ जुड़े परिचालनात्मक जोखिम भी इसलिए बड़े होते हैं। बीआईएस<sup>20</sup> की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार “विशिष्ट बाजार संरचनाएं (सीसीपी) विशिष्ट जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं तथा प्रणालियों और बाजारों के बीच परस्पर निर्भरता में वृद्धि कर सकती है। तथापि, बाजार संरचनाएं जोखिम को कम भी कर सकती हैं और परस्पर निर्भरता को भी कम कर सकती है।”<sup>21</sup>

5.95 यदि स्थिरता के दृष्टिकोण से देखें, तो सीसीआईएल जैसे बहुल उत्पाद सीसीपी अनिवार्यतः एक ऐसी इकाई बन जाता है जो प्रणाली के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। चूंकि इसका प्रभाव बाजारों और सहभागियों पर पड़ता है, इसलिए किसी एक बाजार/उत्पाद में चूक/बाधा का प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है। संस्था के लिए निगरानी कार्य विधि को यह पहलू ध्यान में रखना होगा। सीसीआईएल पर अपने पर्यवेक्षण के माध्यम से रिजर्व बैंक यह प्रयास करता है कि उसके जोखिम प्रबंधन के मानक बहुत मजबूत हों और अन्तरराष्ट्रीय सर्वोच्च प्रथाओं को पूरा करें।

### केन्द्रीय बैंक की चलनिधि का उपयोग करने के लिए सीसीपी को अनुमति देना एक अनिवार्य मुद्दा है

5.96 इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि क्या सीसीपी को केन्द्रीय बैंक के ऋण/चलनिधि सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। वस्तुतः अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस

प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया है, हालांकि यह तर्क किया जा सकता है कि “सभी सीसीपी को केन्द्रीय बैंक की सुविधाओं की कम से कम एक सुनिश्चित राशि का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि किसी सीसीपी को अस्थायी चलनिधि की कमी का सामना करना पड़ता है, तो अन्तरराष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक चलनिधि के उपयोग से पश्चाय प्रभाव में कमी करके अनावश्यक वित्तीय संकट की संभावना को कम किया जा सकता है।”<sup>22</sup> कुछ द्वेषाधिकारों में सीसीपी को ‘सीमीत बैंकों’ के रूप में नियमित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे केन्द्रीय बैंक की सुविधाओं का उपयोग कर सकें।

5.97 सीसीआईएल द्वारा केन्द्रीय बैंक की चलनिधि की आवश्यकता के उदाहरण कभी-कभार ही मिलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि एक ओर तो जोखिम प्रबंधन ढांचा बहुत मजबूत है, और वैश्विक बाजारों में उल्लेखनीय उथल-पुथल की अवधि में भी भारतीय वित्तीय बाजार सुचारू रूप से काम करते रहे। भविष्य की ओर देखें तो, जैसे जैसे भारतीय बाजार वैश्विक बाजारों से जुड़ते जाएंगे, बाजार में उथल-पुथल से सीसीपी चलनिधि आवश्यकताएं मर्जिनों से बहुत अधिक बढ़ सकती हैं, विशेषकर दबाव की परिस्थितियों में। केन्द्रीय बैंक की सुविधाओं के किसी ना किसी रूप में उपयोग की सुविधा सीसीआईएल को उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाएगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा के अभाव के चलते सीसीआईएल एक अनिवार्य बाजार बुनियादी ढांचे के रूप में उभरा है। तथापि, यदि ऐसी सुविधा दी भी जाए, तो भी वह स्वप्रेव नहीं होगी। सीसीआईएल को वही (या समतुल्य) आवश्यकताएं पूरी करनी होगी जो केन्द्रीय बैंक की सुविधाओं का उपयोग करने वाले अन्य प्रतिपक्ष पूरा करते हैं तथा सुविधाओं को इस प्रकार से उपलब्ध कराना होगा कि नियंत्रणों में कमी करने का कोई प्रतोभन ना रहे।

### चिन्ता के कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता

5.98 कुछ विशिष्ट खंडों के संबंध में मुद्दे सीसीआईएल के कामकाज के बारे में भी चिन्ता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा लेनदेनों के निपटान के संबंध में सीसीआईएल ने जोखिम पर काफी नियंत्रण पा लिया है, फिर भी ऐसे निपटानों के साथ जुड़ा कुछ हरस्टेट रिस्क हमेशा रहेगा, विशेषकर, ऐसे निपटानों के अपरीकी डालर खण्ड के संबंध में। सीबीएलओ खण्डों में पांच निपटान बैंकों द्वारा जो कंपनी म्युच्यूअल फंडों तथा सहकारी बैंकों को सुविधाएं देते हैं, विशाल अन्तरराष्ट्रीय सौदे किए जाते हैं। किसी भी निपटान बैंक के असफल हो जाने की स्थिति में इससे प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, सीबीएलओ खंड में प्रतिपक्षीय जोखिम का प्रबंधन

<sup>20</sup> “मार्केट स्ट्रॉक्सर डेकलपमेंट इन किल्टरिंग इंडस्ट्री: इम्पलिकेशन फॉर काइनेन्सियल स्टेटिस्टिक्स”, नवंबर 2010

<sup>21</sup> नॉट बेलइम, “विट्टेंगेटिंग सिस्टेमिक रिस्क इन ऑटोमोटिव डेरिवेटिव मार्केट्स”

सोसीआईएल द्वारा सिंगल आर्डर लिमिट (एसओएल) लगाकर किया जाता है। तथापि, एसओएल के प्रतिपक्षीय जोखिम प्रबंधन साधन के रूप में स्थितियों को यथोचित सीमाओं के भीतर रखने में उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि नेट डेबिट कैप। इन मुद्दों की जांच की जा रही है।

### अनेक प्रकार की पहल के कारण वित्तीय मूलभूत ढाचां पहले से अधिक मजबूत विधिक आधार पर हैं।

5.99 पीएसएस अधिनियम, 2007 से यह सुनिश्चित होता है कि प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के लिए प्रथम बुनियादी सिद्धात का अनुपालन हो जो यह कहता है कि “सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों के अधीन प्रणाली एक सुव्यवस्थित विधिक आधार पर स्थापित की जानी चाहिए”। इस अधिनियम के अधीन हाल ही में, कई प्रकार की पहल की गई है जिससे वित्तीय बाजार का बुनियादी ढांचा पहले से और अधिक मजबूत विधिक आधार पर हो गया है।

5.100 भारतीय भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण दुर्बलता यह थी कि नेटिंग के माध्यम से भुगतान दायित्वों के निर्धारण के लिए विधिक आधार द्विपक्षीय संविदाओं के माध्यम से तय होता था और विधि के अधीन बहुपक्षीय निपटान की कोई मान्यता नहीं थी। उपर्युक्त अधिनियम के द्वारा इसका हल निकाला गया और हाल ही में, “सेटलमेंट एंड डिफल्ट हैंडलिंग प्रोसीजर्स इन मल्टीलेटरल एंड डेफर्ड नेट सेटलमेंट सिस्टम्स” के संबंध में निदेश जारी करके इसे और अधिक मजबूत किया गया।<sup>22</sup> इस निदेश का ध्येय सहभागियों के निपटान दायित्वों के निर्धारण की प्रक्रिया के लिए निश्चितता तथा पूर्वानुमान लगाना और उस बिंदु का निर्धारण करना था जब दायित्वों का निपटान अंतिम और निर्णायक माना जाएगा।

### पीएसएस अधिनियम के अधीन प्रणालियों में सहभागियों के दिवालिएपन को शामिल न किए जाने से व्यवधान

5.101 निपटान प्रणालियों के लिए बहुपक्षीय निपटान के संबंध में विधिक सुनिश्चितता का प्रावधान किया गया है। तथापि, इसी प्रकार की विधि सुनिश्चितता इस अधिनियम से बाहर की प्रणालियों के लिए नहीं है जैसे कि इक्विटी बाजार निपटान। इसके अतिरिक्त, इन प्रणालियों के लिए भी बैंक स्टाप चलनिधि उपलब्ध कराते हैं। किसी भी सहभागी द्वारा भुगतान न कर सकने या उसके दिवालिएपन के कारण प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो सकती है।

### ओटीसी बाजार

ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों को दूर किया जाना चाहिए ताकि ऐसे उत्पादों के पूरे लाभ मिल सके।

5.102 अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता यह रही है कि एक जीवंत ओटीसी डेरिवेटिव बाजार की स्थापना की जाए। जोखिम के मूल्यन को बेहतर बनाकर, चलनिधि में बृद्धि करके, तथा बाजार सहभागियों को उनके जोखिम का प्रबंधन करने में सहायता करके ओटीसी डेरिवेटिव वित्तीय बाजारों तथा अर्थव्यवस्था की सहायता करते हैं। तथापि, इन बाजारों में उन दुर्बलताओं पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है जिनके कारण वित्तीय संकट विकराल हो गया था। ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों के संबंध में हाल ही की एमएफएसबी रिपोर्ट<sup>23</sup> में कई सिफारिशों की गई हैं जिनका उद्देश्य सितंबर 2009 में घटसबारी में जी 20 नेताओं द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। “सभी मानक ओटीसी डेरिवेटिव संविदाएं एक्सचेंज पर या जहां समुचित हो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्म के माध्यम से होनी चाहिए तथा अधिक से अधिक 2012 के अंत तक केंद्रीय प्रतिपक्षों के माध्यम से समाशोधित की जानी चाहिए। ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं की सूचना व्यापार निष्केपागारों को दी जानी चाहिए। केंद्रीय रूप से समाशोधित न की गई संविदाओं के संबंध में उच्चतर पूँजी आवश्यकताएं निर्धारित की जानी चाहिए।”

5.103 ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों के संबंध में एक प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय पहल है - इन बाजारों को विनियमित और पर्यवेक्षित बाजार बुनियादी ढांचों में समन्वित कर दिया जाए जैसे कि व्यापार प्लेटफार्म, व्यापार निष्केपागार तथा सीसीपी। यह भी माना जाता है कि कुछ संविदाएं हमेशा ही ऐसी रहेंगी जिनका समाशोधन केंद्रीय रूप से संभव नहीं है। इसलिए ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों की सुरक्षा में बृद्धि करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पारदर्शिता बढ़ाकर तथा द्विपक्षीय रूप से समाशोधित सौदों के लिए पूँजी भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों का विकास विनियमित परिवेश में हुआ है।

### भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार का विकास विनियमित दायरे में हुआ

5.104 भारत में, ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों का विकास एक विनियमित ढांचे में किया गया है। वित्तीय क्षेत्र में हुई गतिविधियों के अनुरूप एक चरणबद्ध तरीके से बाजार में कुछ ओटीसी उत्पाद प्रारंभ किए गए थे। डेरिवेटिव बाजार में प्रवेश के लिए एक बुनियादी आवश्यकता अभी भी अन्तर्निहित वाणिज्यिक लेनदेन की जोखिम

<sup>22</sup> <http://rbfi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=6018&Mode=0>

<sup>23</sup> [http://www.financialstabilityboard.org/Publication/r\\_101025.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/Publication/r_101025.pdf)

का मौजूद होना है। अपनाये गये तरीके का उद्देश्य सहज, पारदर्शी तथा आसानी से समझने लायक उत्पादों तक पहुंच को बेहतर बनाना था। सीसीपी के पाठ्यम से व्याज दर डेरिवेटिव सहित डेरिवेटिव सौदों के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म तैयार करने और उनके निपटान में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई। बासल -II ढांचे के अधीन निर्धारित मानदंडों की तुलना में ओटीसी विदेशी मुद्रा तथा व्याज दर डेरिवेटिवों पर पहले ही उन्नतर ऋण परिवर्तन घटक लगाये जाते हैं और पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए सभी जोखिमों की गणना कुल राशि के आधार पर की जाती है।

### **कई चुनौतियां और कुछ चिंताएं अभी भी ब्रकरार हैं**

5.105 कई डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता की संरचना में असमानता बनी हुई है क्योंकि जैसा कि इस अध्याय के पैराग्राफ 5.89 में चर्चा की गयी है, कारोबार की मात्रा कुछ एक सहभागियों तक ही सीमित है। कुछ डेरिवेटिव बाजारों में मात्रा बहुत ही कम है जिससे ऐसे उत्पादों के लिए गारंटीकृत समाशोधन करना एक चुनौती बन जाता है।

5.106 जैसे-जैसे नये उत्पाद प्रारंभ किए जाएंगे, [हाल ही में एक नाम वाले क्रेडिट फिल्टर स्वैप (सीडीएस) उत्पादों के लिए प्रस्तावित शुरूआत], वैसे-वैसे मजबूत बुनियादी सुविधाएं स्थापित करनी पड़ेंगी। लेकिन बदलाव के इस दौर का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, सीडीएस को प्रारंभ करने के शुरूआती दौर में जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय 3 में चर्चा की गई है, गारंटीकृत निपटान कठिन होगा।

5.107 भारतीय बाजार में विनियामक पहल करने का एक और क्षेत्र है, ओटीसी उत्पादों का और अधिक मानकीकरण करना तथा ऐसे ही कुछ और उत्पादों के लिए केंद्रीय समाशोधन व्यवस्थाएं प्रारंभ करना। तथापि, देश में अनुमत उत्पादों के साधारण (वनिला) स्वरूप को देखते हुए वर्तमान उत्पादों का मानकीकरण बहुत कठिन नहीं होगा।

**भुगतान तथा निपटान प्रणाली के लिए अन्तरराष्ट्रीय मानक पूरे विश्व में वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधाओं के मानकों की समीक्षा की जा रही है**

5.108 भुगतान तथा निपटान प्रणाली के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित प्रमुख वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किए जाने के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्क मानकों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्राधिकारों में मूलभूत सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तदनुसार,

सीपीएसएस तथा आईओएससोओ द्वारा वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधाओं के लिए मानकों अर्थात् 'कोर प्रिंसिपल्स फॉर सिस्टेमिकल इम्पोर्टेट पैमेंट सिस्टम्स', 'रिकमेंडेशन फॉर सिक्यूरिटीज सेटलमेंट सिस्टम्स' और 'रिकमेंडेशन्स फॉर सेटल काउंटर पार्टिज' की समीक्षा का कार्य प्रारंभ किया गया।

**जब भी सर्वोच्च अन्तरराष्ट्रीय प्रथाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, रिजर्व बैंक उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है**

5.109 भुगतान तथा निपटानश् सहित विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्च अन्तरराष्ट्रीय प्रथाएं अपनाने के लिए रिजर्व बैंक प्रयासरत है। पिछली एफएसआर में दी गई सूचना के अनुसार, सीएफएसए ने, अन्य बातों के साथ-साथ देश में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों तथा प्रतिभूति निपटान प्रणालियों और सीसीपी के लिए सिफारिशों के बुनियादी सिद्धांतों सहित भुगतान तथा निपटान संबंधी बुनियादी सुविधाओं के अनुपालन का एक आकलन किया। समिति का निष्कर्ष था कि कुल मिलाकर देश में सिद्धांतों/सिफारिशों का अनुपालन किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के आमंत्रण पर स्विस नैशनल बैंक के विशेषज्ञों ने देश की आरटीजीएस प्रणाली का भी आकलन किया। इस बाह्य आकलन से भी यह पता चला कि कुल मिलाकर प्रणाली बुनियादी सिद्धांतों का पालन कर रही है। जैसे ही, संशोधित मानक लागू किए जाएंगे, देशी परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें भारतीय ढांचे में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा।

### **जमाराशि बीमा**

5.110 एक मजबूत जमाराशि बीमा प्रणाली का होना किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता व्यवस्थाओं का एक अभिन्न अंग होता है। हाल ही के वित्तीय संकट ने इस तथ्य पर पुनः बल दिया कि बैंक दिवालिएपन या नकदी की कमी की समस्या का शिकार हो सकते हैं तथा बैंकिंग प्रणाली में डर को दूर करने तथा जनता का विश्वास कायम करने में जमाराशि बीमा की आवश्यकता को भी दुहराया। हाउस ऑफ कॉमन्स की ट्रेजरी समिति की पांचवीं रिपोर्ट 'रन ऑन दी रॉक' (2007-08) बखूबी बतलाती है कि "सभी बैंक और निर्माण समितियां किसी जमाराशि योजना के अधीन होनी चाहिए ताकि नार्टन रॉक या उससे भी बड़े बैंक के मामलों में जमार्कर्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार को आगे न आना पड़े"।

5.111 ऐतिहासिक रूप से भी, जमाराशि बीमा वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण किया जाता है।<sup>24</sup> जमाराशि बीमा में परिपक्वता आने तथा प्रगति होने से, उपभोक्ता की सुरक्षा और विशिष्ट रूप से

<sup>24</sup> 1933 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार जमा राशि बीमा प्रारंभ किया गया था, जब प्रमुख प्रयोजन 1920 तथा 1930 के दशकों में बड़े ऐमाने पर बैंकों के फेल हो जाने के कारण ...देश की बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास फिर से कायम करना था।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सार्वजनिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बनकर सामने आयी। प्रभावकारी जमाराशि बीमा प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों<sup>25</sup> का सिद्धांत बताता है “ जमाराशि बीमा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य है -वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में अपना योगदान देना तथा जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना ”।

5.112 हाल ही के वित्तीय संकट ने पूरे विश्व में कई जमाराशि बीमा प्रणालियों की अपर्याप्तता तथा कमजोरियों को उजागर किया है तथा ऐसी प्रणालियों की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए कई प्रयास प्रारंभ हुए हैं। संकट के दौरान के अनुभवों की पृष्ठभूमि में, बीसीबीएस तथा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपाजिट इंश्युरर्स (आईएडीआई) ने संयुक्त रूप से कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपाजिट इंश्योरेस सिस्टम्स विकसित किए जो जून 2009 में प्रकाशित किए गए। आईएडीआई ने इन सिद्धांतों के अनुपालन का आकलन करने के लिए क्रियाविधि का एक मसौदा भी तैयार किया।

**भारत में जमाराशि बीमा प्रणालियां -मजबूत हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभी बने हुए भी हैं**

5.113 भारत में, डीआईसीजीसी की स्थापना 1962 में की गई जिससे यह विश्व में दूसरा सबसे पुराना जमाराशि बीमा निगम बन गया। जैसा कि पहली एफएसआर में बताया गया था, भारत में सभी बैंकों के लिए जमाराशि बीमा आवश्यक है (वाणिज्यिक/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक)<sup>26</sup> इसमें विदेशी सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकारोंसरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, विदेशों में प्राप्त की गई जमाराशियों तथा रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त जमाराशियों को छोड़कर सभी जमाराशियां शामिल होती हैं।

5.114 भारत में जमाराशि बीमा प्रणाली के सामने जो कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, उनपे जमाराशि बीमाबीमा निधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए लगाने वाले समय को कम करना, जमाराशि बीमा प्रणाली की व्याप्ति में सुधार करना तथा निगम के अधिदेश को और व्यापक बनाना ताकि इसमें बैंक रिजोल्यूशन को शामिल किया जा सके। जब तक भारत में जमाराशि बीमा प्रणाली में सुधार नहीं किए जातक तब तक प्रभावी

जमाबीमा प्रणालियों के अधारभूत सिद्धांतों का अनुपालन करना एक चुनौती बना रहेगा।

**जमाराशि बीमा प्रणालियों का निधियन -एक चुनौतोपूर्ण कार्य**

5.115 निधि अनुपात/रिजर्व अनुपात (कुल बीमाकृत जमाराशियों में निधि का आकार) के माध्यम से मापी गए जमाराशि बीमा प्रणालियों का पर्याप्त निधियन, निधि की अर्थक्षमता को सुनिश्चित करने तथा जनता का विश्वास बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मार्च 2010 के अंत में, निगम के लिए रिजर्व अनुपात 0.85 प्रतिशत के स्तर पर तुलनात्मक रूप से कम था हालांकि, इस संबंध में कोई स्पष्ट अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्क नहीं है। हाल ही के वित्तीय संकट के दौरान देखे गये अभूतपूर्व जोखिम का सामना करने के लिए कोई भी जमाराशि बीमा प्रणाली तैयार नहीं की जा सकती फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि बैंकों की असफलताओं के संकमणकारी स्वरूप को देखते हुए, जमाराशि बीमा निधियां एक साथ कई बैंकों के असफल हो जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखती हैं।<sup>27</sup> इस संदर्भ में निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम की जमाराशि बीमा निधि (डीआईएफ) का दबाव परीक्षण किया गया।

5.116 दबाव परीक्षण तीन बातों के आधार पर किए गए-पहला, पिछले पांच वर्ष में निपटाए गए दावों में औसत वृद्धि के आधार पर दावों का अनुमान लगाना, दूसरा, यदि सभी कमजोर शहरी सहकारी बैंकों का परिसमापन कर दिया जाए तो बीमागृह जमाराशि का अनुमान लगाना और तीसरा, यदि अन्य समामेलनबैंकों के साथ जिन वाणिज्य बैंकों का समामेलन किया गया है (2003 से 2006 के दौरान) का परिसमापन कर दिया जाता। दबाव परीक्षणों से यह पता चला कि प्रत्येक स्थिति में, निगम दावों का निपटान करने में सक्षम होगा, हालांकि बाद की दो स्थितियों में रिजर्व अनुपात बहुत ही कम हो जाएगा।

**क्रास सब्सिडाइजेशन से नैतिक जोखिम का मुद्दा उत्पन्न होना**

5.117 पिछली एफएसआर में भारतीय संदर्भ में प्रीमीयम के क्रास सब्सिडाइजेशन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। क्रास सब्सिडाइजेशन के विस्तार का जायजा इस बात से लिया जा सकता है कि 2009-10 में निगम द्वारा प्राप्त प्रीमीयम में वाणिज्यिक बैंकों ने 93 प्रतिशत का अंशदान दिया जबकि इन बैंकों से किसी भी जमाकर्ता

<sup>25</sup> <http://www.bis.org/publ/bcbs156.pdf>

<sup>26</sup> सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा लागू नहीं होगा यदि सहकारी समिलियां अधिनियम जिसके अंतर्गत उनका फंगीयन हुआ है में डीआईसीजी अधिनियम, 1961 की धारा 2(जीजी) के प्रावधानों का लागू नहीं किया गया हो। तीन संघ शासित प्रदेशों (चंडीगढ़, लक्ष्मणपुर और दादरा और नगर हवेली) में संविधानित राज्य सरकारों द्वारा उनसे संबंधित सहकारी स्थिति अधिनियमों में अभी यथावश्यक विधिक संशोधन किया जाना है। लक्ष्मणपुर और दादरा और नगर हवेली में अभी कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

<sup>27</sup> फंडिंग ऑफ डिपाजिट इंश्योरेस सिस्टम्स' उषा थोरात, जनवरी 2010.

के दावों का निपटान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके विपरित, सहकारी बैंकों के मामले में प्राप्त प्रीमियम से संबंधित निपटाये गए दावों का अनुपात 220 प्रतिशत रहा। निश्चित ही प्रति-सहायता (क्रॉस-सम्बिंदित जेशन) से नैतिक नैतिक जोखिम संबंधी मामला उठता है। हालांकि भारत में जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने का विकल्प है, इस संबंध में निषेध की एक निश्चित मात्रा को, नैतिक जोखिम कम करने और उन बैंकों, जो पहले ही कमज़ोर हैं और जिन्होंने वित्तीय समावेशन के काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य को अभी पूरा नहीं किया है, पर अतिरिक्त दबाव डालते हुए उनके बीच हुए समझौते के मूल्यांकन के जवाब में लागू किया गया है।

**जमा बीमा प्रीमियम बढ़ाये जाने को कमज़ोर बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में देखने की जरूरत होगी।**

5.118 भारत में जमा बीमा प्रणाली एक अत्यंत बीमा प्रीमियम प्रणाली है। डीआइएफ को मजबूत बनाने की दृष्टि से, जमा बीमा प्रीमियम में वृद्धि करने का मामला तर्कसंगत हो जाता है। इस संदर्भ में, प्रीमियम दर में 10 आधार अंकों से 30 आधार अंकों तक वृद्धि के साथ आरक्षित निधि अनुपात पर हुए प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक अनुभवजन्य प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग से यह प्रकट हुआ कि प्रीमियम में प्रत्येक 5 पैसे की वृद्धि से आरक्षित निधि अनुपात में 0.06 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी। अलबत्ता, प्रीमियम में हुई किसी वृद्धि का प्रभाव प्रणाली में कमज़ोरैंकों पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, क्रॉस-सम्बिंदित जेशन के तत्व को देखते हुए, वाणिज्यिक बैंकों को बोझ के असंगत भाग को सहना होगा।

### वसूली की स्थिति खराब बनी रही

5.119 पिछली एफएसआर में यह बात रेखांकित की गयी थी कि दावों के निपटान/डीआइसीजीसी की वसूली निष्पादकता डीआइएफ के उत्थान और लचीलेपन में सबसे बड़ी अड़चन रही है। उगाहियों के संबंध में निगम के कार्य में थोड़ा सा सुधार हुआ है। 31 मार्च 2010 तक निपटायी गयी उगाहियों के बीच 14 प्रतिशत रही हैं। उगाहियों में निगम की प्राथमिकता को नुनौती देनेवाले विधिक कानूनी मामले उगाही प्रक्रिया और निधियों को जुटाने में रुकावट डालते रहे हैं। अन्य कई मुद्रे-निवेश संबंधी विकल्पों के दायरे को बढ़ाते हुए निवेश आय में वृद्धि करना, कर-निर्धारण के मामले (निषेप निगम के कराधान की सामान्य प्रथा पूरे विश्व में नहीं है) और केंद्रीय बैंक से बैंक-अप ऋण व्यवस्था (आजकल ऋण व्यवस्था 5.00 करोड़ रुपए तक सीमित है) - डीआइएफ की पर्याप्तता और लचीलेपन को सुनिश्चित करने और आरक्षित निधि अनुपात को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा इन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत होगी।

दावों को निपटाने के लिए लगनेवाले समय को कम करना मुश्किल काम बना हुआ है।

5.120 निषेप बीमा को विश्वसनीय बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बैंक के विफल होने पर दावों को शोधता से निपटाया जाये। इस संदर्भ में, हाउस ऑफ कॉमन्स की ट्रेजरी समिति की पांचवीं रिपोर्ट ('रन अॉन दि रॉक' नामक) (2007-08) से यह पाया है कि 'कानून में यह शर्त होनी चाहिए कि बैंक के विफल होने के कुछ ही दिनों के भीतर संपूर्ण बीमाकृत जमाराशियां अदा की जानी चाहिए'।

5.121 डीआइसीजीसी अधिनियम के अनुसार, वर्तमान में डीआइसीजीसी को परिसमापक और जमा रक्षा योजना की शरण में आने से दावों की सूची प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर प्रत्येक जमाकर्ता को जमाराशियों से संबंधित देय राशि अदा करनी होती है। परिसमापक को दावों की सूचियां तैयार करने के लिए तीन महीने दिए जाते हैं। हालांकि निगम को दो महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर दावों की राशियां संवितरित करने के लिए सक्षम होना होता है परंतु परिसमापकों से ही जानकारी मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। इस तरह से, बैंक का पंजीकरण समाप्त किए जाने और दावा निपटाने के बीच का औसत समय एक वर्ष से अधिक लग जाता है। देश के भौगोलिक विस्तार और जमाकर्ताओं के ब्योरों के संबंध में आंकड़ों की असंतोषजनक क्वालिटी को देखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने के लिए लगनेवाले समय को कम करने के लिए संतुलित सुपुर्दगी प्रणाली लाना, दरअसल दावे निर्धारित अवधि के भीतर करना ही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस प्रक्रिया के लिए रिकार्ड रखने में सुधार लाने के लिए तकनीकी का स्तर ऊपर उठाने की आवश्यकता होगी निगम ने इस दिशा में पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। निगम को समय पर सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए परिसमापकों की जिम्मेदारी की प्रभावी प्रणाली लाने हेतु निगम काम कर रहा है।

**कवरेज का निचला स्तर जमा बीमा प्रणाली की प्रभावशोलता को बाधित कर सकता है।**

5.122 वैश्विक वित्तीय संकट ने कई देशों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे अपना ध्यान छोटे जमाकर्ताओं की रक्षा के बाजाय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की ओर लगाएं। परिणामस्वरूप कई देशों में, स्थायी आधार पर अधिकतर मामलों में जमा बीमा सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया। तथापि, भारत में जमा बीमा को बढ़ाने के लिए कोई मजबूरी न होने के कारण यह महसूस किया गया कि वर्तमान बीमा सुरक्षा के अंतर्गत 90 प्रतिशत जमा खाते (संख्या-वार) और लगभग 55 प्रतिशत कुल कर-निर्धारणीय जमाराशियां पहले ही बीमाकृत हैं। इसके बावजूद, देश में जमा बीमा की सुरक्षा का अनुपात प्रति

व्यक्ति आय के अनुसार सबसे कम बना रहा। कीमत बढ़ाने की जरूरत की सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की आवश्यकता है।

### जमा बीमा की अनिवार्यता का दायरा बढ़ाने की जरूरत

5.123 भारत में जमा बीमा प्रणाली को जिस महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह है, न्यूनतम लागत संकल्प के लिए अधिकारों के साथ डीआईसीजीसी को विस्तारित आदेश दिए जाएं ताकि वह मौजूदा पे-बॉक्स अनिवार्यता के स्तर को ऊपर उठ कर अपनी कुशलता बढ़ा सके, यह बात एफएसआर में बतायी गयी थी। अलबत्ता, इसलिए निष्कोप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन की आवश्यकता होगी।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन -कुछ खामियां दूर करने की जरूरत होगी।

5.124 इस अध्याय के पैरा 5.112 में प्रभावकारी जमा बीमा प्रणालियों के लिए बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन का आकलन करने के उद्देश्य से आइएडीआइ द्वारा ड्राफ्ट की गयी कार्यविधि को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में चर्चा की गई थी। कार्यविधि को अंतिम रूप देने से पहले, आइएडीआइ ने अपने क्षेत्र परीक्षण किए जिसके लिए डीआईसीजीसी को भी एक जमा बीमा प्रदाता के रूप में चुना गया था।

5.125 क्षेत्र परीक्षण से यह देखा गया कि भारत में जमा बीमा प्रणाली आम तौर पर महत्वपूर्ण या बड़े पैमाने पर कई बैंक के फेल हो जाने की स्थिति में मुद्दों का पालन कर रही थी। ये मुद्दे हैं: सार्वजनिक नीतिगत लक्ष्य, नैतिक जोखिम में कमी, अनिवार्य रूप से किये जाने वाले काम बताना, सशक्तिकरण और शासन, अनिवार्य सदस्यता, कवरेज, जन-जागरूकता, कानूनी सुरक्षा और पार्टियों के साथ निपटना। अलबत्ता, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जहां डीआईसीजीसी के कार्य में सुधार की आवश्यकता है, की भी पहचान की गयी थी।

- डीआईसीजीसी के पास परिसमापन या विलय/समामेलन के समाधान का काफी सीमित विकल्प उपलब्ध हैं। समस्या वाले बैंकों का तत्काल पता लगाने संबंधी सिस्टम तो मौजूद है लेकिन कानून में समय से पहले हस्तक्षेप करने की व्यवस्था नहीं है। जब तक बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता तब तक डीआईसीजीसी को समस्यावाले बैंक के बारे में बताया नहीं जाता।
- डीआईसीजीसी को बीमाकृत जमाकर्ताओं को समय पर शीघ्र प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक सूचना नहीं मिलती।
- अगर कोई बड़ा बैंक फेल हो जाये तो जमा बीमा संबंधी निधि काफी नहीं होती।

- विदेशी शाखाओं को जमाराशियों को डीआईसीजीसी द्वारा कवर किया जाता है। दूसरे देशों में जमा बीमा प्रणालियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस तरह के कोई पारस्परिक करार नहीं हैं।
- हालांकि डीआईसीजीसी की भूमिका और प्राथमिकताओं को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, वसूलियों, विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों के मामले में वसूलियों, के सही वितरण में कानूनी बाधाओं से रुकावट आती है।

### निष्कर्ष

5.126 विनियापक तथा पर्यवेक्षी द्वारे में खामियों के चलते जोखिमों में चक्रीय वृद्धि हुई है तथा ऐसी संस्थाएं विकसित हुईं, जो “इतनी बड़ी थीं कि वे कभी असफल हो नहीं सकती थीं।” संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ ऐसे सुधार लाने में काफी प्रगति की है जिनका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली को लचीलेपन में वृद्धि करना है। भविष्य में, ऐसे परिवेश में सुधार लाने की चुनौती है, जहां वैश्विक समुत्थान अभी भी कमज़ोर है, वित्तीय प्रणाली खतरे में है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों के सामने निधिकरण का जोखिम बरकरार है और युरोपीय देशों का सरकारी ऋण वित्तीय स्थिरता के लिए खतरे का कारण बना हुआ है।

5.127 भारत ने वित्तीय संकट का सामना दूसरों की तुलना में धीरज से किया। एक सुदृढ़ पूंजीकृत तथा विनियमित बैंकिंग प्रणाली के आधार पर वित्तीय क्षेत्र लचीला बना रहा, हालांकि सम्पदा क्षेत्र, वास्तविक, वित्तीय तथा विश्वास के चैनलों के कारण वास्तविक क्षेत्र प्रभावित हुआ। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बासल II सुधारों को लागू करना ऐसे समय आया है जब संरचनात्मक तत्वों के चलते ऋण मांग में वृद्धि होने की आशा है। साथ ही साथ, अतिरिक्त पूंजी तथा यथोचित लागत पर अर्थव्यवस्था की तीक्र रूप से बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना कोई आसान काम नहीं होगा। फिर भी, बासल II के अधीन भारत में बैंकों की संहज पूंजी पर्याप्तता स्थिति का अभिप्राय यह है कि एक बार पूरी तरह से अपनाने पर बासल II आवश्यकताओं का भारत में बैंकों पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ेगा।

5.128 लेखाकरण मानदंडों में सामंजस्य, क्षतिपूर्ति सिद्धांतों की अपनाना, साख निर्धारण एजेंसियों पर निर्भरता कम करना जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने का कार्य चुनौती से भरा होगा और इसके लिए समन्वित प्रयास करने होंगे तथा उन्हें देशी परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा। सटीक, सामयिक तथा अलग अलग अकड़ों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए भी संगठित प्रयासों की आवश्यक होगी।

5.129 वित्तीय बाजारों के विभिन्न खण्डों के बीच और वित्तीय बाजार के सहभागियों के बीच की अंतरसम्बद्धता मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरकर सामने आयी है। ऐसी संस्थाओं, जिनके बीच भुगतान और निपटान प्रणाली में या अंतर बैंक देयताओं के माध्यम से काफी अधिक अंतरसंबंध हैं, के गहन पर्यवेक्षण की जरूरत होगी।

5.130 अंतर्राष्ट्रीय रूप से, बड़ी और जटिल वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध नैतिक जोखिम कम करने, फर्मों की संकल्प क्षमता में सुधार लाने और सीमा पार वित्तीय संस्थाओं के लिए अपेक्षित प्रभावी संकल्प विकसित करने के लिए काफी बड़े पैमाने पर उपाय किए जा रहे हैं। भारत में, देशी बैंकों को वैश्विक सिफी के रूप में वर्गीकृत किये जाने की संभावना कम है। इसके बावजूद, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधी देशी सिफी की नीतियों को मजबूत बनाने की जरूरत होगी।

5.131 विनियमन के दायरे और उसकी परिधि का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है शॉटो बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अदा की गई भूमिका को देखते हुए महत्वपूर्ण

बैंकिंग उद्योग के लिए विनियामक अपेक्षाओं को कड़ा किये जाने से इनका महत्व और बढ़ जाता है। भारत में, रिजर्व बैंक के विनियामक क्षेत्र के भीतर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे को मजबूत बनाना एक निरंतर प्रयास है। कंपनी विनियमन की वर्तमान प्रणाली में कुछ विनियामक खामियां बची रह सकती हैं। जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत होगी।

5.132 जहां कहीं संभव हो, महत्वपूर्ण बाजारों के लिए सीसीपी व्यवस्थाएं स्वीकार्य निपटान प्रणाली हैं। सीसीपी में जोखिमों के जमा होने से उभर रहे जोखिमों के लिए निरंतर आधार पर सावधानीपूर्वक निपटाने की जरूरत होगी। भुगतान और निपटान प्रणाली का मूलभूत ढांचा ठीक से काम कर रहा है परंतु छोटी-मोटी खामियां बची रह गयी हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं सही हैं परंतु चुनौतियों; अर्थात् जमा बीमा प्रणाली के अधिदेश को बढ़ाना, निधियन में सुधार करना और दावों के निपटान के लिए लगनेवाले समय को कम करना जैसी समस्याएं चुनौतियां बनी हुई हैं।

## अध्याय VI

### भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिशीलता

बहुत बड़े लोकिन सभव आधातों के माध्यम से दबाव परीक्षण के द्वारा ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा चलनिधि जोखिम के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों को गतिशीलता का अध्ययन किया गया। ऋण जोखिम दबाव परीक्षण के लिए एनपीए स्तरों को आधात पहुंचाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपातों का एक संवेदशीलता विश्लेषण किया गया। ब्याज दर जोखिम का अध्ययन “डयूरेशन ऑफ इंकिटी (डीओड)” कार्यान्वयन से किया गया है। चलनिधि दबाव परीक्षणों में बैंकों द्वारा बाहरी चलनिधि सहायता लिए बिना अप्रत्याशित चलनिधि दबाव को सहने की क्षमता का आकलन किया गया है। वाणिज्य बैंकों के ऋण जोखिम का परीक्षण भी एक मैक्सो स्ट्रेस के माध्यम से किया गया है, जो ऋण जोखिम के उपायों को स्थूल आर्थिक परिवर्तनीय तत्वों के साथ जोड़ता है।

**6.1 भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में दबाव परीक्षण**  
निरंतर किया जाता है ताकि अपवादात्मक परंतु संभव दबाव घटनाओं के संबंध में वित्तीय प्रणाली की गतिशीलता का आकलन किया जा सके। सामान्यतः किए गए दबाव परीक्षण में एक ही बात का संवेदनशीलता विश्लेषण। किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों की वित्तीय सशक्तता संकेतकों पर स्थूल आर्थिक तत्वों के प्रभाव के संबंध में भी एक दबाव परीक्षण मॉडल तैयार करके परीक्षण किया गया। आधातों की मात्रा की गणना करते समय, भारतीय वित्तीय प्रणाली के अनुभवों के आधार पर कुछ चुनिंदा संकेतकों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड अपनाए जाते हैं। इन दबाव परीक्षणों में अपनायी गई क्रियाविधियां अनुबंध 1 में दी गई हैं।

**6.2 रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित जोखिमों को शामिल करते हुए वर्तमान में नियमित आधार पर किए जा रहे दबाव परीक्षणों का निम्नलिखित जोखिम शामिल हैं:**

- पूरे ऋण पोर्टफोलियो के लिए एनपीए पर जोर देते हुए पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव डालनेवाले ऋण जोखिम का आकलन।
- ब्याज दर जोखिम, जिसमें प्रणाली तथा अलग-अलग बैंक के स्तर पर “डयूरेशन ऑफ इंकिटी” कार्यविधि अपनाते हुए किसी विशिष्ट ब्याज दर आधात के लिए तुलनपत्र के आर्थिक मूल्य में हास का आकलन किया जाता है।
- विभिन्न परिदृश्यों के अधीन, चलनिधि जोखिम, जिसमें प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण विश्वास में कमी के चलते जमाराशियों का आकस्मिक आहरण शामिल है।

**6.3 एक मैक्सो दबाव परीक्षण मॉडल,** जिसमें बैंकों की आस्ति गुणवत्ता तथा उनके पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर जीडीपी विकास दर, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति तथा नियांत जैसे मैक्सो आर्थिक परिवर्तनीय तत्वों के प्रभाव का आकलन किया जाता है, भी प्रस्तुत किया गया है।

#### ऋण जोखिम

**6.4 सितंबर 2010 के अंत की स्थिति** के अनुसार एनपीए स्तरों की तुलना में बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में 100 प्रतिशत, 200 प्रतिशत तथा 300 प्रतिशत की वृद्धि करके अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण जोखिम की गतिशीलता का परीक्षण किया गया। समग्र स्तर पर, उच्च स्तर की गतिशीलता देखने में आयी तथा बहुत अधिक दबाववाले परिदृश्य में भी (अर्थात् एनपीए में 300 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए) सीआरएआर विनियामक आवश्यकता से अधिक ही बना रहा। अलग-अलग स्तर पर, बैंकों के सीआरएआर में, एनपीए में 100 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए, कुछ गिरावट दिखायी दी। हालांकि एनपीए में 200 प्रतिशत तथा 300 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए कई बैंकों का सीआरएआर विनियामक आवश्यकताओं से नीचे गिर गया। एक मामले में एनपीए में 300 प्रतिशत की वृद्धि को मानते हुए, बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखनेवाले 20 बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता से नीचे गिर जाएगा (चार्ट 6.1)। इसलिए, बहुत अधिक दबाववाले स्थिति को छोड़कर, ऋण जोखिम दबाव परीक्षणों के अनुसार नियंता का कोई विशेष कारण नहीं है।

<sup>1</sup> दबाव परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि तथा विश्व बैंक द्वारा सितंबर 2005 में प्रकाशित हैंड बुक अॅन फाइनान्स सेक्टर एसेसमेंट में से लिए गए इनपुट के आधार पर किए गए। इस फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए, वित्तीय प्रणाली के विकास की स्थिति तथा वित्तीय संस्थाओं और बाजारों की परीक्षणता को ध्यान में रखकर देशी वस्तुरिक्षिति के अनुरूप कार्यविधि अपनायी थीं।

## ब्याज दर जोखिम

6.5 हाल ही की तिमाहियों में वाणिज्यिक बैंकों की इक्विटी के इयूरेशन (डीओई)<sup>2</sup> में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जो यह संकेत दे रहा है कि बैंकों द्वारा अधिक से अधिक ब्याज दर जोखिम उठाने की संभावना है (सारणी 6.1)। यह अलग-अलग बैंकों के स्तर पर भी परिलक्षित होता है, अर्थात् 10 साल से 20 साल के बीच इक्विटी के इयूरेशन (डीओई) वाले बैंकों की संख्या पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) [चार्ट 6.2 एवं 6.3] में मूल्यांकित दिसंबर 2009 की स्थिति की तुलना में दो कल्पित दबाव परिदृश्यों में बढ़ी है। बैंक द्वारा अनुमानित ब्याज दर जोखिम में हुई वृद्धि के लिए सतर्कतापूर्ण निगरानी की जरूरत है।

## चलनिधि जोखिम

### वाणिज्यिक बैंक


6.6 नकदी दबाव परीक्षण में किसी भी बाहरी चलनिधि नकदी समर्थन के सहारे के बिना अप्रत्याशित जमा वापसी ढेलने की बैंक की क्षमता का आकलन किया जाता है। इन परिदृश्यों को सख्त अनुमानों के आधार विकसित किया गया है और विविध अनुपातों के अप्रत्याशित जमा निकासी (जमा राशियों के प्रकार के आधार पर) की कल्पना की गई है। इन परीक्षणों में इन धन निकासियों के लिए उपलब्ध तरल आस्तियों की पर्याप्तता के लिए आकलन करता है। यह माना जाता है कि जमा निकासी पांच दिनों तक रहता है।

6.7 दबाव परीक्षणों से पता चला है कि कुछ बैंकों में पहले दिन की निकासी से निपटने के लिए भी पर्याप्त तरल आस्तियों नहीं होती हैं। ऐसे बैंकों की संख्या मार्च 2009 और मार्च 2010 की तुलना में सितंबर 2010 में अधिक थी, हालांकि जून 2010 की तुलना में कुछ सुधार जरूर हुआ था। बहरहाल, दबाव परिदृश्य को ढेलने में असमर्थ बैंकों की कुल संख्या पिछली अवधि की तुलना में सितंबर 2010 में अधिक थी (चार्ट 6.4 के से घ तक), जिससे यह संकेत मिलता है कि पिछले मूल्यांकनों की तुलना में इन चलनिधि दबाव परीक्षणों के तहत से स्थिति धोड़ी बिगड़ी प्रतीत होती है।

### शहरी सहकारी बैंक

6.8 सितंबर 2010 के अंत तक के आस्ती संविभाग के आधार पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर चलनिधि जोखिम

चार्ट 6.1: वाणिज्यिक बैंक जिनके गैर निषादक अग्रिम बढ़ने के कारण सीआरएआर 9% के नीचे आ गया है




स्रोत: पर्यावरणी आंकड़े एवं भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना

सारणी 6.1: इक्विटी का इयूरेशन (वाणिज्यिक बैंक)

डीओई > वर्ष	मार्च 2009	जून 2009	सितंबर 2009	दिसंबर 2009	मार्च 2010	जून 2010	सितंबर 2010
परिदृश्य I							
1 महीने के भीतर बचत जमा आहरण	8.0	8.7	8.9	9.9	10.5	11.4	12.2
परिदृश्य II							
3 से 6 महीने के भीतर बचत जमा आहरण	7.2	7.9	8.0	9.1	9.6	10.5	11.2

स्रोत: पर्यावरणी आंकड़े एवं भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना।

चार्ट 6.2: इक्विटी का इयूरेशन-समय अंतराल पर आवृत्ति (परिदृश्य I - 1 यहीने के भीतर बचत जमा आहरण)



स्रोत: पर्यावरणी आंकड़े एवं भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना।

<sup>2</sup> पर्याप्त लेन्डे-सूच्य के ऐतिहासिक डेटा ग्राफ करने के लिए सीआरएआर के बास्टर 1 के तहत परिकलित किया गया है। मार्च 2009 से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने (आरआरबी एवं एलएबी को छोड़कर) बास्टर 1 का अपना लिया है।

<sup>3</sup> इक्विटी के इयूरेशन में ब्याज दर में एक इकाई लॉर्डिंग के कारण लैस्ट धूंजी में दूसरे लैस्ट धूंजी परिकलित किया जाता है। इक्विटी का इयूरेशन जिनता ज्यादा होता है, ब्याज दर जोखिम उतना बढ़ता है। 20 साल का डीओई यह सूचित करता है कि धूंजी को पूरी तारीख पिटाने के लिए 500 आधार अंक का ब्याज दर आधारित अपेक्षित होगा।

<sup>4</sup> परिदृश्य I के अंतर्गत यह माना गया है कि बचत जमा का आहरण 1 से 28 दिनों के अंतर्गत किया जाता है जबकि परिदृश्य II में आहरण 3 से 6 महीने के अंदर किया जाना भाना गया है। समय बैंड-वार दर सर्वेदम्भील देयताओं को तदनुसार समावेजित किया गया है। परिदृश्य I से तात्पर्य कम इयूरेशन देयताओं से है तथा इन दो परिदृश्यों में से यह ज्यादा सख्त है।


<sup>5</sup> यह अनुलानक 1 में वर्णित है।

## अध्याय-VI भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को गतिशीलता

पर दबाव परीक्षण किए गए। तरल आस्तियों का हिस्सा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को कुल आस्तियों का 35.6 प्रतिशत था और उनके कुल निवेश का 88 प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में था।

6.9 जमाराशि के एक अंश, जिसके आहरण के प्रबंधन को बाहरी सहायता के बिना (अर्थात् अपने निवेश की बिक्री के माध्यम से) बैंकों द्वारा किया जा सकता है, तथा चलनिधि जोखिम के लिए दबाव परीक्षण पांच कस्तिपत परिदृश्यों में किया गया है। समग्र स्तर पर (समान ग्रेड को भिन्नाकर), विभिन्न परिदृश्य सीमाओं के अंतर्गत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र द्वारा जमाओं का प्रबंधनीय अनुपात ग्रेड I बैंकों के लिए परिदृश्य I (निवेश का परिसमाप्त नहीं है) में 12% से परिदृश्य V के तहत ग्रेड 3 बैंकों के लिए (100 प्रतिशत


चार्ट 6.3: इक्सिटी का हृदयेशन - समय अंतराल पर आवृत्ति (परिदृश्य II - 3 से 6 महीने के भीतर घटत जमा आहरण)




स्रोत: रबिन्झो आकड़े एवं भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 6.4 : दबावग्रस्त परिदृश्य में बैंकों की तरलता स्थिति


क : मार्च 2009




ख : मार्च 2010



ग : जून 2010



घ : सितंबर 2010



स्रोत: रबिन्झो आकड़े एवं भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना

### बॉक्स 6.1: समस्तिगत दबाव परीक्षण (पैको स्ट्रेस टेस्टिंग)

समस्तिगत दबाव (स्ट्रेस) परीक्षण का तात्पर्य “अपवादात्मक किन्तु संभावित” समस्ति-आर्थिक आघातों के प्रति वित्तीय प्रणाली की असुरक्षितताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। समस्तिगत दबाव परीक्षण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तथा 1990 के देशके उत्तराधीन में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है और यह नीति निर्धारकों के लिए वित्तीय स्थिरता संबंधी साधनों का अधिन अंग बन गया है। विगत कुछ वर्षों में समस्तिगत दबाव (स्ट्रेस) परीक्षण को ओर काणों ध्यान आकृष्ट हुआ है। वित्तीय स्थिरता संबंधी मुद्रों के प्रति विशेष चिंता को देखते हुए केंद्रीय बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन इस क्षेत्र में अनुसंधान करने में अग्रसर रहे हैं।

समस्तिगत दबाव परीक्षण के दो महत्वपूर्ण प्रणालीगत दृष्टिकोण इस प्रकार हैं :

- पहले प्रणाली ‘खंडवार (piecewise) दृष्टिकोण’ है जो विभिन्न समस्ति-आर्थिक दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत कई “वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों” (जैसे अनर्जक अग्रिम, पूँजी अनुपात आदि) के संबंध में भविष्यवाणी करके एकल जोखिम कारकों के प्रति वित्तीय क्षेत्र की असुरक्षितता को अँकिता है।
- “एकीकृत दृष्टिकोण” या मैं बहुल जोखिम कारकों के प्रति वित्तीय प्रणाली की संवेदनशीलता का विश्लेषण समग्र हानियों के संभाव्यता वितरण के एकल अनुमान में किया जाता है। जो किसी भी दबाव परिदृश्य के अंतर्गत संभव हो सकता है।

समस्ति-आर्थिक दबाव परीक्षण की नीति निम्नलिखित उपायों से तैयार की जा सकती है :

क) पहले उपाय में संबंधित वित्तीय संस्थाओं के एक सेट का नयन किया जाता है। इस संदर्भ में, अनेक छहलुओं के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विश्लेषण का दायरा वित्तीय प्रणाली के विशिष्ट खंड तक सीमित रखा जाए या उसमें सभी खंडों यथा बैंक, गैर-बैंक, बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों आदि को शामिल किया जाए? क्या विश्लेषण प्रणालीगत स्थिरता के लिए सुसंगत बड़ी बैंकिंग संस्थाओं पर ही आधारित होना चाहिए? वित्तीय संगुटों से कैसे निपटा जाए? इसके अलावा, समस्ति दबाव परीक्षण का सुसंगत पोर्टफोलियो अंशतः विश्लेषित किये जाने वाले जोखिमों के स्वरूप पर और अंशतः सही और सक्षमतर आकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

ख) एक बार विश्लेषण में शामिल की जानेवाली संस्थाओं और परिसंपत्तियों की श्रेणी की पहचान होने पर अगला कदम जोखिम एक्सपोजर का अनुमान लगाना होता है। इस तथ्य को देखते हुए कि विशिष्ट निवेशों और चाचाव संबंधी नीतियों तथा समस्ति-आर्थिक गतिविधियों/आघातों की अनुक्रिया में पोर्टफोलियो का निरंतर विकास हो रहा है जोखिम एक्सपोजर का आकलन एक विशिष्ट चुनौती है।

6.14 एनपीए के अनुपात द्वारा परिभाषित ऋण जोखिम लोजिस्टिक फंक्शनल फार्म द्वारा मोडेल किया गया है, ताकि टेल रिस्क को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके

$$NPA_t = \frac{1}{1 + e^{-y_t}}$$

\* लोजिट परिवर्तन से मूल वेरियबल को भागने में सहायता प्रिलाती है, जो वास्तविक रेखा में 0। तथा 1 से संलग्न है, जिसे सामान्य लोनियर रिग्रेशन ईवेशन में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। लोजिस्टिक कार्य मूलक फार्म इस अर्थ में भी सुविधाजनक है कि  $y$  लोजिट परिवर्तन द्वारा दिया जाता है।

$$L(NPA_t) = \ln \left( \frac{NPA_t}{1 - NPA_t} \right) = y_t$$

ग) दबाव परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का निर्धारण अगला कदम है, जिसमें विश्लेषित किए जाने वाले जोखिम के प्रकार (बाजार, क्रेडिट, ब्याज दर, चलनीधि और अन्य जोखिम); आघात में शामिल किए जाने वाले एकल/बहुल जोखिम कारक; आघात के पैरामीटर (कीमत, उतार-चढ़ाव, आपसी संबंध); आघात का आकार और समय सीमा शामिल है। जोखिम कारकों की बहतर रेज का विश्लेषण न सिफ़ दबाव परीरूप की भावी आकलन/संबंधी स्किप को बढ़ाता है अपितु गणनात्मक भार में भी बढ़ि करता है। इसी प्रकार, बहुल आघातों सहित गहन परिदृश्यों के अनुरूपण से एकल पैरामीटर की तर्फ़ संवेदनशीलता पर फोकस करने के बाजाय अधिक वास्तविक भविष्यवाणी की संभावना बनता है।

घ) दबाव परिदृश्यों की डिजाइन सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय यह भी है कि आघात के आकार को किस प्रकार सुविचारित किया जाए। आघात के आकार को अत्यधिक कम या अत्यधिक ज्यादा मानने पर विश्लेषण संबंधी अप्यास अवास्तविक हो सकता है। सामान्यतः, किसी सीमा में (या ऐतिहासिक विभिन्नता के आधार पर) सुसंगत जोखिम परिवर्तक में सबसे बड़े विगत संचलन तक आघात को सुविचारित किया जा सकता है। विकल्पतः सुसंगत जोखिम परिवेशकों की प्रवृत्ति से संबंधित विगत भिन्नताओं के अनुमानित संयुक्त अनुभवजेन्य वितरण का उपयोग दबाव परिदृश्य के अनुरूपण के लिए किया जा सकता है। आदर्श रिस्ति तो यह रहेगी कि महत्वपूर्ण वास्तविक आर्थिक संकेतकों अथवा आस्तियों की कीमतों को प्रभावित करने वाले अंतः क्रियाशील आघातोंकेतनशास्त्रों को पूरीतरह बनाने के लिए संरचनागत समस्ति-आर्थिक मॉडलों का प्रयोग करना चाहिए जो हित के परिदृश्य को परिभाषित करता हो। अन्यथा, परिदृश्य को साकार करने के लिए न्यूकोक्ट प्ररूपवाले प्रतिक्रिया कार्यों का भी इस्तोमाल किया जा सकता है।

संदर्भ :

1. सिहाक एम (2007) इन्ट्रोडेक्शन टु अप्लाईड स्ट्रेस टेस्टिंग। आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/07/59
2. फोनिल्या, ए (2009)। स्ट्रेस टेस्टिंग क्रेडिट रिस्क : ए सर्वे ऑफ अथारिटीस अप्रोनेस। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेन्ट्रल बैंकिंग खंड 6 सं. 2
3. मारको, सोर्ग (2004)। स्ट्रेस टेस्टिंग फैनेशिल सिस्टम्स: ऐन आवरब्यू ऑफ करन्ट प्रेथेडोलोजीस। वीआईएस वर्किंग पेपरसं सं. 165
4. मार्टिन पेलेकी एंड अनका मरिया पोडापियर (2010)। माक्रोएडुशियल स्ट्रेस-टेस्टिंग प्रेक्टिसेस ऑफ सेन्ट्रल बैंकेस इन सेन्ट्रल एंड साउथ इस्टर्न यूरोप। दी वर्ल्ड बैंक पोलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 5434
5. फिलिपी-न्स: फिनैशिल सिस्टम सेबिलिट एसेसमेंट अपडेट (2010)। आईएमएफ कन्ट्री रिपोर्ट सं. 10/90 अप्रैल 2010

जहां पर  $y$  की व्याख्या अर्थव्यवस्था की स्थिति के सूचकांक के रूप में की जाती है, जो बैंक पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता में सुधार/ कमी के साथ जुड़ा हुआ है। लोजिट परिवर्तन<sup>6</sup> को तब एक्सोजिनेस पोक्रोइकोनोमिक फैक्टर्स ( $X$ ) के कार्य के रूप में देखा जाता है और

यह आकस्मिक होता है, जो त्रुटि अर्थात्

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \dots + \beta_n X_{nt} + \epsilon_t$$

से परिभाषित होता है।

### महत्वपूर्ण जोखिम कारकों का पता लगाना

6.15 प्रारंभ में विभिन्न समस्त आर्थिक चरों की तुलना में अधिक अग्रिम अनुपात पश्चात किए जाते हैं। पश्चात गमनों के गुणांक संबंधित समस्त अर्थव्यवस्था के जोखिम कारकों के प्रति बैंक उधारकर्ताओं की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान करते हैं।

$$\text{logit\_npa}_t = \alpha * \text{logit\_npa}_{t-1} + \beta * X_{t-k}$$

जहाँ K महत्वपूर्ण अंतराल को प्रदर्शित करता है।

6.16 इस श्रृंखला में 1999 से 2010 तक के तिमाही आंकड़े शामिल हैं। स्थिर समय श्रृंखला प्राप्त करने के लिए मूल डेटा श्रृंखला को बदल दिया गया। मूल्य चर, ब्याज दर चर और विनिमय दर चर स्तरों में प्रयुक्त किए गए हैं; नियांत और ब्यापार चर को जीडीपी के अनुपात के रूप में लिया गया है और वृद्धि चर वार्षिक प्रतिशत बदलाव के रूप में लिए गए हैं।

6.17 बड़े R2 वाले द्विचर समीकरणों में से बहुचरीय समीकरण के लिए उन चरों को छाना गया जिनके गुणांक महत्वपूर्ण हैं और जो संभावना के लक्षणों से युक्त हैं। द्विचर पश्चात गमनों के लिए नुने गए चरों को सारणी 6.2 में दिया गया है।

### बहुचरीय पश्चात गमन मॉडल: आकलन

6.18 पहचाने गए चरों की सहायता से एक बहुचरीय पश्चात गमन मॉडल बनाया गया, जहाँ सह गुणांक पर्याप्त है, उनमें अपेक्षित चिन्ह हैं और शेष स्थिर मॉडल सारणी 6.3 में वर्णित है।

6.19 उपरोक्त मॉडल से पता चलता है कि अनर्जक अग्रिम अनुपात दृढ़ता से स्व-सहबद्ध है। इसके अलावा अनर्जक अग्रिम अनुपात कृषि या औद्योगिक जीडीपी वृद्धि दरों में गिरावट होने पर बढ़ता है तथा बढ़ने पर कम होता है। 1 तिमाही के अंतराल के साथ कृषि का प्रभाव तेजी से दिखाई देता है, जबकि उद्योग का प्रभाव 3 तिमाही के उपरांत अनुभव होता है। इसके अलावा अनर्जक अग्रिम अनुपात 1 तिमाही के अंतराल के साथ अल्पसमयावधि की माझूली ब्याज दर से सकारात्मक रूप से संबंधित है। अंततः एनपीए 2 तिमाही अंतराल के साथ अनर्जक अग्रिम अनुपात नियांत के जीडीपी अनुपात में गिरावट के साथ बढ़ता है। समायोजित R2 0.98 है।

6.20 शेषों में स्व-सहबद्धता की जांच के लिए किया गया बॉश-ग्राडफ्रेक एलएम परीक्षण दर्शाता है कि शेषों में कोई श्रृंखलाबद्ध

सारणी 6.2: द्विचर पश्चात गमन के चर		
	चर x	अपेक्षित चिन्ह
वृद्धि	वास्तविक जीडीपी वास्तविक जीडीपी - कृषि वास्तविक जीडीपी - उद्योग औद्योगिक उत्पादन	- - - -
मूल्य स्थिरता	डब्ल्यूपीआइ सीपीआइ एम3	/+ /+ /+
ब्याज दर (सकेतक)	ब्याज दर - अल्प अवधि ब्याज दर - लंबी अवधि	+
वित्तीय बाजार	सेसेक्स निफ्टी	- -
बाध्य क्षेत्र	विनिमय दर (यूएसडी) आरईआर नियांत ब्यापार	/+ /+ - /+
एनपीए-अनुपात - कुल अग्रिमों की एनपीए का तुलना में अनुपात मूल्यस्थिरता सकेतक - थोक मूल्य/उपभोक्ता मूल्य सूची, मुदा आपूर्ति ब्याज दर सकेतक - अल्प अवधि और लंबी अवधि की सकेतक ब्याज दर (ट्रेजरी बिल आय: 15-91 दिवसीय और 10 वर्षीय सरकारी बांड), वित्तीय बाजार सकेतक - शेयर बाजार सूचकांक, बाध्य क्षेत्र सकेतक, विनिमय दर, जीडीपी की तुलना में नियांत/ब्यापार अनुपात		

	आश्रित चर : एनपीए में लोगिट परिवर्तन (logit_npa)	सारणी 6.3: बहुचरीय पश्चात गमन मॉडल: चरों के अनुपातित गुणांक		
		अंतराल (तिमाही)	सह गुणांक	पी-का मान
स्थिर पद	-	-0.1217	0.0911	
एनपीए का लोगिट	1	0.8718	0.0000	
कृषि की वास्तविक जीडीपी वृद्धि	1	-0.0041	0.0172	
उद्योग की वास्तविक जीडीपी वृद्धि	3	-0.0081	0.0044	
सकेतक ब्याज दर (अल्प अवधि)	1	0.0111	0.0332	
नियांत (जीडीपी का अनुपात)	2	-0.0184	0.0507	

सहबद्धता नहीं है। इस विशिष्टता के लिए व्हाइट (हेट्रोस्केडस्टिस्टी रोबस्ट मानक त्रुटी) और साथ ही नेवे -वेस्ट (हेट्रोस्केडस्टिस्टी और स्व-सहबद्धता दोनों की उपस्थिति के लिए) अनुमानक बहुत अधिक कठिन नहीं हैं और सह-गुणांक के सांख्यिकीय महत्व के लिए परीक्षण के आंकड़े सामान्यतः अपरिवर्तित हैं। गिरावट के परिणाम नेवे-वेस्ट अंतराल मूल्यांकक का प्रयोग करते हुए प्राप्त किए गए पश्चगमनों के बीच में से पिछड़ गए निर्भर चरों की मौजूदगी में संभावित स्व-सहबद्धता अथवा हेट्रोस्केडस्टिस्टी को नियंत्रण में रखा जा सके। पुनरावर्ती शेषों की जांच के जरिए स्थिरता की पड़ताल से यह बात सामने आती है कि मॉडल के पैरामीटर आंकड़ों के विभिन्न उपनमूनों के लिए एकसमान हैं।

### दबाव परिदृश्य

6.21 आधार रेखा के नीचे के अनर्जक अग्रिम अनुपातों और दबाव परिदृश्यों के पूर्वानुमान के लिए नपे-तुले मॉडल का उपयोग किया जाता है। दबाव परीक्षण जोखिम का दायरा दो वर्ष के लिए है। तदनुसार आधार रेखा और दबाव परिदृश्य बनाए गए हैं। (सारणी 6.4 और सारणी 6.5)

6.22 आधार रेखा के नीचे के अनुत्पादक अग्रिमों और दबाव परिदृश्यों के अनुपात के पूर्वानुमान मूल्य को माडल द्वारा दिखाया गया है (चार्ट 6.7)।


6.23 माडल से प्राप्त अनुत्पादक अग्रिमों के अनुपात के पूर्वानुमानित मूल्यों को प्रत्येक परिदृश्य में पूंजी अनुपात में रूपांतरित किया गया। (चार्ट 6.8) यह रूपांतरण बैलेंस शीट दृष्टिकोण पर आधारित है जिसके द्वारा बैलेंस शीट में पूंजी, प्रावधानों व शुद्ध लाभ से प्रभावित है। प्रत्येक परिदृश्य के तहत नए पूंजी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात को वर्तमान स्तर पर रखा गया। इसके अलावा क्रूण वृद्धि, जोखिम भारित आस्तियों की वृद्धि और लाभ वृद्धि को क्रमशः 20,12 और 10 प्रतिशत माना गया। एनपीए पूर्वानुमानित वृद्धि को अवमानक, संदिग्ध और हानिगत श्रेणियों में एनपीए के मौजूदा स्टाक के समान अनुपात में बांटा गया।

6.24 परिणाम दर्शाते हैं कि ऊपर बताए गए समष्टि दबाव परीक्षण माडल में समष्टि आर्थिक चरों की सूची में से सकल एनपीए पर निर्यात आधात का असर अधिकतम है। तथापि विभिन्न परिदृश्यों के तहत परिणाम दर्शाते हैं कि समष्टि आर्थिक आधात भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को काफी हद तक खतरा उत्पन्न नहीं करेंगे।

सारणी 6.4: आधार रेखा के अनुमान (प्रतिशत)			
पूर्वानुमान काल	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	सांकेतिक ब्याज दर (अल्पावधि)	जीडीपी निर्यात अनुपात
2010-11	तिः 3	8.5	5.5
	तिः 4	8.5	5.5
	तिः 1	9.0	5.0
	तिः 2	9.0	5.0
	तिः 3	9.0	5.0
	तिः 4	9.0	5.0

सारणी 6.5: दबाव परिदृश्य (प्रतिशत)			
आधात स्तर (प्रतिशत)	वास्तविक जीडीपी वृद्धि आधात	सांकेतिक ब्याज दर (अल्पावधि) आधात	जीडीपी निर्यात अनुपात आधात
प्रथम वर्ष समय दायरा	- 20.0	+ 20.0	- 40.0
द्वितीय वर्ष समय दायरा	- 10.0	+ 10.0	- 25.0

चार्ट 6.7: दबाव परिदृश्यों के तहत अनर्जक अग्रिम




वर्ष 2010-11 को लोमरो तिमाही से वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही के अनुमान  
स्रोत: पर्यावरण आकड़े और रिजर्व बैंक स्टाफ की गणना

6.25 जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, ऊपर वर्णित मॉडल उक्त प्रणाली में प्रणालीगत जोखिमों के जमाव के मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत समष्टि दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क स्थापित करने की दिशा में पहल प्रयास है। आगे आने वाले समय में इस प्रविधि को सतत विकसित किया जाएगा ताकि यह उन उपकरणों की बढ़ती हुई संख्या का हिस्सा बन सके जिन्हें प्रत्येक बैंक की अलग इकाई के रूप में से वित्तीय प्रणाली की सुदृढता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

## निष्कर्ष

6.26 बैंकों के ऋण जोखिम एक्सपोजर का दबाव परीक्षण उनकी पर्याप्त सुखद स्थिति एवं ऋण गुणवत्ता में अप्रत्याशित कमी का सामना करने की उनकी सक्षमता को प्रकट करता है। तथापि मौजूदा एनपीए के स्तर के दोगुने या तिगुने होने की काल्पनिक स्थिति में बैंकों की पूँजी स्थिति में कुछ कमी देखी जा सकती है। वाणिज्यिक बैंकों के इक्विटी डयूरेशन की बढ़ती प्रवृत्तियां अधिक ब्याज दर जोखिम को दिखाती हैं अतः सक्रिय निगरानी की आवश्यकता है। चलनिधि दबाव परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों, दोनों के लिए अत्यधिक दबाव परिदृश्य के चलते कुछ बैंक चलनिधि की कमी का सामना करते हैं। किसी भी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए चलनिधि आस्तियों की स्थिति का सक्रिय मूल्यांकन व सुधार किया जाना आवश्यक है।

चार्ट 6.8: पूँजी पर्याप्तता अनुपात: दबाव परिदृश्य के तहत अनर्जक अग्रिय अनुपातों से स्थानांतरित



वर्ष 2010-11 को तीसरी तिमाही से वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही के अनुमान  
स्रोत: परिवही आंकड़े और रिजर्व बैंक स्टाफ की गणना

6.27 समष्टि आर्थिक चरों द्वारा ऋण जोखिम एक्सपोजर हेतु किया गया समष्टि दबाव परीक्षण ऋण जोखिम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के परस्पर संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। परिणाम दिखाते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक है और ऋण गुणवत्ता में अप्रत्याशित कमी का सामना करने के लिए सक्षम है। विभिन्न दबाव परिदृश्यों के तहत निर्मित समष्टि आर्थिक चरों पर आधात का असर हल्का पाया गया। तथापि वैश्विक अर्थव्यवस्था में होनेवाली किसी भी अन्य गिरावट से घरेलू समष्टि आर्थिक चरों के लिए उत्पन्न होनेवाले जोखिम पर निगरानी रखने की जरूरत है।

## अनुलग्नक । : दबाव परीक्षण प्रणालियाँ

सतत निगरानी पद्धति के भाग के रूप में, निम्न जोखिमों को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण किए गएः

- **ऋण जोखिम**, जो संपूर्ण ऋण संविभाग के लिए अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) पर दबाव डाल कर पूँजी पर्याप्तता पर असर का अनुमान लगाता है।
- **ब्याज दर जोखिम** जो कि व्यवस्था और व्यक्तिगत बैंक दोनों स्तरों पर इक्विटी ड्यूरेशन प्रणाली का प्रयोग करते हुए दिए गए ब्याज दर आधात पर तुलनपत्र के आर्थिक मूल्य में कमी का अनुमान लगाता है।
- **चलनिधि जोखिम**, विभिन्न परिदृश्यों का उपयोग करते हुए जिसमें प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में विश्वास की कमी के कारण जमाराशियों को अचानक वापस तो तेना शामिल है।

उपरोक्त आधातों के प्रति वाणिज्यिक बैंकों के लचीलेपन का अध्ययन उपरोक्त तीन विश्लेषणों से किया गया। इस विश्लेषण में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को शामिल किया गया। दबाव परीक्षण के लिए अपनायी गई प्रणाली पहले एफएसआर के लिए किए गए दबाव परीक्षण के अनुरूप है। ये दबाव परीक्षण एकत्र करके संबंदनशीलता विश्लेषण हैं और समष्टि चरों के वित्तीय दृढ़ता सूचकों के साथ परस्पर संबंधों को शामिल नहीं करते।

### **ऋण जोखिम**

बैंकों के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण पोर्टफोलियो को अनुत्पादक आस्तियों के बढ़ते हुए स्तर के साथ ही साथ प्रावधानीकृत आवश्यकताओं के बढ़ने से आधात लगा। इस प्रकार प्राप्त अनुमानित प्रावधनन आवश्यकताओं को पहले बैंकों के वार्षिक लाभ में से समायोजित किया गया और यदि कुछ बची हुई प्रावधानीकृत आवश्यकताएं थीं तो उन्हें बैंकों की पूँजी में से कांटा गया।

मार्च 2007 से सितंबर 2010 तक के तिमाही पर्यवेक्षी डाटा के आधार पर उक्त विश्लेषण समग्र तथा वैयक्तिक बैंक दोनों स्तरों पर किया गया। इस परिदृश्य में एनपीए के मौजूदा स्टॉक में 100, 200 और 300 प्रतिशत को बढ़त का अनुमान लगाया गया और मानक, अवमानक और संदिग्ध/अग्रिम घाटे के लिए प्रावधानीकृत आवश्यकताओं में क्रमशः 1 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की वृद्धि मानी गई। एनपीए में अनुमानित वृद्धि को बर्तमान एनपीए के स्टाक में पहले मौजूद अनुपात के अनुसार अवमानक, संदिग्ध और घाटे की श्रेणियों में बांट दिया गया। अतिरिक्त प्रावधानन की आवश्यकताओं को ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ते हुए समीकरण पर लागू किया गया।

### **ब्याज दर जोखिम**

दबाव परीक्षणों में इक्विटी ड्यूरेशन (डीओई) या निवल-मूल्य ड्यूरेशन एप्रोच ब्याज दरों में इकाई वृद्धि के कारण पूँजी में हुई कमी को गणना करने में मदद कर सकता है। यह विश्लेषण बैंक के पोर्टफोलियो की बैलेंस शीट में मौजूद ब्याज दर संबंदनशील मध्यों को शामिल करता है और उन ब्याज दर संबंदनशील मध्यों को भी शामिल करता है जो बैलेंस शीट में नहीं हैं। कुछ सीमाओं के अधीन इक्विटी ड्यूरेशन ब्याज दर जोखिम का पता लगा लेती है और जोखिम आधारित पूँजी के अनुमान आकलन में मदद करती है। इक्विटी की ड्यूरेशन जितनी अधिक होगी ब्याज दर जोखिम उतनी ही अधिक होगी और उसी के अनुसार पूँजी की अधिक आवश्यकता होगी।

- **ड्यूरेशन अंतर** = (आस्तियों की ड्यूरेशन\* कुल आस्तियाँ - देनदारियों की ड्यूरेशन \*कुल देयताएं)/कुल आस्तियाँ
- **इक्विटी का ड्यूरेशन\*** = ड्यूरेशन अंतर\* लिवरेज अनुपात = आस्तियों की ड्यूरेशन\* कुल आस्तियाँ - (आस्तियों की देयताओं की ड्यूरेशन \*कुल देयता\*)/पूँजी और आरक्षित निधियाँ
- **पूँजीगत निधियों को हटा देने के लिए आवश्यक ब्याज दर आधात** = मूल्य में % परिवर्तन/डीओई = 100/डीओई

इस दृष्टिकोण के अनुसार बैंक पोर्टफोलियों की इक्विटी ड्यूरेशन की गणना दो परिप्रेक्ष्यों के तहत की जाती है: बचत जमा को पहले समय बैंड अर्थात् 1 से 28 दिन के अंदर वापस लिया गया माना जाता है (परिदृश्य I); बचत जमा को 3 से 6 महीने के समय बैंड में वापस लिया माना जाता है (परिदृश्य II) तदनुसार समय बैंड के अनुसार दर संबंदनशील देयताओं को दो परिदृश्यों के तहत समायोजित किया गया।

## चलनिधि जोखिम

### अनुभूचित वाणिज्यिक बैंक

चलनिधि दबाव परीक्षण का उद्देश्य बिना किसी बाहरी चलनिधि का सहारा लिए अप्रत्याशित चलनिधि पलायन का सामना करने की बैंक की क्षमता का पता लगाना है। जो परिदृश्य बना वह कड़ी धारणा पर आधारित है, जोकि अत्यधिक कठोर है। मार्च 2009 के अंत से सितंबर 2010 तक के अंत तक उक्त विश्लेषण किया गया।

यह परिदृश्य जमाकर्ताओं के विश्वास में अचानक हुई कमी के कारण अप्रत्याशित जमा वापसियों के विभिन्न अनुपातों (जमा के तरीकों के अनुसार) को दर्शाता है और उनके निधियन हेतु उपलब्ध चलनिधि आस्तियों की पर्याप्तता का आकलन करता है। ऐसा माना जाता है कि जमा राशि को निकालने की होड़ पांच दिनों तक चलेगी।

- इसका उद्देश्य बिना किसी बाहरी मदद के, उपलब्ध चलनिधि आस्तियों को बेच कर 5 दिनों के लिए अप्रत्याशित जमा वापसियों का सामना करने की बैंक की क्षमता का पता लगाना है।
- जमा राशियों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, चालू जमा, बचत जमा और सावधि जमा।
- चलनिधि आस्तियों में नकद पूँजी, रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त सीआरआर शेष, अन्य बैंकों द्वारा एक साल के अंदर चुकायी जाने वाली शेष राशि और एक साल के अंदर परिपक्व होनेवाले निवेश।
- कुल अप्रत्याशित जमा वापसी निम्न अनुपात में की जानी अनुमानित है
  - चालू जमा - 1-14 दिनों की समय सीमा में हुए चालू जमा के बहिर्वाह के अनुपात का तीन गुना।
  - बचत जमा - 1-14 दिनों की समय सीमा में हुए बचत जमा के बहिर्वाह के अनुपात का तीन गुना।
  - अवधि जमा - 1-14 दिनों की समय सीमा में हुए सावधि जमा के बहिर्वाह के अनुपात का तीन गुना।
- दबाव वापसी का पांच दिन की अवधि में 40,30,15,10 और 5 प्रतिशत क्रमशः पहले से पांचवें दिन किया जाना अनुमानित है।
- बैंकों का चलनिधि आस्तियों की बिक्री द्वारा जमाओं की दबाव वापसी का सामना किया जाना अनुमानित है।
- बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत मार्जिन पर निवेश की बिक्री को जाती है।
- दबाव परीक्षण स्थिर अवस्था में किया जाता है।

### शहरी सहकारी बैंक

सितंबर 2010 के अंत तक कई आस्तियों के पोर्टफोलियो का उपयोग करते हुए अनुभूचित शहरी सहकारी बैंकों की चलनिधि जोखिम पर दबाव परीक्षण किया गया। यह माना जाता है कि बैंक की चलनिधि आस्तियां जैसे कि उपलब्ध नकदी, बैंकों के पास शेष जमा भांग/अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि और निवेश (एसएलआर साथ ही साथ ऐर एसएसआर) को दबाव के समय किसी और बाहरी मदद से पहले चलनिधि प्राप्त करने के लिए कठम में लिया जाता है। यह अनुमान है कि जमा अवधि के दौरान सभी निवेशों को 10 प्रतिशत के मार्जिन पर बेचा जा सकता है। शहरी सहकारी बैंकों की अन्य आस्तियां जैसे कि उधार और अग्रिम, मिलनेवाला अतिदेय ब्याज, परिसर, फर्नीचर, स्थावर दब्य, खरीदी गई हुंडियां और छूट अनकद आस्तियां भांगी जाती हैं। जमा अवधि का वह अनुपात जिसका प्रबंध शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बिना किसी बाहरी मदद के किया जाता है (निवेश की बिक्री द्वारा हो सकता है) को लभीतेपन के परीक्षण हेतु काम में लिया जाता है।

चलनिधि यह दबाव परीक्षण के विश्लेषण हेतु पांच परिदृश्यों, पर विचार किया गया है जिसमें शहरी सहकारी बैंकों के कुल निवेश पोर्टफोलियो का प्रतिशत जिसे दबाव के समय चलनिधि में बदला जा सकता है, भी शामिल है। परिदृश्य 1 निम्न आधारों पर निवेश की बिक्री का वर्णन करता है (क) बिना किसी दबाव के व्यापार का सामान्य तरीका था (ख) अत्यन्त कठिन परिस्थितियां जहां बैंकों ने अपना सारा निवेश/अनकद/अविक्रेय प्रतिभूतियों के रूप में किया है (हालांकि यह प्रचलन में शायद ही होता है) या (ग) पूर्णतः विश्वास की कमी के कारण बैंकों के निवेश के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। जमा निकालने के होड़ की अत्यंत दबाव की स्थिति में बैंकों को अपने संपूर्ण निवेश को (यानि 100 प्रतिशत) परिदृश्य V में वर्णित अनुमानित मार्जिन पर बेच देना आवश्यक होगा। अन्य परिदृश्य कुल

निवेश के 25 प्रतिशत (परिदृश्य II), 50 प्रतिशत (परिदृश्य III) और 75 प्रतिशत (परिदृश्य IV) परिशोधन को अनुमानित मार्जिन के साथ शामिल करते हैं। परिशोधन का अनुपात जमा निकालने के होड़ के प्रबंध की सीमा पर निर्भर करता है।

### **समष्टि दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम**

बैंकों के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए ऋण जोखिम को समष्टि आर्थिक चरों के कार्यों के रूप में माना गया। यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था के सकल स्तर पर अनुत्पादक अग्रिमों एवं कुल अग्रिमों के अनुपात पर किया गया। इस बने हुए माडल की सहायता से अनुत्पादक अग्रिमों के अनुपात का पूर्वानुमान अगली कुछ तिमाहियों के लिए किया गया। इसमें आधार रेखा और दबाव परिदृश्य दोनों शामिल हैं। अनुत्पादक अग्रिमों के पूर्वानुमानित मूल्यों पर पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात उपलब्ध/ वर्तमान ऋण हास प्रावधानों को यथावत रखते हुए निकाला गया।